Changing Canvas of Ansari Community of Allahabad City of Uttar Pradesh

(With Special Refrence to Their Society, Economy and Religion)

इलाहाबाद के अंसारी समुदाय

A Thesis Submitted to Faculty of Arts for the Degree of Doctor of Philosophy

Under the Supervision of
A. R N. Srivastava
Ph. D. (Arizona)
Professor of Anthropology

Submitted By
Sheela Kumari
D. Phil Registration No. 1179/87

Department of Social Anthropology and Sociology
University of Allahabad

February 1995

ए० आर० एन० श्रीवास्तव
A.R.N. SRIVASTAVA
Ph D (Arizona)
Professor & Head of the Department
ANTHROPOLOGY & SOCIOLOGY

4C/2, Bank Road,
University of Allahabad
Allahabad-211002

Phone · 640-714 (R)

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis entitled 'CHANGING CANVAS OF ANSARI COMMUNITY OF ALLAHABAD CITY, U.P. WITH SPECIAL REFERENCE TO THEIR SOCIETY, ECONOMY AND RELIGION" is a record of bona fide research carried out under my supervision by SHEELA KUMARI.

28 02 1995
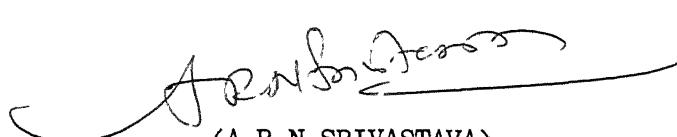
(A.R.N.SRIVASTAVA)
Supervisor

कृतज्ञता ज्ञापन

प्रस्तुत शोध- प्रबन्ध के विषय का सुझाव डॉ0 ए0 आर0 एन0 श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, सामाजिक मानवविज्ञान तथा समाजशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ने जब दिया था तब ऐसा अनुभव हुआ कि अन्सारी समुदाय मुस्लिम समाज का वृहद् हिस्सा है। इस विषय पर उपलब्ध सामग्री का भी अभाव है अतः यह शोध कार्य अत्यन्त मुश्किल होगा। लेकिन यथासम्भव निष्पक्ष रूप से प्रारम्भिक बिन्दु से लेकर समापन तक आपके मार्गदर्शन ने मुझे इस अध्ययन के प्रति अत्यन्त संवेदनशील बना दिया। नगरीय सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में अन्सारी समुदाय को सम्पूर्णता के साथ प्रस्तुती के लिये मैं इनकी कृतज्ञ हूँ।

इसके साथ ही *डॉ0 विजयशंकर सहाय* (रीडर, सामाजिक मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय), *डॉ0 सत्यनारायण* (रीडर, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय), *डॉ0 नूर मोहम्मद* (प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष, अलीगढ़ विश्वविद्यालय) के प्रति मैं आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपने सुझाव देकर मुझे प्रोत्साहित किया।

इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिनमें प्रमुख हैं- *मोहम्मद इस्लाम अन्सारी एडवोकेट* (भूतपूर्व सभासद, नगर महापालिका), *डॉ0 युसुफ अन्सारी* (इलाहाबाद शहर मोमिन कान्फेस के अध्यक्ष), *डॉ0 बदरीउद्दीन अन्सारी* (प्रोफेसर, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद), श्री *मोहम्मद युनुस अन्सारी* (मऊआइमा) तथा अन्य सहयोगियों की भी मैं आभारी हूँ जिनके सहयोग से शोध प्रबन्ध के सर्वेक्षण तथा वैयक्तिक अध्ययनों में सहायता मिली।

डॉ0 मजुलता, श्री ए0टी0 अन्सारी, शीबा तथा *इमरान* ने प्रोत्साहन का वातावरण देकर शोध प्रक्रिया को पूर्ण करने में अत्यन्त सहयोग दिया।

अन्त में मैं सभी विद्वानों तथा लेखकों के प्रति आभारी हूँ जिनके विचारों तथा पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा शोध प्रबन्ध को सम्पूर्णता प्रदान की जा सकी।

इस प्रबन्ध के लेजर प्रिन्ट के लिये श्री एस0 एम0 खालिद धन्यवाद के पात्र हैं।

इलाहाबाद,

फरवरी, 1995

शीला कुमारी

प्रवक्ता, समाजशास्त्र

हमीदिया गर्ल्स डिग्री कालेज,

इलाहाबाद।

विषय सूची

अध्ययन में शामिल स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात
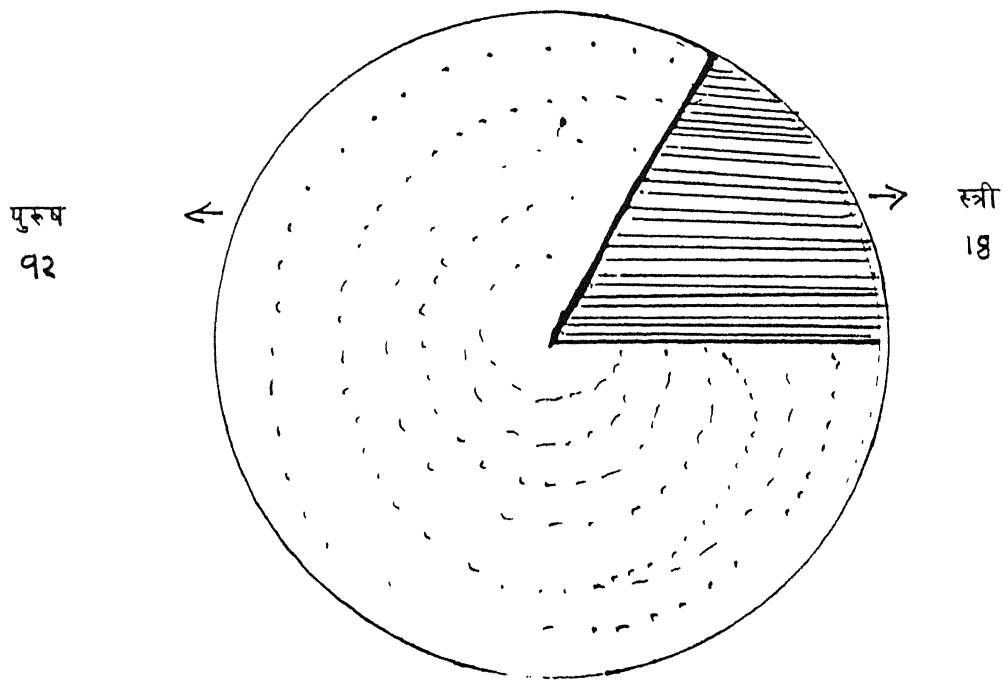
110 सूचनादाताओं में स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 1:5 है
यह सभी विभिन्न आयु तथा व्यवसायिक समूहों से सम्बन्धित हैं

अध्याय-1

भूमिका : समस्या कथन एवं शोध पद्धति

शोध अध्ययन की समस्या

भारतीय मानववेत्ताओं तथा समाजवेत्ताओं ने देश के कमजोर वर्ग के अन्तर्गत जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों का विशद् विवरण प्रस्तुत किया है किन्तु पिछड़े समुदाय पर बहुत कम लिखा है। प्रस्तुत शोध क्षेत्र का विषय उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े समुदाय से सम्बन्धित है। अन्सारी समुदाय उत्तर प्रदेश में छिटपुट रूप से सभी जगह पाया जाता है। इस शोध प्रबन्ध में समुदाय का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

हम इसे एक कथन के रूप में यों व्यक्त कर सकते हैं :-

"नगरीय परिवेश के परिप्रेक्ष्य में अंसारी समूह का समाजशास्त्रीय दृष्टि से सामाजिक एव आर्थिकी विवेचन प्रस्तुत करना"

अध्ययन का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों पर कम अध्ययन हुये हैं विशेष कर मुस्लिम जाति-समूहों पर। जो भी अध्ययन अब तक उपलब्ध हैं (अध्याय- 2) उनके आधार पर प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :-

1 अन्सारी समुदाय के सामाजिक संगठन के मूल तत्व क्या हैं? अर्थात ये किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं?

2. अन्सारी समुदाय का आर्थिक आधार क्या है?

3. भारतीय वृहत् परम्पराओं के साथ अन्सारी समुदाय किस प्रकार सम्बन्धित है?

4. परिवर्तित परिवेश में अन्सारी की जीवन शैली किस प्रकार प्रभावित हुयी है?

अध्ययन क्षेत्र एवं सीमा

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नगरीय परिवेश है। अन्सारी समुदाय की जनसख्या राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी मिलती है। अत: इस अध्ययन का निष्कर्ष सभी क्षेत्रों के लिये प्रभावशाली ढग से लागू हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। किन्तु इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्र में इसके निष्कर्ष लागू हो सकते हैं।

शोध अध्ययन की प्रविधि

पूर्वगामी अध्ययन

वास्तविक शोध् से पहले उचित क्षेत्र, समस्या और उपयुक्त शोध प्रविधि के निर्धारण के लिये शोधकर्ता ने अपने अनुभव तथा पूर्व प्रकाशित साहित्यों के आधार पर इलाहाबाद के प्रमुख क्षेत्रों का भ्रमण किया। चूँकि शोधकर्ता स्वय इसी समुदाय की एक सदस्या हैं अतएव इस कार्य में विशेष कठिनाई नहीं हुयी। पूर्व प्रकाशित पुस्तकों की विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में की गयी है1

इलाहाबाद के प्रमुख अन्सारी सदस्यों से सम्पर्क कर पूर्वगामी अध्ययन (Pilot Study) के दौरान निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया गया-

1. अन्सारी समुदायों की मूल जनसख्या इलाहाबाद नगर के किस क्षेत्र में हैं?
2. प्रत्येक क्षेत्र वार्ड में परिवारों का वितरण किस प्रकार है?
3 अन्सारी समुदाय के मुख्य पेशे क्या हैं?
4. असारी समाज की सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या हैं?

समग्र

पूर्वगामी अध्ययनों के आधार पर शोधकर्ता ने यह निश्चय किया कि अध्ययन का समग्र (Universe) इलाहाबाद नगर की असारी जनसख्या रहेगी। अनुसधान समस्या से सम्बन्धित विषय-इकाइयों का सम्पूर्णता को समग्र कहा जाता है।

इस अध्ययन में समग्र की वास्तविक सख्या अनुपलब्ध है। किन्तु विभिन्न स्त्रोंतों से अनुमानतः लगभग ढाई लाख है।

निदर्शन इकाइयों का निर्धारण

सपादित किये जाने वाले अध्ययन का समग्र एक निश्चित सख्या के सदस्यो का समग्र होता है। जिन इकाइयों का चयन समग्र में से किया जाता है उसे निर्दशन इकाई (Sampling unit) कहते हैं। जैसे परिवार या पेशागत समूह।

समग्र अध्ययन की यह मान्यता होती है कि इसकी आधार भूत विशेषताओं में समरूपता है अर्थात हमारी मान्यता है कि इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय समरूप हैं किन्तु पेशा के आधारभूत लक्षणो में पर्याप्त अन्तर है। चूँकि असारी समूह के सभी सदस्यो का अध्ययन सम्भव नही है अत: हमने निदर्शन इकाइयों का सहारा लिया है।

निदर्शन प्रविधि की चयन प्रक्रिया की अनेक प्रविधियाँ हैं। सर्वाधिक प्रचलित दो हैं। सभावित निदर्शन (Probability Sampling) और गैर सभावित निदर्शन (Non Probability Sampling)। प्रस्तुत अध्ययन में हमने "गैर-सम्भावित निदर्शन" प्रविधि अपनाया है। इसे उद्देश्यपूरक निदर्शन (purposive sampling) भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, हमने अपने उद्देश्य के अनुसार सुविधानुसार उन्ही परिवारों का चयन किया है जो विभिन्न आर्थिकी एव सामाजिक स्तर वाले थे। इस दृष्टि से हमारा निदर्शन उद्देश्य-पूरक स्तरित निदर्शन (Purposive Stratified samling) कहा जायेगा।

निदर्शन के आकार का निर्धारण करते समय हमने यह ध्यान में रखा है कि उसकी सख्या 110 से अधिक नही हो क्योंकि हमारे अध्ययन में केवल लोगों द्वारा व्यक्त उत्तर ही उपयोगी नहीं है वरन् प्रत्येक उत्तरदाता से जानकारी लेना हमारा लक्ष्य था। अतएव हमने 110 परिवारों का चयन कर प्रत्येक का विस्तृत वैयक्तिक अध्ययन किया है। महत्वपूर्ण वैयक्तिक अध्ययनों को परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है।

साक्षात्कार-अनुसूची और अवलोकन

परिवार के मुख्य सदस्यो से अनौपचारिक ढग से बातें कर तथ्य प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था। अतएव हमने एक अनुसूची तैयार की और यथा सभव उसका उपयोग किया। अनेक समस्याओ पर नये-नये विचार साक्षात्कार के दौरान प्राप्त होते गये। इसे पूर्व निर्मित अनुसूची में समावेशित कर लिया गया।

साक्षात्कार- अनुसूची का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा निरक्षर तथा कम शिक्षित लोगों से भी उत्तर प्राप्त किये जा सकते हैं। एक पिछड़े समाज मे अधिक लोग लिखित उत्तर नहीं दे सकते हैं अतः उन लोगों से जानकारी प्राप्त करने का यही एक तरीका उचित होता है कि उनके पास जाकर प्रश्नों को पूछकर उनसे जानकारी प्राप्त की जाय। सभी वर्गों से जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन साक्षात्कार ही है। प्रश्नावली को 50 से 60 प्रतिशत उत्तरदाता भरकर वापस नही भेजते हैं इसके विपरीत साक्षात्कार प्रविधि में अधिक से अधिक लोगों को सम्पर्क स्थापित करके सूचनायें इकट्ठी की जा सकती हैं तथा निश्चित प्रश्न पूछना भी आवश्यक नही होता है। उन्हे उत्तरदाता पर छोड दिया जाता है। वह धीरे-धीरे खुलता जाता है और विषय से सम्बन्धित जानकारी देता जाता है। अनजाने में बातचीत से कुछ और नयी सूचनायें प्राप्त हो जाती हैं अत. हमारे इस शोध मे जिसका आधार वैयक्तिक अध्ययन था साक्षात्कार का प्रयोग करके सूचनाये प्राप्त की गयी।

साक्षात्कार- अनुसूची का लाभ यह भी है कि हमें प्रश्न बदलने की जहाँ आवश्यकता हुई हमने वहा प्रश्न बदल दिये क्योंकि उत्तरों की प्रमाणिकता जाचने का भी हमारे पास अधिक अवसर होता है। शोधकर्ता कवल

सुनता ही नही देखता भी है वह परिस्थितियों का अदाजा लगा लेता है। यदि उत्तर आपस में सगति न रखते हों तो आवश्यकतानुसार अन्य प्रश्नों का उपयोग कर सकता है। असारी समुदाय के आधुनिक और परम्परागत वर्गों के आधार पर हमारे पास सुचनादाताओं में बहुत अधिक अतर था अतः बातचीत के समय सूचनादाताओं से जटिल तथा सवेगात्मक विषयों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने का यही एक साधन उचित था क्योंकि नाम न देना पड़े तथा हाथ से लिखना भी न पड़े वैसी स्थिति में सूचनादाता अपने उन व्यवहार तथा अभिवृत्तियों को भी बताने को तैयार हो जाते हैं जो समाज में अच्छे नही समझे जाते हैं। अतः साक्षात्कार अनुसूची द्वारा तथ्य, मत भावनायें मूल्य, अभिवृत्तियों की आवश्यकतानुसार हमें जानकारी प्राप्त हो पाती है।

इस सम्बध में **जी0 डब्ल्यु0 आल्पोर्ट** के विचार निम्न हैं :-

"यदि हम जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार अनुभव करते हैं? क्या अनुभव करते हैं और वे क्या याद रखते हैं? उनके सवेग तथा सप्रेरणायें किस प्रकार की हैं? तथा उस प्रकार से कार्य करने के कारण क्या हैं जिस प्रकार वे कार्य करते हैं उनसे ही क्यों न पूछा जाय।"

उपरोक्त कथन के अनुसार सम्पूर्णता के परिप्रेक्ष्य में साक्षात्कार अनुसूचि का प्रयोग ही उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही उपरोक्त प्रक्रिया वैयक्तिक आकड़ों के परिणामात्मक स्वरूप प्रदान कराती है उसी आधार पर हम उसे वर्णनात्मक स्थिति प्रदान कर पाते हैं। अतः हमने साक्षात्कार अनुसूचि का प्रयोग अनुसधान के एक प्रमुख उपकरण के रूप में किया है।

अवलोकन के सम्बध में कहा जा सकता है कि सही अर्थों में इसका प्रयोग मानवशास्त्री करते हैं। हमने अवलोकन प्रविधि का प्रयोग अपने इस शोध प्रबंध में किया है। विशेषकर इस समुदाय के लोगों की जीवन शैली, मकान, कपड़े, दुकान, कुछ पर्व त्योहारों तथा विवाह प्रणाली की कुछ रीति-रिवाजों का अवलोकन हमने किया है।

अवलोकन के संबध में यह कहना उचित है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारम्भ होता है और अपनी अतिम प्रमाणिकता के लिये अवलोकन की ओर ही लौटता है। अतः अवलोकन का प्रयोग किसी समुदाय के जीवन का अध्ययन करने, सास्कृतिक प्रतिमानों तथा मानवीय आचरण से संबधित महत्वपूर्ण एव पारस्परिक रूप से सम्बन्धित तत्वों की प्रकृति तथा सीमा का प्रत्यक्षीकरण करना है जिसका प्रयोग इस शोध में हमने किया है।

अनेक ऐसे व्यवहार के प्रकारों के विषय में सूचनाओं का संग्रह संभव हो जाता है जिन्हें उत्तरदाता शब्दों से व्यक्त नही कर पाता है। अथवा करना नहीं चाहता है या करने में अपने को असमर्थ पाता है या कुछ व्यवहारों को प्रकृति इतनी सूक्ष्म होती है कि उत्तरदाता इनके प्रति चेतन नही रहता है।

शोधकर्ता की वास्तविक जीवन परिस्थितियों में व्यवहार का उसके मौलिक रूप में अवलोकन करने में

सहायता मिलती है। अतः हमने अपने इस शोध अध्ययन में अवलोकन के माध्यम से सूचनाओं को संग्रह किया है।

वैयक्तिक अध्ययन

वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत गुणात्मक सामग्री को सग्रह करने में सहायता प्रदान करता है तथा सामाजिक घटनाओं के प्रति एक अभिगम (Aproach) के रूप में जो एक अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक छोटे तथा सीमित क्षेत्र का अध्ययन करने से सम्बन्धित होता है जिसका प्रयोग हमने अपने इस शोध अध्ययन में किया है। वैयक्तिक अध्ययन को एक अभिगम के रूप में स्वीकार कर लेने पर किसी भी ढग से प्रयोग करना संभव हो जाता है। किसी भी ढग से हमारा अर्थ सामाजिक अनुसधान के अन्तर्गत प्रयोग में लाये जाने वाले एक ढग से है जो एक व्यक्ति परिवार, सस्था अथवा समुदाय के रूप में एक सामाजिक इकाई से सम्बन्धित गुणात्मक सामग्री के सग्रह को सभव बनाता है जिसका उपयोग हमने एक समुदाय के अध्ययन में किया है।

हमारा अध्ययन वैयक्तिक होने के कारण अधिक गुणात्मक है, तथा वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। अधिक विस्तृत तथा पूर्ण सूचनाओं का सग्रह किया गया है तथा अध्ययन की इकाई के विभिन्न तत्वों को एकीकरण तथा समग्रता की स्थिति में स्वीकार करते हुए सूचनाओं का एकत्रित करने का प्रयास करता है। अतः इस शोध प्रबध में विवरणात्मक सामग्री को हमने वैयक्तिक अध्ययन के द्वारा एकत्र करने का प्रयास किया है।

वंशावली

साक्षात्कार लेने से पहले हमने प्रमुख सदस्यों से मिलकर उनके सामने ही एक वशावली रेखाचित्र बनाया। इस रेखाचित्र से हमें यह जानने में बहुत ही मदद मिली कि किस सदस्य का विवाह किस परिवार में किसके साथ हुआ है। इस तरह वैवाहिक सम्बंध की प्रक्रिया में दो-तीन परिवार और कहीं-कहीं पर 5 से 10 परिवार वाले किस प्रकार जुड़े हुए हैं। वशावली रेखाचित्र बनाते समय सूचनादाता स्वय उसे देखते थे और प्रभावित होकर सही सूचना देते थे। सूचनादाताओं से रैपर्ट (Rapport) करने मे इससे हमें सहायता मिली। अध्याय तीन मे वशावली रेखाचित्रों का उल्लेख हुआ है।

सक्षेप मे, हमारा अध्ययन शोध प्रविधि एक कथन के रूप में निम्न है :- गैर-सम्भावित स्तरित निदर्शन द्वारा 110 परिवारों का गहन अध्ययन करना तथा साक्षात्कार अनुसूची,अवलोकन, और वशावली रेखाचित्रों

के माध्यम से वैयक्तिक अध्ययन की सामग्री एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना।"

यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक (Descrptive) कहा जा सकता है हम यहा स्पष्टत बता देना चाहते हैं कि हमारा शोध कोई समस्या विषय प्रकल्पना परीक्षण (Hypothesis Testing) की कोटि का नहीं है। जिस सैद्धातिक उपागम (सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण) का हमने उपयोग किया है वह कोई नया नही है। इसे समाजशास्त्री और मानवशास्त्री 1950 के दशक से ही प्रयोग करते रहे हैं। प्रख्यात अमेरिकी समाजशास्त्री राबर्ट मर्टन ने इसी सैद्धातिक उपागम से "मध्य सीमा सिद्धात" (middle range theories) की बात उठाई है।

शोध अध्ययन की अवधि

सन् 1991 के प्रारम्भ में शोध अध्ययन आरम्भ किया गया। 1992-93 के दौरान गहन रूप से क्षेत्रीय अध्ययन किया गया। 1994 के आरम्भ में शोधकर्ता के शारीरिक अस्वस्थता के कारण पाच महीनों तक कार्य लगभग बन्द रहा। जुलाई-दिसम्बर 1994 के बीच क्षेत्रीय तत्वों का विश्लेषण -कार्य पूरा हुआ। कई मौके पर विशेषकर वैयक्तिक अध्ययन तैयार करते समय संदर्मित परिवार के मुखिया से कई बार मुलाकात की गई और तदानुसार तथ्यों में परिवर्तन किये गये। महिला शोधार्थी होने के कारण कई बार कुछ समस्याओं का सामना भी करना पडा। लेकिन जब सूचनादाताओं को यह ज्ञात हुआ कि शोधार्थी एक शिक्षिका है तो वे विभिन्न तरीकों से सहायता भी देने लगे। एक सूचनादाता ने वर्षों से बद पड़ी एक सदूक से उर्दू की पुस्तक प्रस्तुत किया और बताया कि असारी कौन हैं।

कुल-मिलाकर शोधार्थी सूचनादाताओं की बातों से बेहद लाभान्वित हुई। कठिनाईयों को नजरादाज कर देना ही बेहतर है।

अध्यायों का परिचय

प्रस्तुत शोध प्रबध में तथ्यों को विभिन्न अध्यायों एवं परिशिष्टों में यों प्रस्तुत किया गया है:-

अध्याय-1

यह अध्याय शोध प्रबध की भूमिका है। इसमें शोध के उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश के सदर्भ में पूर्व अध्ययनों के आधार पर अध्ययन का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। असारी समुदाय एक पिछड़ा समुदाय है तथा यह व्यवसायिक अधिक है। अत: अध्ययन प्रणाली का चुनाव अध्ययन की प्रकृति के

आधार पर किया गया है। उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या में 15.48% मुसलमान हैं। साक्षात्कार, अवलोकन तथ्य वशावली प्रविधि की सहायता से 110 सूचनादाताओं का वैयक्तिक अध्ययन की सामग्री तैयार की गयी है। शोध अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक कही जा सकती है।

वर्तमान समय में इस प्रकार की शोध प्रविधि का उपयोग समाजशात्री तथा मानवशास्त्री दोनों ही करते हैं।

अध्याय-2

इस अध्याय मे असारी समुदाय के सम्बंध में विस्तृत विवेचना की गयी है- असारी कौन हैं? मोहम्मद साहब मक्के से अपने अनुयायियों के साथ जब मदीने गये थे। मक्के में उनका रहना मुश्किल हो गया था जिन लोगों ने इस्लाम कबूल नही किया था वे उनकी जान के दुश्मन बन गये थे। मदीने में हजरत अबु अय्यूब असार से मोहम्मद साहब ने एक स्थान पर कहा है-

"वल्लकुम अहसौ असमा अल अन्सार"

अर्थात् तुम्हारा खानदानी नाम अन्सार बेहतरीन कहा जायेगा तथा अन्सार कौम से मोहब्बत सिर्फ ईमान वाले रखेंगे।

अत· इस अध्याय में असारी समुदाय के मूल आधारों को जानने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इस्लाम में जाति का उल्लेख नही है। लेकिन अपनी पहचान को बनाये रखने की बात कही है लेकिन उसका सम्बध कबीलों से है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदायों पर किये गये अध्ययनों का उल्लेख भी इसी अध्याय में है। असारी जाति सोपान क्रम में किस स्थान पर है तथा उसकी सगठनात्मक व्यवस्था किस प्रकार की है उसका विस्तृत वर्णन है। शेख फतेह खुर्शीद असारी (1931), मोमिन मोहिउद्दीन (1994), इम्तियाज अहमद गौस अन्सारी (1960), (1978), हसन अली (1976), एस.पी. जैन (1967) आदि ने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर विभिन्न मुस्लिम जातियों की विस्तृत व्याख्या की है।

इस अध्याय में अन्सारी समुदाय का अध्ययन पूर्व अध्ययनों के परिपेक्ष्य मे करने का प्रयास किया गया है।

अध्याय-3

सामाजिक सगठन के आधार पर किसी भी सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया जाता है। अध्याय-3 में अन्सारी समुदाय में परिवार की सरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक स्थिति का वर्णन करने का प्रयास किया गया

है।

इस्लाम में परिवार की क्या भूमिका है? तथा अंसारी समुदाय में परिवार का क्या स्वरूप है? इसके दो पक्ष हैं। इस्लाम में परिवार की व्याख्या इस्लाम धर्म के अनुसार है। पवित्र धार्मिक पुस्तक "कुरान" तथा आचार संहिता "हदीस" के आधार पर परिवार की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। शोध प्रबन्ध एक मुस्लिम समुदाय विशेष के सदर्भ में है। अत· 110 सैम्पुल समूहों के आधार पर पारिवारिक स्थितियों के सबध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है जिसमें 44% केन्द्रीय परिवार हैं तथा विस्तृत परिवार 56% है।

अध्याय-4

इस अध्याय का शीर्षक है- "अंसारी समुदाय का सामाजिक सगठन विवाह तथा नातेदारी।" सामाजिक सगठन का दूसरा आधार विवाह तथा नातेदारी है। अतः इस अध्याय में विवाह को एक सामाजिक सस्था के रूप में निरूपित किया है। इस्लाम में विवाह को आवश्यक बताया गया है क्योंकि व्यक्ति का धर्म अधूरा है अगर वह अविवाहित है। अतः इस्लाम में धर्म का स्वरूप धार्मिक है। वर्तमान आधुनिक परिस्थितियों में विवाह का स्वरूप बहुत अधिक परिवर्तित हो चुका है। यही कारण है कि सबसे अधिक विवाह गैर सम्बन्धियो में 45% हुए हैं।

विवाह सम्बन्ध दूर तथा गैर-नातेदारों में अधिक होने लगा है तथा विवाह सम्बंधी रीति-रिवाजों में आधुनिक रीति-रिवाजों का प्रचलन बढ़ गया है। अपने शोध अध्ययन में इस उपरोक्त आधारों के आधार पर यह पता लगा सके हैं कि परिवर्तित परिस्थितियों में किसी समुदाय की सस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार आता है। इसका वर्णन हमने अपने इस अध्याय में किया है। यद्यपि असारी समुदाय वर्तमान में भी एक पिछड़ी स्थिति में है। लेकिन वर्तमान पीढी में विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों के आधार पर आगे आने वाले समय में विभिन्न स्थितियों मे परिवर्तन की सभावनाये दृष्टिगोचर होती हैं।

अध्याय-5

इस अध्याय में असारी समुदाय का आर्थिक पक्ष का विवरण दिया गया है। 110 सूचनादाताओं में 38% सूचनादाता परम्परागत व्यवसाय, 53% आधुनिक व्यवसाय, 19% अन्य व्यवसायों में जुडे हैं। शहरी इलाहाबाद क्षेत्र में उपरोक्त सूचनादाताओं के व्यवसायों के आधार पर इस समुदाय की आर्थिकी ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। व्यवसायिक गतिशीलता के फलस्वरूप किस प्रकार एक समुदाय अपने पैतृक पेशे में परिवर्तन

लाता है यह हमें वैयक्तिक अध्ययनों की वंशावली के चित्रों से ज्ञात होता है। इस समुदाय में नगरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण आदि के आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को शोध प्रबध में बताने का प्रयास किया गया है।

अध्याय-6

इसमें अंसारी समुदाय का धार्मिक पक्ष का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। परम्परागत मुस्लिम जाति सोपान क्रम में असारी एक पिछडा समुदाय है। इस्लाम धर्म के सभी सुन्नी अनुयायियों की अलग-अलग धार्मिक मान्यताए नही हैं। इस्लाम धर्म एक है अतः सामूहिक धार्मिक क्रियाए एक हैं लेकिन वैयक्तिक धार्मिक क्रियायें अलग-अलग तरीके से अपनायी जाती हैं। हमारे इस अध्याय में हमने धर्म के सामाजिक प्रक्रियात्मक स्वरूप की व्याख्या की है। यह समुदाय धर्म के प्रति अधिक समर्पित है- उच्च जातियों से तुलना करने पर हम धार्मिक क्रियाओं जैसे नमाज, रोजा आदि में इस समुदाय के लोगों को अधिक सक्रिय पाते हैं। धार्मिक कर्मकाण्डों तथा परम्पराओं का पालन निचली जाति समूहों में अधिक सक्रियता से किया जाता है वह हम इस समाज में भी पाते हैं। यद्यपि उच्चस्थिति समूहों के द्वारा अपने व्यवसायों में परिवर्तन करके पिछड़ी स्थिति को छोड़ने की प्रवृति हमें दिखायी देती है। हिन्दू समाज का भी प्रभाव हमें मुस्लिम धार्मिक कर्म-काण्डों में दिखायी देता है जिसका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है।

अध्याय-7

अत में प्रस्तुत शोध के मुख्य निष्कर्षों को बताया गया है। इस अध्याय के अंत में इस बात की संक्षिप्त चर्चा है कि असारी समुदाय मुस्लिम और हिन्दू दोनों वृतत् परम्पराओं से प्रमाणित हुए हैं। तथापि दोनों की मात्रा में अंतर अवश्य है। अत में असारी समुदाय पर शोधार्थी के कुछ मत सुझाव क रूप में दर्शाये गये हैं।

परिशिष्ट

इस शोध प्रबन्ध में दो परिशिष्ट समावेशित हैं। प्रथम में **वैयक्तिक अध्ययनों** का सक्षेपीकरण है। दूसरे में **साक्षात्कार-अनुसूची** सम्मिलित है।

शोध प्रबन्ध के अत में सदर्भित साहित्यों का उल्लेख है। यथासम्भव उपयुक्त स्थलों पर मानचित्र एवं फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये हैं।

अध्याय- 2

आरम्भिक अध्ययन

अन्सारी कौन है?

अन्सारी समुदाय के सम्बन्ध में कतिपय मुसलमान लेखकों के विचार क्या है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी नीचे दी जा रही है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि जिन मूल स्रोतों पर निम्न जानकारी दी जा रही है उनमें अधिकाश प्रकाशित हैं किन्तु अभी अप्राप्य हैं। कुछ सूचनादाताओं ने इन दुर्लभ प्रकाशनों को सम्भालकर रखा है। उन्हीं से यह उपलब्ध हो सका।

(1) तजकेरातुल अन्सार शीर्षक से 1931 में अमृतसर से प्रकाशित लेखक शेख फतेह मोहम्मद खुरशीद पृष्ठ 31 पर लिखते हैं- (निम्न अंश उर्दू से भावानुवाद हैं) "अन्सारी को जुलाहा बताया जाता है।" अन्सार एक बहुबचन शब्द है, नासिर या नसीर एकबचन है। नासिर का अर्थ है मदद्गार, सहायता करने वाला, क्योंकि कुरान पाक में सिपारा 10 सूरे तौबा रुकूमें अल्लाहताला इरशाद फरमाते हैं "वल्लजीना, अउवन्नसरो" अर्थात् जिन्होंने जगह दी और मदद की। इस शब्द का सम्बन्ध मदीने के रहने वालों पर हुआ जिन्होंने मदीने के लोगों महजरीन जो कई कबीलों के थे, उनकी मदद की थी। उनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्हों ने मोहम्मद साहब के साथ इस्लाम कबूल किया था तथा वहाँ पर स्थाई रुप से रहना शुरु किया था। अतः मोहम्मद साहब ने एक स्थान पर अन्सार कबीले के लिये कहा -

"वल्लकुमअहसनो असमा अल अन्सार"

अर्थात तुम्हारा खानदानी नाम अन्सार बेहतरीन कहा जायेगा तथा अन्सार कौम से मोहब्बत सिर्फ ईमान वाले रखेंगे।" उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम में कबीलों की पहचान के लिये उनका एक नाम था नाम के आधार पर ऊच-नीच की भावना का कोई स्थान नहीं था।

भारत में हजरत अबु अय्युब के बंशज आये थे। सिन्ध मुल्तान सतलज अन्सार के शासन में इस्लाम फैलता रहा। बहुत से राजा महाराजा भी इस्लाम के अनुयायी बन गये। जब महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया तब उसके साथ हजरत अबु अन्सारी के वशज भारत आये तथा पंजाब और आस-पास इस्लाम में ऊची जातियों के लोग शामिल हो गये। चूकि ऊची जाति वाले अपने गोत्र तथा वश पर बहुत घमण्ड करते थे परन्तु इस्लाम में घमण्ड अथवा गर्व करने की सख्त मनाही है। अतः खानदानी नामों को छोड़कर इस्लाम फैलाने के लिये जो हजरत अबु अय्युन के खानदान के साथ जो लोग आये थे उन्हें भी अन्सार नाम दे दिया क्यों कि इस्लाम कबूल करने में उन्हें भी जान माल से हाथ धोना पड़ा था। उन दिनों वे कृषि कार्य नहीं करते थे क्योंकि

ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को हल चलाना मना था तथा रात-दिन युद्ध में वे लगे रहते थे। लूट का माल उनकी रोजी का साधन था लेकिन इस्लाम में मेहनत तथा हलाल की सम्पत्ति को जायज कहा गया है। अतः उन्होंने नव मुस्लिमों को भी कपड़ा बुनने का काम सिखा दिया क्योंकि हजरत अबु अय्यूब के खानदान के लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे।

इन नव मुस्लिम कपड़ा बुनने वाले भारतीय मुसलमानों को दूसरे लोग जुलाहा, काश्तकार और दहकान नामों से पुकारने लगे। इन्हें इस नाम से न पुकारा जाय इसके लिये इनकी खास नाम अर्थात् मदद करने वाले नाम **अन्सार** से इनको पुकारा जाय। इसी लिये इन कपड़ा बुनने वालों को अन्सार कहा गया। आगे चलकर यह नाम अन्सारी हो गया।

अन्सारी शब्द की व्याख्या

कुछ लोगों ने गलती से यह समझ लिया कि यह शब्द फारसी शब्द है किन्तु वास्तव में यह शब्द संस्कृत का है। यह निम्नलिखित बातों से सिद्ध हो जायेगा -

(क) एशिया में जब आर्य जाति भारत में आकर बसी थी तो उन्हें अपनी सारी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करना पड़ा था। इस लिये उन्होंने स्वय कपड़ों की बुनाई की जैसा कि ऋग वेद के पढ़ने से प्रकट होता है। इस सम्बन्ध में बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान सी0आर0दत्त ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत (अध्याय- 3) में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।

एच0 एच0 विल्सन ने **इंगलिश अंग्रेजी संस्कृत डिक्शनरी** में लिखा है कि "जोलाहा" संस्कृत का शब्द है। जो जल + आहा = जोलाहा। जल का अर्थ हैं भष्म करना और आहा क अर्थ हैं बोलना। पुराने जमाने में ब्राम्हण जिस व्यक्ति पर आवश्यकता से अधिक क्रोध में होते थे तो उसको 'भष्म हो जा' कहकर श्राप दे देते थे। इस प्रकार जुलाहा ब्राम्हणों द्वारा नामा दिया गया।

(ख) जुलाहा के बारे में एक दूसरी कहानी प्रसिद्ध है। इस कहानी के लेखक गाजी महमूद वहरम पाल हैं जो सेस्कृत भाषा विशेषकर वेदों के ज्ञाता माने गये हैं। वे लिखते हैं "ऐसा कहते हैं कि किसी समय में इन्द्रप्रस्थ जिसे आजकल दिल्ली कहते हैं में एक राजा राज्य करता था जिसकी नाम राजा भजी था। यह राजा बड़ा घमण्डी था। खड़े -खड़े ही मूत्र आदि करता था और निवृति के बाद मिट्टी या पानी का प्रयोग नहीं करता था। दिन में कोई पोशाक नहीं पहनता था। इन्द्रप्रस्थ के एक मुहल्ले में एक योगी रहता था जिसका नाम "जल आहू" था जो कपड़े भी बुनता था उसने उसे कपड़ा पहनना तथा बुनना सिखाया।

खुरशीद अहमद आगे लिखते हैं- हयाकता का अर्थ है कपड़े बुनना। कुछ स्वार्थी लाग इस पेश को गिरी

हुई निगाह से देखते हैं। लेकिन यह केवल उन स्वार्थी लोगों की देन है जबकि कुरान शरीफ के सूरे अएराफ - रुकूऊ तीन में फरमाया गया है कि-

"या बनी आदम- कदुजलना अलयकुम लेबासन युवारी सवातकुम वरैशातन व लेबासततकवा जालेका खैरुज्जालेका मन अयातुल्ला लअलूलहुम यजकुरुन" अर्थात ए आदम के बच्चों हमने तुम पर कपड़ा उतारा जो तुम्हारा गोपनीय अंग ढकता है और जो सुन्दरता बढ़ाता है तथा बुराइयों से बचाता है और गाढ़ा कपड़ा जो है वह तो और भी बेहतरीन है। यह कपड़ा खुदा की कुदरत की निशानियों में से एक है। सम्भवतः लोग इसको विचार करें। स्पष्ट है कि इस सूरे में अल्लाह ने अपने एहसानात बयान किये हैं जिसने सबसे पहले कपड़ा बुना वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। दूसरी जगह यह कहा गया है कि हमने "हजरत दाऊद" को कपड़ा बुनने की शिक्षा दी।

हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि कपड़े बुनने का शब्द हजरत आदम से ही जारी हुआ।

हदीस की उपर्युक्त पंक्तियों से विदित है कि हजरत आदम ने सबसे पहले कपड़ा बुना। इस कला की शिक्षा अल्लाह ने ही हजरत आदम या सबसे महले इन्सान को दी। दूसरे स्थान पर यह बताया गया है कि इस काम को करने का इल्म अथवा अकल हजरत दाऊद को दिया। इस कारीगरी की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ली है और अपनी कुदरत का निशान व एहसान बताया है। इससे स्पष्ट है कि कपड़ा बुनने का काम कोई घटिया काम नहीं है ऐसे अहसानात अल्लाह अपने नेक बन्दों पर करता है। हजरत आदम ने जो कपड़ा बिना था वह दुम्बे की खाल का था। इतिहासकार लिखते हैं कि अल्लाह ने एक दुम्बा जन्नत से भेजा और इसे मार डालाने को कहा। हजरत आदम ने ऐसा ही किया और इसकी खाल उतारी और हव्वा ने उसको काता तथा हजरत आदम ने उससे एक ओढ़नी बुनी और एक पैराहन बुना। उससे पहले वह पेड़ों के पत्ते तथा छाल से बदन ढंकते थे। जब उनकी सन्तानों की सख्या बढा तो वह भी अपने तथा अपने औलाद के बदन को ढंकने के लिये खुद कपडा बुनते थे। उपरोक्त बातों को निम्न ने अपनाया:-

(1) हजरत नूह खुद कपड़ा बुनते थे।

(2) हजरत दाऊद के पुत्र हजरत सुलेमान बादशाह व पैगम्बर होते हुए भी बोरियाँ व चटाई बुनते थे। अगर बोरियाँ, चटाई बुनना घटिया काम नहीं हो सकता तो कपड़ा बुनना क्यों घटिया हो सकता है।

(3) हजरत सालेह - कम्बल बुनते थे।

(4) हजरत यूसुफ के समय भी सूत काता जाता था उस सूत की कदर और कीमत बहुत थी।

(5) हजरत ईसा की माता हजरत मरियम सूत कातती थीं और हजरत इसा का गुजारा इस आमदनी पर था।

(6) हुजूर के बाद भी यह पेशा अरब में जारी रही और कभी जलील नहीं समझी गयी।

(7) हजरत अबू बकर का कारखाना सनह स्थान में और जनाब अबू हनीफा का कारखाना कोफा में होना स्पष्ट करता है कि यह पेशा एक इज्जतदार पेशा था।

(8) हजरत शैश अलमउस्सलाम आप हजरत आदम के बेटे हैं। इस पेशे को बाप से सीखा और पूरे उम्र उसको करते रहे।

(9) हजरत इदरीस, हजरत सालेह, हजरत हौद, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, शाह सिकन्दर जुल्करनैन, खलीफा यूसुफ हजरत अबु बकर - खलीफा अव्वल। ये सभी कपडा बुनने का काम करते थे।

सक्षेप में "जुलाहा" का कार्य अपमानजनक नहीं हैं। कुछ लोगों की ना समझी से लोगों के मन में इस तरह का विचार उत्पन्न हो गया।

इस प्रकार खुरशीद अहमद ने "अन्सार जाति" के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्यों का वर्णन किया हैं।

समाज शास्त्रियों द्वारा संपादित अध्ययन

इस अध्याय के शेष भाग में हम कतिपय उन अध्ययनों की चर्चा करें गे जो पिछले तीन - चार दशकों में सम्पादित किये गये हैं। यहां यह बता देना उचित होगा कि अधिकांश अध्ययन दक्षिणी उत्तर प्रदोश के क्षेत्र में ही किये गये हैं। सर्व प्रथम हम गौस अन्सारी का उल्लेख करेंगे।

गौस अन्सारी ने अपनी पुस्तक **कास्ट स्ट्रक्चर ऐण्ड औरगनाइजेशन** के एक अध्याय के मुस्लिम समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का वर्णन निम्न किया है :-

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनयंख्या दो धार्मिक पथों शिया और सुन्नी में विभाजित हैं दोनों सम्प्रदायों में विवाह नही होते हैं। आपसी सहमति से अगर विवाह होते भी हैं तो उनकी सख्या बहुत कम है। दोनों सम्प्रदाय अशरफ तथा व्यवसायिक जातियों में बंटे हैं तथा दोनों के बीच बहुत बडी खांई दिखाई देती है।

हिन्दू विवाह की तरह मुस्लिम विवाह एक पारिवारिक मामला होता है। वर तथा कन्या के परिवार वाले आपसी सहमति से विवाह प्रस्ताव रखते हैं। केवल प्रक्रिया में अन्तर है। हिन्दू उच्च जातियों में वि-वाह का प्रस्ताव प्रथमतः कन्या पक्ष के द्वारा अनुबधित कि या जाता है जबकि मुस्लिम उच्च तथा निम्न जातियों में विवाह प्रस्ताव वर पक्ष के लोगों द्वारा कन्या को दिया जाता है। दोनों मामलों में विवाह अनुबध साधारणतय परिवार के सबसे बड़े व्यक्तियों मुखियाओं के बीच होता है। उत्तर प्रदोश में सुन्नी सम्प्रदाय के लोग "हनफी" धर्मशास्त्र को मानने वाले हैं। यद्यपि इस्लाम का सिद्वात असमानता को नही मानता किन्तु फिर भी कुछ धर्मशास्त्रियों ने दो परिवारों के बीच विवाह के समझौते से पहले कुछ पूर्व शर्तें निर्धारित की हैं अत "हनफी"

सम्प्रदाय इस संबंध में निम्न बातों को ध्यान में रखने के लिये कहता है (1) परिवार (2) इस्लाम (3) पेशा (4) स्वतन्त्रता (5) चरित्र (6) पत्नी की सहायता करने का साधन (कानून इस्लाम' 1832, जाफर शरीफ पृष्ठ नं0 56)

सम्पूर्ण उत्तर भारत में आमतौर से एक जाति के निकट संबधी लोग एक समूह बनाते हैं और सामूहिक रुप से "बिरादरी" या भाई बन्द या नातेदार संघ कहलाते हैं। अशरफ के बीच पाया जाने वाला भाई बन्द सम्बन्ध कई मामलों में ब्याहदारी में विभाजित हो जाता है। ब्याहदारी का अर्थ पत्नी पसन्द करने के लिये एक सीमा निर्धारित करना है। कभी-कभी अन्तर्विवाह समूह इतना छोटा हो जाता है कि बढ़े हुए नातेदार समूह को सम्मिलित कर लिया जाता है। वह बढ़ा हुआ नातेदार समूह एक (KUF) कफ कहलाता है। यद्यपि विवाह सबंध अशरफ जाति का अन्तर्विवाह होता है लेकिन पसन्द का सरकल और भी सीमित होजाता है।

व्यवसायिक जातियों में कुछ जातियों जैसे कस्साब, कबाड़ी, मनिहार अधिक अन्तर्विवाही है। शेष व्यवसायिक जातिया निम्न स्थिति समूह में विभक्त है।

1. जुलाहा, नाई या हज्जाम, मिरासी, हलवाई
2. कुम्हार, धुनिया
3. फकीर, तेली, धोबी, गद्दी

ये स्थिति समूह एक दूसरे जाति समूह के निकट नहीं हैं लेकिन कभी-कभी एक स्थिति समूह की अलग-अलग जातियों में स्थिति समूह की निकटता के कारण विवाह संबंध आपसी सहमति से स्थापित हो जाते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। इलाहाबाद में अन्सारी समूहों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कुछ परिवार वाले अन्य जातियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इस सदर्भ में वैयक्तिक अध्ययन दस देखों। अन्सारी परिवार की पुत्री का विवाह "बेहने" जाति और नाई जाति के युवक से सम्पन्न हुआ है। यह विवाह तय किया विवाह है। लेकिन पहली स्थिति जाति समूह का व्यक्ति तीसरी स्थिति जाति समूह से विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं करेगा। जैसे भंगी अस्वच्छ व्यवसायिक जाति विवाह सम्बन्ध के लियं अपनी जाति में सम्बन्ध स्थापित करेंगे वह स्वच्छ व्यवसायिक जाति में सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते हैं।

हिन्दू जाति व्यवस्था की विशेषताओं में एक विशेषता अनुलोम विवाह है। यह मुस्लिम जातियों में भी ग्रहण कर ली गयी है। इस का अर्थ है अपनी जाति के नीचे के समूह से पत्नियाँ तो वे ले जाते हैं किन्तु अपनी कन्याओं के विवाह वे अपनी जाति के निचले वर्ग के साथ नहीं करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया है कि एक शिक्षित परिवार की परसस्नातक अन्सारी कन्या का विवाह फारुखा परिवार में हुआ है। लेकिन अनुलोम विवाहों का अनुपात बहुत कम है। मुख्य बात यह है कि यह मान्य है।

जाति पंचायत

किसी सामाजिक समूह की स्थिति समूह जाति संरचना को अभिव्यक्त करती हैं उसी व्यवस्था में संगठनात्मक स्थिति भी होती है। यह संगठनात्मक स्थिति उस व्यवस्था को उसकी सीमाओं में प्रतिबन्धित तथा नियत्रित करती है। यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है :-

1. किसी एक परिषद् द्वारा सीधा नियंत्रण
2. जनता की राय के आधार पर परोक्ष नियत्रण

व्यवसायिक जातियों में पचायत के द्वारा समाज पर नियंत्रण इसी प्रकार लगाया जाता है। साधारणतया सभी बालिग पुरुष पचायत के सदस्य होते हैं। उस जाति का मुखिया सरपच कहलाता हैजो पूरे जीवन या कुछ अवधि के लिये चुना जाता है। कुछ मामलों में यह पद अनुवाशिक भी होते हैं। जब कभी उस जाति का सदस्य, पुरुष या औरत कोई जुर्म करता है तो उस मामले की सुनवाई के लिये पूरी पचायत बुलाई जाती है। सबसे बड़ा दण्ड होंता है। सामाजिक बहिष्कार अर्थात् जात बिरादरी बाहर इलाहाबाद के अन्सारी समाज में 5-6 दशक पूर्व जाति पंचायत बहुत सक्रिया थी जैसे-जैसे समाज में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी व्यक्तिगत चेतना का भी विकास हुआ और पचायत व्यवस्था कमजोर हुई लेकिन इलाहाबाद के अटाला क्षेत्र में इस लुप्त होती हुई नियत्रण की व्यवस्था आशिक रुप से आज भी विद्यमान है और मोहल्ले के सम्मानित बृद्ध सदस्य इसके मुखिया हैं। आज भी उनका प्रभाव अपनी जाति में है।

उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश ह। वर्तमान में मुस्लिम जातियों की स्थिति निम्न हैं :-

1. **अशरफ**

   सैयद

   शेख

   मुगल

   पठान

2. मुस्लिम राजपूत

3. स्वच्छ व्यावसायिक जातियाँ

   जुलाहा (बुनकर)

दर्जी

कसाब (बूचड़)

नाई और हज्जाम

कबाड़ी और कुंजड़ा

मिरासी

कुम्हार

मनीहार

धुनिया

तेली

धोबी

गद्दी (चरवाहे, दूध वाले)

4. अस्वच्छ व्यावसायिक जातियाँ

भगी

अशरफ

वे सभी मुसलमान जो विदेशी मुल्कों अरब, फारस, तुर्किस्तान तथा अफगानिस्तान से आये हुए लोगों के (वंशज) उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं मुस्लिम जाति सोपान में सर्वोच्च श्रेणी वाले बताये गये हैं। सैयद तथा शेख दोनों मक्का तथा मदीना के प्रारम्भिक इस्लामिक कुलीनता के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। एक पठान के लिये यह अनुमान लगाया जाता है कि वह अफगानिस्तानी परिवार का वशज है।

(अ) सैयद

हजरत पैगम्बर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा (जिनका विवाह चौथे खलीफा "अली" से हुआ था) के परिवार के वशज के रुप में सैयद जाति की माना जाता है। इस प्रकार सैयद सभी मुसलमानो में आदर के प्राप्त होते हैं। और सामाजिक श्रेणी में सबसे ऊची स्थिति को प्राप्त करते हैं। परम्परा क अनुसार एक सैयद को जकात (दान) लेने की सख्त मनाही है - उनको जो भी सहायता दी जाती है उसे हदिया कहते हैं इस प्रकार सैयदों के प्रति एक प्रकार का आदरपूर्वक दृष्टिकोण पूरे मुस्लिम समुदाय में है।

(ब) शेख

सामाजिक उच्च स्थिति समूह में शेख दूसरी श्रेणी में आते हैं। शेख का अर्थ है "मुखिया"। मुस्लिम देशों में शेख का आशय धार्मिक अध्यापक तथा मार्ग दर्शक से है। यद्यपि "शेख" शब्द मुस्लिम विजय के प्रारम्भिक दिनों में प्रयोग किया गया था। भारत में यह शब्द उनके लिये प्रयोग किया जाता है जो मक्का तथा मदीने से आये हुए मुसलमानों के वंशज हैं।

इस्लाम के आदि काल में दो प्रमुख क्षेत्रीय वर्ग थे :

(1) अन्सार (मदद करने वाले)- मदीने में रहने वाले वे मुस्लिम जिन्हों ने पैगम्बर साहब और उनके साथ के अप्रवासी लोगों को पनाह दी थी।

(2) मुहाजिर- मक्का के वे मुस्लिम शहरी जो मोहम्मद साहब के साथ प्रवास (माइग्रेट) करने गये थे। इस प्रकार एक शेख अपने को या तो "मुहाजिर" सिद्दीकी, अलवी, फारुकी आदि या अन्सार - अन्सारी का वंशज मानता है।

(स) मुगल तथा पठान

मुगल तथा पठान दोनों की सामाजिक स्थिति बराबर हैं और वे उच्च सामाजिक स्थिति की तीसरी श्रेणी में आते हैं।

मुगल शब्द उन लोगों के लिये प्रयोग किया गया जो मुगल सेना के साथ इस प्रदेश में रहने के लिए आये थे। इनकी मुख्य शाखायें हैं चुगतई, उजबेक, ताजिक, तुर्कमान तथा किजिलबाश। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा रुहेलखण्ड के इलाकों में मुगलों की अधिक आबादी है।

पठानों के लिए यह विचार किया जाता है कि वे या तो अफगानिस्तान या पाकिस्तान की पश्तों बोली जाने वाली जनजाति के है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के दो उपखण्डों में इन्हें पाया जाता है एक रोहिला पठान (जो रोहिलखण्ड के इलाकों में बसते हैं) दूसरे वे पठान जो उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बसते हैं। पठान चार मुख्य वर्गों में बटे है - यूसुपजई, लोधी, गौरी तथा ककार। इन मुख्य वर्गों के भी कई उप वर्ग हैं अफरीदी, बंगाश, गिलजई, मोहम्मद जई, तारीन, दुर्रानी, बारकजई।

नकली अशरफ

कुछ किवदन्तियों तथा घटनाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत आसान है कि एक मुसलमान अपनी जाति की प्रस्थिति बदल सकता है अर्थात् एक व्यक्ति की सामाजिक - आर्थिक स्थिति में

परिवर्तन आने पर वह अपनी जाति प्रस्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करने लगता है यद्यपि ऐसा करने में उसे बहुत समय भी लग सकता है और एक या दो पीढ़ी भी।

जे0 एच0 हट्टन के नेतृत्व में संपादित पुस्तिका (1931 की जनगणना) में एक विस्तृत सूची ऐसी नीची जातियों की प्रस्तुत की है जिन्होंने अपनी जाति प्रस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है - इस सूची में अधिक सख्या हिन्दू जातियों की हैऔर केवल तीन मुस्लिम जातियों का इल्लेख इस प्रतिवेदन में किया गया है। वे जातियाँ हैं-

(अ) मुस्लिम जुलाहा (बुनकर) जो नये नामों जैसे "शेख मोमिन" या "शेख अन्सारी" का दावा करते हैं।

(ब) मिरासी (मुस्लिम संगीत कार) जो कुरैशी होने का दावा करते हैं।

(स) कस्साब (मुस्लिम कसाई) जो शेख कुरैशी होने का दावा करते हैं।

2. मुस्लिम राजपूत

भट्टी, बिसेन, चन्देल, चौहान, गौतम पेंवार, रायकवाड, राठौर, सोमवशी तथा तोमर नामक मुस्लिम राजपूत मेरठ खण्ड में आज भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ परिवर्तित राजपूतों ने अपने नाम के आगे "खान" जोड दिया है और अपने को पठानों के वंशज होने का दावा किया है।

हाल ही में मुस्लिम कसाइयों (कस्साब) ने अपने को कुरैशी होने का दावा किया है (कुरैशी = एक अरब जनजाति के वंशज) और शेख होने का बहाना बनाते हैं।

उपरोक्त दावों का यह अर्थ कदापित नहीं है कि नकली अशरफ खास अशरफ में तेजी से आत्म सात हो रहा है - यह इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिये लम्बे समय की जरुरत है। सम्भवतः एक या दो पीढ़ियां की तब वे उच्च असली अशरफ कहला सकेंगे।

यहां यह कहना सही है कि अपनी जाति की प्रस्थति को ऊंचा उठाना हिन्दू जाति व्यवस्था की एक विशेषता रही है इस का अनुसरण मुस्लिम अपनी जाति व्यवस्था में भी करते रहे हैं।

1931 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम राजपूतों की कुल संख्या 66658 है। उत्तर प्रदेश के अन्यजिला खण्डों में भी ये जातियाँ पाई जाती हैं लेकिन उनकी सख्या बहुत कम है। यह जातियाँ दूसरी मुस्लिम जातियों में विलीन हो गयी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सख्या अधिक है वे व्यावसायिक मुस्लिम जातियों में आत्मसात नहीं होना चाहते हैं क्योंकि इन जिलों में वे अपनी अलग पहचान रखते हैं।

मुस्लिम राजपूत दावा करते हैं कि वे ऊंचे कुल के हैं और वे "अशरफ" (सैयद, शेख, मुगल, पठान) में

अपना विवाह करना पसन्द करते हैं। लेकिन अशरफ इस प्रकार के विवाहों को पसन्द नहीं करते हैं। फलस्वरुप मुस्लिम राजपूत अपने ही समूह में विवाह करते हैं। नीचे की जातियों में वे विवाह करना पसन्द नहीं करते हैं। यह भी देखा गया है कि अपने समूह में अगर सही साथी नहीं मिल पाता तो ये बराबर की जात वाले हिन्दू समूह में भी विवाह कर लेते हैं।

पश्चिमी उत्तम प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके कुछ नातेदार एक ओर हिन्दू हैं तो दूसरी ओर मुस्लिम हैं वे हैं मेल, सुल्तान (ये अधिकतर बुलन्दशहर तथा सुल्तानपुर में रहते हैं) खानजादा जो अधिकतर अवध क्षेत्र में रहते हैं। रंधार तथा ललखानी पूरे प्रदेश में छितरे हुए हैं।

(3) स्वच्छ व्यवसायिक जातियाँ

स्वच्छ व्यवसायिक जातियाँ मुस्लिम जाति सोपाल क्रम में तीसरे स्थान पर हैं। ये उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी में बहुसंख्यक हैं ये उन स्वच्छ हिन्दू जातियों की सन्तान हैं जिन्होंने सामूहिक रुप से सम्पूर्ण जातियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था।

यह व्यवसायिक जातियां हिन्दू समाज तथा मुस्लिम समाज दोनों में एक ही नाम से जानी जाती है जैसे बढ़ई, हिन्दू तथा मुसलमान दोनों में होते हैं। इसी प्रकार दर्जी, धोबी, कुम्हार, लोहार, नाई या हज्जाम, सुनार, तेली इत्यादि दोनों समाजों में हैं।

सभी स्वच्छ व्यवसायिक जातियों को तीन वर्गों में बाँटा गया है।

(1) वे जातिया जो पूरी तरह से मुसलमान हो गयी हैं और उनके समतुल्य हिन्दू जातियां विद्यमान नहीं हैं अगर कुछ जातियां हैं भी तो उनका पद तथा सामाजिक स्थिति में भिन्न हैं।

(2) वे जातिया जो हिन्दू वर्गों की अपेक्षा अधिक मुस्लिम वर्गों से हैं।

(3) वे जातियां जो मुस्लिम वर्गों से अधिक हिन्दू वर्ग से संबध रखती हैं।

(4) वे जातिया जो अब पूरी तरह से मुस्लिम हैं।

आतिशबाज, भाण्ड, भटियारा, भिश्ती - गद्दी, मोमिन जुलाहा, मिरासी कस्साब, फकीर। यद्यपि ये जातियां अब पूरी तरह से मुस्लिम हैं किन्तू कुछ मामलों में वे अपने समतुल्य हिन्दू जातियों को रखते हैं जिनके नाम भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिये एक भिश्ती के अनुरुप हिन्दू कहार हैं, गद्दी के अनुरुप हिन्दू घोसी हैं।

मुस्लिम जुलाहा (बुनकर)

इस विषय में अधिकतर विचारक सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बुनकरों के एक बड़े वर्ग ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। इसी लिये भारत के इस उपमहाद्वीप में आज भी अन्सारी जाति एक अलग बुनकर जाति के रुप में विद्यमान है, 1931 की जन गणना रिपोर्ट में इन्हें मुसलमानों की स्वच्छ व्यवसायिक जाति के रुप में सबसे अधिक यंख्या में बताया गया है। ऊंचे वंशजों के समान चलने के लिये वे अशरफ जातियों में विवाह करने को वरीयता देते हैं। विशेषकर के शेख में शादी करना चाहते हैं।

1930 के प्रारम्भ की अवधि में इन्होंने अपने को "आल इण्डिया जमातुल अन्सार" में संगठित होने का प्रयास किया जो "आल इण्डिया मोमिन कान्फ्रेंस" के नाम से भी जाना जाता है जोकि आज के समय में उनके सामाजिक तथा राजनैतिक स्तर को बताने के लिये काफी है। यह संस्था एक ट्रेड यूनियन की तरह भी कार्य करती दिखाई देती है। ये अपने को शेख वंश का मानकर मोमिन अन्सार कहलाना पसन्द करते हैं।

अनेकों जनगणना रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम जातियों में अन्सारियों की सख्या अधिक रही है। 1869 की जनगणना में भी वे अधिक संख्या में थे। उसके बाद की सभी जनगणना रिपोर्टों में भी उनकी संख्या अधिक रही है।

(ब) वे जातियाँ जो हिन्दू वर्गों की अपेक्षा अधिक मुस्लिम हैं - इस श्रेणी के नीचे लिखी जातियाँ आती हैं, दर्जी, धुनिया, कुजड़ा या कबाडी, मनिहार सैकलगर तथा रगरेज़।

(स) वे जातियाँ जो मुस्लिम वर्गों की अपेक्षा अधिक हिन्दू हैं- स्वच्छ व्यवसायिक जाति की इन अन्तिम वर्ग ने इस्लाम में परिवर्तित होने का कुछ योगदान दिया है। जातियों के इस समूह में धोबी, नाई या हज्जाम तथा तेली आते हैं।

इन जातियों ने अपने अन्तर्विवाही नियम बनाये हुए हौं। औपचारिक समारोहों के उनके अपने रीति रिवाज हैं कुछ मामलों में उनकी पंचायत भी अपनी सामाजिक समस्याओं को सुलझाती हैं।

जाति तथा व्यवसाय

यहाँ यह स्पष्ट करदेना आवश्यक है कि जाति तथा व्यवसायिक समूह में अन्तर है। एक "जाति" समाज की श्रेणी क्रम व्यवस्था में अधिकारिक समूह की हैसियत रखता है जिसकी अपनी विशेषताए होती हैं वह केवल व्यवसायिक इकाई नहीं होती बल्कि वह उसमें एक अलग अपनी व्यक्तिगत पहचान भी रखता है। इस प्रकार एक सामाजिक इकाई के रुप में एक जाति विवाह की सामाजिक तथा सस्कारिक प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नियत्रण रखती है।

व्यवसाय के सम्बन्ध में किन्हीं व्यवसायों को बहुत सी जातियॅा अपनाये हुए हैं जैसे बिसाती, दर्जी, पानवाला तथा अन्य व्यवसाय। उच्च तथा निम्न श्रेणी के हिन्दू तथा मुस्लिम एक व्यवसाय को अपनाते दिखाई देते हैं। इसमें जाति संरचना का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। वर्तमान इलाहाबाद शहर में भी अन्सारी जाति विभिन्न व्यवसायों से जुडी है कहीं भी बुनकर नहीं है -शहर के बाहर देहाती क्षेत्रों में लूम पर कपड़ा बुनने के साथ-साथ वे खेती, तथा बीड़ी उद्योग से भी जुडे हैं अधिक संख्या मजदूरों की है। क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर उपरोक्त तथ्य स्पष्ट होते हैं।

(4) अस्वच्छ मुस्लिम जाति

भंगी- इस्लाम के मतानुसार सभी इस्लाम मानने वाले आपस में भाई होते हैं तथा किसी भी प्रकार के व्यवसायिक भेदभाव को महत्व नहीं दिया गया है तथा सफाई (भगी जो काम करते हैं) का काम करने वालों को परित्याग न किया जाय इसके भी आदेश हैं भारतीय जाति व्यवस्था में प्रारम्भ से ही निचले काम करने वाले अस्पर्शीय माने जाते रहे हैं अत. मुस्लिम जाति व्यवस्था भी छुआछूत के विचार से बच नहीं पायी है।

हिन्दू जाति व्यवस्था में अस्पर्शीय जाति भगी धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते हैं जबकि मुस्लिम भगी कुरान पढ सकता है लेकिन वह किसी और को कुरान पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकता।

वर्तमान समय में मुस्लिम भंगी तथा हिन्दू भगी दोनों हैं। 1891 की जनगणना के अनुसार भगियों की कुछ उपजातियॅा बाल्मीकि, धानुक, हेला, लालबेगी, पत्थर फोड़ आदि हैं। मुस्लिम भगी अलग हैं।

अधिकतर वर्तमान हिन्दू तथा मुस्लिम भगी लाल बेगी माने जाते हैं। सामाजिक तथा व्यवसायिक मामलों में भगियों की पंचायत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इनकी जाति का मुखिया "चौधरी" कहलाता है वह इज्जत की नजरों से देखा जाता है। उसके आदेश को समूह के लोग नकार नहीं सकते हैं।

निष्कर्ष रुप से उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम जाति व्यवस्था पूर्ण रुप से हिन्दू जाति व्यवस्था का ही एक रुप है। इस्लाम के मतानुसार यद्यपि वे मस्जिद मे साथ जाते हैं। नमाज साथ में पढ़ते हैं लेकिन सामाजिक दूरी विवाह सम्बन्धों को तय करते समय जाति के परिपेक्ष्य में पूर्ण रुप से दिखाई देती है। हिन्दू जातियां अन्तर्विवाही हैं उसी प्रकार मुस्लिम जातियॅा भी अन्तर्विवाही हैं और वे जातिगत मूल्यों को प्रतिस्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इम्तियाज अहमद ने अपनी सपादित पुस्तिका (भारत के मुसलमानों में जाति तथा सामाजिक स्तरीकरण, 1978) में समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र के प्रतिष्ठित 12 विद्वानों द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये अध्ययनों का विश्लेषण किया है। इन अध्ययनों में बिहार, दक्षिण पश्चिम केरला, लक्ष्य द्वीप, बम्बई,

महाराष्ट्र तमिलनाडु, इलाहाबाद (उ0प्र0) पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों के विभिन्न सामाजिक स्तरों एवं जाति व्यवस्था का विस्तृत रुप से अध्ययन किया है। उसी पुस्तक में-

1. श्री हसन अली ने अपने लेख "इलीमेन्टस आफ कास्ट अमंग दी मुस्लिम इन ए डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न बिहार" में रॉंची शहर के लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित "इतकी" तथा " हिन्दपिड़ी" नामक गॉंव जिनमें मुस्लिम आबादी अधिक है अपने अध्ययन में श्री हसन अली ने यहा निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय मुसलमानों में पायी जाने वाली बिरादरी प्रथा को हिन्दू जाति प्रथा से तुलना की जा सकती है। यद्यपि मुस्लिम बिरादरी प्रथा तथा हिन्दू जाति व्यवस्था एकदम समान नहीं है लेकिन मुस्लिम समुदाय में एक जाति विशेष के लोग एक बिरादरी के रुप में भी जाने जाते हैं हिन्दू जाति व्यवस्था में निचली श्रेणी की जातियों में भी बिरादरी शब्द का प्रयोग होता है तथा बिरादरी पंचायतें अपनी जाति के लोगों की समस्याओं का अपने स्तर पर निर्णय करती है।

हसन अली ने इतकी गांव में 158 मुस्लिम परिवारों की तुलना 56 हिन्दू तथा 9 ओरांव (Oraon) परिवारों से की है और बताया है कि हिन्दू तथा ओरांव परिवार अधिक नजदीक है तथा मुस्लिम परिवार अधिक सख्या में होने के कारण अपनी-अपनी बिरादरी के द्वारा आपस में सम्बन्ध बानाये रखते हैं इतकी में मुस्लिम समुदाय में पहले नम्बर पर दर्जी है तथा अन्सारी दूसरे नम्बर पर हैं (सख्या के आधार पर)

अपने अध्ययन में हसन अली ने बताया कि सामाजिक समबन्ध विभिन्न बिरादरियों में इस्लाम के अनुसार हैं क्योंकि अनेक साक्षात्कार कर्ताओं ने बताया कि जाति की अवधारणा इस्लाम में नहीं है अतः हम अलग - अलग बिरादरी के लोग धार्मिक क्रियाओं तथा सामाजिक क्रियाओं में मिलकर हिस्सा लेते है- यद्यपि बिरादरियॉं आपस में अन्तः विवाही नहीं है लेकिन आपसी सहमति से उन्होंने तीन अलग अलग बिरादरियों में किये गये अन्तः विवाहों का विवरण दिया है।

इतकी गॉंव में अलग-अलग बिरादरियों में विवाह

तालिका 2 : 1

क्र0सं0	वधु की बिरादरी	वधु का क्षेत्र	वर की बिरादरी	वर का क्षेत्र	विवाह का वर्ष
1.	अन्सारी	इतकी	पठान	दिल्ली	1960
2.	डफाली	इतकी	इराकी	बलसोकरा	1966
3.	अन्सारी	हजारीबाग	इराकी	इतकी	1968

निष्कर्ष रुप से कहा जा सकता है कि इतकी गांव में रहने वाले परिवार बिरादरी मे बॅंटे हैं वे यह

स्वीकार करते हैं कि जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक संरचना इस्लाम में नहीं है लेकिन वे अलग - अलग बिरादरो में अलग-अलग नामों के साथ बँटे हैं किसी भी प्रकार की अन्तः बिरादरी विवाह प्रणाली की व्यवस्था नहीं है लेकिन आपसी सहमति से कुछ विवाह हुये हैं। जिनमें तीन केस हसन अली ने अपने शोध में प्रस्तुत किये हैं। उपरोक्त तालिका में इनका विवरण दिया गया है।

मुस्लिम जाति व्यवस्था में जाति शब्द का आना इस बात का समर्थन करता है वह सामाजिक स्तरीकरण में उसी तरह प्रयोग हो रहा है जिस तरह हिन्दू जाति व्यवस्था में। लीच (1960) ने अपने अध्ययन में यह प्रश्न उठाया है कि क्या जाति को हम सांस्कृतिक घटना मान सकते हैं ? इस सन्दर्भ में दो मत हैं - एक मत है जो बेबर (1947 - 396) ने कहा है कि जाति हिन्दू समाज की आधार भूत संस्था है। दूसरा इसको फ्रान्सिसी समाजशास्त्री ड्यूमों ने (Pan Indian Civilization) कहा है · दूसरी मत सामाजिक मानवशास्त्रियों तथा समाज शास्त्रियों को है।

जरीना अहमद (1962) ने अपनी पुस्तक मुस्लिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश पृष्ठ 331 में मुसलमान जातियों के बीच पायी जाने वाली गतिशीलता, सामाजिक दूरी तथा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का अध्ययन क्षेत्रीय वैयक्तिक घटनाओं के आधार पर किया है जैसे - एक मनिहार (चूड़ी बेचने वाली जाति) स्त्री अपने पति के साथ शहर में उच्च सामाजिक स्तर में रहती है वह गाव में एक अशरफ (उच्च मुस्लिम जातियां) जाति में विवाह समारोह में सम्मिलित होती है। उसके कपड़े सम्भ्रान्त स्त्रियों की तरह थे जब वह विवाह भोज में अन्य अशरफ स्त्रियों के साथ एक टेबिल पर बैठी तो उसे एक अशरफ स्त्री ने महचान लिया और उसने शोर करना शुरु किया कि वह उच्च जाति की है वह एक मनिहार निम्न जाति की स्त्री के साथ बैठकर भोजन नहीं करेगी अन्त में उस मनिहार जाति की स्त्री को नीचे बैठकर भोजन करना पड़ा। यह व्यवहार उसी प्रकार का है जैसे उच्च हिन्दू जाति की स्त्री निम्न जाति के साथ भोजन करने से इन्कार कर दे। अतः उत्तर प्रदेश की मुस्लिम जातियों में सामाजिक दूरी तथा जातिगत निषेधों का तरीका उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार हिन्दू जातियों में है।

जरीना अहमद ने एक और घटना का वर्णन किया है जो मुसलमानों में सस्कृतिकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। निम्न जाति (अजलफ) वर्ग के पास जब पैसा हो जाता है तो उनकी स्त्रियॉं अशरफ (सैयद, शेख, पठान) स्त्रियों की तरह पर्दा करने लगती हैं। पुरुष वर्ग समय से नमाज के लिये मस्जिद जाने लगता है और वे हज भी करने जाते हैं। अर्थात् वे उच्च जाति (अशरफ) के तौर तरीके अपनाने लगते हैं - इस सम्बन्ध में उन्हों ने आगे लिखा है कि किस प्रकार बाराबकी में एक अन्सारी परिवार बाहर से आकर बसा था उसने पहले वहाँ एक पक्का मकान रहने के लिये बनवाया और ईंटे के भट्टे का कारोबार शुरु किया वहाँ के

अशराफ जाति वालों ने पहले उनका विरोध किया लेकिन इस परिवार के एक लडके का विवाह अशराफ जाति की लड़की से हो गया इस पर गाव में विवाद हुआ विवाद के फलस्वरुप वह अर्थात् अन्सारी लड़का तथा अशराफ लड़की शहर में रहने लगे। लोग धीरे-धीरे इस घटना को भूलने लगे।

एक दो पीढ़ी के बाद यह परिवार अपने को शेख कहने लगा क्योंकि उस गाव में शेखों की स्थिति ऊची थी यद्यपि पुराने लोग यह जानतें हैं कि यह परिवार बाहर से आया था लेकिन वे उन्हें शेख मानते हैं यहीं से असली अथवा नकली शेख हैं, करके अलग-अलग परिपेक्ष्य में समाज देखने लगता है। विवाह सम्बन्ध के समय यद्यपि यह पता लगाया जाता है कि अनुवांशिकता शुद्ध है अथवा नही हैं लेकिन आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों की अशुद्धता की कमी को अनदेखा कर दिया जाता है।

डा0 जरीना के उपरोक्त अध्ययन से हम इस निष्कष पर महुंचते हैं कि निम्न जातियों को उच्च जातियों का विरोध पहले सहना पड़ता है फिर वे अगर पूरी तरह उसकी अपना लेती हैं तो दो या तीन पीढ़ी बाद अपनी स्थिति को ऊचा उठा लेती है।

भारतीय महिला समाजशास्त्री लीला दुबे ने अपने लेख "कास्ट अनलमस एमग द लक्ष्यद्वीप मुस्लिम" में भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर शताब्दियों से चले आ रहे इस्लामिक समूहों में विद्यमान अन्तः निर्भरता पुरोहितों द्वारा किये गये वर्गीकरण तथा अलग किये गये समूहों का विस्तृत अध्ययन किया हैं।

लक्ष्यद्वीप समूह में चार टापू हैं तथा अमीनदीविल समूह में पाच टापू हैं दोनों अब लक्ष्यद्वीप कहलातें हैं। इन टापुओं में सुन्नी मुसलमान निवास करते हैं जो केरला समुद्र तट से आकर बसे हैं।

इस टापू में रहने वालों का विश्वास है कि नाम्बूदरी नायर तथा तिय्यर मौलिक रुप से यहीं के रहने वाले हैं। इस शोध लेख में लक्षद्वीप तथा अमानदीवि टापुओं के समूहों की सामाजिक व्यवस्था की क्रमिक उन्नति प्रकृति तथा कार्यप्रणाली की तस्वीर पेश करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ अन्तर्विवाह प्रणाली प्रथा है यह अपने ही क्षेत्र तथा बराबर वालों में विवाह करते हैं।

कार्य के आधार पर यहाँ व्यक्ति का सामाजिक स्तर निर्धारित किया जाता है।

श्री शफी मोहम्मद खाँ गौरी (1986) अपने शोध प्रबन्ध में अलीगढ़ के "मुस्लिम पारिवारिक सगठन के बदलते प्रतिमान का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। इस अध्ययन में अलीगढ़ के मुस्लिम परिवारों के परिवार, विवाह, विवाह का विघटन, बहु-पत्नी विवाह तथा इस्लाम में औरत का स्तर विषयों पर विस्तार से वर्णन किया है। प्रस्तुत थेसिस 244 पृष्ठों की है। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मुस्लिम पारिवारिक संगठन के प्रतिमान सभी दिशाओं में बदल रहे हैं। वे बदलाव के लिये इच्छुक हैं किन्तु अपने सामाजिक धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों को बराबर रखते हुए धर्म उनके लिए सर्वोपरि है। वे बदले हुए मूल्यों को

अपने धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास के युग में वे अपने आप में सन्तुलन बनाये रखे हुए हैं।

उपरोक्त शोध प्रबन्ध में देश के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय (अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय) के समाजशास्त्र विभाग में प्रस्तुत किया गया। इसमें शोधकर्ता ने अन्सारी समुदाय के सामाजिक संगठन में बदलते प्रतिमानों का आधार "परिवार" बताया है। इसमें अन्सारी समुदाय का होलिस्टीक अध्ययन नहीं है। कोई समुदाय चाहें वह अन्सारी या गैर अन्सारी हो आधुनिक समय में अवश्य बदल रहा है। किन्तु समाज के एक पहलू का परिवर्तित रुप अन्य पहलुओं पर पड़ता है। हमने प्रस्तुत अध्ययन में सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इस अर्थ में हमारा अध्ययन उपरोक्त अध्ययनों से भिन्न है।

अन्सारी समुदाय के सम्बन्ध में मोहीउद्दीन का अध्ययन

मोमिन मोहीउद्दीन की पुस्तक "मोमिन अन्सारी बिरादरी की तहजीबी तारीख (मार्च 1994) में भारत में रहने वाले अन्सारी समुदाय का इतिहास विभिन्न सामाजिक परिपेक्ष्य में चालीस अध्यायों (1170 पृष्ठ) में लिखा गया है। यह पुस्तक उर्दू में लिखी गई है। डा0 मोहिउद्दीन एडनबरा (इंगलैण्ड) से पी0 एच0 डी0 हैं।

उत्तर प्रदेश के अन्सारी समुदाय के सम्बन्ध में उन्होंने निम्न प्रकार प्रकाश डाला है-

इलाहाबाद में टिन के संदूक बनाने वाले अन्सारी के नाम से जाने जाते थे। फिरोजाबाद में कँाच की चूड़ियां। भदोही तथा मिर्जापुर में कालीन बुनने वाले अन्सारी थे। सहारनपुर मे लकडी की खुदाई और नक्श निगार के फनकार अन्सारी थे। टाण्डा और अकबरपुर का नफीस मलमल। दिल्ली क पास शाहदरा में सूती माल, मेरठ में कैंचियों के साथ-साथ टोपी बनाने और जरदोजी (हाथ की कढ़ाई तारकशी से) का काम, करते थे। एक अनुमान के अनुसार 1891 में मेरठ में लगभग 29 हजार अन्सारी थे। शाहजहाँपुर में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में 18 हजार अन्सारी थे। वे अधिकतर नौकरी पेशा थे नौकरी के लिये ही वे शाहजहाँपुर में आबाद हो गये थे। व्यापारी वर्ग अधिक खुशहाल था। सहारनपुर में 19 वीं शताब्दी के अन्त तक इनकी सख्या चालीस हजार तक हो गयी थी तथा 1911 तक यह जनसंख्या 45 हजार तक हो गयी। कघी बनाने का भी वहाँ ये काम करते थे। आतिश बाजी भी इनके हाँथों में थी।

सहारनपुर, रुड़की और मुजफ्फर नगर में अन्सारियों की इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी इनमें नाम मात्र के विद्वान थे। मुजफ्फर नगर में 1981 में लगभग 24 हजार अन्सारी थे और यह आबादी 1903 में बढ़कर 29 हजार हो गयी। गोरखपुर में इनकी जनसख्या वर्ष 1881 में 1,17,891 पहले नम्बर पर थी। बिजनौर दूसरे नम्बर पर 62 हजार जनसख्या वाला शहर था। अमरोहा (मुरादाबाद) में लगभग 18 हजार अन्सारी

थे। वे केवल टोपी बनाने का काम करते थे। अलीगढ़ में ताला बनाने का काम इनके हाथ में था।

कुछ प्रसिद्ध नाम कुछ शहरों से भी जुड़े हैं जैसे -

जहीर उद्दीन एडवोकेट (अम्बाला)

अब्दुल रऊफ एडवोकेट (बुलन्द शहर)

मोहम्मद जफर एडवोकेट (अम्बाला)

निजामुद्दीन एडवोकेट (इलाहाबाद)

निजामुद्दीन अखिलभारतीय जमीमतुल मोमिनीन के सचिव भी थे। वर्तमान में इलाहाबाद के मोहम्मद इस्लाम अन्सारी एडवोकेट जिन्होंने 1959 तथा 1970 का नगर पालिका का चुनाव जीता और सभासद चुने गये थे। वे एक जागरुक धार्मिक राजनीतिक अन्सारी समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

इटावा के मशहूर तबीब हकीम हाफिज इटावी 50-60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। 1942 में आजादी की लड़ाई के समया वे कुछ समय जेल में भी रहे थे।

उन्नाव के हबीबुर्रहमान अन्सारी भी देश की आजादी में सक्रिय रहे थे। बाद में वे विधान सभा के सदस्य भी चुने गये जियाउर्रहमान अन्सारी उन्नाव में 1925 में पैदा हुए थे। वकालत की डिग्री रखते थे लेकिन ये राजनीति में प्रारम्भ से पड़ गये और उन्होंने बुनकरों तथा गरीबों के लिये कार्य किया।

इस पुस्तक में पृष्ठ 182 पर इलाहाबाद के सन्दर्भ में निम्न प्रकार की विवेचना की गयी है गगा और जमुना के संगम पर बसा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी भारत के बीच पुल बना हुआ है। सदियों से वह बम्बई, भिवण्डी, मालेगाँव धुलिया, भुसावल, बुरहानपुर इत्यादि की अन्सारी बिरादरी को मिलाये हुए हैं। वहाँ अन्सारी समुदाय की सबसे अधिक सख्या है।

इलाहाबाद गावों में बसा हुआ जिला है इससे मऊआइमा, फतेहपुर, हँसवा, फूलपुर, बादशाहपुर, फाफामऊ, झूंसी, सिकन्दरा, अकबरगंज आदि कस्बे हैं। 1891 में हुई जनगणना के आधार पर इलाहाबाद की अन्सारी समुदाय की जनसख्या 39,944 थी। स्टील संदूक के कारखाने सामान्य हैं। नौकरियों में बाबुओं की भी सख्या है। धार्मिक निष्ठा अन्सारी समुदाय की घुट्टी में है। 1929 में इलाहाबाद कें खुशरुबाग में मोमिन कान्फ्रेन्स की शानदार सभा हुई थी जिसकी अध्यक्षता अम्बाला के वकील शेख जहीरउद्दीन ने की थी। कमरुद्दीन बदरुद्दीन इतर के व्यापारी का नाम भी मशहूर है। इलाहाबाद से 22 कि0मी0 दूरी पर बसा मऊआइमा जहाँ मुसलमान बहुसख्यक है वहाँ अन्सारी समुदाय की जनसंख्या अधिक है।

अब्दुल जहूर पहलवान ने मऊआइमा में पहला पावरलूम लगाया था। इस तहसील के अनेकों गावों में अन्सारी समुदाय के लोग रहते हैं। तहसील सराय आकिल तथा चायल में अन्सारी बुनकर बहुत पहले से बसे

हैं । अन्सारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इलाहाबाद में बीड़ी का व्यवसाय तथा मजदूरी भी करता है।

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय (1990) ने अपने शोध अध्ययन में लिखाहैं कि 1860 में इलाहाबाद जिले में दस हजार करघे थे तीन साल बाद केवल चार हजार करघों पर काम हो रहा था। क्योंकि नौजवान समूह बम्बई भिवण्डी तथा बाहर के देशों में काम करने चला गया था।

बनारस के लोहटा गांव में जहाँ 52 प्रतिशत अन्सारी परिवार थे अधिकाश बम्बई चले गये हैं। 1940 में केवल 7 हजार दस्तकार रह गये थे। कुछ जौनपुर, आजमगढ़, मुबारकपुर, मऊ, खोपागंज में जाकर बस गये थे। (पृष्ठ 197)

भदोही का कालीन उद्योग सदा से विख्यात रहा है यहाँ भेड़ के बालों से बनी ऊन से कालीन बनाई जाती है। वर्तमान समय में यहाँ लगभग 5 सौ कालीन के व्यापारी हैं जिनमें 80 % मुसलमान हैं इनमें 60 % अन्सारी समुदाय के हैं। कालीन के व्यापारियों में अब्दुल समद अन्सारी का नाम प्रसिद्ध है।

तालिका 2 : 2

उत्तर प्रदेश में 1891 की जनगणना के आधार पर मोमिन अन्सारी की आबादी

1. इटावा	2352	15. बनारस	22496
2. आजमगढ़	53075	16. बहराइच	18285
3. आगरा	1271	17. प्रतापगढ़	9497
4. इलाहाबाद	39944	18. पीलीभीत	15461
5. उन्नाव	3221	19. तराई	12665
6. एटा	4203	20. जालौन	377
7 बाराबकी	30182	21. जौनपुर	22307
8. बांदा	75	22. झाँसी	51
9. बिजनौर	61523	23. देहरादून	1349
10. बदायूं	19894	24. रायबरेली	4117
11. बरेली	42,654	25. सुल्तानपुर	1345
12. बस्ती	30050	26. सहारनपुर	40071
13. बुलन्दशहर	13147	27. सीतापुर	36652
14. बलिया	30547	28. अलीगढ़	3051

29. गाजीपुर	28564	38. मेरठ	25605
30 फररुख्खाबाद	4334	39. मैनपुरी	1326
31. फतेहपुर	2636	40. मुजफ्फर नगर	23,249
32. फैजाबाद	25473	41. मुरादाबाद	32401
33 खीरी	20127	42. मथुरा	36
34. गोरखपुर	117891	43. हरदोई	10553
35. लखनऊ	5966	44. हमीरपुर	889
36. ललितपुर	02	45. कानपुर	4347
37. मिर्जापुर	13582		
योग =			**7,80,231**

सारांश

इस अध्याय में हमने अन्सारी समुदाय से सम्बन्धित कुछ अध्ययनों का उल्लेख किया है। इनमें मुख्य हैं:-

इन अध्ययनों का सार यह है कि उ0प्र0 के मुसलमान समुदायों में "अन्सारी" एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त वर्णित अध्ययनों में कोई भी अध्ययन ऐसा नहीं है जो एक क्षेत्र के अन्सारी समुदाय के सभी पक्षों पर एक साथ विचार करता हो। इस कमी की पूर्ति हामारा प्रस्तुत शोध अध्ययन करता है।

डायरेक्ट्री टाइम्स आफ इण्डिया के पृष्ठ 94 पर इलाहाबाद के मुसलमानों के विषय में सन 1913- 14 में जातिगत आधार पर उनकी जनसंख्या निम्न प्रकार बताई गयी है

अन्सारी	30823
शेख	66255
पठान	20567
सैय्यद	12851

पाकिस्तान बनने पर जिन मुसलमानों ने देश छोड़ा वे अशराफ (सैय्यद, शेख, पठान) अधिक थे अन्सारी समुदाय मेंमिन कान्फ्रेन्स कें नाम से आजादी से महले ही राजनैतिक संगठन बना चुका था अर्थात् जातिगत आधार पर एक राजनैतिक चेतना इस समुदाय में हमेशा पायी गयी है। वर्तमान समय में इलाहाबाद में मुस्लिम जनसख्या में इनकी सख्या सबसे अधिक है इलाहाबाद क्षेत्र के कुछ मोहल्लों में जैसे गढ़ी, दोन्दीपुर, मिन्हाजपुर, अटाला, रोशनबाग आदि में ये बुहसख्यक हैं।

इलाहाबाद नगर निगम के आँकड़ों के अनुसार 1994 में इलाहाबाद की जनसख्या 792858 है।

अध्याय- 3

अंसारी समुदाय का सामाजिक संगठन (1) परिवार

इस अध्याय में निम्न विन्दुओं पर विवरण प्रस्तुत किया गया है:-

1. सामाजिक संगठन का आशय
2. इस्लाम में परिवार की भूमिका
3. परिवार के प्रकार
4. अन्सारी समुदाय में परिवारों की समीक्षा एवं मूल्यांकन
5. क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर परिवर्तन की दिशायें।

सामाजिक संगठन का आशय

ए. आर. एन. श्रीवास्तव (1992 : 49) लिखते हैं:-

"सामाजिक संगठन प्रायः समाजिक संरचना के समरूप माना जाता है। समाजिक सम्बन्धों के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते समय इन अवधारणाओं का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। समाजिक संरचना से तात्पर्य उन सिद्धान्तों (नियमों) से है जिन पर उनका रूप निर्भर करता है सम्बन्धों के संगठन से आशय उन दिशात्मक क्रियाकलापों से है जो उनके रूपों को बनाकर रखते हैं तथा प्रदत्त लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। सामाजिक मानववेत्ता सामाजिक सगठन को सुदृढ़ क्रियाओं के रूप में समझते हैं। इन क्रियाओं को विभिन्न सस्थाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अथवा हम यह कह सकते हैं कि किसी समुदाय की सुदृढ़ क्रियायें जो प्रदत्त लक्ष्य प्राप्तति में सहायक होती हैं "संस्थायें" हैं। परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्थायें संस्था के विभिन्न पहलू हैं। संक्षेप में 'सामाजिक सगठन' क्रियाकलापों का क्रमबद्ध विन्यास है। सामाजिक संरचना का गतिशील पहलू संगठन ही है।"

सामाजिक संगठन का आधार परिवार

आक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में (1959) में परिवार शब्द का अलग-अलग अर्थ निम्न बताया गया है।

1. गृहस्थी

2. उन व्यक्तियों का समूह जो एक छत के नीचे या एक कर्ता के अधीन रहते हों जिसमें माता-पिता, सन्तान नौकरों आदि सम्मिलित हों।

3. वह समूह जिसमें माता-पिता तथा उनकी सन्तानों का समावेश हो भले ही वह साथ रहते हों अथवा नहीं, विस्तृत अर्थ में वे सब जो रक्त सम्बन्ध या विवाह सम्बन्ध से जुड़े हों इसमें शामिल किये जा सकते हैं।

4. जो एक ही पूर्वज के वंशज हो या वंशज होने का दावा करते हों।

परिवार अपने सदस्यों को हैसियत तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं साथ ही पारिवारिक तनावों को यान्त्रिक रूप से मुक्त करता है तथा आवश्यक समाजीकरण्ण द्वारा नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करके परम्परागत पारिवारिक ढांचे को सुरक्षित रखते हैं। मैकाइवर तथा पेज (1958) ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। सभी सामाजिक समूहों का यह आधार है अतः सामाजिक संगठन में इसका केन्द्रीय महत्व है। जन्म लेते ही हम परिवार के सदस्य बन जाते हैं और मृत्यु तक हमारे सभी क्रियाकलाप परिवार से सम्बन्धित रहते हैं। इस सम्बन्ध में मैकाईवर ने आगे लिखा कि परिवार एक ऐसा समूह है जो निश्चित तथा स्थायी यौन सम्बन्धों पर आधारित है और इतना छोटा तथा शक्तिशाली है कि सन्तान के जन्म तथा पालन पोषण की क्षमता रखता है। सामाजिक संगठन के अन्य प्रतिमानों की तरह परिवार भी मानव की विभिन्न आवश्यकताओं एवं उसके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का ही परिणाम है। वास्तव में आवश्यकतायें ही परिवार के विकास का आधार रही है, इन आवश्यकतायें के तीन प्रकार हैं यौन इच्छा, सन्तानोत्पत्ति और अर्थव्यवस्था ये मुख्य चर हैं जो एक दूसरे से अन्तः क्रिया करते हुये पारिवारिक जीवन के सभी रूपों में पाये जाते हैं। अतः सामाजिक संगठन में परिवार की अत्यन्त महत्वपूर्ण्ण भूमिका होती है।

प्रसिद्ध मानवशास्त्री जार्ज पीटर मरडॉक ने अपनी पुस्तक **सामाजिक संरचना** (1949) में 250 विभिन्न समाजों का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव सामाजिक सगठन का बुनियादी आधार केन्द्रीय या एक परिवार है क्योंकि यह सभी 250 समाजों में पाया जाता है। मरडॉक ने परिवार की परिभाषा इस प्रकार दी है:-

"परिवार सामान्य स्थान, आर्थिक सहयोग सन्तानोत्पत्ति विशेषताओं से युक्त एक सामाजिक समूह है।" उसने परिवार की चार विशेषताओं की ओर इगित किया:-

1. लैंगिक कार्य सम्पादन
2. प्रजनन क्रिया में सहायक
3. समाजीकरण
4. आर्थिक कार्यों का सम्पादन

समस्त समाजों में मरडॉक के अनुसार यही रूप है अर्थात् "परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है" तथा एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार निम्न कार्यों को महत्वपूर्ण ढंग से सम्पादित करता है।

1. परिवार व्यक्ति के अनेक कार्यो को सरल बना देता है।

2. परिवार सामाजिक नियंत्रण का महत्त्वपूर्ण साधन होता है।

3. परिवार समाज में व्यक्ति को एक पद तथा उस पद से सम्बन्धित भूमिका प्रदान करता है।

4. परिवार मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

5. परिवार संस्कृति का वाहक है।

6. परिवार सांस्कृतिक अनुरूपता को व्यक्त करता है।

इस प्रकार परिवार व्यक्ति के व्यवहार को एक सुनिश्चित प्रतिमान देकर हम सबके व्यवहार को सामाजिक अपेक्षा के अनुकूल ढालता है।

भारत के सन्दर्भ में परिवार की रूपरेखा

पी0 एच0 प्रभु ने अपनी पुस्तक **हिन्दु सोशल आर्गनाइजेशन** (1954:210) में लिखा है कि "मानव में चार प्रकार की मौलिक अभिलाषायें होती है नवीन अनुभव, सुरक्षा, मान्यता, अनुक्रिया यह अभिलाषायें सार्वभौमिक है और सभी सामाजिक सम्बन्धों के अन्तर्गत पायी जाने वाली मौलिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती है। अत. परिवार वह महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति इन अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रथम पाठ सीखता है।"

प्रभु ने आगे लिखा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रारम्भिक मौलिक लक्षणों का निर्माण परिवार में ही होता है जो उसे सांस्कृतिक विरासत हस्तान्तरित करता है और इस प्रकार व्यक्ति और समाज के बीच एक सास्कृतिक निरन्तरता कायम करता है तथा समाज की विभिन्न पीढ़ियों में भी निरन्तरता बनाये रखता है। परिवार समाज तथा व्यक्ति के बीच सांस्कृतिक समायोजन की अत्यन्त प्रभावशाली कड़ी है। अतः परिवार बच्चे के सम्मुख केवल एक सस्कृति ही नहीं प्रस्तुत करता बल्कि अन्तर-वैयक्तिक सम्बन्धों का पर्यावरण भी प्रस्तुत करता है (1954: 207)

इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक एलीमेन्टस आफ इन्डीयन सोसाइटी में भारतीय समाज के तीन मूल तत्वों में एक तत्व परिवार को कहा है तथा परिवार से श्रीमती कर्वे का अभिप्राय सयुक्त परिवार से है। इनके अनुसार संयुक्त परिवार वह जनसमूह है जो सामान्यतः एक घर में रहता है, एक रसोई में पका खाना खाता है। जिनकी सम्पत्ति मिली जुली होती है जो मिल जुलकर पूंजा करते हैं और परस्पर कुछ खास बन्धुओं के रूप में सम्बन्धित होते हैं।

उपरोक्त परिभाषा के विशेष पक्ष "जिसका सम्बन्ध एक साथ रहने और साथ खाने से है यह कृषि से जीवन निर्वाह करने वाले समाज से है वे ही एक साथ रहते और खाते हैं जहाँ लोग व्यापार करते या

नौकरियों में जाते हैं तथा संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य अनिश्चित काल तक घर से दूर रहते थे। वहाँ संयुक्तता की स्थिति भिन्न होती है" । संयुक्त परिवार की हमेशा एक पूर्व जगह या स्थली होती थी भारतीय चाहे जितना गरीब हो वह हमेशा अपने पूर्वजों को घर बनाता है अतः अधिकतर हर भारतीय के पास निजी गांव में पारिवारिक थोड़ी जमीन अथवा छोटा घर होता हे। गांव छोड़ने के बाद भी व्यक्ति का रिश्ता अपने गांव से बना रहता है और समय-समय पर वे वहाँ जाते रहते हैं। उत्तर भारत के परिवार पित्रवशीय तथा पतिस्थानिक होते हैं ऐसे परिवार में स्त्रियाँ अपनी ससुराल में रहती हैं। प्रायः परिवार के संस्थापक की मृत्यु पर परिवार टूट जाते हैं। वह सस्थापक जिसने सफलता पूर्वक पुरुषों की चार पीढ़ियों को साथ-साथ बनाये रखा हो जब ऐसा परिवार टूटता है तो बॅटवारा होता है वह अक्सर कभी भी उतने परिवारों में नहीं बॅटता जितने व्यक्तिगत परिवार होते हैं बल्कि ऐसे छोटे संयुक्त परिवारों में बँटता है जिसमें पुरुष, पत्नी और बच्चे तथा लड़के के पुत्र-पुत्री होते हैं या पुरुष उसकी पत्नी और बच्चे और कुछ छोटे भाई रहते हैं जो उसका सरक्षण चाहते हैं।

कर्वे तथा प्रभु के साथ अनेक भारतीय समाज शास्त्रियों ने परिवार की रूपरेखा बनाते समय हिन्दू समाज को आदर्श माना है। किन्तु भारत जैसे विशाल देश में गैर-हिन्दु भी हैं इसी कारण एम0 एन0 श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक '**आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन**' में हिन्दु समाज के अतिरिक्त अन्य समाजों की भी चर्चा की है। यहाँ हम इस्लाम समाज में परिवार की चर्चा विशेष तौर पर करेंगे।

इस्लाम धर्म कुरान (ईश्वरीय वाणी) तथा शरियत (वे बातें जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब से लोगों तक पहुँची) के आधार इस्लामिक समाज की व्याख्या करता है। अतः इस्लाम में परिवार की संरचना का आधार पूर्णतया धार्मिक है पुरुष को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि रोजी कमाना और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करना और पत्नी तथा बच्चों की रक्षा करना पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। स्त्री का कर्तव्य है कि वह पूर्ण रूप से अपने परिवार में खुशहाली बनाये रखे इस प्रकार-स्त्री तथा पुरुष को उसके कर्तव्यों के आधार पर अधिक से अधिक जिम्मेदार बनाया गया है। सम्बन्धियों को अपनाना उन्हें पहचानना उनकी मदद करना (ज़कात के द्वारा) अत्यन्त आवश्यक है। अत. इस्लाम परिवार को प्राथमिक समूह की सम्पूर्ण विशेषताओं से लाद देता है। उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर अल्लाह की तरफ से कठोर निर्देश तथा दण्ड की भी व्यवस्था है- बहुपत्नी विवाह को मान्यता दी गयी है परन्तु ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियां रखता हो इसी प्रकार तलाक को आसानी भी दी गयी और इस्लाम में इसे खुदा की नापसन्दगी भी कहा गया अतः शिक्षित मुसलमानों में अशिक्षित मुसलमानों की अपेक्षा तलाक दर कम है।

हिन्दु समाज की तरह संयुक्त परिवार प्रणाली मुस्लिम समाज में भी है तथा पिछड़े समाजों मे यह और

अधिक मान्य है। अन्सारी समाज में विस्तृत परिवार समूह (56%) यह दर्शाता है कि भारतीय पारिवारिक संरचना का परम्परागत स्वरूप परम्परागत समाजों में भी उसी प्रकार पाया जाता है जैसा अन्य हिन्दु समाजों में।

इस्लाम में परिवार की भूमिका

कुरआन तथा शरियत के आधार पर इस्लाम की व्याख्या की जाती है। शरियत को हम दूसरे शब्दों में "आचार सहिता अथवा धर्मशात्र भी कह सकते हैं" मोहम्मद साहब के बाद 200 वर्ष के अन्दर इनका संकलन किया गया था। इस शरियत (धर्म शास्त्र) का सम्बन्ध मनुष्य के प्रत्यक्ष आचरण से है- शरियतत यह देखती है कि आपको जैसा और जिस तरह का हुक्म दिया गया था उसका आपने पालन किया या नही तथा उस आदेश के पालन में आपके अन्दर स्वेच्छा सहृदयता शुभ संकल्प, और सच्चा आज्ञा पालन कितना था।

मानवीय सम्बन्धों का प्रारम्भ परिवार से होता है। इस्लाम में पारिवारिक नियम यह है कि रोजी कमाना और परिवार की जरुरतों को पूरा करना और पत्नी तथा बच्चों की रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। स्त्री का कर्तव्य यह है कि पुरुष जो कुछ कमा कर लाये उससे वह घर का प्रबन्ध करे पति तथा बच्चों के लिये अधिक से अधिक आराम और सुविधायें जुटाये और बच्चों का पालन करे और उन्हें अच्छी शिक्षा दे और बच्चों का कर्तव्य है कि माता-पिता की आज्ञा माने और उनका आदर करें और जब बड़े हों तो उनकी सेवा करें।

इस्लाम में परिवार की व्यवस्था को ठीक रखने के लिये दो उपायो का जिक्र है

(1) पति और पिता को घर का प्रमुख अधिकारी नियत कर दिया है जैसे एक शहर का प्रबन्ध एक हाकिम के बिना और एक विद्यालय का प्रबन्ध एक प्रधान अध्यापक के बिना ठीक नहीं रह सकता उसी प्रकार घर के प्रमुख पति और पिता है उनके बिना घर का प्रबन्ध ठीक नहीं रह सकता है।

(2) दूसरा उपाय यह है कि घर के बाहर के सब कामों का बोझ पुरुष पर डाला गया है। स्त्री को बाहर के कामों से मुक्त रखा गया है- लेकिन यह बन्धन नहीं है आवश्यकता पड़ने पर उसको बाहर जाने का अधिकार है।

शरियत में जो नियम निश्चित किये गये हैं वह बड़ी तत्वदर्शिता पर आधारित हैं। ये निम्न है :-

(1) जिन स्त्री तथा पुरुषों को एक दूसरे से घुल-मिलकर रहना पड़ता है उनको एक दूसरे के लिये हराम (अयोग्य) रखा गया है जैसे माता-पुत्र, पिता-पुत्री, सौतेला पिता-सौतेली बेटी, सौतेली माँ-सौतेला बेटा भाई और बहन चाचा-भतीजी, फूफी (बुआ) और भतीजा, मामा और भानजी, मौसी और भानजा सास और दामाद, ससुर तथा बहू। इन सब रिश्तों को परस्पर हराम (अयोग्य) करने से बहुत से लाभ है जिनमें

एक लाभ है कि उपरोक्त रिश्तों में स्त्री तथा पुरुष के सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र रहते हैं व विशुद्ध प्रेम सहित निस्संकोच भाव से एक दूसरे से मिल सकते हैं।

(2) जिन सम्बन्धियों में विवाह हो सकता है वे हैं पिता के भाईयों, बहनों के बच्चे, माता के भाई बहनों के बच्चे यह नजदीकी सम्बन्धी हैं यह सब आपस में विवाह सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाहों से पारिवारिक नातेदारी सम्बन्ध और मजबूत होते हैं इससे नातेदारों (देखिये विवाह तथा नातेदारी अध्याय) में भी विवाह हो सकता है।

(3) किसी भी व्यक्ति के नातेदार निर्धन, धनवान, सम्पन्न तथा दुखी हो सकते हैं इस्लाम का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति पर सबसे अधिक हक उसके नातेदारों का होता है। सम्बन्धियों के साथ विश्वासघात करना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। अत: सम्बन्धी पर कोई मुसीबतत आये तो सम्पन्न नातेदार का कर्तव्य है कि वह उसकी सहायता करे। सदका-खैरात में भी विशेष रूप से नातेदारी को प्राथमिकता दी गयी है। इस प्रकार एक परिवार उक्त नियम का पालन करके अपने सम्बन्धियों से प्राथमिक सम्बन्धों की स्थापना अधिक से अधिक करता है। अत: नातेदारी के बीच सम्बन्धों को मजबूत करने का अधिक से अधिक कार्य परिवार में ही सम्पन्न होता है।

(4) उत्तराधिकार का कानून भी इसी तरह बनाया गया है कि व्यक्ति अगर कुछ धन छोड़कर मरता है तो उसके नातेदारों को थोड़ा या बहुत हिस्सा पहुँच जाना चाहिये। बेटा-बेटी, माता-पिता भाई बहन मनुष्य के सबसे ज्यादा करीबी नातेदार हैं अत. पहला हक उनका होता है उनके न होने पर दूसरे तथा तीसरे नातेदारों को सम्पत्ति मिलती है। कुरान में स्पष्ट आदेश है कि लड़की को भी अपने पिता की सम्पत्ति पर हक है अत: लड़की को चल, अचल सम्पत्ति का भाग अवश्य मिलनी चाहिये।

(5) माता के पैर के नीचे स्वर्ग है ऐसा कुरान में कहा गया है- अत: इस्लामिक समाज में माता का बहुत मूल्य है (माँ परिवार की धुरी है उसकी सेवा से ही स्वर्ग मिलता है) अत: परिवार को स्वस्थ तथा मजबूत रखने का कार्य उपरोक्त नियमों के द्वारा किया जाता है। (सैयद मौदूदी की पुस्तक **इस्लाम धर्म**) इस्लाम में कहा गया है कि उस महिला से विवाह करो जो धर्म तथा चरित्र में उत्तम हो जिससे परिवार में धर्म तथा चरित्र का निर्माण हो सके। तथा परिवार को प्यार आपसी समझ तथा न समाप्त होने वाली करुणा पर आधारित होना चाहिये। आपस में झगड़े तथा प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिये। इस सम्बन्ध में पैगम्बर साहब ने कहा है "आप में से सबसे अच्छा वह है जो अपनी पत्नी के लिये सबसे अच्छा हा"।

परिवार के हर सदस्य से आशा की जाती है कि वह समाज में अपनी भूमिका अच्छी तरह से अदा करे इसका प्रभाव पूर्ण रूप से इस्लामिक समाज पर पड़ता है।

केन्द्रीय परिवार का चित्रण
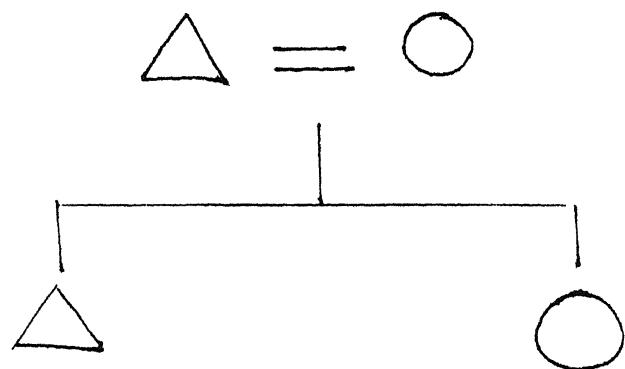
केन्द्रीय परिवार के दो रूप
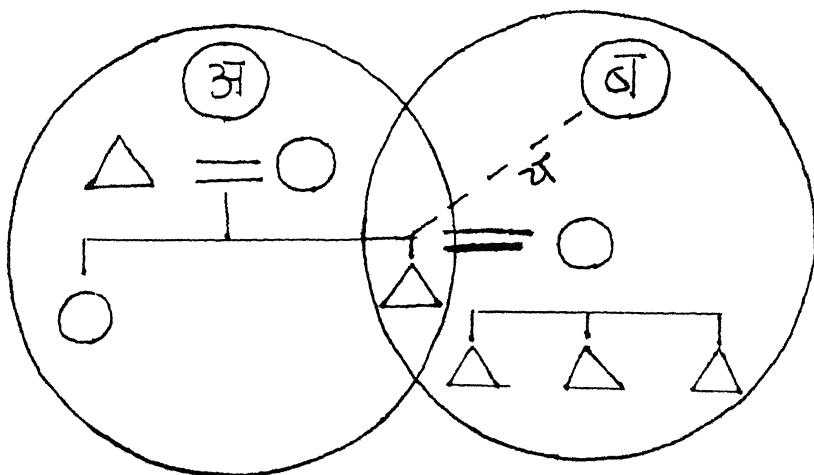
य का अ परिवार
जन्म का परिवार है

य का ब परिवार
जनन का परिवार है

मुस्लिम परम्परा के अनुसार अधिकतर परिवार में उनके माता-पिता साथ रहते हैं यहां तक कि परिवार के नौकर को परिवार का सदस्य माना जाता है। उसकी आवश्यकता खाना, कपड़ा, रहने की पूर्ति परिवार के अन्य सदस्यों की भाँति पूरी की जाती है। बिना विवाह के यौन सम्बन्धों को इस्लाम में पूर्णतया मनाही है परन्तु विवाह एक विकल्प है जो पुरुष तथा स्त्री की इच्छाओं की पूर्ति करता है, अतः यौन आवश्यकताओं का नियत्रण सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पैगम्बर साहिब ने कहा है कि "ऐ नौजवानों तुममे से वे जो एक पत्नी को आश्रय/सहारा दे सकता है, विवाह कर लेना चाहिये क्योंकि ये औरतों की इधर-उधर जाने से रोकती है और एक व्यक्ति को अनैतिकता से बचाती है।"

(बुक आफ मैरेज, हदीस 3213)

पति तथा पत्नी को एक दूसरे का अभिभावक कहा गया है तथा उनके सम्बन्ध को एक दूसरे के लिये कपड़ा कहा गया है जिस प्रकार एक कपड़ा शरीर की रक्षा करता है उसी प्रकार पति-तथा पत्नी एक दूसरे की रक्षा करते हैं।

परिवार संस्था से परिवार के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी व्यवस्थाओं की सुरक्षा होती है।

इस सम्बन्ध में पैगम्बर ने कहा है "जब खुदा तुम्हें समृद्धि से विभूषितत करे तो सर्वप्रथम अपने तथा अपने परिवार पर खर्च करो।" (खुर्शीद अहमद) पति को कानूनी तौर पर अपने परिवार की देख रेख के लिये कहा गया है यहाँ तक की यदि पत्नी के पास अपनी सम्पत्ति भी हो।

कुरान में मनुष्य को निर्देश दिया गया है कि उनसे विवाह करो जो तुम्हारे बीच है, जो अकेले हैं और विवाह अपने गुलामों से करो पुरुष या औरत जो सही हो। यदि वे गरीब है खुदा उन्हें दौलतमन्द बनायेगा। खुदा सबको गले लगाता है और सबकुछ जानता है (पवित्र कुरान- आयत- 24-32)

इस प्रकार इस्लाम में परिवार की व्याख्या कुरान तथा हदीस के निर्देशों के आधार पर की गयी है और प्रत्येक व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को मानता है अपने परिवार में इस्लामिक मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहता है।

परिवार के प्रकार

समाजशास्त्रियों ने परिवार के प्रकार बताने में अत्यन्त सावधानी बरती है सभी यह मानते हैं कि सदस्यों की सख्या एव उनके बीच सम्बन्ध के आधार पर परिवार निम्न दो हैं:-

1. केन्द्रीय परिवार
2. विस्तृत परिवार

विस्तृत परिवार का चित्रण

△ = पुरुष

○ = स्त्री
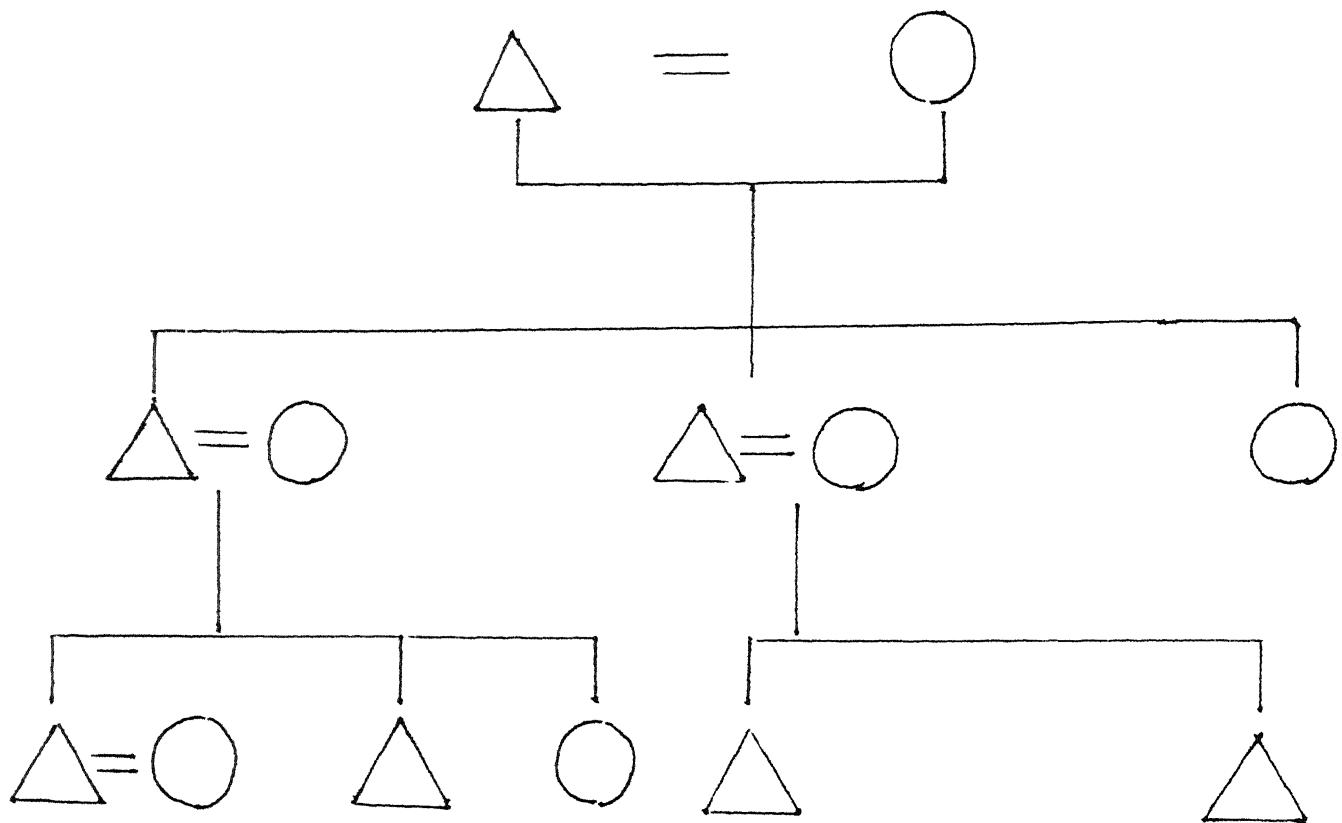
= = वैवाहिक सम्बन्ध के लिये

— = भाई बहनों के आपसी सम्बन्ध के लिये

| = माता पिता के सन्तानो के साथ सम्बन्ध के लिये

1. केन्द्रीय परिवार- परिवार का सबसे छोटा और मूलभूत रूप केन्द्रीय परिवार है- परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। ऐसे परिवार में आठ प्रकार के सम्बन्ध होते हैं पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई-भाई, बहन-बहन तथा भाई-बहन। अतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो रक्त, विवाह या गोद लिये जाने से सम्बन्धित हो और साथ-साथ रहते हो-ऐसे सभी व्यक्ति एक परिवार के सदस्य माने जाते हैं इस प्रकार का परिवार दाम्पत्य मूलक या केन्द्रीय रूप वाला होता है अत. इसे ही केन्द्रक या एकक परिवार की सज्ञा दी जाती है यह सभी समाजों में पाया जाता है अतः मानव समाज का बुनियादी आधार केन्द्रीय परिवार ही है- यद्यपि सभी समाजों में एकक परिवार का रूप एक जैसा हो ऐसा नहीं है जैसे अफ्रीका के धाना देश के अशांति समाज में (इस समाज में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है) पति अपनी पत्नियों के साथ नहीं रहता- वह बारी-बारी से अपनी पत्नियों के यहा रात्रि व्यतीत करता है प्रत्येक पत्नी अपने बच्चों के साथ स्वतत्र रूप से अपनी झोपड़ी में रहती है, पति अपने परिवार में रहता है परन्तु पति अपनी सभी पत्नियों के खेत में सहायता करता है लेकिन फसल की मालकिन उसकी पत्नी होती है इससे स्पष्ट होतत है कि परिवार में आर्थिक सहभागिता में पति तथा पत्नी दोनों हिस्सा लेते हैं।

केन्द्रक परिवार के दो रूप होते है-

जन्म का परिवार और जनन का परिवार

एक वह परिवार जिसमें वह जन्म लेता है इससे जन्म का परिवार या प्रशिक्षण का परिवार कहते हैं लेकिन विवाह के द्वारा जो परिवार बनता है उसे जनन का परिवार कहते हैं इसीलिये व्यक्ति दो परिवारों का सदस्य होता है समाजशास्त्री वार्नर ने इसे जन्म का परिवार तथा जनन का परिवार शब्दावली से सम्बोधित किया है एक व्यक्ति इनमें से एक के पुत्र अथवा पुत्री के पद पर होता दूसरे में पति या पत्नी के पद पर।

विस्तृत परिवार

विस्तृत परिवार की रूप रेखा निम्न होती हैः-

पुरुष

स्त्री

वैवाहिक सम्बन्ध के लिये

भाई बहनों के आपसी सम्बन्ध के लिये

माता पिता के सन्तानों के साथ सम्बन्ध के लिये

भारत में विस्तृत परिवार का रूप हिन्दु संयुक्त परिवार की तरह ही है। यह केन्द्रीय परिवारों का मिला जुला रूप है इस प्रकार के समूह में सभी भाई और उसकी पत्नियाँ तथा बच्चे अलग-अलग एक रूप में रहते हैं। इरावती कर्वे ने उत्तर भारत के हिन्दु परिवारों में इसी प्रकार के संयुक्त परिवार की चर्चा की है। एक विस्तृत परिवार के सदस्य कुछ मामलों में स्वतत्र रहते हैं और अन्य में एक जुट। मरडॉक के अनुसार विस्तृत परिवार यह छोटे-छोटे परिवारों का ममिला जुला रूप है जिसके सभी सदस्य एक ही स्थान पर रहते हैं और प्रायः दो या दो से अधिक पीढ़ियों में बिखरे होते हैं। हिन्दु समाज के घरेलू समूह का रूप विस्तृत परिवार ही है तथा यह अन्य समाजों में भी इसी रूप में परिलक्षित होता है। कुछ विशेष विशेषताओं से युक्त यह परिवार "सयुक्त परिवार" कहलाता है। एक संयुक्त परिवार की निम्न विशेषतायें होती हैं :-

1. सामान्य निवास
2. सामान्य चूल्हा या रसोई
3. सम्पत्ति में सहभागिता
4. सामान्य पारिवारिक पूजा
5. कर्ता की प्रभुता
6. पारिवारिक व्यवसाय में सहयोगिता

यूरोप के कुछ भाग, एशिया और जापान में अभी भी मिश्रित तीन पीढ़ियों वाले परिवार विद्यमान हैं। भारत में गैर हिन्दू तथा हिन्दु दोनों ही समाज में विस्तृत परिवार हमेशा विद्यमान रहे हैं।

भारत के शहरी क्षेत्र में संयुक्त तथा केन्द्रीय परिवार के अनुपात पर अनेक समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है। इस सबध में ए0 आर0 देसाई ने लिखा है कि शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा आधुनिककीकरण ने किसी हद तक परम्परागत संयुक्त परिवार को आधुनिक केन्द्रीय परिवार में रूपान्तरित किया है।

ए0 एम0 शाह ने अपनी पुस्तक **द हाउसहोल्ड डायमेन्शन आफ फैमली इन इण्डिया** में भारतीय परिवार का अध्ययन करते समय केन्द्रीय तथा संयुक्त परिवारों की समीक्षा की है। इस सम्बन्ध में हमें तीन आयाम दिखाई देते हैं:-

1. वास्तविक परम्परागत भारत ग्रामीण भारत ही था और संयुक्त गृहस्थी ग्रामीण भारत की प्रमुख विशेषता थी।

2. इसके विपरीत शहरी क्षेत्र नवनिर्मित हैं और प्राथमिक परिवार उनकी विशेषता है।

(बाहर से आकर बसने वाले प्राथमिक परिवार इसी कोटि में आते हैं।)

3. शहरीकरण के फलस्वरूप संयुक्त गृहस्थी का विघटन होता है तथा प्राथमिक गृहस्थी अधिक से अधिक निर्मित होती है।

उपरोक्त मान्यताओं को सममाजशास्त्रियों द्वारा किये गये अध्ययनों द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। कोलेन्डा (1968) ने पूना शहर के परिवारों का अध्ययन किया तो 42 प्रतिशत ही संयुक्त परिवार पाये गये। उसी शहर में लम्बर्ट ने जब औद्योगिक मजदूरों का अध्ययन किया तो सयुक्त परिवार व्यवस्था उनमें अधिक थी।

ए0 आर0 देसाई ने महुवा शहर (1964) का अध्ययन किया तो वहाँ संयुक्त गृहस्थी का अनुपात 58 प्रतिशत था तथा अधिकांश परिवारों में कई पीढ़ियाँ रहती हैं। 6 प्रतिशत परिवार तो ऐसे हैं जिनमें चार से अधिक पीढ़िया रहती हैं। कपाडिया ने पश्चिमी भारत के गांवों और कस्बों के सर्वेक्षणों में (1955, 1956, 1959) में पाया कि सयुक्त परिवारों की संख्या गाव से अधिक कस्बों में है तथा जितना बड़ा कस्बा होगा सयुक्त परिवार की संख्या उतनी अधिक होगी।

इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय में हम विस्तृत परिवारों की अधिक प्रतिशत पाते हैं। हम एक विस्तृत परिवार में प्राथमिक-द्वितीयक तृतीय तथा चतुर्थ नातेदारों को रख सकते हैं। उस विस्तृत परिवार में एक से अधिक विवाहित जोड़े (पति-पत्नी का एक जोड़ा) अपनी सन्तानों के साथ रहते हैं तथा एक से अधिक मामलों (खान पान यानी एक ही चूल्हा, उत्पादन क्रिया समाजीकरण आदि) मं भागीदारी होती है यह एक पीढ़ी (दो भाई अपनी-अपनी पत्नियों के साथ) का भी हो सकता है अथवा दो या दो से अधिक पीढ़ियों का। यह निर्भर करता है कि उस समूह में सदस्य कौन-कौन सम्मिलित है अधिकतर विस्तृत परिवार में दो या तीन पीढ़िया ही दिखाई देती है।

अन्सारी समाज में क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर परिवार का विश्लेषण

इलाहाबाद का अन्सारी समुदाय व्यवसायिक गतिशील समुदाय है। इस क्षेत्रीय अध्ययन का आधार वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन तथा साक्षात्कार है। सूचनादाताओं की सख्या एक सौ दस है यह सभी सूचनादाता विभिन्न पेशों तथा व्यवसायों से संबंधित हैं। इन सभी सूचनादाताओं के परिवारों को समाजशास्त्रीय वर्गीकरण प्रणाली के अन्तर्गत दो वर्गों में रखा जा सकता है। तालिका सख्या 1 में दोनों वर्गों को दर्शाया गया है।
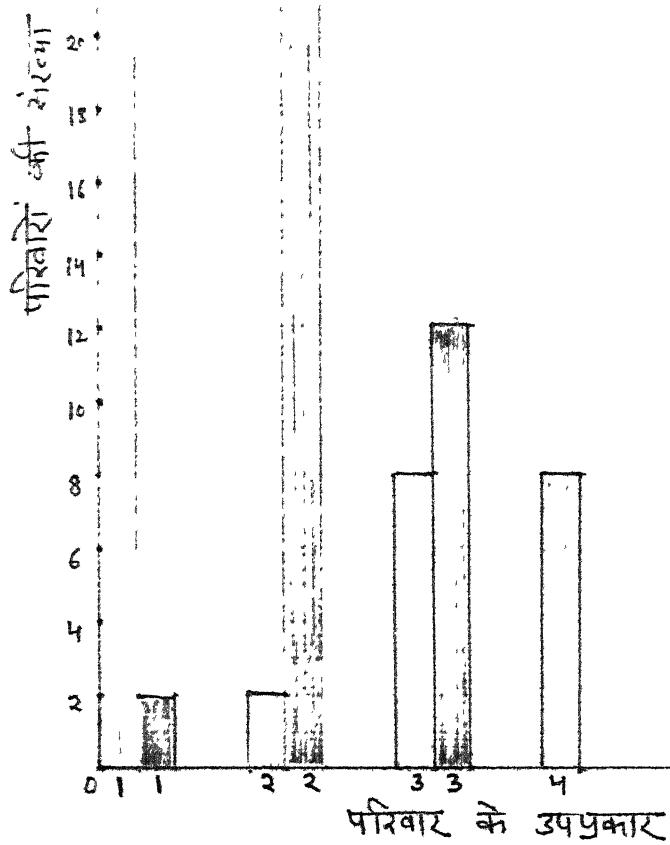
केन्द्रीय परिवार के उपप्रकारों (तालिका न०3:2) तथा विस्तृत परिवारों के उपप्रकारों (तालिका न०3:3) का बहुदण्ड चित्र (MULTIPLE BAR DIAGRAM)

तालिका 3.1

(प्रतिदर्शन 110)

केन्द्रीय	परिवार	विस्तृत परिवार	
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
48	44%	62	56%

अन्सारी समुदाय आधुनिक तथा परम्परागत दोनों प्रकार के पेशे से जुड़ा है अतः अन्सारी समुदाय में परम्पराओं तथा आधुनिकता का मिला जुला रूप दिखाई देता है। अतः शहरी समाज की विशेषताओं को देखते हुये कहा जा सकता है कि एक ओर केन्द्रीय परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ी है तो दूसरी ओर विस्तृत परिवार भी अपना विशेष स्थान बनाये हुये हैं यही कारण है कि अन्सारी समाज में केन्द्रीय परिवारों का प्रतिशत 44 है तथा विस्तृत परिवारों का 56 प्रतिशत है।

अन्सारी समुदाय में परिवार का संगठन

इलाहाबाद के अन्सारी समाज में पाये गये केन्द्रीय परिवारों को भी तीन कोटियों में बाटा गया है- यह केन्द्रीय परिवार में सम्मिलित सबधियों के आधार पर बताई गयी है क्योंकि केवल पति-पत्नी तथा अविवाहित बच्चों के आधार पर केन्द्रीय परिवार की उपस्थिति नहीं दर्शाई जा सकती है।

तालिका 3 :2

क. सं.	कुल संख्या = 48	संख्या
1.	केवल पति पत्नी	0.2
		(4%)
2.	पति-पत्नी तथा अविवाहित सन्तान	34
		(71%)
3.	पति-पत्नी तथा अन्य सम्बन्धी	12
		(25%)

केन्द्रीय परिवार में सम्मिलित सम्बन्धियों की कोटियाँ

तालिका संख्या 2 में केन्द्रिय परिवार में "सम्बन्धों के आधार" पर कोटियाँ बनाई गयी हैं। क्र0 सं0-1

के अनुसार केवल पति-पत्नी का भी एक केन्द्रक परिवार होता है।

क्रम सं0 2 की श्रेणी में केन्द्रीय परिवार में केवल पति-पत्नी तथा बच्चे हैं।

110 सूचनादाताओं मे 34 सूचनादाता इस कोटि के हैं। आंकड़ों से सिद्ध होता है कि इनका 71 प्रतिशत हे। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय तथा नौकरियों में यह कोटि पायी गयी है। क्रम संख्या-3 वाले कोटि में दम्पत्ति के अलावा अन्य सम्बन्धी सम्मिलित हैं। इनका प्रतिशत 25 है।

उपरोक्त कोटियों की पुष्टि कुछ विभिन्न वैयक्तिक अध्ययनों से की गई है। वैयक्तिक संख्या 5 में एक परिवार ऐसा है जो कुछ दिनों से इलाहाबाद में आये हैं। अलग मकान लेकर उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया इसी प्रकार वैयक्तिक अध्ययन 4 के अनुसार एक सरकारी वकील है उन्होंने अलग रहना इसलिये स्वीकार किया कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे जो संयुक्त परिवार में सम्भव नहीं था। इसी प्रकार एक परिवार में एक जूते बनाने के कारीगर हैं उनकी एक छोटी दुकान है। वे अपने पैतृक मकान में रहते हैं लेकिन मकान का बंटवारा हो चुका है वे अलग-अलग रहते हैं लेकिन उनकी माता अपनी इच्छानुसार सबसे बड़े बेटे के पास रहती है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है परन्तु वे किसी भी बेटे के घर रह सकती है अपनी इच्छानुसार।

अन्सारी समाज पहले अत्यन्त पिछड़ा समाज था शहर में व्यवसायिक गतिशीलता के कारण एक ही परिवार में सभी भाई एक व्यवसाय न करके अलग-अलग व्यवसाय करते हुये दिखाई देते हैं इस कारण भी परिवार केन्द्रीय स्थिति में बंट जाता है। इस कोटि में नौकरी पेशा परिवार अधिक सख्या में है। उसका भी कारण आर्थिक सहभागिता का परिवार में अलग-अलग होना है। "ख" स्टील ट्रक बनाने के कारखानेदार है। उनका परिवार केन्द्रीय है उन्होने अपने बड़े बेटे को विवाह के पश्चात् उसी मकान के दूसरे हिस्से में अलग व्यवस्था कर दी यह पूछने पर सभी अविवाहित बच्चों के साथ वे अपने बड़े बेटे की जिम्मेदारी ले सकते थे। लेकिन उन्होने जवाब दिया कि वह खुद कमाये और अपने परिवार का भरण-पोषण करे यद्यपि वे समय-समय पर उसकी आर्थिक मदद करते हैं (देखिये वैयक्तिक अध्ययन 9) एक अन्य सूचनादाता जूनियर इन्जीनियर हैं- विवाह के 20 वर्षों तक वे सयुक्त परिवार में अपने पैतृक निवास स्थान में रहते थे यद्यपि नौकरी में कई जगह वे स्थान्तरित किये गये और समय समय पर वे अपना परिवार अपने साथ रखते रहे लेकिन पिछले पांच वर्षो में उन्होंने अपना अलग निवास स्थान बनवा लिया है और वे अपने परिवार क साथ वहाँ रहते हैं उनके अन्य विवाहित भाई अपने-अपने परिवारों के साथ अपने पैतृक निवास स्थान पर रहते हैं लेकिन उनका व्यवसाय अलग होते हुये भी उनकी आर्थिक सहभागिता के कारण परिवार में सयुक्त स्थिति बनी हुयी है। "ग" ने एकाकी परिवार की स्थापना के पीछे मुख्य कारण बताया कि व्यक्तिगत स्वतत्रता का अभाव तथा रहने की

जगह कम पड़ रही थी। (उपरोक्त संदर्भ वैयक्तिक अध्ययन 23 से लिया गया है) इस अध्ययन से एकक परिवार की स्थापना के पीछे यह निष्कर्ष निकलता हे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी एक मुख्य कारण है एकल परिवार की स्थापना के लिये क्योंकि सयुंक्त परिवार में अनेकों केन्द्रीय परिवार के रूप में इकाइयाँ मौजूद रहती हैं और वे आसानी से जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाती है अलग हो जाती है।

भारतीय ढंग के परम्परागत परिवार समूह को प्राथमिकता देते हैं व्यक्ति को नहीं अ तः समूह का हित मुख्य होता है व्यक्ति का हित गौण होता है अब समय बदल गया है व्यक्तिवादी भावनायें धीरे-धीरे सबल होती जा रही है अतः केन्द्रीय परिवार स्थापित होते जा रहे हैं यद्यपि इलाहाबाद के पास मऊआइमा कस्बे में जिनमें 70 प्रतिशत अन्सारी समुदाय के लोग रहते हैं तथा परिवार अधिकतर संयुक्त है लेकिन सूचनादाता "घ" का परिवार केन्द्रीय है वे एक सरकारी अधिकारी है यद्यपि आस-पास उनके चार पीढ़ियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के नातेदार हैं वे पिछले दस वर्षों से अपने रहने की व्यवस्था अलग करके केन्द्रीय परिवार स्थापित कर चुके हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में केन्द्रीय परिवार आज भी अपनी परम्परागत संरचना से जुड़ा रहता है।

अधिकतर वे सूचनादाता जिन्होने पैतृक परम्परागत व्यवसायों को नहीं अपनाया बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रतिष्ठित व्यवसायें जैसे वकील इन्जीनियर शिक्षक आदि तथा कुछ ने पेशा भी परिवर्तित किया जैसे स्टल ट्रन्क कम बिकने लगा तो चमड़े रैक्सीन के बैग बनाने का कारखाना स्थापित किया। इस प्रकार के परिवार हैं जिसमें पति-पत्नी तथा अविवाहित बच्चे इस कोटि में आते हैं। तथा सरक्षकों अर्थात् माता तथा पिता की मृत्यु के बाद परिवार की संयुक्तता अधिकतर खत्म हो जाती है और एकल परिवार स्थापित हो जाता है हमारे अधिकाश उदाहरण इसी प्रकार के हैं।

तालिका- 3 : 3

विस्तृत परिवार के उप प्रकार

क्र. स.	सदस्यों के बीच सम्बन्ध	संख्या
1.	माता-पिता एक से अधिक विवाहित पुत्र और उनकी सन्तान तथा अविवाहित पुत्र पुत्री	34 55%
2.	माता-पिता अविवाहित सन्तान और विवाहित पुत्री	02 3%
3.	माता-पिता तथा विवाहित पुत्र तथा पुत्री	08 12%

4.	माता-पिता अविवाहित सन्तान पिता के	06
	भाई-बहन का परिवार	12%
5.	विवाहित भाइयों की पत्नियाँ एवं सन्तान	06
		7%
6.	विवाहित भाई बहनों की पत्नियां एवं सन्तान	04
		6%
	योग	62 (56%)

इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय में विस्तृत परिवारों का प्रतिशत 56 है ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की अपेक्षा अधिक प्रतिशत है। विस्तृत परिवार की संरचना की व्याख्या पिछले अध्याय परिवार के प्रकार के अन्तर्गत की जा चुकी है यहां हम विस्तृत परिवार में पाई जाने वाली कोटियों के आधार पर अन्सारी समुदाय के विस्तृत परिवार की व्याख्या करेंगे।

प्रथम उप प्रकार इसमें माता पिता तथा एक से अधिक विवाहित पुत्र उनकी सन्तान तथा अविवाहित पुत्री तथा पुत्री हैं। कुल विस्तृत परिवार का 55 प्रतिशत प्रकार इस कोटि में आ गये हैं। अतः निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं अन्सारी समाज में विस्तृत प्रकार के इस कोटि के परिवार सबसे अधिक है हमारी सूचनादाता "अ" जो 75 वर्षीय महिला है उनका परिवार इसी कोटि में आता है उनके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका है वे सभी अपने पैत्रृक आवास में रहते हैं- यद्यपि उनके व्यवसाय अलग है लेकिन रसोई एक है एक ही स्थान पर उन्नीस सदस्यों का परिवार है (वैयक्तिक अध्ययन 2 देखिये) "ब" भी एक महिला है उनके पति कपड़े के व्यापारी थे लेकिन उनके सभी बेटे अलग-अलग व्यवसाय करते हैं वे शिक्षित महिला हैं उनके पुत्रों की इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान, टी0 वी0 पार्ट्स की दुकान है। अतः व्यवसायिक गतिशीलता के कारण आधुनिक व्यवसाय को अपनाने की प्रक्रिया में विकास हुआ है।

दूसरा उप प्रकार माता-पिता अविवाहित सन्तान और विवाहित पुत्री की है। "स" एक व्यवसायी है उनका एक आधुनिक "धागे की रील" का कारखाना है उनकी दो पुत्रियों का विवाह हो चुका है बड़ी पुत्री अपने केन्द्रीय परिवार के साथ उनके पास रहती हैं- रसोई अलग नहीं है पति अलमारी बनाने का काम करता है। पिता की आर्थिक स्थिति पति के परिवार से अधिक सम्पन्न है यही कारण कि वह अपने ससुराल में स्थापित नहीं हो पायी वर्ग भिन्नता के कारण ऐसा हुआ है क्योंकि कोई व्यक्ति ऊचे वर्ग से नीचे नहीं जा पाता है यद्यपि यह 3 प्रतिशत है लेकिन अक्सर उन परिवारों की विवाहित लड़कियों को अपने माता-पिता के परिवार के अन्दर रहते देखा गया है जो अपने पिता से कम आर्थिक स्थिति में हैं।

इस्लाम में गरीब सम्बन्धियों को मदत (जकात) देने का आदेश है अतः नजदीकी सम्बन्धियों में पुत्री तथा बहन का पहला हक बनता है अतः मुस्लिम परिवार में उनकी स्थिति विवाह के बाद भी बनी रहती है। इस्लाम में पुत्री की पैदाइश को बरकत माना जाता है लेकिन मुस्लिम संस्कृति पहले भारतीय संस्कृति है अतः हिन्दू समाज का भी प्रभाव है- कुछ परिवार लड़कियों को अधिक महत्व नहीं देते हैं लेकिन अधिकतर लड़कियों को महत्व दिया जाता है।

(जकात = अपनी सम्पत्ति में से जरुरत मंद गरीबों को दान देना जकात कहलाता है)

तीसरा उपप्रकार माता-पिता विवाहित पुत्र तथा पुत्री का है।

"अ" सूचनादाता डिग्री कालेज में है वे अपने माता-पिता के पास रहती है। उनके विवाहित भाई भी पत्नी के साथ रहते हैं- उनकी एक तलाक शुदा बहन भी साथ रहती है। यह एक शिक्षित परिवार है यद्यपि वे अपनी ससुराल में भी रहती है लेकिन उनका अधिक समय अपने बच्चों के साथ माँ के पास बीतता है- यह एक कामकाजी महिला की भी समस्या है कि बच्चे कहां पर अधिक निगरानी में हैं जब तक वह काम के सिलसिले में बाहर रहती है (देखिए वैयक्तिक अध्ययन-1)। तलाक के बाद किसी लडकी का अपनी माता के घर के अलावा अन्य कोई स्थान नहीं रहता अतः वह भी परिवार का प्रमुख हिस्सा है।

"ब" सूचनादाता एक दुकानदार है उनकी पुत्री का विवाह उनके भाई के पुत्र से हुआ है अतः उनका दामाद उनका बेटा भी है वह अपने घर न रहकर अपने चाचा के घर जो उसके ससुर भी रहता है- दोहरे सम्बधों में यह व्यवस्था आसानी से हो जाती है वहाँ दामाद का ससुराल में रहना अनुचित की श्रेणी में नहीं आता है (देखिये वैयक्तिक अध्ययन 16)।

"स" सूचनादाता के परिवार बड़ा परिवार है उनके चार विवाहित पुत्र तथा एक एकलौती विवाहिता पुत्री भी साथ रहती है- यह विवाहित पुत्री पति के कुछ काम न करने पर साथ रहती है उसका पूरा खर्चा सभी भाई तथा पिता उठाते हैं। यह स्थिति कि कोई विवाहिता पुत्री विवाह के पश्चात् अपने ससुराल में न रहकर अपने पिता के परिवार में रहती है तो वह अधिकतर उसकी मजबूरी भी होती है।

आज भी शिक्षा का स्तर बढ़ जाने पर स्त्री शिक्षा का उच्च स्तर इस समाज में नहीं हो पाया है- यद्यपि वर्तमान समय में आर्थिक निर्भरता की ओर आवश्यक कदम बढ़े हैं लेकिन अधिकतर स्त्रियां परिवार की चहादीवारी में जीविकोपार्जन करती हैं-

विस्तृत परिवार की चौथे उप प्रकार में वे परिवार हैं। माता-पिता अविवाहित सतान पिता के भाई बहन और उनका परिवार आता है। सूचनादाता "क" गोटे के व्यापारी हैं- वे अपने माता तथा पिता के भाई के परिवार के साथ रहते हैं (वैयक्तिक अध्ययन 29) इस कोटि में कुल 12 प्रतिशत परिवार है।

उप प्रकार की पांचवी कोटि में विवाहित भाईयों की संतान अपने परिवारों के साथ रहते हैं सूचनादाता "क" बक्स बनाने वाले मजदूर हैं- इनके छोटे भाई दर्जी का काम करते हैं दोनों परिवार साथ-साथ रहते हैं- एक पैतृक मकान में एक साथ रहने के कारण वे अलग नहीं होना चाहते इनका कुल प्रतिशत 9% है (देखिए वैयक्तिक अध्ययन 15)।

उप प्रकार छठी कोटि में विवाहित भाई बहनों को पति तथा पत्नियां हैं इनका प्रतिशत बहुत कम है सूचनादता "ख" एक डाक्टर हैं उनके साथ उनके दो भाई तथा एक विधवा बहन का परिवार रहता है- वे अपने परिवार के साथ विधवा बहन के परिवार का भी पूर्णतया पालन पोषण करते हैं (देखिए वैयक्तिक अध्ययन 3) "ग" दूसरे सूचनादाता भी अपनी बहन के परिवार के साथ रहते हैं उनकी विवाहित बहन अपने पति तथा बच्चों के साथ उनके पास रहती है- इस कोटि का प्रतिशत 6% है।

सार तौर पर, अन्सारी परिवार भारतीय हिन्दु परिवार की तरह मुख्य रुप से केन्द्रीय तथा विस्तृत में परिवार में बंटा हुआ है। इलाहाबाद के अंसारी समुदाय का परिवार पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय, परिवार है। उत्तर भारत के सभी समुदायों के परिवारों की संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक व्यवस्था लगभग मिलती जुलती है क्योंकि कोई भी लघु समुदाय उस बृहद समुदाय का ही हिस्सा होता है जो उसके आस-पास होता है। इस सांस्कृतिक आत्मीकरण की प्रक्रिया को झुठलाया नहीं जा सकता- अतः असारी परिवार का ब्राह्य स्वरुप भारतीय हिन्दु परिवार की ही तरह है अंतर केवल धार्मिक विश्वास का है जिसके अन्तर्गत एक अंसारी परिवार के सदस्यों को कुछ सम्बन्धियों से विवाह की इजाजत दी गयी है जिसका विवरण अध्याय के आरम्भ में किया जा चुका है।

अंसारी समुदाय के परिवार में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या- अंसारी समुदाय एक पिछड़ा समुदाय है अतः वे अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिये काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। परिवार सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण प्राथमिक इकाई है तथा परिवर्तन की प्रथम कड़ी है अतः परिवार में होने वाला परिवर्तन व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रभावित करता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परिवार तथा व्यक्ति एक दूसरे के समानान्तर है अतः परिवर्तन की प्रक्रिया व्यक्ति से आरम्भ होकर परिवार में जाती है और परिवार से आरम्भ होकर व्यक्ति में- 1 परम्परागत आर्थिक संरचना के कुछ मुख्य तत्वों के दुर्बल हो जाने से ही परम्परागत समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्भर करती है। दो-तीन पीढ़ियों पूर्व असारी समाज की स्थिति बहुत दुर्बल थी। शिक्षा तथा व्यवसायिक उन्नति ने इस समाज की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। लेकिन एक परम्परागत सामाजिक संरचना में एक व्यक्ति को निरतर अपने को कायम रखने के लिए सतर्क रहना होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है यही कारण है कि शहरी समाज होते हुए भी केन्द्रीय परिवारों का

प्रतिशत 44 प्रतिशत तथा विस्तृत परिवार का प्रतिशत 56 प्रतिशत है उक्त आंकड़ों से निष्कर्ष निकलता है कि अंसारी परिवारों में परिवर्तित परिस्थिति में भी विस्तृत परिवारों का प्रतिशत अधिक है। अतः निष्कर्ष रुप से कहा जा सकता है कि अंसारी परिवार विविध रुपों में संयुक्तता के प्रभाव में है। अतः परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरुप ही केन्द्रीय परिवार कई एक रुप में दिखाई देता है यथा पति पत्नी तथा उनके बच्चें, केवल पति पत्नी अथवा एक केन्द्रीय परिवार में विधवा अथवा विधुर अपने सगे भाई के साथ रह सकता है (वास्तव में यह केन्द्रीय परिवार नहीं है)। भारत में विस्तृत परिवार परम्परागत प्रतिमान का प्रकार रहा है तथा धर्म भी संयुक्त परिवार की वयवस्था को बनाये रखने में योगदान देता है। यही कारण है कि वर्तमान अंसारी परिवार में परिवर्तन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विस्तृत परिवार अपनी स्थिति को बनाये रखने में प्रयत्नशील हैं। इसके साथ अन्सारी समुदाय में उच्च शिक्षा तथा पाश्चात्य प्रभाव के कारण व्यक्ति में उदारता, तार्किकता तथा व्यक्तिवादी दृष्टकोण पनपा है इसने पारिवारिक प्रतिमानों को पूर्ण से प्रभावित किया है। अतः तीन महत्वपूर्ण कारक दृष्टिगोचर होते हैं जिन्होंने अंसारी परिवार में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

(1) **नवीन विचार-** इस क्षेत्रीय अध्ययन में पाया गया कि शिक्षित तथा जागरुक सूचनादाता अपनी सामाजिक स्थिति को पिछड़ा मानने से इकार करते हैं क्योंकि वर्तमान समय में ये व्यक्ति की स्थिति का मानदण्ड जाति न होकर आर्थिक हो गया है तथा जातिगत निषेधों में अत्यंत कमी आ गयी है। सूचनादता "क" (वैयक्तिक अध्ययन 10) ने अपनी पुत्री का विवाह गैर अंसारी डाक्टर के लड़के से किया उनकी पत्नी के दो भाईयों का विवाह भी गैर अंसारी परिवारों में हुआ है अतः उनकी पत्नी का परिवार चूंकि आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाला है अतः उन्होंने भी अर्न्तजातीय विवाह के नियम को न मानकर गैर अंसारी में विवाह किया। निष्कर्ष स्वरुप सूचनादाता अपने पैतृक परिवार से परिवर्तित विचार लाया और उसका प्रभाव उनके अपने केन्द्रीय परिवार पर पूर्ण रुप से पड़ा। अन्य कई सूचनादाताओं ने भी उपरोक्त परिवर्तन को स्वीकार किया है (यद्यपि इस्लाम में किसी प्रकार के जाति भेदभाव नहीं है) इस प्रकार नवीन विचारों को अपनाने का सर्वप्रथम कार्य परिवार ही करता है जिसका प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पूर्णरुप से पड़ता है।

(2) **नवीन सामाजिक अनुमतियां-** यद्यपि इस्लामिक मान्यतायें स्त्री पुरुष को बराबर का दर्जा देती है तथा तलाक का अधिकार भी स्त्री को देता है। उच्च शिक्षा को कुरान में पहल अश में कहा गया है कि "शिक्षा प्राप्त करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए।" तथा पर्दा शरीर के उन हिस्से को ढकने के लिये कहा है जो किसी स्त्री को पुरुषों की नजर से बचाये तथा पुरुषों को भी नीचे नजर रखने की बात कहीं गयी जबकि हम उपरोक्त स्थितियों के विपरीत स्थिति पाते हैं न तो स्त्री को पुरुष के बराबर समझा जाता है और न ही उसे शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान किये जाते हैं- वर्तमान समाज में असारी समाज में ही नहीं बल्कि

सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय में परिवर्तित परिस्थितियों उत्पन्न हो चुकी हैं। वैयक्तिक अध्ययन के अन्तर्गत "ख" सूचनादाता बक्स बनाने वाले मजदूर है लेकिन वे अपनी दोनों पुत्रियों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं (देखिए वैयक्तिक अध्ययन ..15..) निम्न वर्ग से संबंधित कई सूचनादाताओं ने स्त्री शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया क्योंकि उनके अनुसार इस्लाम में कहा गया है कि एक स्त्री के शिक्षित होने का अर्थ है पूर्ण परिवार का शिक्षित होना।

अंसारी परिवार में पर्दा प्रथा भी परिवर्तित हो रही है वर्तमान समय में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अक्सर दिखाई देता है कि एक पचास वर्ष की महिला बुर्का सिर से पैर तक ढकी हुई मुस्लिम महिला की विशिष्ट ड्रेस) पहने हैं और उसके साथ 20 वर्ष की लड़की बिना नकाब के है। पारिवारिक वातावरण इस प्रकार का परिवर्तित हो चुका है कि पर्दे की स्थिति दिन पर दिन कम होती जा रही है गैर अंसारी सैयद जिनकी स्थिति जाति सरचना में सबसे अच्छी है एक प्रतिष्ठित हकीम है दस वर्ष पहले उनकी पुत्री ने घर पर प्राइवेट इण्टर तक परीक्षा पास की फिर महिला डिग्री कालेज में बी0ए0 किया। सख्त पर्दे का वातावरण उनके परिवार में था फिर विश्वविद्यालय जाने पर धीरे-धीरे पर्दे में छूट हो गयी। वर्तमान समय में वह पी0एच0डी0 कर चुकी है गोष्ठियों में पुरुषों के बराबर बैठती हैं आधुनिक छात्रा दिखाई देती हैं। यह पूछे जाने पर कि पर्दा प्रथा को उन्होंने कैसे छोड़ा उनके पिता का कहना था कि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। लड़कियों को बहुत दिनों तक पर्दे में अशिक्षित अब नहीं रखा जा सकता। इस्लाम में भी पर्दा एक अन्य अर्थ रखता है शरीर को ढ़कने का मतलब बुर्का पहनना नहीं है। पारिवारिक वातावरण सामाजिक वातावरण का ही हिस्सा है अतः उन्होंने समय के साथ चलना उचित समझा है। अतः परिवारों में नवीन सामाजिक अनुभूतिया जन्म ले चुकी हैं। एक अशिक्षित बीड़ी बनाने वाले मजूदर माता-पिता भी अपनी बेटी को शिक्षा दिलाना चाहते हैं। मुस्लिम महिला कालेज की प्रधानाचार्या ने बताया कि तीन चार दशक पहले माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये राजी करना पड़ता था वहीं आज उन्हें मना करना पड़ता है कि जगह नही है। जनसख्या का बढ़ना एक कारण है तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक जागरुकता-अंसारी परिवार में भी नवीन सामाजिक अनुभूतियां प्रारभ हो चुकी हैं जिसने परिवार का संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक स्वरुप को प्रभावित किया है।

(3) नवीन सामाजिक संरचनायें- व्यवसायिक सुविधाओं के बढ़ने स एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य अलग-अलग व्यवसायों में अलग-अलग स्थानों पर काम करने लगे हैं। एक ही स्थान पर अलग-अलग व्यवसाय ने उनकी आय को भी अलग-अलग कर दिया है परिणाम स्वरुप एक ही परिवार के सदस्यों के हितों, दृष्टिकोणों तथा आय में अंतर हो गया है। धार्मिक परम्पराओं का महत्व कम हो गया है उसके स्थान पर वैज्ञानिक, प्रजातात्रिक, और समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा है जिसने परिवार के

प्रतिमान को परिवर्तित करके एक नवीन सामाजिक संरचनाओं को निरोपित करने में योगदान दिया है। सूचनादाता "अ" ने स्वीकार किया कि उन्होंने केन्द्रीय परिवार स्थापित किया तथा परिवार में उनकी पुत्रियों की उच्च शिक्षा का कारण व्यक्तिक प्रयत्न बताया। (देखिय वैयक्तिक अध्ययन-4) उन्होंन नवीन सामाजिक परिस्थितियां पैदा की जिससे परिवार में परिवर्तन संभव हुआ। परिवर्तित स्थिति में भी एक केन्द्रीय परिवार के लोग अपने मूल परिवार (विस्तृत परिवार) के साथ दृढ़ भावात्मक सम्बध रखते हैं। यही कारण है कि अंसारी परिवार के सदस्य जन्म-विवाह मृत्यु आदि अवससरों पर सभी इकट्ठे होते हैं और अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार वित्तीय तथा अन्य दायित्वों को निभाते हैं तथा संयुक्त रुप में बने रहने की इच्छा में विश्वास काफी रुप में पाया गया है (वैयक्तिक अध्ययन 31)। अतः केन्द्रीय परिवार तथा विस्तृत परिवार दोनों में ही हमें परिवर्तन की मात्रा दिखाई देती है।

किन्तु व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर इसे एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सस्था माना गया है। समाज में मूलभूत कार्यों को करने के लिये कुछ निर्धारित तरीके प्रस्तुत किये हैं। नये सदस्यों का जन्म होना चाहिये, उनका समाजीकरण होना चाहिये तथा समाज व्यवस्था तथा कार्यों की क्रमबद्धता भी आवश्यक है। इन सब कार्यों को करने के लिये जिन मूलभूत संरचना का निर्माण किया गया है वही संस्था कहलाती है। इस प्रकार सस्था किसी कार्य को करने का व्यवस्थित ढंग है। संस्थाओं की स्थापना लम्बे समय के अन्तराल में होती है। दूसरे शब्दों में संस्था के नियम हैं जो किसी भी समूह के सदस्यों के व्यवहार को नियमित करते हैं तथा सचालित करते हैं इसी कारण मानव समाज अलग-अलग धर्मों के आधार पर बंटा होता है लेकिन प्रत्येक समाज में परिवार और विवाह जैसी संस्था मौजूद रहती है। उनके रीति-रिवाज विवाह के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन उन सभी के मूल आधार एक ही होते हैं।

समाजशास्त्र में "सस्था" से तात्पर्य मानदण्डों (आदर्श नियमों) की एक ऐसी व्यवस्था से है जो कि कार्य को करने के लिये शनैः शनैः विकसित हुयी है। पीटर बर्गर नामक समाजशास्त्री ने लिखा है कि सस्थायें वह पद्धति प्रदान करती है जिससे मानव व्यवहार एक निर्धारित प्रतिमान में ढलता है। समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह व्यवहार (नियम) उसकी आदत बन जाये। व्यक्ति यह समझता है कि कार्य करने का यही एक तरीका है। बर्गर ने इस सम्बन्ध में उदाहरण देते हुये कहा है कि कोई व्यक्ति अपनी यौन आकाक्षा की पूर्ति के लिये वेश्यालय जा सकता है बच्चे पैदा करने के लिये किसी महिला की व्यवस्था कर सकता है किन्तु यह सब न करके समाज ने उसे "विवाह की सस्था" प्रदान की हे जिसके अन्तर्गत वह एक स्त्री से विवाह कर पितृत्व प्राप्त करता है और अपनी भूमिका और कर्तव्यों का पालन करता है। अत विवाह सस्था व्यक्ति और समाज के बीच एक सन्तुलन बनाये रखती है।

जॉनसन (1990) ने संस्था को वह सकुल (Complex) माना है जो समाज द्वारा स्वीकृत मानदण्डों से निर्मित है। जॉनसन ने संस्था के अन्तर्गत जहाँ नियमों पर ध्यान दिया है वहीं भूमिकाओं के महत्व की भी चर्चा की है। उन्होने लिखा है कि "विवाह एक संस्था है जिसमें पति-पत्नी की भूमिकायें, सम्बन्ध तथा एक दूसरे के प्रति अपेक्षायें सम्मिलित हैं।"

मडार्क (1949:270) ने 250 समाजों जिनमें से अधिकांश लिपिहीन (आदिवासी) हैं के अध्ययन के आधार पर विवाह की परिभाषा निम्न प्रकार दी है सन्तान पैदा करने के अधिकार का अर्थ हुआ यौन-सम्बन्ध का अधिकार विवाह की संकीर्ण परिभाषा के अनुसार दो बातें और होनी चाहिये (1) एक ही घर में नियमित या सामान्य रतिकर्म (2) थोड़ा बहुत आर्थिक सहकार।

विवाह में आर्थिक सहकार का अंश भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न होता है। प्रारम्भ में अमरीकी कृषक

परिवारों में पति या पत्नी अपनी खेती के व्यवस्थापक और प्रमुख कार्यकर्ता होते थे पर आधुनिक शहरी समाजों में परिवार की आर्थिकता घर से बाहर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त उपयोग तक सीमित होती है।

यौन सम्बन्धी अधिकार में भी प्रत्येक समाज में अन्तर पाया जाता है। कम से कम चौतीस समाजों में एक पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ यौन-सम्बन्ध रख सकता है, अट्ठाईस समाजों में अपनी पत्नी की बहिन के साथ और छः में अपनी माता के भाई की पत्नी के साथ ऐसे विशेषाधिकार स्वेच्छा से नहीं मिल जाते जिन समाजों में यह पाये जाते हैं उन्हें विधिवत परीक्षण करके ही इन्हें समझा जा सकता है।

कठोर नियमों वाले समाजों में भी ये नियम यदा कदा भंग किये जाते हैं।

किन्ज तथा प्रमृति के (1948-1953) अपने अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है पूरे सैम्पल में यह पाया कि 26% महिलाओं तथा लगभग 50% पुरुषों ने 40 वर्ष की आयु से पहले विवाह पूर्व समागम कर लिये थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यौन सम्बन्ध के बारे में लोगों की निजी धारणायें उतनी दृढ़ नहीं होती जितनी कि उनकी सार्वजनिक धारणायें।

किन्जे रिपोर्ट दूसरी ओर यह भी बताती है कि मध्यम वर्ग में विवाह पूर्व यौन सम्बध के विरोध में कठोर नियम पाये जाते हैं। परम्परागत समाजों में कौन किसके साथ समागम करे इसे दृढ़ता से पालन किया जाता है। अंसारी समाज भी एक परम्परागत समाज है।

संस्थाओं के अन्दर सामाजिक सामान्यक (जिन नियमों को सामान्य रूप से सम्पूर्ण समूह स्वीकार करता है) होते हैं तथा किस प्रकार वे एक समूह में प्रचलित होते हैं दूसरे समूह में नहीं उदाहरण के लिये जैसे मुस्लिम समाज में बहुपत्नी प्रथा की आज्ञा है लेकिन इसाई समाज में नहीं। ये समाजिक सामान्यक निम्न तीन शर्तो को पूरा करते हैं तभी समाज में सस्थापित होते हैं।

1. उस समाज के सदस्यों को अधिकतम सख्या उस सामान्यक को स्वीकार करे।

2. उस सामान्यक को स्वीकार करने वालों में अधिकांश उसे गम्भीरता से ले मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे अपने भीतर आन्तरीकृत कर लें।

3. सदस्यों से यह अपेक्षा हो कि वे समुचित परिस्थितियों में सामान्यक से निर्देशित होंगे।

इस प्रकार कोई भी समाज अपनी सस्थाओं के द्वारा निर्देशित होता है इन्हीं के द्वारा वह पहचाना भी जाता है। कोई भी समाज विवाह को अनियमित नहीं होने दे सकता। इसको नियमित करने की आवश्यकता इससे प्रकट होती है कि बच्चों के पालन पोषण और प्रशिक्षण में सदैव ही ऐसे सामान्यक सम्मिलित होते हैं जो यह बताते हैं कि किन व्यक्तियों के साथ, किन परिस्थितियों में और किस प्रकार विवाह सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है, एक बार विवाह हो जाने पर क्या अपेक्षायें होंगी, और यदि आवश्यक हो तो सम्बन्ध को किस परिस्थितियों में तोड़ा जा

सकता है। किसी भी समाज में इन सामान्यकों का सम्पूर्ण ढांचा ही विवाह की सस्था है" (जौंनसन 1990, 148)।

राबर्ट हेन्सन ने समाजशास्त्र की 84 पुस्तकों में संस्था शब्द के अर्थ का विवेचन किया और पाया कि संस्था की परिभाषा को लेकर समाजशास्त्रियों में मतभेद है लेकिन अधिकांश परिभाषाओं में जो अर्थ उभर कर आता है वह है "सास्कृतिक रूप से प्रतिबन्धित व्यवहार" (जॉनसन, 1990)। टीमाशेफ के शब्दों में कोई भी सस्था नियमों का निकट से गुथा हुआ सामुच्य है जिसके द्वारा सापेक्षिक रूप से स्थायी रूप से समाज में व्याप्त तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह बात विवाह संस्था पर पूर्ण रूप से लागू होती है एक समूह के लोग सामान्य रूप से कुछ नियमों का प्रत्येक स्थान पर पालन करते हैं चाहे वह विभिन्न क्षेत्र में अलग-अलग क्यों न रहते हों। (टीमाशेफ, 1958)

गिलिन तथा गिलिन (1975) के अनुसार "विवाह एक प्रजननमूलक परिवार की स्थापना की समाज स्वीकृत विधि है"।

हॉबेल (1970) के शब्दों में, "विवाह सामाजिक नियमों का एक संकुल है जो विवाहित जोड़े के पारस्परिक, उनके रक्त सम्बन्धियों के उनके बच्चों के तथा समाज के प्रति सम्बन्धों को नियमित तथा परिभाषित करता है।"

मजूमदार तथा मदन (1958) के शब्दों में, "विवाह संस्था का सम्बन्ध एक विशेष सामाजिक स्वीकृति से है जो साधारण तथा कानूनी अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में होती है और जो दो विषम लिंगी व्यक्तियों के यौन सम्बन्धों को स्थापित करने और उनसे सम्बन्धित सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धों को स्थापित करने का अधिकार देती है।"

उपरोक्त विवाह सस्था की परिभाषाओं के आधार पर विवाह की निम्नलिखित विशेषतायें स्पष्ट होती है।

(1) विवाह के द्वारा यौन सम्बन्धों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है।

(2) सभी सस्थाओं में विवाह अधिक स्थायी संस्था है।

(3) विवाह द्वारा वंश की निरन्तरता सम्भव है।

(4) पति एव पत्नी बच्चों का पालन पोषण एवं एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं।

(5) विवाह सम्बन्ध उस समाज विशेष में प्रथा एव कानून के अनुसार होते है।

(6) विवाह के द्वारा आर्थिक सामाजिक एवं मानसिक सुरक्षा प्राप्त होती है।

(7) विवाह सस्था की प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता यह है कि विवाह सस्था में सस्कृति द्वारा परिभाषित मानदण्ड होते हैं जो कि सामाजिक सरचना में स्थिति विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। हर मानदण्ड के साथ मूल्य होते हैं और ये मानदण्ड पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होकर संस्थागत व्यवहार को मजबूत

बनाते हैं।

(8) विवाह में प्रतीकात्मक तत्व भी होते हैं। अर्थात् प्रत्येक समाज में विवाह सस्था के कुछ अलग-अलग प्रतीकात्मक तत्व दिखाई देते हैं जैसे हिन्दू विवाह में कन्या का सिन्दूर लगाना और उसकी पूरी प्रकिया, मुस्लिम बधु की अलग तरह की पोशाक तथा एक मुख्य जेवर जो बालों में झूमर कहलाता है सिर की दाहिनी ओर पहना जाता है। यह प्रतीक हुआ मुस्लिम वधु का।

अतः प्रत्येक समाज में प्रतीकात्मक चिन्ह उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं।

(9) विवाह सस्था में मौखिक तथा लिखित परम्परायें भी होती हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न ढग से वैवाहिक सम्बन्धों व अधिकारों की व्याख्या की जाती है और इसे विशिष्ट ढगों से संस्थागत रूप दिया जाता है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री एडमण्ड लीच ने ठीक ही कहा है कि विवाह अधिकारों का बण्डल है यह विचार समस्त समाजों पर लागू होते हैं।

परिभाषाओं, विवेचनों तथा विशेषताओं के आधार पर किसी भी समाज में सरल अथवा एकांकी या विस्तृत परिवार में विवाह सस्था द्वारा सम्पादित कार्य निम्न है :-

(1) किसी स्त्री की सन्तान को वैध पितृत्व प्रदान करना।

(2) पुरुष या पुरुष समूह द्वारा सन्तान को वैध मातृत्व प्रदान करना।

(3) स्त्री को यौन अधिकार प्रदान करना।

(4) स्त्री अथवा स्त्री समूह द्वारा पुरुष को यौनाधिकार प्रदान करना।

(5) स्त्री के आर्थिक कार्यों का पुरुष द्वारा अंगीकृत करना।

(6) पुरुष के आर्थिक कार्यों का स्त्री समूह द्वारा अंगीकृत करना।

(7) स्त्री की सम्पत्ति के प्रति पुरुष या पुरुष के समूह द्वारा आधिपत्य स्थापित करना।

(8) पुरुष की सम्पत्ति के लिये उसके प्रति स्त्री द्वारा आधिपत्य स्थापित करना।

(9) सन्तान द्वारा संयुक्त सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना।

(10) स्त्री तथा पुरुष के घरेलू समूहों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना।

उपरोक्त सामाजिक सस्था के अन्तर्गत विवाह सस्था का जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण है वह प्रत्येक समाज जेसे हिन्दू, मुस्लिम तथा इसाई समाज की विवाह संस्थाओं का मूल आधार है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह उस समाज के ढाचे की नीव है अतः प्रत्येक समाज में विवाह सस्था पाई जाती है क्योंकि विवाह सस्था का जो जैवकीय कार्य है वह प्रत्येक समाज में वही है। प्रतीकात्मक स्थिति में भिन्नता हो सकती है जैसे इसाई समाज में एक विवाह सामाजिक आचरण का एक भाग है परन्तु मुस्लिम समाज में बहु पत्नी विवाह सामान्य घटना है जबकि

एक विवाह का सम्बंध आचरण से है। अतः मुस्लिम समाज में भी बहु पत्नी विवाहों की संख्या बहुत कम होती है। हमने इस क्षेत्रीय अध्ययन में पाया कि 110 परिवारों में किसी भी सूचनादाता की एक साथ दो पत्नियाँ नहीं थी।

अत. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रत्येक समाज में विवाह सस्था का सामाजिक आधार मूलरूप से एक ही होता है।

2. इस्लाम में विवाह प्रणाली

मुस्लिम समाज का सम्पूर्ण सामाजिक संगठन "अल-कुरान" पर आधारित हे। "कुरान" खुदा (ईश्वर) द्वारा पैगम्बर को सम्बोधितत संवादों का एक क्रम है किसी विषय पर कुरान में जिक्र नहीं हुआ तो हदीस की सहायता ली जाती हे। कुरान ने मनुष्य को विवाह के लिये निर्देश देते हुये स्पष्ट किया है कि-

"उनसे शादी करो जो तुम्हारे बीच अकेले हैं और विवाह अपने गुलामों से करो पुरुष या औरत जो सही हो यदि वे गरीब है खुदा उन्हें दौलत मन्द बनायेगा। खुदा सबको गले लगाता है और सब कुछ जानता है।" (होली कुरान, आयत 24-32)

इस्लाम सभी स्त्री तथा पुरुष को विवाह से पहले विवाह के दौरान तथा विवाह समाप्त होने पर (अर्थात तलाक अथवा किसी एक की मृत्यु हो जाने पर) सरल, सादा तथा बिना श्रृंगार के रहने के लिये आदेश देता है। अपना साथी चुनने के लिये गुणों पर (अच्छाईयों पर) विचार करना चाहिये उसके भौतिक हिस्से को नहीं। पति को मुखिया की श्रेणी दी गयी है उसकी मुख्य जिम्मेदारी अपनी पत्नी तथा बच्चों का पालन पोषण करना है उसका मुख्य कार्य परिवार के बाहर है।

पुरुष को उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी के सन्दर्भ में पैगम्बर ने एक स्थान पर कहा है "जब खुदा तुम्हें समृद्धि से विभूषित करे तो सर्वप्रथम अपने तथा अपने परिवार पर खर्च करो" पति को कानूनी तौर से अपने परिवार की देखरेख के लिये कहा गया है यहां तक की पत्नी के पास अपनी सम्पत्ति भी क्यों न हो। रक्त सम्बन्धियों की मदद करनी चाहिये ऐसा अनेक स्थानों पर कहा गया है। ज़कात पर गरीब रिश्तेदारों का पहला हक है। इसी प्रकार उत्तराधिकार के कानून में भी यही जिम्मेदारी दिखाई देती है। एक व्यक्ति के माता पिता, दादा-दादी, नाना-नानी उसकी सम्पत्ति पर दावा रखते हैं। (देखिये, खुर्शीद अहमद, 1931: 21)

पैगम्बर ने विवाह के सम्बन्ध में कहा है कि "वह जो विवाह करता है अपने धर्म को आधा पूरा करता है" और बचे हुये धर्म के आधे काम को पूरा करने के लिये उसको कहा गया है कि वह सच्चरित्र रहकर बराबर खुदा के खौफ (डर) के साथ जिन्दगी बिताये। इस्लाम की दृष्टि से विवाह पुर्नउत्पत्ति का एक साधन है न कि वासना की इच्छाओं को सन्तुष्ट करने का साधन।" इसे पैगम्बर की हदीस के द्वारा और स्पष्ट किया गया है- "विवाह

करो और उत्पत्ति करो।"

इस्लाम विवाह के धार्मिक मूल्यों इसकी सामाजिक आवश्यकताओं तथा इसके नैतिक लाभों को मान्यता देता है।

इस्लाम धर्म में स्त्री तथा पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। स्त्री तथा पुरुष के लिये नैतिकता के अलग-अलग मापदण्ड नहीं है दोनों की नैतिकता का स्तर एक है। नैतिक मूल्यों का उल्लघन करने पर दोनों के लिये सजा समान है। इस्लाम में नैतिक गुणों की व्याख्या इस प्रकार की गयी है। खुदा में विश्वास रखना, जीवों की सेवा, इबादत करना, सच्चाई, सहनशीलता तथा दया, दान, विचारों तथा कृत्यों मे पवित्रता बनाये रखना। यह नैतिक गुण दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत आवश्यक है।

कुरान में कई सूरों में स्पष्ट किया गया है कि इस्लाम में स्त्री तथा पुरुष को समान अधिकार है। स्त्री तथा पुरुष को जगह जगह आदेश दिया गया है कि ज्ञान अर्जित करना महत्वपूर्ण है। इस्लाम में लिंग, प्रजाति, जनजाति, रक्त, स्थान, क्षेत्र तथा देश के आधार पर ग्रूप या समुदाय बनाना मना है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि इस्लाम में दोनों की (पुरुष तथा स्त्री) सामाजिक स्थिति समान है।

यह भी स्पष्ट है कि पारिवारिक मामलों के प्रबन्ध के लिये एक प्रबन्धक की आवश्यकता होती है। यह स्थान परिवार में मुखिया का होता है। अगर मुखिया न हो तो परिवार का प्रबन्ध बिगड जायेगा लेकिन स्त्री तथा पुरुष दोनों एक साथ परिवार में मुखिया का स्थान नहीं ले सकते इसलिये पुरुष को अधिक जिम्मेदार बनाने के लिये परिवार में मुखिया का पद पुरुष को दिया गया है। स्त्री परिवार की मुखिया रह सकने की स्थिति में नहीं है क्योंकि एक माँ का अपने परिवार तथा बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी बहुत होती है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि पुरुष उस परिवार का तानाशाह हो जाये। कुशल प्रबन्ध वही है जो आपसी विचार विमर्श एव सहयोग से किया जाय। इस्लाम आग्रह करता है कि परिवार को प्यार आपसी समझ तथा समाप्त न होने वाली करुणा पर आधारित होना चाहिये। इस सम्बन्ध में पैगम्बर ने कहा है "आप में से सबसे अच्छा वह है जो अपनी पत्नी के लिये अच्छा हो।" इसीलिये इस्लाम में विवाह को धार्मिक, साहस, सामाजिक आवश्यकता तथा नैतिक लाभों को मान्यता दी गयी है। परिवार के लिये कोशिश करना एक सामान्य व्यवहार है। कुरान की अनेक सूरे तथा मोहम्मद साहब के अनेक बयानों से विवाह तथा परिवार संस्था का महत्व स्पष्ट होता है। मानव प्रजाति विवाह संस्था की ही देन है।

पैगम्बर मोहम्मद के अनुसार- "विवाह मेरे सुन्नाह का एक भाग है जो कोई मेरे रास्ते से भाग जाता है वह हमारे बीच (हम में से) का नहीं है।" इस्लाम विवाह करने के लिये आज्ञा देता है । वह विवाह के बाहर सभी यौन सम्बन्धी रिश्तों को मना करता है। विवाह को अधिक से अधिक स्थाई स्वरूप देने के लिये कहा गया है और

हर सदस्य से आशा की जाती है कि वह परिवार तथा समाज में अपनी भूमिका अच्छी तरह अदा करे क्योंकि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। विवाह को एक विकल्प माना गया है जो पुरुष तथा स्त्री की इच्छाओ की पूर्ति करता है तथा जो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल आवश्यक है तथा यौन आवश्यकताओं पर नियंत्रण सामाजिक तथा सास्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। अतः इस यौन सम्बन्धी नैतिकता के लिये विवाह एक सुरक्षात्मक कपाट है तथा विवाह से सन्तुलन पैदा होता है। पैगम्बर मोहम्मद साहिब ने कहा है कि "ऐ नवजवानों तुम में से वे जो एक पत्नी को आश्रय/सहारा दे सकता है विवाह कर लेना चांहिये क्योंकि विवाह एक व्यक्ति को अनैतिकता से बचाता है।" एक स्थान पर पति तथा पत्नी के सम्बन्ध को जिस्म तथा कपड़े की तरह बयान किया गया है- "वे तुम्हारे लिये एक कपड़े की तरह है तथा तुम उनके लिये लिबास (कपड़ा) की तरह हो। (होली कुरान आयत 24, 25) इसका अर्थ है पति तथा पत्नी एक दूसरे के लिये कपड़ों की तरह है जो मनुष्य के शरीर की सबसे निकटतम आवश्यक वस्तु है जिस प्रकार कपड़ा शरीर की रक्षा करता है वैसे ही वह एक दूसरे की रक्षा करते हैं अर्थात एक दूसरे के अभिभावक होते हैं।"

विवाह के सम्बन्ध में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि "उस औरत से विवाह करो जो धर्म तथा चरित्र में उत्तम हो और तरक्की करो।"

इस प्रकार धर्म की विवाह के सम्बंध में एक निर्णयात्मक भूमिका बन जाती है। उस आधार पर व्यक्ति परिवार तथा नातेदारी व्यवस्था को निभाता है। मुसलमानों में विवाह के लिये "निकाह" शब्द का प्रयोग होता है। अरबी शब्द निकाह का अर्थ होता है स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाना। मुसलमानों में विवाह एक सामाजिक समझौता माना जाता है जिसका उद्देश्य घर बसाना, सन्तान उत्पन्न करना और सन्तानों को वैधतता प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह कानून का सार यही है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री कपाडिया लिखते हैं-

"इस्लाम में विवाह एक अनुबन्ध है जिसमें दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबन्ध का प्रतिफल अर्थात "मेहर" वधू को भेट की जाती है।"

मुसलमानों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये अनेक शर्तें (नियम) है जो निम्नवत हैं :-

1. स्त्री और पुरुष दोनों वयस्क (15 वर्ष से अधिक) हों, नाबालिगों के निकाह के लिये सरक्षकों की स्वीकृति आवश्यक है।

2. साक्षी अथवा गवाहों का होना आवश्यक है। सुन्नी विधि के अन्तर्गत प्रस्ताव और स्वीकृति दो वयस्क मुसलमान पुरुष तथा दो स्त्री गवाहों की उपस्थिति में होना आवश्यक है। शिया विधि के अन्ततर्गत विवाह में ही नहीं बल्कि तलाक के समय भी गवाहों का होना आवश्यक होता है।

3. एक स्त्री केवल एक पुरुष से विवाह कर सकती है। कोई स्त्री पहले पति के तलाक अथवा उसकी मृत्यु के बाद ही दूसरा विवाह कर सकती है परन्तु एक पुरुष चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है लेकिन उसे उन सभी स्त्रियों के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है अन्यथा वह पाप का भागी होगा।

4. विवाह के समय मेहर की राशि का भुगतान तुरन्त या बाद में किया जा सकता है। मुस्लिम लॉ के अनुसार, "मेहर-निकाह का एक महत्वपूर्ण अंग है। मेहर वह धन या सम्पत्ति (रुपये-पैसे, दीनार आदि) है जिसे पुरुष अपनी स्त्री के सम्मान में देता है अथवा देना कबूल करता हे। यह कन्याराशि अथवा वधु धन नहीं है।"

इस्लाम में विवाह सम्बन्धी आदेशों को सम्पूर्ण मुस्लिम समाज पालन करता है। पहले अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है कि इस्लाम को मानने वाले अपने आपको आपस में भाई-भाई मानते हैं। अतः अन्सारी जाति के विवाह सम्बन्धी रीति रिवाज वही है जो अन्य मुस्लिम जातियों में। विवाह सम्बन्धी निषेधों का पालन सभी मुस्लिम जातियाँ करती हैं, यह निषेध निम्न है :-

1 कोई पुरुष अपने धर्म से भिन्न अन्य धर्म की स्त्री से विवाह करना चाहे तो उस स्त्री को इस्लाम धर्म स्वीकार करना आवश्यक है अन्यथा विवाह वैध नहीं माना जायेगा।

2 अपने निकट के सम्बन्धियों में इन सम्बन्धियों से विवाह करने की इजाजत नहीं है जैसे मां बहन,, पोती-नातिन-भतीजी, भान्जी आदि।

3 सास, वधु, पत्नी की लड़की (सौतेली) या सौतेली मां के साथ भी विवाह करने की अनुमति नहीं है।

उपरोक्त विवाह सम्बन्धी नियम तथा निषेधों का पालन सम्पूर्ण मुस्लिम समाज में किया जाता है।

अन्सारी समाज में विवाह सम्पर्क की कोटियाँ

अन्सारी समाज एक परम्परागत समाज है। परम्परागत समाज इस कारण है कि ऐसे समाजों में व्यक्ति और उसके समूह का सम्बन्ध "आधुनिक औद्योगिक समाज" से भिन्न होते हैं। परम्परायें, रुढियां और लोक जीवन व्यक्ति को स्वय प्रशिक्षण देते हैं और सामाजिक क्रिया का बोध कराते हैं जहा पर अन्सारी लोग अधिक सख्या में है वहां अधिकतर परम्परागत पेशे से जुड़े हैं- इस आधार पर उनके आपस में सम्बन्ध भी नजदीकी है।

इलाहाबाद नगर के मुस्लिम आबादी का काफी बड़ा भाग अन्सारी जाति का है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में इनकी प्रतिशत 70% तक है। शहरी अन्सारी समाज परम्परागत होते हुए भी आधुनिक प्रक्रिया को काफी हद तक अपना चुका है। अतः जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह सम्बन्ध अधिकतर अपने ही नातेदारों में विवाह करने की परम्परा रही है वहीं स्थिति पिछले चार-पांच दशक पूर्व शहरी समाज में भी थी परन्तु शिक्षा के कारण आधुनिक व्यवसायों को अपनाने से उनकी परम्परागत स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

वर्तमान समय में अन्सारी समाज में विवाह सम्पर्क की तीन कोटि़यां हैं:-

(1) निकट के नातेदारों में विवाह।

(2) दूर के नातेदारों में विवाह।

(3) गैर-नातेदारों में विवाह।

क्षेत्रीय अध्ययन द्वारा उपरोक्त कोटियों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

निकट के नातेदारी में विवाह

निकट के नातेदार का अर्थ है एक माता-पिता की सन्तान, पिता के भाईयों की सन्तान, माता की बहनों की सन्तान, माता के भाईयों की सन्तान, माता की बहनों की सन्तान। इस आधार पर निकट के सम्बन्धियों की चार कोटिया बन जाती हैं:-

(अ) पिता के भाईयों की सन्तान।

(ब) पिता की बहनों की सन्तान।

(स) माता के भाईयों की सन्तान।

(द) माता की बहनों की सन्तान।

इस प्रकार अ. ब. स द उपरोक्त चारों कोटियों के निकट सम्बन्धियों में विवाह सम्भव है। पिछले पृष्ठों में इस्लाम में विवाह के नियम अध्ययन के अन्तर्गत इन नियमों की चर्चा की गयी है। वर्तमान समय में निकट के सम्बन्धियों में विवाह की दर कम हो गयी है। 110 सूचनादाताओं में केवल 24 सूचनादाताओं के विवाह निकट के सम्बन्धियों में हुए हैं। उनमें भी वे सूचनादाता जो चौथे तथा पाचवे दशक के पूर्व के हैं उनमें विवाह निकट के सम्बन्धियों में हुआ है। पिछले तीस वर्षों में इस प्रकार के विवाह की परम्परा में कमी आयी है। इस प्रकार क्षेत्रीय अध्ययन में इनकी संख्या 22% है।

निकट के सम्बन्धियों में विवाह सम्पर्क की चार कोटियां हैं:-

(अ) पिता के भाइयों की सन्तान में विवाह- पिता के भाईयों की सन्तान आपस में "चचा जात भाई-बहन" कहलाते हैं। ये आपस में विवाह कर सकते हैं। अतः करीब चालीस-पचास वर्ष पूर्व जब इस प्रकार के विवाह अधिक होते थे, उसका कारण था विवाह निकट के सम्बन्धियों में करना सबाब (पुन्य) का कार्य माना जाता था। पर्दा प्रथा कठोर थी। इस्लाम के अनुसार जिन-जिन व्यक्तियों का विवाह हो सकता था लड़कियों को उनमें पर्दा करना अनिवार्य था। अतः उनमें दूरी बनाये रखे जाती थी। विवाह से पहले पुरुष अधिकतर अजनबी होते थे।

केवल आठ सूचनादाताओं की उपस्थिति इस बात का परिचायक है कि आधुनिक मूल्यों को अपनाने के कारण जैसे शिक्षा में गतिशीलता, व्यवसाय में गतिशीलता, सत्ता तथा आर्थिक साधनों में परिवतर्तन ऐसी स्थितियों ने इस समाज के परम्परागत मूल्यों को हिला कर रख दिया। परिणामस्वरूप केवल आठ सूचनादाता आपस में "चचा जात भाई-बहनों" में विवाहित हैं। निम्न तथ्य वैयक्तिक अध्ययनों से उद्धृतत किये गये हैं।

(1) सूचनादाता "क" एक डाक्टर है उनके दादा-पर-दादा दो पीढ़ियों के लोग कपडे की फेरी लगाते थे। उनके पिता अर्थात तीसरी पीढ़ी में व्यवसाय में परिवर्तन हुआ। प्रथम महायुद्ध के समय वे सेना में नौकरी करने लगे। वे थोड़ा-बहुत पढ़े-लिखे थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और उच्च शिक्षा दिलायी। चूँकि वे इलाहाबाद में ही शिक्षित हुए थे अतः उन्होनें गाँव न जाकर शहर में प्रैक्टिस की। उन्होंने गाव की ही अपनी चचा-जात-बहन से विवाह किया है।

(2) "ख" एक लोहे का बाक्स बनाने वाले मजदूर हैं। उनके पिता, दादा तथा परदादा पीढ़ियों से यही काम होता चला आ रहा है। उनके दो बेटे हैं- एक ने अपने पिता के परम्परागत व्यवसाय को अपनाया है। दूसरा बेटा दर्जी का काम करता हे। सूचनादाता की पत्नी उनकी चचा जात बहन है। इनकी पत्नी की माता की आर्थिक स्थिति इनके परिवार से अधिक अच्छी है। वे बाक्स बनाने के कारखानेदार हैं। आपस में निकट के सम्बन्धी होने के कारण इस प्रकार के सम्बन्धियों में विवाह सम्भव है अतः नातेदारी की निकटता को जब वे महत्व देते हैं तो आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति गौण हो जाती है। ऐसी स्थिति में ही निकट के सम्बन्धियों में विवाह सम्बन्ध होते हैं (देखिये वैयक्तिक अध्ययन 15)।

(ब) पिता की बहनों की सन्तानों में विवाह- निकट के नातेदारों में विवाह सम्पर्क की दूसरी उपकोटि है। बोलचाल की सामान्य भाषा में आपस में ये "फूफी जात भाई-बहन" कहलाते हैं। निकट के नातेदारों में विवाह का कारण् परम्परात्मक परिवारों की संरचना, आपसी सम्बन्धों में अधिक विश्वास रखना आदि महत्वपूर्ण कारण होते हैं। उदाहरण के लिए सूचनादाता "ग" (वैयक्तिक अध्ययन-9) एक लोहे के बाक्स बनाने वाले कारखानेदार हैं। इनकी तीन पीढ़ियों में पहले से ही यह व्यवसाय होता आ रहा है। सूचनादाता की बुआ (पिता की बहन) का परिवार इलाहाबाद शहर में उनके ही मोहल्ले में है। दोनों परिवारों में बहुत ही अधिक निकटता है। अत. इनका विवाह अपनी फूफी जात बहन से हुआ है। इनमें दो बेटे परम्परागत व्यवसाय से जुडे हैं लेकिन उद्योग के इस क्षेत्र में भारी परिवर्तन आ जाने के कारण इनका तीसरा बेटा दर्जी का काम करता है निकट के नातेदारों में विवाह सम्पर्क को इस्लामिक मान्यता तथा सवाब (पुन्य) समझा जाता है। अत. इस सम्पर्क को अपनाया जाता था। वर्तमान अन्सारी समाज में इस प्रकार के वैवाहिक सम्पर्क को अब कम स्वीकारा जाने लगा है। 110 सूचनादाताओं में केवल छः सूचनादाताओं के इस प्रकार के सम्पर्क से विवाह हुआ है।

(स) माता की भाइयों की सन्तानों में विवाह सम्पर्क- अन्सारी समाज में "मामू जात भाई-बहनों" में विवाह कानूनी रूप से वैध है। अतः इस समाज में इस प्रकार के विवाह पाये जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी सख्या बहुत कम है, जैसे केवल छः सूचनादाताओं ने इस प्रकार का विवाह किया है।

सूचनादाता "अ" की चौक में क्राकरी की दुकान है उनकी दुकान तीन पीढ़ियों से है उनकी पत्नी उनकी मामू जात बहन है। उनके परिवार में अधिकतर इसी प्रकार के विवाह हुए हैं। अर्थात् परिवार में सम्बन्धियों में विवाह सम्पर्क को अधिक महत्त्व दिया जाता है। आपसी सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने के लिए इस प्रकार के विवाह सम्पर्क किए जाते हैं। सूचनादाता का विवाह निकटतम सम्बन्धी से हुआ है। इस कारण उन्होंने अपने बेटे का विवाह अपनी बड़ी बेटी की ननद (पति की बहन) से किया है उनकी बहू उनके बड़े भाई की बेटी भी है। (वैयक्तिक अध्ययन 16) निकट सम्बन्धियों में विवाह करना जो परिवार उचित समझते हैं वे इस पक्ष में कहते हैं कि परिवार को नजदीक से जानने के कारण वे लड़के अथवा लड़की के विषय में अधिक जानते हैं और इस सम्बन्धों से दोहरा मजबूत सम्बन्ध हो जाता है।

(द) माता की बहनों की सन्तानों में विवाह- माता की बहन की सन्तान आपस में "खाला जात भाई बहन" कहलाते हैं। "अ", "ब", "स" उपकोटियों की जो स्थिति है वही इस कोटि की भी है। (वैयक्तिक अध्ययन उन्नीस)। सूचनादाता "क" एक जूते की दुकान चलाते हैं वे जूता बनाते और स्वय उसे बेंचते भी हैं सूचनादाता के पिता नगरपालिका में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वे शिक्षित थे उनके अन्य तीनों भाई अलग-अलग व्यवसायों में जुड़े हैं। इनकी प त्नी के पिता स्टील की आलमारी के कारखानेदार थे जैसा कि पहले के अध्ययनों से ज्ञात होता है कि निकट के सम्बन्धियों में विवाह सम्बन्धों को और मजबूत करने के लिए किया जाता था। सूचनादाता "ख" बीड़ी के ठेकेदार हैं अर्थात ठेके पर बीड़ी बनवाते हैं इनका विवाह अपनी खाला जात बहन से हुआ है। इनकी पत्नी के परिवार में भी बीड़ी बनाने का काम होता है। इनकी पत्नी बनारस में रहती है लेकिन दोनों माताओं ने विवाह का फैसला काफी पहले लिया था और दोनों बहनों के परिवार इस सम्बन्ध से खुश थे लेकिन बाद में परिवार में बहुत झगडे होने शुरू हो गये। अतः निकट के सम्बन्धियों में जहां सम्बन्धों में मधुरता दिखायी देती है वहीं पहले सम्बन्ध के ऊपर दूसरा सम्बन्ध प्रभुत्व दिखाता दिखायी देता है।

निकट विवाह सम्पर्क

उपरोक्त कोटि के विवेचन से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं:-

1. निकट के उन्हीं सम्बन्धियों में विवाह सम्पर्क होता है जिन परिवारों के आपसी सम्बन्ध प्राथमिक होते है।
2. इस्लाम की मान्यता को प्राथमिकता देने की दृष्टि से भी आपस में विवाह करना पुण्य है। इस दृष्टि से भी

निकट के सम्बन्धियों में विवाह सम्पन्न किये जाते हैं।

3. पिछले तीन-चार दशकों में इस प्रकार निकट सम्बन्धों में विवाह सम्पर्क में कमी आयी है। ऐसा निम्न कारणों से हुआ है:-

(अ) शिक्षा की दर बढ़ने से।

(ब) व्यवसाय में गतिशीलता के कारण

(स) सत्ता तथा आर्थिक साधनों में परिवर्तन

(द) पर्दा प्रथा में कमी आने से।

(य) जैवकीय कारण के ज्ञान से कि अधिक निकट के रक्त सम्बन्धियों में विवाह होने से पैत्रिक दोष अधिक मात्रा में सन्तानों में आते हैं।

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर क्षेत्रीय अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात करने में सफलता मिली है कि केवल 110 सूचनादाताओं में से 24 सूचनादाताओं ने निकट के रक्त सम्बन्धियों में विवाह की यह प्रक्रिया दिखायी दी तथा नयी पीढ़ी में इसका अभाव देखा गया। इस प्रकार परिवतर्तन एक पीढ़ी और दूसरी पीढी की परिस्थितियों में दिखायी देता है इसे अन्तरपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं।

दूर के नातेदारों में विवाह सम्पर्क

अपनी जाति में विवाह सम्बन्ध भारत में हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों ही समाजों में अनिवार्य है क्योंकि जातियां अन्तर्विवाही होती है। अत. दूर के सम्बन्धियों में विवाह सम्बन्ध हो जाते हैं। इलाहाबाद का अन्सारी समाज मुस्लिम बहुसख्यक समाज है अतः अन्तर्विवाही होने के कारण अपनी ही जाति में विवाह भी आवश्यक है शिक्षा व अन्य कारणों से नजदीकी सम्बन्धियों में विवाह सम्बन्ध पहले की अपेक्षा कम हो गये हैं। पर्दा प्रथा में अत्यधिक कमी आयी है पिछले तीस चालिस वर्ष पहले पर्दा अधिक था तथा इस्लाम में नियम हैं जिनसे विवाह हो सकता है उनसे पर्दा करना अर्थात् उनके न तो सामने आया जा सकता है और न ही बातचीत की जा सकती है लेकिन यह स्थिति अब परिवर्तित हो चुकी है अतः नजदीक के सम्बन्धियों में जिनसे विवाह सम्भव है वे एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं और विवाह की सम्भावना कम हो जाती है- ऐसी स्थिति में पहला कारण भी प्रभावी हो जाता है तथा अधिक नजदीक के सम्बन्धियों में विवाह करने से अनुवांशिकी के दोष उभर सकने की सभावना अधिक हो जाती है।

सक्षेप में उपरोक्त कारणों से दूर के सम्बन्धियों में अधिक विवाह सम्पर्क होता है। दूर के नातेदारों को निम्न कोटियाँ हैं-

(1) पिता के भाई की पत्नियों के नातेदार में विवाह (पत्नियां के चचाजात भाई बहन)

(2) पिता की बहनों के पति के नातेदारों में विवाह

(3) माता के भाई की पत्नियाँ पत्नी के नातेदारों में विवाह।

(4) माता की बहनों के पति के नातेदारों में विवाह।

इस प्रकार एक सौ दस सूचनादाताओं में चालिस सूचनादाताओं का विवाह सम्बन्ध दूर के सम्बन्धियों में हुआ है।

1. पिता के भाई की पत्नियों के नातेदारों में विवाह सम्बन्ध- इस कोटि में सबसे अधिक बारह सूचनादाताओं का विवाह दूर के सम्बन्धियों में हुआ है। (देखिये वैयक्तिक अध्ययन 2) सूचनादाता एक 75 वर्षीय बृद्धा सम्पन्न परिवार की है उनके पिता नगरपालिका के सदस्य ब्रिटिश शासनकाल में थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह दूर के सम्बन्धियों में किया इसी प्रकार (देखिये वैयक्तिक अध्याय 22) सूचनादाता का बीडी बनाने का कारखाना है वह पिछली चार पीढ़ियों से इलाहाबाद शहर में रह रहे हैं उनका भी विवाह दूर के नातेदारों में हुआ है ज एक दर्जी है (देखिये वैयक्तिक अध्ययन 27) उनके पिता तथा दादा मजदूर थे घर बनाते थे. उनकी माता तथा दादी, पिता तथा दादी के नजदीकी संबंधी थे लेकिन तीसरी पीढ़ी में विवाह दूर के सम्बन्धियों में हुआ। इसी प्रकार वैयक्तिक अध्याय 28 के सूचनादाता के दादा शाहजहापुर से तबादला होकर इलाहाबाद आये थे वे रिटायरमेन्ट के बाद यहीं बस गये इनके पिता सरकारी चिकित्सालय में कार्य करते थे वे जब अवकाश प्राप्त किये तो उन्होंने मेडिकल स्टोर खोल लिया इनके छोटे भाई उसे देखते हैं लेकिन सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त है। सूचनादाता भी एक सरकारी विभाग में एकाउन्टेन्ट हैं इनका विवाह शाहजहाँपुर में हुआ जहाँ के यह रहने वाले हैं। पिता के भाई अधिक निकट के सम्बन्धी होते हैं। अत. भाई की पत्नियों के नातेदारों में विवाह की सम्भावना अधिक होती है।

2. पिता की बहनों के पति के नातेदारों में विवाह- इस प्रकार कुल दस सूचनादाता है जिनका विवाह दूर के नातेदारी में जो पिता की बहनों के पति के नातेदार हैं उनमें हुआ है (वैयक्तिक अध्ययन आठ)। एक महिला है इनका विवाह इस कोटि में हुआ है इनके पति कपड़े का व्यवसाय करते थे। इलाहाबाद नगर में कपड़े के व्यवसाय से बहुत से अन्सारी परिवार से जुड़े हैं। जैसे-जैसे व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ी है- वैसे-वैसे पैतृक व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय करने की प्रवृति भी बढ़ी है (वैयक्तिक अध्ययन 31) एक प्रतिष्ठित वकील है उनका विवाह भी इसी कोटि के अन्तर्गत हुआ है।

(3) माता के भाई की पत्नी के नातेदारों में विवाह- कुल आठ सूचनादाता हैं जिन्होंने इस प्रकार के विवाह सम्बन्ध स्थापित किये हैं (देखिये वैयक्तिक अध्ययन) तीन, सात, बत्तीस, चालीस। अठावन बासठ, सतहत्तर, पचानबे के सूचनादाताओं के विवाह इसी कोटि में आते हैं- अधिकतर जब परिवार अधिक सम्पन्न नहीं होते है तब

मातायें अपने पुत्र का विवाह अपने सम्बन्धियों में करती हैं तथा पारिवारिक सम्बन्ध जब अधिक होते हैं तब भी इस प्रकार के विवाह सम्बन्ध स्थापित होते हैं।

(4) माता की बहनों के पति के सम्बन्धियों में विवाह सम्बन्ध- 6 सूचनादाताओं के विवाह इस कोटि में आते हैं:-

दूर के नातेदारों में विवाह की कोटि के अन्तर्गत निकट के नातेदारों से अधिक विवाह सम्बन्ध दिखाई देता है उसका कारण है-

1. मुस्लिम समाज में धार्मिक रूप से सम्बन्धियों से विवाह को अच्छा माना जाता है लेकिन व्यवसायिक गतिशीलता के कारण तथा आधुनिकीकरण के कारण प्राथमिक संबंधों में काफी कमी आ गयी है और द्वितीयक सम्बन्धों की अधिकता के कारण भी दूर के नातेदारों में विवाह सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं।

2 पर्दा प्रथा में कमी आ जाने के कारण भी दूर के नातेदारों में विवाह संबध स्थापित किये जाते हैं।

3 स्त्री शिक्षा का स्तर बढ़ जाने के कारण उचित वर-वधू का चुनाव आवश्यक हो गया है अत निकट के नातेदारों में अगर सही चुनाव नहीं हो पाता तब दूर के नातेदारों में विवाह सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं।

इस प्रकार तैंतीस प्रतिशत विवाह हमें दूर के सम्बन्धियों में दिखाई पड़ते हैं जबकि उन्हीं परिवारों में उनके पिता अथवा दादा का विवाह निकट के सम्बन्धियों में हुआ है।

गैर नातेदारी में विवाह सम्बन्ध

विवाह सबध की तीनों कोटियों में सबसे अधिक विवाह सबध 45 प्रतिशत गैर नातेदारी में हुये हैं। शहरी समाज में व्यवसायिक गतिशीलता के कारण व्यवसाय का क्षेत्र बहुत विस्तृत है इस कारण केवल नातेदारी में ही विवाह सबध न होकर गैर नातेदारी में वर्तमान समय में अधिक विवाह संबध होते हैं। "क" एक महाविद्यालय में प्रवक्ता है उनकी बडी बहन का विवाह दूर के संबंधियों में हुआ था वह इन्टर तक शिक्षा प्राप्त घर में रहने वाली एक महिला थी जबकि "क" उच्च शिक्षा प्राप्त कामकाजी महिला है। उनका विवाह तीस वर्ष की आयु में गैर सबधियों में उच्च शिक्षित व्यक्ति से सम्पन्न हुआ (वैयक्तिक अध्ययन)। इसी प्रकार "ख" एक बिल्डिग कान्ट्रेक्टर है उन्होंने गुजरात से आकर इलाहाबाद में गैर संबंधियों में विवाह संबंध स्थापित किया कारण था शिक्षित पत्नी का चुनाव और यही वे बस गये गुजरात में वे अपने आपको परदेशी मानते थे उनके संबधी अधिक सख्या में इलाहाबाद में हैं लेकिन सामाजिक स्थिति में अपने बराबर के परिवार में संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने गैर सबंधी में विवाह किया (देखिये वैयक्तिक अध्ययन पाच)। "ग" सूचनादाता एक बैंक मैनेजर हैं उनके परिवार में दादा की पीढ़ी से सभी सरकारी नौकरी करते चले आये है व्यवसाय को महत्व नहीं दिया जाता है- वे एक बैंक में मैनेजर है

अतः उनका विवाह शहर के प्रमुख व्यवसायी की बेटी के साथ सम्पन्न हुआ उन्होंने स्वीकार किया कि इस विवाह का होना प्रमुख रुप से उनका बैंक की नौकरी है (वैयक्तिक अध्ययन)। "च" भी सेंट्रल स्कूल में प्रवक्ता हैं उनका विवाह भी इसी कोटि में हुआ उनकी पत्नी दूसरे शहर की हैं वे भी उच्च शिक्षित महिला हैं इनके परिवार में सभी भाई उच्च पदों पर हैं तथा सभी का विवाह गैर संबधियों में हुआ है। "छ" सूचनादाता चार-पांच पीढ़ियों से इलाहाबाद में हैं इन्होंने समय-समय पर व्यवसाय में परिवर्तन किया वर्तमान समय में वे एक धागे का कारखाना चलाते हैं उनकी पत्नी भी गैर संबंधी है।

इस प्रकार 45 प्रतिशत विवाह गैर-संबधियों में पाये गये हैं गैर-संबंधियों में वरीयता का आधार निम्न है।

(1) वर तथा कन्या को आर्थिक स्थिति के कारण भी इस प्रकार के विवाहों को अधिक मान्यता दी जाती है।

(2) पेशे तथा शिक्षा में समानता के कारण भी गैर सबंधियों में विवाह अधिक होते हैं- जैसे "क" रेलवे में सर्विस करते हैं उनकी पत्नी भी दूसरे शहर के एक रेलवे कर्मचारी की पुत्री है। (वैयक्तिक अध्ययन 46)

"च"(वैयक्तिक अध्ययन ग्यारह) की शिक्षित पत्नी के कारण गैर सबंधियों में विवाह करते हैं।

(3) एक ही शहर में रहने के कारण जो लोग गांव अथवा दूसरे शहर से व्यवसाय अथवा नौकरी के कारण यहा आकर रहने लगे हैं वे अपने पैतृक स्थानों पर सबंधियों से विवाह संबध न जोड़कर यहीं नजदीकी के कारण गैर संबधियों की वरीयता देते हैं।

(4) कुछ सूचनादाताओं के अनुसार प्राथमिक संबंधियों में विवाह इस कारण से सम्भव नही हो पा रहा है क्योंकि व्यवसायिक गतिशीलता के कारण सबधी दूर चले जाते हैं उनसे सपर्क सूत्र कम बन पाता है- इस सबंध में वे यह भी तर्क देते हैं कि आधुनिक समाज से अन्सारी समाज भी अछूता नही रह गया है नातेदारों का आपस में मिलना जुलना पहले की तरह नहीं हो पाता है- अतः प्राथमिक संबधों का शनैः-शनैः पतन होने लगता है- इस कारण विवाह अधिक से अधिक गैर नातेदारों में होता है।

(5) जिस प्रकार समानता के कारण गैर नातेदारों में संबंध स्थापित होते हैं इसके विपरीत आपसी नातेदारी में जब शैक्षिक असमानतायें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तब भी इस प्रकार के अधिक विवाह सबध स्थापित किये जाते है।

अतः सूचनादाताओं को गैर संबधियों में विवाह करने के जो तर्क दिये गये (देखिये वैयक्तिक अध्ययन 1, 5, 11, 21,)। उनके अनुसार वैवाहिक संबंध के दो पक्ष हैं-

पहला पक्ष यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि निकट के नातेदारों में विवाह सबध स्थापित करें परतु व्यवसाय तथा नौकरी के कारण वे दूर चले गये हैं जिससे इस प्रकार का सबंध बनाना सम्भव नहीं हो पाता है अतः विकल्प के तौर पर उन्हें मजबूरीवश गैर संबधियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना पडता है।

दूसरे पक्ष के अनुसार के सूचनादाता चाहते ही नहीं है कि उनका विवाह संबंध निकट के अथवा दूर के नातेदारों में हों वे गैर नातेदारों में विवाह सबध को महत्व देते हैं- जैवकीय कारणों से शिक्षित लोग परिचित हैं वे बहुत अधिक निकट के रक्त संबंधियों में विवाह नहीं करना चाहते। पर्दा प्रथा के कम हो जाने से भी आपस में बहुत अधिक एक दूसरे परिवार के कमियों को जान लेते हैं और पहले रिश्ते के ऊपर दूसरा रिश्ता नहीं बनाना चाहते परम्पराओं का आधुनिकीकरण भी कारण है- चार-पांच दशक पहले समाज में संबधियों के बीच विवाह को धार्मिक मान्यता के आधार पर अधिक महत्व देने की प्रवृति थी परंतु वर्तमान में इन परम्पराओं को छोड़ने की प्रवृति के कारण गैर संबधियों में अधिक से अधिक विवाह सम्पन्न हो रहे हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सबसे कम 22 प्रतिशत विवाह सम्बध निकट के सम्बन्धियों में हुए हैं, दूर के नातेदारों में विवाह सम्बंध 33 प्रतिशत है तथा गैर नातेदारों में विवाह सम्बध 45 प्रतिशत है जो सबसे अधिक है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धीरे-धीरे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरुप दूर तथा गैर सम्बन्धियों में विवाह सम्बंध की प्रवृति बढ़ती दिखाई देती है।

अंसारी समाज में विवाह प्रक्रिया

मुस्लिम समाज में विवाह निकाह के द्वारा सम्पन्न होता है। पिछले पचास वर्षों में जिस प्रकार अन्य समुदायों में परिवर्तन आया है उसी प्रकार असारी समुदाय में भी विवाह पद्धति में परिवर्तन दिखाई देता है। वंशावली तथा वैयक्तिक अध्ययनों के आधार पर विवाह प्रक्रिया को हम दो भागों में रखकर विश्लेषण कर सकते हैं।

1 परम्परागत विवाह प्रणाली की रीतिया

2. वर्तमान विवाह प्रणाली की रीतियां।

उपरोक्त विश्लेषणों को हम पीढ़ियों में आने वाला अंतर भी कह सकते हैं क्योंकि प्रकार्यात्मक रीतिया उस समुदाय की परम्परागत रीतियों को भी झकझोरती है। इसके फलस्वरुप वर्तमान में जो प्रणाली परिवर्तित हो जाती है वह ही उस समुदाय की वास्तविक सरचनात्मक स्थिति बन जाती है। अत: परम्परागत तथा वर्तमान विवाह प्रणालियों के आधार पर हम असारी समुदाय का विश्लेषण निम्न प्रकार कर सकते हैं।

1 परम्परागत विवाह प्रणाली की रीतियां

पिछले चार पांच वर्ष पूर्व विवाह पद्धति का स्वरूप भिन्न था अपने क्षेत्रीय अध्ययन में वृद्ध पुरुष तथा महिलायें जिनकी आयु साठ वर्ष से. ...सत्तर वर्ष है (वैयक्तिक अध्ययन स0 2, 7, 17, 24, 44. 53, आदि)। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान विवाह पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ चुका है। पिछले चार-पाच दशकों में यह समुदाय वर्तमान समय से और भी सरल रहा होगा तथा उसकी सरचना का स्वरुप कार्फी सरल रहा होगा-

द्वितीय अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है कि यह समाज मुस्लिम जातिगत सोपान क्रम में निचली स्थिति में स्थित है। अतः अधिकतर निचली जातियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है। अतः पिछले वर्षों में विवाह की पद्धति जितनी सरल तथा स्पष्ट थी। वह वर्तमान समय में जटिल हो चुकी है। समाज उच्च, मध्यम तथा निम्न वर्ग में पूर्ण रुप से विभाजित हो चुका है। अत विवाह पद्धति में भी वर्ग का प्रभाव पूर्ण रुप से दिखाई देता है।

पहले से समय में विवाह प्रक्रिया सरल थी। मगनी जैसी रस्में नहीं होती थी। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि विवाह का स्वरुप पूर्ण से धार्मिक रहे। "तारीख रखना" मुख्य रिवाज था। निकाह से पहले अधिकतर स्त्रियां ही लड़की देखने का कार्य करती थी। नजदीकी कजिन में अथवा दूर के नातेदारों में लड़के-लड़की का चुनाव पहले अधिक होता था। पर्दा अधिक था। लड़कियों में शिक्षा का अभाव था फिर भी वर की बुजुर्ग स्त्रियां लड़की को देखकर उस परिवार को विवाह की सहमति दे देती थी। तब वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के यहां जाते थे। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता था। अधिकतर वह व्यक्ति नातेदार ही होता था। बातचीत तय हो जाने पर "तारीख रखने" की रस्म होती थी। उस दिन कन्या पक्ष के यहां वर पक्ष के सम्बधी जाते थे। निकाह की तारीख तय करते थे। स्त्रिया नहीं जाती थी। कन्या पक्ष अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वर पक्ष को खिलाता पिलाता था। वर पक्ष तारीख रखने वाले दिन मिठाई लेकर जाता था। जितनी मिठाई होती थी उस आधार पर कुछ रुपये जैसे इक्कावन रुपये या एक सौ एक रुपये अथवा इससे अधिक कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के सबसे नजदीकी सम्बधी का रुमाल में रखकर देते थे और विवाह होना निश्चित मान लिया जाता था।

तारीख रखने तथा निकाह की तारीख के बीच अगर मुख्य पर्व ईद होती थी और ऐसा अधिकतर होता था क्योंकि विवाह सम्बन्ध में किसी भी पक्ष को जल्दबाजी नहीं होती थी। कभी-कभी तारीख रखने तथा निकाह की तारीख के बीच दो या तीन ईद का अंतराल भी आ जाता था। इस बीच वर पक्ष की ओर से कन्या को ईदी जाती थी। उसके लिये नया कपड़े का जोड़ा, जेवर, मिठाई आदि। कन्या पक्ष भी वर के लिये ईदी भेजता था। इस बीच जितने भी त्योहार होते थे। उनमें दोनों पक्ष एक दूसरे को उपहार देते थे। अधिकतर लोग मेहर की रकम भी इस बीच तय कर लेते थे।

अंसारी समाज में निकाह

निकाह मुस्लिम विवाह की मुख्य विधि है निकाह होने के पश्चात विवाह हो गया माना जाता है। अधिकतर बारात रात्रि में जाती है। दूल्हे घोड़े अथवा कार में शेरवानी पैजमा तथा साफा पहनकर जाता है कुछ सूट वगैरह भी पहनते हैं। उनके चेहरे पर सेहरा रहता है। पारम्परिक तरीके में कुछ लोग वर के चेहरे को नहीं ढकते हैं

केवल एक माला गले में होती है और सर पर केसरिया साफा होता है बारात में किसी तरह के बाजे का उपयोग नहीं होता है लेकिन जो बारात घोड़े कार तथा बाजे के साथ जाती है वह आधुनिक तरीका है।

कन्या पक्ष के पिता तथा नजदीकी रिश्तेदार बारात का स्वागत करते हैं। उसके उपरान्त निकाह की तैयारी होती है। दोनों पक्षों के अलग-अलग मौलवी होते है। पहले कन्या का निकाह होता है। कन्या परदे के पीछे घर की महिलाओं के साथ बैठती है। मौलवी कन्या को उसके मेहर की रकम बताकर उसके पति तथा ससुर का नाम लेकर उसे निकाह की मंजूरी देने को कहता है। वधू के हाँ कहने पर उसे पुन: दोहराया जाता है। वधू फिर हां कहती है। कन्या के हां कहते ही कन्या का निकाह हो जाता है। वधू तथा वधू के पिता का नाम लेकर कुछ आयतें पढ़ी जाती है। वर के हां कहने पर निकाह की प्रकिया पूरी मान ली जाती है। वर पक्ष के लोग वर को मुबारकबाद देते है। उससे हाथ मिलाते हैं। गले मिलते हैं। वधू के पिता तथा अन्य नजदीकी सम्बन्धी भी हाथ मिलाते तथा गले मिलकर मुबारकबाद देते है। वर पक्ष की तरफ से चीनी तथा छुआरा बांटा जाता है। वर पक्ष की हैसियत अगर ऊची है तो चीनी छुआरे के साथ सूखे मेवे के पैकेट बनाकर बांटने की प्रथा है। लेकिन मुख्य चीज चीनी तथा छुआरा है।

वर्तमान समय में मगनी तथा तारीख रखने का काम एक ही समय में किया जाने लगा है क्योंकि वे अधिक से अधिक खर्च इस अवसर पर करना चाहते हैं अत: दोनों रिवाजों को एक साथ करते हैं ओर समय की भी बचत हो जाती है- दूसरे शहर में विवाह होने पर वे बार-बार जाने से बच जाते हैं।

बारात वाले दिन वर पक्ष के निवास स्थान पर वर के परिवार के सभी नातेदार अर्थात भाईयों बहनों के परिवार (प्राथमिक, द्वैतीयक, तृतीयक नातेदार) पड़ोसी, दोस्त सभी सायंकाल के भोज में शामिल होते थे। यह भोज समाप्त होते-होते आधी रात हो जाती थी फिर बारात की तैयारी में लोग लग जाते थे। बारात प्रात:काल तीन अथवा चार बजे तक तैयार हो जाती थी। दूल्हा (वर) सूरज निकलने से पहले पढी जाने वाली नमाज (फजिर की नमाज) पढकर कन्या पक्ष के यहां प्रात. छ: से सात के बीच पहुंच जाते थे। बारात पैदल जाती थी। दूल्हा भी पैदल जाता था। उसके चेहरे पर फूलों का सेहरा तथा गले में माला होती थी। केसरिया रग का साफा दूल्हे तथा बाराती पुरुष पहनते थे। स्त्रिया बारात के साथ नहीं जाती थी। वे बाद में दोपहर के खाने के समय पहुचती थी उनके आने का किराया कन्या पक्ष का कोई व्यक्ति अदा करता था।

शाम के बाद अथवा पहले कन्या को विदा कर दिया जाता था।

क्षेत्रीय अध्ययन के समय सूचनादाताओं ने बताया कि पहले बारात रात्रि में आती थी तथा दूसरे दिन अथवा तीसरे दिन बारात विदा करने का रिवाज था। यह रिवाज गांवों में अधिक था- हिन्दू समाज के अन्तर्गत उच्च हिन्दू जातियों तथा मुस्लिम अशरफ जातिया (सैयद, शेख, पठान) इसी प्रकार विवाह करते थे- लेकिन जब वे

लोग बारात प्रातः लाने लगे तथा सायंकाल विदा करने लगे तो यह प्रथा अन्य मुस्लिम जातियों में भी अपनायी जाने लगी। समय के साथ-साथ बारात आने और जाने के बीच का समय घटता गया। कुछ ही परिवारों में मेहर की रकम तारीख वाले दिन तय की जाती थी। वरना निकाह के पहले दोनों पक्ष के लोग मौलवी की उपस्थिति में मेहर की रकम तय करते थे। वह रकम शरीयत अर्थात् इस्लामिक नियमानुसार वर की हैसियत को देखकर तय की जाती थी। उस समय इस रकम को लेकर वाद-विवाद नहीं होता था।

निकाह के समय ९७ प्रतिशत अंसारी समुदाय में मेहर की रकम तय होती थी। तारीख तय करते समय मेहर की रकम तय करने वालों का प्रतिशत बहुत कम था। इसे अच्छा नहीं माना जाता था। ग्यारह रुपये एक अशरफी अथवा इक्कीस रुपये, इक्कावन रुपये, एक सौ एक रुपये अथवा पांच सौ एक रुपये तथा एक अशरफी के साथ अथवा केवल रुपया तय किया जाता था।

कन्या पक्ष अपनी सामर्थ्य के अनुसार "उपहार" देता था। पलग, कुछ आवश्यकता के अनुरुप बर्तन, कन्या को कपड़े, साइकिल, अगूठी आदि देने का रिवाज था। चूंकि इस्लाम में विवाह को सुन्नत कहा गया है और विवाह का अर्थ आधा धर्म पूरा करने से है। अतः धार्मिक पवित्रता की भावना सेविवाह सम्पन्न करना अति आवश्यक समझा जाता था।

उपहार

उपहार शब्द इसलिए उचित है क्योंकि वह मर्जी से दिया जाता था। काफी समय तक दहेज जैसा शब्द इस समाज में नही इस्तेमाल हुआ। यद्यपि वे उपहार में दहेज ही शब्द इस्तेमाल करते हैं लेकिन यह मागा नही जाता है। मागने वालों को उस समय समाज अच्छी निगाह से नहीं देखता था। यह प्रयत्न किया जाता था कि विवाह का स्वरुप धार्मिक अधिक से अधिक रहे। नकद रुपये का चलन न होने के करण दहेज शब्द का प्रयोग इस अर्थ में उस समय नहीं होता था।

(वर्तमान समय में परिस्थितिया परिवर्तित हो चुकी है। अधिकतर दहेज लिया तथा दिया जाने लगा यह सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ गया है।)

वर्तमान विवाह प्रणाली की रीतियां

पिछले दो दशकों में इस समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। चूंकि परिवर्तन किसी भी समाज की विकासवादी प्रक्रिया का ही भाग होता है तथा विशेष देश काल तथा परिस्थिति में समय-समय पर परिवर्तन होता आया है। सामाजिक व्यवस्था में बाहर की घटनाओं को जब कोई व्यवस्था स्वीकार करती है तो उसके उदगम तथा

स्वरुप दोनों में परिवर्तन दिखाई देता है। विकास की प्रक्रिया क्रमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि परम्परायें बनी तो रहती है परंतु निरन्तर परिवर्तन के सांचे में ढ़लती हुई आगे बढती है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि पांच तथा छः दशक पहले यह समाज अत्यंत पिछड़ा तथा निम्न स्थिति में रहा होगा। वर्तमान समय में विवाह की प्रक्रिया में अत्यत परिवर्तन आ चुका है। इसका सरचनात्मक स्वरुप ही बदल गया है जिसने उसकी प्रकार्यात्मक स्वरुप की सरलता को समाप्त किया है और विवाह की प्रक्रिया को जटिल स्वरुप प्रदान किया है।

वर्तमान रीतियां मुख्य निम्न है :-

1. **मंगनी-** पहले यह रिवाज नहीं था। यह रिवाज पूर्णतया हिन्दू समाज में था लेकन वर्तमान समय में यह रिवाज पूर्ण रुप से मुस्लिम समाज द्वारा अंगीकार कर लिया गया है। मुस्लिम समाज में वर पक्ष के लोग विवाह की बातचीत पहले शुरु करते हैं अतः मगनी के लिये पहले वर पक्ष के लोग कन्या के यहा जाते हैं उनमें वर पक्ष के सगे सम्बधी होते हैं वे वधू को अगूठी अथवा जेवर, कपड़ा, मिठाई, फल, रुपया आदि उपहार देते हैं।

क्षेत्रीय अध्ययन में यह पाया कि वर्तमान समय में कन्या पक्ष की तरफ से वर को पहले देख लिया जाता है। जब कन्या के माता पिता तथा नजदीकी नातेदारों के द्वारा वर का चुनाव कर लिया जाता है तब औपचारिकता को पूरा करने के लिए वर पक्ष के कुछ नातेदार सम्बंधी कन्या के यहा आते है पहले वर पक्ष की महिलायें नहीं आती थी। वर्तमान समय में आती हैं। वे अपने साथ अन्य सम्बन्धियों को भी लाती है। कन्या को अगूठी पहनाने के उपरान्त उसको सभी महिलायें जैसे उसकी जिठानी, विवाहित ननद, सास, अन्य बड़ी महिलायें रुपया वधू की गोद में देती है।

लेकिन अभी भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो अधिक धार्मिक प्रवृति के हैं यहाँ जहाँ इस प्रकार के रिवाज नहीं है। वे इस्लामिक तरीके से ही विवाह विधि सम्पन्न करते हैं। वर पक्ष की महिलायें कन्या को देख लेती हैं तथा उनकी राजमंदी होती है तो वर पक्ष के कुछ पुरुष सम्बधी कन्या के यहां जाकर तारीख तय करते हैं। किसी प्रकार का लेन देन नहीं किया जाता है वे मिठाई ले जाते हैं उसके बदले में रुपया दे दिया जाता है।

इस क्षेत्रीय अध्ययन में इलाहाबाद के सभी व्यवसायिक समूहों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि जिनका विवाह पिछले तीन चार दशक पहले हुआ है उनमें यह रीति नहीं पायी गयी वर्तमान में जो परिवार आधुनिक व्यवसाय से सम्बन्धित है तथा जिनकी उच्च सामाजिक स्थिति है उनमें 90 प्रतिशत लोगों के विवाह में आधुनिक रीति रिवाजों का पालन हुआ है।

प्रोफेसर योगेन्द्र सिंह ने भारत में इस्लामीकरण में लघु तथा दीर्घ परम्पराओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार इस्लामीकरण की प्रक्रिया में मुसलमानों की सास्कृतिक स्थिति में परिवर्तन लाने वाले अन्य कारकों में

एक प्रमुख कारक है "धर्म परिवर्तन"। धर्म परिवर्तन परम्परागत ने कला-कौशल पेशे तथा व्यवहारों को अपनाये रखा और अपनी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ इस्लामिक परम्पराओं में हिन्दू परम्परायें बनी रही। उदाहरण स्वरुप हमें बहुत से रीति रिवाज मुस्लिम समुदाय में हिन्दू समुदाय के दिखाई देते है तथा विवाह सम्बधी रीति रिवाजों में इनकी प्रचुरता दिखाई देती है।

दूसरी रीति विवाह की तारीख रखता है

2. तारीख रखना- वर्तमान समय में इस रीति में अत्यधिक परिवर्तन आ चुका है बहुत धूमधाम से मंगनी करने के पश्चात कुछ लोग उसी समय विवाह की तारीख भी तय कर लेते है नही तो मंगनी करने के पश्चात वर पक्ष के कुछ प्रमुख नातेदार सम्बंधी कन्या पक्ष के यहा जाते है और वहा बैठकर विवाह की तारीख तय कर लेते है। इसी समय मेहर की रकम भी कभी-कभी तय की जाती है।

3. अन्सारी समुदाय में विवाह में मेहर- सामाजिक और धार्मिक कानूनी दृष्टि से स्त्री को मेहर प्राप्त करने का अधिकार इस्लाम में दिया गया है। इस्लामिक कानून के अनुसार मेहर की रकम विवाह के पूर्व, विवाह के समय या उसके पश्चात निश्चित की जा सकती है। यह एक ऐसा अधिकार चला आ रहा है जिससे पुरुषों की स्वेच्छाचारिता तथा तलाक देने के अधिकार पर कुछ नियंत्रण लगाता है यद्यपि यह कन्या मूल्य अथवा स्त्री धन नही है मेहर पर अधिकार स्त्री का होता है यह मेहर की रकम या तो विवाह की तारीख तय करते समय तय कर ली जाती है अथवा निकाह के पहले काजी तथा वर वधू के पिता तथा सम्बन्धियों के द्वारा तय किया जाता है।

प्राचीन अरब समाज में मेहर कन्या मूल्य के रुप में था क्योंकि उस समय यह राशि जिसे "सदक" कहते थे कन्या के पिता को दी जाती थी। इस्लाम ने इस स्थिति में सुधार किया उसे एक परिष्कृत रुप प्रदान किया और वह मेहर के रुप में कहा गया- इसे वधू अथवा कन्या मूल्य इसलिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह राशि केवल कन्या के लिये होती है उसके माता-पिता अथवा सम्बन्धियों के लिए नहीं होती।

इसके चार प्रकार है :-

1. निश्चित मेहर- यह विवाह से पूर्व तारीख रखने अथवा मंगनी के समय तय किया जाता है कभी-कभी विवाह के समय भी तय कर ली जाती है।

अंसारी समाज में परम्परागत तथा आधुनिक परिवारों में मेहर की स्थिति भी अलग-अलग है आर्थिक मजबूती के लिये वर्तमान समय में क्षेत्रीय अध्ययन के द्वारा स्पष्ट होता है कि पहले मेहर को लेकर तनाव नहीं होता था चाहे तारीख रखते समय तय किया जाय अथवा निकाह के पूर्व वर पक्ष की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय कर लिया जाता था परतु वर्तमान में मेहर की रकम अधिक से अधिक तय की जाती है यह रकम एक लाख तक हो सकती है परतु ऐसा बहुत कम होता है सूचनादाताओं में अधिक मेहर तय करने वालों का प्रतिशत केवल पांच है। अधिकतर

पति अपनी पत्नी से विवाह की पहली रात इसे माफ करवा लेते है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस्लामिक कानून के आधार पर मेहर की रकम बहुत कम (जायज) राशि निश्चित की जाती है और वह पहले दिन ही पति-पत्नी को दे देता है।

2. उचित मेहर- यह वह मेहर है जिसे अदालत निश्चित करती है यह स्थिति तलाक के समय उत्पन्न होती है कि पत्नी के पास कोई प्रमाण न हो अपनी मेहर को बताने का। मुस्लिम कानून "शरीयत" के अनुसार भी मेहर निश्चित किया जा सकता है।

असारी समाज में अधिकतर दोनों पक्षों के लोग आपस में बैठकर अथवा जाति पंचायत के द्वारा पहले तलाक में मेहर की समस्या को सुलझा लेते थे।

परन्तु वर्तमान समय में आधुनिकीकरण शिक्षा, सामाजिक चेतना आदि ने स्थिति बदल दी है अब अधिकतर तलाक तथा मेहर की राशि की अदालत के माध्यम से भी तथा किया जाने लगा है।

3. सत्वर मेहर- यह वह मेहर है जो विवाह के समय या विवाह के तुरंत दी जाती है। अन्सारी समाज एक पिछड़ा परम्परागत समाज है फिर भी मेहर की रकम तुरंत अदा नहीं करते हैं- शहरी समाज में इस प्रकार की मेहर का प्रचलन कम है लेकिन शिक्षित समाज में युवक इस प्रकार के मेहर की प्रथा को अपनाते हैं।

4. स्थगित मेहर- विवाह समाप्त होने पर चुकाया जाता है। इस प्रकार के मेहर का प्रयोग अन्सारी समाज में खूब होता है तलाक के समय मेहर के साथ-साथ वह उपहार (दहेज) भी वापस किया जाता है।

5 निकाह- निकाह पूर्णतय एक धार्मिक मुख्य क्रिया है। इसका परम्परागत जो स्वरुप था वह स्वरुप आज भी विद्यमान है परम्परागत विवाह की रीतियों में निकाह प्रक्रिया का पूर्ण वर्णन किया जा चुका है। वर्तमान समय में अन्तर केवल इतना उत्पन्न हुआ है कि मेहर अधिकतर पहले से तय होती है तथा बहुत ही अधिक धूमधाम से निकाह की रस्म अदा की जाती है। दूल्हे का सेहरा (चेहरे पर पड़ने वाली फूलों की झालर) बहुत कीमती बनवाने की प्रथा का प्रचलन बढ गया है चीनी तथा छुआरे तो मुख्य वस्तु हैं बाटने की लेकिन अब लोग उसके पैकिट बनवाते हैं और उसमें सूख मेवे भी डाल दिये जाते हैं जैसे मखाने, काजू बादाम, चीनी के स्थान पर मिश्री, अखरोट किशमिश आदि। निकाह ही मुस्लिम विवाह की मुख्य धार्मिक प्रणाली है।

5. सलाम कराई- निकाह हो जाने पर विवाह होना मान लिया जाता है अतः विदाई से पहले वर को घर के अंदर बुलाया जाता है- इस रस्म को "सलाम कराई" कहते है- कन्या की माता तथा अन्य महिलायें सगे संबधी उसको उपहार देते हैं यह उपहार रुपया घड़ी, अगूठी समान आदि के रुप में होता है। प्रत्येक असारी परिवार में चाहे वह ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी इस प्रथा को माना जाता है- यह प्रथा केवल असारी समाज में ही नहीं है वरन् यह सभी मुस्लिम उच्च तथा पिछड़ी जातियों में पायी जाती है- उत्तर प्रदेश में यह प्रथा अन्य नाम से हिन्दू

समाज में भी पायी जाती है जिसे कुंवर कलेवा (कुंवर-वर, कलेवा = नाश्ता) कहते हैं वर को विवाह सम्पन्न हो जाने पर घर के अदर बुलाया जाता है- उसे उसी प्रकार उपहार मिलते हैं जैसे मुस्लिम समाज में।

वर को जब उपहार दिये जाते हैं तब उसे मिठाई वगैरह भी खिलाई जाती है- वर के साथ उसके छोटे भाई तथा उसके दोस्त वगैरह होते हैं- वर सगे सबधियों को सलाम करता है- एक प्रकार से उपहार के माध्यम से उसका परिचय अपनी पत्नी के परिवार में हो जाता है।

6. **विदाई-** इसके उपरान्त कन्या की विदाई की तैयारी होती है। कन्या का भाई अगर भाई नहीं है तो उसका चचेरा ममेरा कोई भाई उसके सेहरा बांधता है सेहरा फूलों का होता है सब उसके गले मिलते हैं और उसकी विदाई हो जाती है।

कन्या पक्ष अपनी कन्या को जो भी समान देता है उसकी दो सूचियाँ बना ली जाती है एक कन्या पक्ष रखता है दूसरी वर पक्ष समान का मिलान करके उस पर दोनों के नजदीकी सम्बंधियों के हस्ताक्षर होते हैं -

धार्मिक प्रवृति वाले परिवारों में किसी भी तरह की मांग नहीं की जाती तथा व दहेज को इस तरह लेना पसंद नहीं करते हैं अतः समान को बंद करके बिना किसी को दिखाये दे दिया जाता है इस्लाम इतनी सादगी और सरलता को मान्यता देता है जिसका पालन वर्तमान अन्सारी समाज में नहीं के बराबर है- इस्लाम में कहा गया है- कि अगर तुम किसी को कुछ देते हो दाहिने हाथ से तो बायें हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिये- उपरोक्त शिक्षा का पालन न करते हुए दहेज मागने, अधिक से अधिक देने का रिवाज दिन पर दिन बढता जा रहा है।

शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही अन्सारी समुदायों में सुबह की अगर बारात होती है तो शाम तक विदाई हो जाती है अथवा रात्रि में होने वाले विवाह की भी विदाई रात्रि में ही होती है। अगर बारात इसी शहर की इसी शहर में है तो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर बारात दूसरे शहर से आयी है तो विदाई दूसरे दिन प्रातः से दस अथवा ग्यारह बजे तक कर दी जाती है।

उपरोक्त विवाह की वर्तमान रीतियों का पालन प्रत्येक अन्सारी परिवार करता है।

5. तलाक तथा पुनर्विवाह

मुसलमानों में विवाह विच्छेद को तलाक कहा जाता है। इस्लाम में तलाक के अनेक नियम हैं अलिखित तलाक तीन प्रकार का है।

(अ) तलाके अहसन- पति पत्नी के एक मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा करता है- इसके बाद इधत की अवधि में वह पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करता है अवधि समाप्त होने पर तलाक हो जाता है- इधत चार मासिक धर्मों के बीच की तीन महीने की अवधि को कहते हैं- इधत की अवधि का प्रमुख

उद्देश्य यह पता करना रहता है कि पत्नी गर्भवती तो नहीं है। इन तीन महीनों में पति अपनी धारणा बदल भी सकता है।

(ब) **तलाके हसन-** पति को तीन तुहरों (मासिक धर्म) के अवसर पर तलाक की घोषणा करनी पड़ती है- तीन महीनों में उसका सम्बध पत्नी से नहीं होता है और समय समाप्त होने पर तलाक पूर्ण हो जाता है।

(स) **तलाके- उल-बिद्दत-** यह एक आसान तरीका है तलाक का किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर पति पत्नी या उसके किसी गवाह की उपस्थिति में तलाक की एक बार स्पष्ट घोषणा कर देता है और तलाक हो जाता है। कभी-कभी एक ही बार में तलाक की तीन बार घोषणा की जाती है और तलाकपूर्ण मान लिया जाता है। तुहर के अवसर पर तलाक की घोषणा का उद्देश्य है कि यह ज्ञात हो जाये कि तलाक के समय स्त्री गर्भवती तो नहीं है।

(2) **इला-** पति कसम खाकर चार महीने या उससे अधिक पत्नी से सबंध नहीं रखने की प्रतिज्ञा करता है तो उसे इला कहते हैं। अगर सबध इस बीच आपस में हो जाता है तो इला टूट जाता है और विवाह विच्छेद नहीं होता।

(3) **जिहर-** जिहर का अर्थ है गैर कानूनी तुलना के द्वारा विवाह विच्छेद-यदि पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री सबधी से साथ करता है जिससे विवाह वर्जित है तब पत्नी प्रायश्चित करने को कहती है यदि पति प्रायश्चित नही करता तो पत्नी अदालत से विवाह-विच्छेद की मांग कर सकती है और अदालत ऐसी दशा में विवाह-विच्छेद की आज्ञा दे देता है।

(4) **खुला-** यह वह प्रकार है जिसमें पत्नी पति से विवाह-विच्छेद की मांग करती है तथा मेहर की रकम भी वापस कर देती है यदि पति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो विवाह विच्छेद मान लिया जाता है।

(5) **मुबारत-** यह तलाक परस्पर पति पत्नी की पारस्परिक सहमति के आधार पर होता है लेकिन पत्नी की इद्यत की अवधि पूर्ण करनी पड़ती है।

(6) **लियान-** पति पत्नी पर व्याभिचार का आरोप लगाता है। पत्नी आरोप का विरोध करती है और अदालत से प्रार्थना करती है कि पति या तो आरोप को वापस ले ले या खुदा को हाजिर नाजिर जानकर घोषणा की जाती है कि आरोप सत्य है यदि पति का आरोप झूठा सिद्ध होता है तो पत्नी की तलाक का अधिकार मिल जाता है। यदि पति आरोप वापस ले ले तो मुकदमा नहीं चलता है।

(7) **तलाके तफवीज-** तलाक के इस प्रकार में पत्नी द्वारा तलाक की माग की जाती है यह मांग पत्नी को विवाह के समय पति द्वारा दिये गये तलाक के आधार पर की जाती है।

न्यायिक तलाक

शरियत अधिनियम 1937 से पहले पत्नी अदालत द्वारा दो आधारों पर तलाक ले सकती है।

1. पति का नपुसंक होना

2. पति द्वारा पत्नी पर लगाया गया व्यभिचार का आरोप गलत सिद्ध होना

शरियत अधिनियम 1937 के अनुसार इला और जिहर के आधार पर भी विवाह विच्छेद हो सकता है- 20 वी शताब्दी के तीसरे दशक में मुसलमानों की ओर से विवाह सम्बंधी अदालती कार्यवाही की व्यवस्था शुरु हुई।

खुला तथा मुबारत (आपसी सहमती द्वारा) तलाक की मांग करने की इजाजत देना मुसलमान विवाहित स्त्रियों की बेहतर स्थिति का परिचय देता है जबकि समाज में यह स्थिति एकदम विपरीत है- केवल अन्सारी समुदाय में ही नही बल्कि सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय में तलाक का व्यवहारिक स्वरुप सैद्धान्तिक स्वरुप से अलग है।

इम्तियाज अहमद ने विभिन्न मुस्लिम समुदायों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर बताया है कि तलाक अधिकतर समूहों में सामाजिक दृष्टि से अस्वीकृत है और इससे न केवल तलाक करने वाले दोनों पक्षों की बल्कि उनके परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है यही कारण है कि मुसलमानों में तलाक बहुत कम होते हैं। इसके साथ ही सामाजिक प्रथा के अन्तर्गत कुछ सगठनात्मक साधनों को स्वीकार किया गया है जिनके माध्यम से स्त्री अपने पति की तलाक के लिये बाध्य कर सकती है। इम्तियाज अहमद के अनुसार-

यद्यपि इस्लामी कानून के अनुसार बहु-विवाह तथा तलाक की दृष्टि से स्त्री की स्थिति कमजोर है लेकिन व्यवहार रुप में दोनों ही मामलों में सामाजिक प्रथायें कानून के प्राविधानों से काफी भिन्न है।

एस0सी0 दूबे (1956) ने शमीर पेठ के गावों में बसे मुसलमानों के बीच बहुपत्नी प्रथा को न पाये जाने के संबध में कहा है कि व्यावहारिक रुप से यह उचित नहीं प्रतीत होता कि कोई व्यक्ति एक साथ दो या दो से अधिक पत्नियां रखे- भारतीय मुस्लिम सास्कृतिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति को अगीकार किये हुए हैं यही कारण है कि बहुपत्नी विवाह का प्रचलन व्यावहारिक रुप से नहीं दिखाई देता है।

मोहम्मद साहब भी तलाक के अधिकार के कम से कम प्रयोग के पक्ष में थे वे विवाह तथा परिवार को स्थायित्व प्रदान करना चाहते थे। अतः तलाक की आज्ञा उन्होंने उसी स्थिति में दी है जब दोनों पक्षों को भय हो कि वे ईश्वरीय सीमा के भीतर नहीं रह सकते, कुरान में इस संबध में लिखा है कि विवाह विच्छेद कानून सम्मत तो है परंतु ईश्वर इसे पसद नहीं करता। तलाक सबंधी अपने निर्णय पर पुनः विचार करने और तलाक को नियत्रित करने के उद्देश्य से ही "इद्दत" की अवधि पर इतना जोर दिया गया है। मोहम्मद साहब अपने जीवन के अतिम दिनों में तलाक के सबध में इतना आगे बढ़ गये कि दोनों पक्षों अथवा न्यायाधीशों के हस्तक्षेप के बिना इसका उपयोग पुरुषों के लिये करीब-करीब निषिध सा ही कर दिया। अतः हनाफी. मलिकी शफी और अधिकाश

शिया समाज विवाह विच्छेद की आज्ञा तो देते हैं परंतु बिना कारण इसका उपयोग न्याय सम्मत नहीं मानते। शिया समुदाय में तलाक का वही तरीका अपनाया जाता है जो निकाह के समय होता है अर्थात् गवाहों तथा दोनों पक्षों की मौजूदगी में ही तलाक दिया जा सकता है।

तलाक एक ही बार में दिया जाय अथवा तीन माह में तीन बार तलाक की प्रक्रिया को अपनाया जाय इस सबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्ड पीठ के माननीय न्यायाधीश श्री एच0एन0 तिलहानी द्वारा "तीन तलाक" पर दिये गये निर्णय पर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों जैसे नखास-कोहना, करैली, अकबरपुर हटिया तथा अटाला के लोगों के मत जानने का प्रयास किया गया जिसमें परस्पर विरोधी जनमत सामने आये।

मुस्लिम महिलाओं ने इस निर्णय को तलाक के कानून को सख्त बनाने में सहायक माना है तथा न्यायालय के द्वारा अधिक राहत पाने की आशा बढ़ी है। लेकिन पुरुषों ने भी इस निर्णय की आलोचना नहीं की परतु यह जरुर कहा कि मुस्लिम जूरिस्ट, उलेमा तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परमामर्श सहायता के बिना इस विवादग्रस्त मामले का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।

क्षेत्रीय अध्ययन में श्रीमती अ" ने कहा कि तीन तलाक अवैधानिक रहा है क्योंकि यह तलाक अक्सर गुस्से में दिया जाता है। कुरान शरीफ के पारे अट्ठाइस में स्पष्ट दिया गया है कि गुस्से में इस प्रकार दिया गया तलाक नियम विरुद्ध है। तलाक एक महीने में एक बार जो कि तीन भिन्न महीनों में दिया जा सकता है इन्होंने आगे कहा कि मुल्लाओं (जो कि महिलाओं की प्रगति के पक्ष में नहीं है) के वक्तव्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शरीयत अधिनियम (जो कि प्रगतिशील कानून है) के अनुसार एक स्त्री भी तलाक मांग सकती है एवं उसके पति को अपनी सम्पत्ति का चौथाई हिस्सा तलाक शुदा पत्नी को देना है लेकिन यह कानून भी ठीक से लागू नहीं होता है।

"ब" जो कि एक घरेलू महिला है उन्होंने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय इस बात को सुरक्षित करेगा कि पति-पत्नी को तलाक के अस्त्र से परेशान न करे (जब भी वह उस महिला से अलग होना चाहता हो) उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया कि वे कानून जो महिलाओं की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करते हों उन्हें समाप्त करके नये कानून लागू करने चाहिए।

"स" एक स्कूल में अध्यापिका हैं उन्होंने भी इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि एक आदमी के लिये उसकी औरत को घर से बाहर करना अब आसान नहीं होगा।

"क" शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी है उन्होंने कहा कि इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए परतु जज का यह कथन कि वे कुरान शरीफ को व्याख्या करने के लिए एक अधिकारिक व्यक्ति है गलत था इसकी व्याख्या केवल इस्लामिक जूरिस्ट द्वारा की जा सकती है।

"ख" एक अधिकारी है उन्होंने कहा कि पिछले छः सालों से तलाक के बारे में विवाद चल रहा है परंतु उलेमाओं ने इसे हल करने की परवाह नहीं की यदि वे ऐसा कर लेते तो उनका फैसला तलाक के तरीके के प्रश्न पर एक "इज्मा" होता और स्पष्ट निर्देश के न होने पर इस्लामिक कानून के श्रोत में उनके फैसले को अच्छी पहचान होती। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी एक संस्था है जिससे इस्लाम के सभी सम्प्रदायों के उलमाओं का प्रतिनिधित्व है इस विषय पर एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी और सम्बन्धित विषय के निर्णय पर पहुंचना था तब वह निर्णय मुस्लिम समुदाय पर वाध्य होता उन्हें मानना ही पड़ता। अपने आप में फैसला सही है लेकिन फैसले तक आने के लिए अपनाया गया तरीका गलत है-

"ग" भी एक पुरुष है उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार महिलाओं के सबध में कानून तथा प्रथम कोड जो मुस्लिम जनों के अधीन हैं के संबध में हस्तक्षेप करने के लिए कार्य कर रहा है जिससे तलाक जीविका तथा बच्चों के सरक्षण के मामले निर्णित हो सके।

क्षेत्रीय अध्ययन में इस संबंध में बातचीत करने पर यह निर्णय भी खुलकर सामने आया कि वे किसी भी आन्दोलन के लिए तैयार नहीं है इस फैसले के खिलाफ। अधिक संख्या में युवा पुरुष तथा महिलाए इस फैसले के पक्ष में हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि कुरान-हदीश की रोशनी में तथा चारों समुदायों की सहायता से फैसले को कानूनी जामा पहनाया जाय जिससे अधिक से अधिक मुस्लिम लोग बाध्य हो सकें फैसले को मानने के लिए।

उपरोक्त क्षेत्रीय अध्ययन के अतिरिक्त सूचनादाताओं के विचार हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि- मुस्लिम समाज के सभी समुदायों में तलाक की समस्या मौजूद है लेकिन जहाँ अशिक्षा है पिछड़ापन है वहा परम्परावादी तरीका अधिक अपनाया जाता है। बहुत से ऐसे सूचनादाता थे जिनकी दृष्टि में तलाक का सबध किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं था वे इसे अपना अधिकार मानकर तलाक देने में सकोच नहीं करते हैं जबिक उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त परिवार के पुरुष अथवा स्त्री तलाक को प्रतिष्ठा से जोडते हैं और उसको बुरा मानते हैं उपरोक्त कथन डा0 इम्तियाज अहमद के आधार पर है लेकिन कभी-कभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भी तलाक देते हैं और पुनर्विवाह को अपनी प्रतिष्ठा तथा साहस का द्योतक मानकर इसे एक अधिकार के रुप में इस्तेमाल करते हैं (देखिए वैयक्तिक अध्ययन 19) "क" एक समाज में उच्च व्यवसाय को करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर पुनर्विवाह किया था जब कि उनके दो बच्चे थे उनकी दूसरी पत्नी दूसरे समुदाय की थी। वे ऐसा करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे।

इसके विपरीत "ख" एक रिक्शा चालक है इसने भी अपनी पहली पत्नी को तलाक देखकर पुनर्विवाह किया है- उसके अनुसार तलाक देने का उसे अधिकार है पहली पत्नी गांव की थी उसे तलाक देकर उसने शहर में अपना पुनर्विवाह किया है- उसे भी किसी तरह की ग्लानि नहीं थी। (देखिए वैयक्तिक अध्ययन 34)

"ग" एक पच्हत्तर वर्षीय छोटे व्यवसायी हैं. इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गयी थी- इनकी पहली पत्नी से दो बच्चे थे पत्नी टी0बी0 की मरीज थी उन्होंने अपनी पत्नी को उसके मायके भिजवा दिया और उनसे करीब सात वर्ष तक कोई सबध नहीं रखा पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जबकि उनके बच्चे बड़े हो गये थे दुबारा विवाह किया (देखिए वैयक्तिक अध्ययन-7) कुल एक सौ दस उत्तरदाताओं में छः पुरुषों का पुनर्विवाह इस बात का द्योतक है कि मुस्लिम असारी समाज में पुरुषों द्वारा तलाक में दो व्यक्ति ऐसे है जिन्होंने पहली पत्नी की मृत्यु के उपरान्त पुनर्विवाह किया और चार सूचनादाताओं ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर पुनर्विवाह किया।

एक सौ दस वैयक्तिक अध्ययन के अतिरिक्त अन्य मुस्लिम समुदायों जैसे शेख़, पठान सैयद, सिद्दीकी आदि में भी तलाक तथा पुनर्विवाह की वही स्थिति है अतर केवल उच्च तथा निम्न स्थिति का है। जातिगत सोपान में निम्न तथा पिछड़ी स्थिति में अंसारी समुदाय जाता है। अतः जैसे-जैसे शिक्षा का प्रभाव तथा व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ी है- तलाक में कमी आयी है।

सिद्दीकी परिवार की एक महिला स्वय तलाक चाहती है पिछले पांच वर्षों से वे तलाक के लिये अदालत में मुकदमा कर रही हैं लेकिन उनका पति जो एक सैयद परिवार का है वह तलाक नहीं देना चाहता- महिला एक महाविद्यालय में उच्च पद हैं- चूकि तलाक की मांग पत्नी ने की है पति पर आरोपे सिद्ध नहीं हा पा रहे हैं तथा पति ने दुबारा विवाह भी कर लिया है (अधिकतर कोई भी स्त्री तब तक अपनी मर्जी से तलाक नहीं ले पाती अगर पति न चाहे-व्यवाहारिक स्थिति यही हैं)

इसी प्रकार एक अन्य सैयद परिवार में पत्नी जो उच्च पद पर है। पति ने एक विवाह दुबारा किया उस पत्नी को तलाक दिया फिर तीसरा विवाह किया तीसरी पत्नी उसके साथ रहती है (पहली पत्नी उच्च पद पर है) वह पति उसके पास भी जाता है। चूकि वह पुरुष उन्हें तलाक नहीं देना चाहता। अत वह तलाक नहीं ले पा रही है और तलाक को वे महत्व भी नही देती है उनका पति उन्हें पहली पत्नी मानकर उनके पास आता है यही उनको सतुष्टी देता है। उपरोक्त उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि मुस्लिम समाज में किसी स्त्री के लिये तलाक लेना कठिन है किसी पुरुष का तलाक देना उतना ही सरल है।

इस्लाम में तलाक शुदा स्त्री से विवाह करने को बहुत पुन्य का काम माना गया है- कम उम्र की तलाक शुदा नि.संतान महिला का पुनर्विवाह हो जाता है जबकि अधिक उम्र की सतान वाली महिला का पुनर्विवाह आसानी से नहीं हो पाता। धार्मिक रुप से जहां तलाक शुदा स्त्री से विवाह को पुण्य कहा गया है वहीं व्यावहारिक रुप से किसी वयक्ति द्वारा इस प्रकार के विवाह को समाज मान्यता नहीं देता है। परिवार ही सबसे अधिक विरोध करता है।

अधिक उम्र वाली स्त्री से भी विवाह को पुण्य कहा गया है लेकिन ऐसे विवाहों की समाज में खूब आलोचना

होती है और उस समय उसका धार्मिक स्वरूप कहीं खोया हुआ दिखाई देता है।

सभी सूचनादाताओं में कोई भी महिला नहीं है जिसका पुनर्विवाह हुआ हो लेकिन पुनर्विवाह से सम्बन्धित वहीं महिलायें समाज में दिखाई देती है जिनसे विवाह उनके निकट तथा दूर के नातेदार सम्बन्धी कर लेते हैं- किसी तलाक शुदा स्त्री का पुनर्विवाह आसान नहीं है यद्यपि मुस्लिम पुरुष तथा स्त्री का पुनर्विवाह प्रतिबन्धित नहीं है।

तालिका 4 : 1

अंसारी समुदाय में विधवा स्त्री तथा विधुर पुरुष

विधवा स्त्री	विधुर पुरुष
8	4

सम्पूर्ण एक सौ दस सूचनादाताओं में चार पुरुष विधुर है- "प" (देखिए वैयक्तिक अध्ययन 43) एक विधुर हैं इन्होने पुनर्विवाह नहीं किया है इनकी आयु बासठ वर्ष है इनके साथ तलाक शुदा नि:संतान बहन रहती है इन्होंने सभी पाच बच्चों को पालने में सहायता की अत: उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया- इनके सभी चारों भाई एक मकान में रहते हैं लेकिन उनकी अलग-अलग भोजन तथा सम्पत्ति की व्यवस्था है- अत: पारिवारिक परिस्थितिया इनके अनुकूल हैं और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया।

"फ" भी एक क्लर्क हैं उनकी आयु इक्तालिस वर्ष है। उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया वे अपने बच्चों के साथ अकेले अपने माता-पिता के साथ रहते हैं- अपने परिवार के लिए उन्होने पुनर्विवाह नहीं किया अपने घर का भी काफी काम करते हैं।

इसी प्रकार आठ महिलायें विधवा हैं जिनकी आयु लगभग पचास तथा पैंसठ वर्ष के बीच हैं- उनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है।

मुस्लिम समाज में पुनर्विवाह को मान्यता दी गयी है अत: कम आयु में विधवा महिलाओं तथा जो नि संतान होती है उनके विवाह हो जाते हैं।

इलाहाबाद के असारी समुदाय में महिला तथा पुरुष के पुनर्विवाह की मात्रा को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4 : 2

पत्नी की मृत्यु के उपरान्त पुनर्विवाह	2
पत्नी को तलाक देकर किया गया पुर्नविवाह	4
योग	6

क्षेत्रीय अध्ययन से यह निष्कर्ष रुप से कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में विवाह, तलाक तथा पुनर्विवाह के सम्बंध में आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया जाने लगा है। परम्परावादी धार्मिक विषयों में भी नयी पीढ़ी परिवर्तित दृष्टिकोण चाहती है लेकिन वह परिवर्तन कुरान, हदीस तथा सभी फिरकों के मतानुसार ही हों- उससे अलग न हो- 1986 में पारित महिला (विवाह-विच्छेद सरक्षण) अधिकार अधिनियम निश्चय ही मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास है।

विवाह की आवृति

विवाह की आवृति से अभिप्राय है विवाहित जोड़ों में कोई एक अपने जीवन काल में कितनी बार विवाह सम्बध स्थापित किये। हमारे अध्ययन में एक सौ दस विवाहित जोड़ों की चर्चा हुई है अब हम देखेंगे कि एक पुरुष तथा स्त्री की विवाह सम्बध की आवृति क्या रही है।

तालिका 4 : 3

विवाह की आवृति

विवाह आवृति	पुरुष	महिला
पहली बार	86	18
दूसरी बार	6	
तीसरी बार	x	x
चौथी बार	x	x
योग	92	18

क्षेत्रीय अध्ययन में हमने पाया कि केवल छः पुरुषों का विवाह दूसरी बार हुआ जिससे दो पुरुष विधुर थे पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने पुनर्विवाह किया- चार पुरुषों ने पत्नी को तलाक देकर पुनर्विवाह किया- विवाह की आवृति तीसरी तथा चौथी बार नहीं पायी गयी परंतु मुस्लिम समाज में ऐसे व्यक्ति हैं कि वे दूसरी तथा तीसरी पत्नी को तलाक देकर चौथा निकाह भी करते हैं लेकिन उनकी सख्या बहुत कम है तथा एक पुरुष एक साथ चार पत्निया भी

नहीं रखता है। यद्यपि यह सुविधा है कि वह एक साथ चार पत्नियां रख सकता है- लेकिन इस सुविधा के पीछे एक कड़ा नियम जुडा है कि वह सभी पत्नियों को बराबर समझे अगर वह एक पत्नी के रहते दूसरी तथा तीसरी पत्नी रखता है तो हर प्रकार से उसे सभी पत्नियों को ख्याल रखना पड़ेगा। तराजू के दोनों पलड़ों की तरह न किसी को कम न किसी को ज्यादा नहीं तो वह पुरुष पाप का भागीदार बनेगा तथा वह गुनाहगार कहलायेगा।

यद्यपि निचले तबके में अज्ञानतावश वे तलाक देने में जल्दबाजी करते हैं तथा पुनर्विवाह भी आसानी से हो जाते हैं जबकि मध्य वर्ग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण तलाक तथा पुनर्विवाह के सबंध में सोच-समझकर फैसला लेता है यही स्थिति उच्च वर्ग में भी है (अहमद, 1978)।

व्यवसायिक गतिशीलता तथा शिक्षा के बदलते प्रभाव के कारण मुस्लिम समाज में भी परिवर्तन की दिशा दिखाई देती है। पर्दा प्रथा के कम हो जाने तथा महिलाओं के द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण करने और आर्थिक निर्भरता तथा 1986 में तलाक से सम्बधित अधिनियम ने महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है जिनका उल्लेख क्षेत्रीय वैयक्तिक अध्ययनों में किया गया है।

डेविस ने लिखा है कि प्रत्येक समाज में दो प्रकार की व्यवस्थाएं पायी जाती है।

1 आदर्शात्मक व्यवस्था

2. यथार्थ व्यवस्था

आर्दशात्मक व्यवस्था का सम्बध सिद्धांतों में निहित होता है- अर्थात् किसी भी समुदाय का आधार उसकी सैद्धान्ति व्यवस्था ही होती है- परतु व्यावहारिक रुप से जब सिद्धांतों का कार्यात्मक पक्ष समाज के सामने आता है तब कोई समुदाय व्यावहारिक रुप से कितना कार्य रुप में परिणित कर पाता है वह उसका यथार्थ पक्ष होता है। जैसे तीन तलाक तीन महीने में दिया जाय यह कितना उचित होगा जब सूचनादाताओं से इस विषय पर विचार मागे गये तब सभी महिलाओं तथा पुरुषों ने इस अधिनियम का स्वागत किया और समाज में प्रचलित एक बार में तीन दफे तलाक को गुस्से में कहा गया तलाक कहा और उसे गैर जिम्मेदार तरीका बताया।

विवाह पद्धति में परिवर्तन

अन्सारी समुदाय एक पिछड़ा समुदाय है तथा परम्परागत रीति रिवाजों को अपनाते हुए भी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है- जाति सोपान क्रम में इनकी स्थिति नीची है परतु आजादी के बाद जैसे-जैसे हिन्दू जाति सम्बनधी निषेधों में कमी आयी तथा जाति की आपसी दूरी कम हुई उसका प्रभाव अन्सारी समाज पर भी पडा और असारी समुदाय में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया।

पिछले दो दशकों में विवाह की आयु में भी वृद्धि दिखाई देती है महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनका विवाह

चौदह- से सोलह वर्षों के बीच हुआ था स्त्री शिक्षा की कोई महत्व नहीं देता था क्योंकि विवाह जल्दी होते थे। वे अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी में पूर्ण रुप से समर्पित हो जाती थी। वर्तमान समय में विवाह की आयु बढ़ जाने से अब उनके पास समय रहता है उन्हें शिक्षा के अवसर प्राप्त होते है और इस अवसर का लाभ उन्होंने उठाया है रसोईघर के बाहर भी कुछ है यह विश्वास भी जागृत हुआ है।

"अ" एक प्रतिष्ठित वकील हे उनका बड़ा बेटा सरकारी वकील हाईकोर्ट में हैं दूसरे नम्बर की उनकी पुत्री एम0ए0, एल0एल0बी0 है। अन्य दो पुत्र तथा एक पुत्री परास्नातक तक शिक्षित है। उनके घर के बाहर उनकी नेमप्लेट के नीचे उनकी बेटी का भी नाम लिखा है- विवाह के उपरान्त उनकी यह बेटी अपने पति के व्यवसाय की देखभाल करती हैं शिक्षा के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन आया और स्थिति परिवर्तन ने उसकी भूमिका ही बदल दी है। (देखिए वैयक्तिक अध्ययन 31)- इलाहाबाद के अन्सारी समाज में महिलाओं में उच्च शिक्षा तथा आर्थिक निर्भरता का प्रादुर्भाव हो चुका है लेकिन दूसरी ओर अशिक्षा तथा गरीबी में एक पिछडापन है जो सम्भवत प्रत्येक समाज में इसी प्रकार होता है। स्त्री शिक्षा से परिवारों के सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं।

"ऐलिन दास ने बैंगलूर के शहरी परिवार का क्षेत्रीय अध्ययन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि मध्य तथा उच्च वर्गों की हिन्दू लड़कियों की शिक्षा अभी तक विवाह के उद्देश्य से दी जाती है अजीविका के लिये नही"

सार तौर पर परिवर्तन की घुरी महिला ही है (देखिए वैयक्तिक अध्ययन 2 एव 5) यह बात अंसारी समुदाय भी जान चुका है अतः इस समाज में उपरोक्त विवाह में परिवर्तित निष्कर्षों को हम अपने क्षेत्रीय अध्ययन में पाते हैं कि किस प्रकार किसी समुदाय में किसी एक संस्था में होने वाला परिवर्तन समुदाय के सभी पक्षों को प्रभावित करता है।

अंसारी समुदाय में नातेदारी

नातेदारी का अर्थ है सम्बधों की कड़ी। यह सम्बध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सम्भव होता है। अत. नातेदारी वह सम्बंध है जिसकी जानकारी माता-पिता-भाई बहन बच्चों के प्रगट सम्बधों द्वारा प्राप्त होती है तथा जिसे सामाजिक कार्य के लिए मान्यता मिली होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नातेदारी प्रणाली के अन्तर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे मान्य सम्बंध आते हैं जो वास्तविक वंश सम्बधों पर आधारित है- इस प्रकार हमारे सामने दो तरह के सबध आते हैं। पहला सामान्य सम्बंधी जो वंश पर आधारित नहीं होते हैं दूसरे जो वंश पर आधारित होते हैं। असारी मुस्लिम समुदाय में नातेदारी का स्वरुप इसी प्रकार का है- समुदाय में

दोनों प्रकार की नातेदारी देखी जाती है। विवाह जन्म नातेदारी अर्थात् परिवार में विवाह के उपरान्त जो सम्बंधी बनते हैं दूसरी समरक्त नातेदारी अर्थात् विवाह के उपरान्त पति-पत्नी के जो संतान होती है वह उनके बीच रक्त का सबध होता है। अत. नातेदारी, परिवार तथा विवाह तीनों एक दूसरे से गुंथे हुए हैं।

असारी मुस्लिम समुदाय में सम्बन्धियों में विवाह वैध है। अतः नातेदारी की विवाह के आधार पर कई कोटियां बन जाती हैं। चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहन का आपस में विवाह हो सकता है लेकिन मामा भांजी सौतेला पुत्र अथवा पुत्री, बुआ-भान्जा आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं- जहां एक और कुछ नातेदारों में विवाह सम्बंध हो सकता है तो दूसरी ओर कुछ नातेदारों से विवाह सम्बंध अवैध है (देखिए इसी अध्याय का प्रथम भाग) इसके साथ-साथ इस्लाम में सम्बन्धियों से विवाह सबंधियों की पहले मदद करना (जकात, खैरात के द्वारा) आदि निर्देशों का पालन करना प्रत्येक मुसलमान अपना प्राथमिक कर्तव्य समझता है। अतः सम्बंधियों को प्राथमिकता देना- धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है- अत वैयक्तिक सूचनादाताओं के पूर्वजों पिता-दादा के विवाह अधिकतर सम्बन्धियों में हुए हैं। परन्तु वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में अन्सारी समाज में गैर सम्बन्धियों में विवाह का प्रतिशत 45 तथा सम्बन्धियों में विवाह का प्रतिशत 55 है। उपरोक्त स्थिति अन्सारी समुदाय को परम्परागत प्रवृत्ति को प्रकट करती है।

अन्सारी समाज में कुछ नातेदारों में विवाह सम्बन्ध वैध है अतः सम्बन्धियों से दोहरा सम्बन्ध के कारण समुदाय मे विभिन्न अवसरों पर सम्बन्धियों को शामिल होना आवश्यक है। जैसा कि मरडॉक ने अपने अध्ययन के द्वारा कहा है कि द्वितीयक सम्बन्धी किसी व्यक्ति के तैतीस होते हैं तथा तृतीयक सम्बन्धी एक सौ इक्कावन अतः अन्सारी समुदाय में विवाह में किसी परिवार के प्राथमिक द्वितियक तथा तृतीयक सम्बन्धियों की संख्या दो सौ से चार सौ तक दिखाई देती है। इलाहाबाद का अन्सारी समुदाय सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय में बहुसख्यक स्थिति रखता है- इसी कारण सम्बन्धियों के साथ सम्बन्धो को अधिक से अधिक बनाये रखा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समरक्त तथा विवाह जन्य नातेदारों को तीन दृष्टि से देखा गया है।

1. नजदीकी नातेदार
2. दूर के नातेदार
3. गैर-नातेदार

विवाह सम्पर्क में हमें इसी प्रकार के नातेदारों में विवाह सम्बन्ध दिखाई देता है। किसी भी परिवार में पुत्र अथवा पुत्री के विवाह में विवाहित पुत्रियों के दमादों को विवाह की पहली रीति मगनी तथा तारीख रखने वाले दिन जरूर बुलाया जाता है। वे अगर इसी शहर में विवाहित है तो वह अपने बच्चों अपनी ननद (पति की बहन) तथा जिठानी (पति के बड़े भाई की स्त्री) देवरानी (पति के छोटे भाई की पत्नी) अपने-अपने परिवारों के साथ

आती है- इस प्रकार बहुत आसानी से किसी भी विवाह के पहले होने वाले समारोह के अवसर पर पचास से लेकर साठ तथा सत्तर तक सम्बन्धी इकट्ठे हो जाते हैं। विवाह के समय तो इससे भी अधिक सम्बन्धी इकट्ठे हो जाते हैं। परिवार में पुत्री के विवाह में मामा (माता का भाई) की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है (हिन्दू परिवार में भी विवाह में मामा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है) वह अपनी भान्जी (बहन की लड़की) के लिये कपड़ा जिसमें उसकी बहन तथा बहनोई का (बहन का पति) का भी कपड़ा शामिल होता है बर्तन रुपया जेवर आदि देता है उसे भात पहनाना कहा जाता है। भतीजे के विवाह में भी यह क्रिया की जाती है इसी प्रकार बुआ (पिता की बहन) भी अपने भतीजे तथा भतीजी के विवाह में जोड़ा कपड़ा, मिठाई, जेवर आदि उपहार देती है परन्तु इस उपहार के बदले उसे भी कपड़े रुपये भेंट स्वरूप प्राप्त होते हैं- यह प्रक्रिया नातेदारी सम्बन्धों की ओर भी मजबूत करती है। निकाह में भी दोनें पक्षों के गवाहों का होना आवश्यक है यह भी नजदीकी नातेदार होते हैं। दूर अथवा पास के नातेदारों की मध्यस्थता से विवाह सम्बन्ध सम्भव हो पाता है।

अन्सारी समुदाय आज भी बिरादरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है यद्यपि इस शब्द को जाति संस्तरण में निम्न जाति के सन्दर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। अशराफ (सैयद, शेख़, पठान आदि) उच्च सामाजिक स्थिति वाले अपने समुदाय के लोगों के लिये बिरादरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने में संकोच का अनुभव करते हैं जबकि अन्सारी समुदाय अपने समुदाय के लोगों के लिये बिरादरी शब्द का इस्तेमाल निसकोच करता है इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कई पीढियों के लोग आपस में सम्बन्धी हैं अतः वे अपने समुदाय के लिये बिरादरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

अन्सारी समुदाय के वृद्ध (वैयक्तिक अध्ययन 7, 8, 17 आदि के अनुसार) लोगों ने स्वीकार किया कि वर्तमान आधुनिक व्यवस्था ने पारम्परिक व्यवस्था पर कुठाराघात किया है यही कारण है कि परम्परागत मान्यताओं के स्थान पर आधुनिक प्रवृत्तियाँ स्थान लेती जा रही है जैसे इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय में बिरादरी के आधार पर करीब 40-50 वर्ष पहले पंचायती व्यवस्था थी- इसमें करीब 12 टाट थे एक टाट में (जनसख्या के आधार पर जो मोहल्ले होते थे उनको टाट कहा जाता था सभी टाट का एक-एक नायब होता था। नायब के ऊपर सरदार होते थे- यह सरदार मिलकर पंचायत का गठन करते थे) इस प्रकार पूरा अन्सारी समुदाय लगभग कहीं न कहीं आपस में सम्बन्धी होते हैं। आपसी नातेदारी का यह स्वरूप अन्य मुस्लिम समुदायों में इतना नहीं पाया जाता है। यही कारण कि पंचायत व्यवस्था शहर में लुप्त हो गयी है लेकिन इलाहाबाद के अटाला मोहल्ला में अभी भी पंचायत हैं नयी पीढ़ी के लोग इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं लेकिन आज भी तलाक-विवाह आदि की समस्या को समुदाय के लोग पंचायत के द्वारा सुलझाते नजर आते हैं- पंचायत में पंचों का चुनाव समुदाय के सम्पन्न, प्रभावशाली जागरुक, राजनैतिक चेतना वाले व्यक्तियों को चुना जाता था। आज भी

पचायत द्वारा किसी समस्या को हल करना पंचायत के लिये गौरव की बात मानी जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अन्सारी समुदाय परम्परागत रूप से बिरादरी व्यवस्था से आज भी जुड़ा है बिरादरी का सामाजिक मानवशास्त्री अर्थ है जिस समूह में दो-तीन पीढ़ियों के लोग साथ रहते हों। मऊआइमा इलाहाबाद से 30 कि0 मी0 दूर पर एक कस्बा है जिसमें 70% अन्सारी समुदाय के लोग हैं पंचायती व्यवस्था आज भी वहाँ है। बिरादरी पचायत वहाँ मस्जिद की मरम्मत तथा ईदगाह की सफाई मरम्मत मदरसे की व्यवस्था आपसी समस्याओं को सुलझाने आदि का कार्य करती है- यह प्रक्रिया उन्हीं समुदायों में सफल हो पाती है जो समुदाय नातेदारों के द्वारा आपसी सम्बन्धों को बनाये रखने में सफल होते हैं। इस प्रकार अन्सारी समाज में सामाजिक व्यवस्था का परम्परागत स्वरूप बनाये रखने में नातेदारी व्यवस्था की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है यह हमें विवाह की प्रक्रिया में भी दिखाई देती है।

मुख्य त्योहारों जैसे ईद में किसी परिवार में किसी कन्या के विवाह का पहला वर्ष होता है अथवा उसकी केवल सगाई हुयी होती है तो कन्या के परिवार से वर को ईद का कपड़े का जोड़ा मिठाई सिवई आदि उपहार भेजे जाते हैं। इसी प्रकार वर पक्ष भी कन्या को जोड़ा मिठाई सिवई आदि उपहार भेजता है। इस प्रकार वर पक्ष भी कन्या को जोड़ा मिठाई जेवर आदि भेजता है। दोनों पक्षों का सम्बन्ध इस प्रकार और मजबूत होता है- विवाहित लड़कियाँ अगर उसी शहर में हैं अथवा किसी दूसरे शहर में विवाहित हैं तो भी उन्हें त्योहारों पर बुलाया जाता है प्राथमिक सम्बन्धी तो आपस में मिलते ही हैं लेकिन विवाह, त्योहार आदि समयों पर द्वितीय तथा तृतीय नातेदार आपस में एक दूसरे के यहाँ जरुर जाते हैं। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर खबर मिलते ही सभी सम्बन्धी जमा होने लगते हैं। आपस में नजदीकी सम्बन्धी मृत्यु के क्रियाकर्म को बाँट लेते हैं और जनाजे के साथ उसे दफनाने जरूर जाते हैं। कब्र में भी आपसी सम्बन्धी पहले मिट्टी डालते है बाद में जितने और सम्बन्धी पहचान वाले होते हैं वह मिट्टी देते हैं- मृत्यु के तीसरे दिन, नौवे दिन, 20 वें दिन आखीर में चालसवें दिन फातहा तथा कुरानखानी होती है (अर्थात् मृतक के नाम से पूजा तथा मृतक भोज) इसमें भी सभी विवाहित तथा रक्त सम्बन्धी इकट्ठा होते हैं।

सभी प्रकार के सम्बन्धियों के सम्बन्धों को बनाये रखने में विभिन्न धार्मिक संस्कारों का भी योगदान है। इस प्रकार नातेदारी सम्बन्ध व्यक्ति तथा समाज में एक दूसरे के मध्य व्यवस्था तथा सम्बन्ध को बनाये रखते हैं। विवाह भोज अथवा अन्य किसी बड़े कार्य में नातेदारों की महिलायें आकर बारी-बारी से गृहकार्य में मदद करती हैं और एक बड़ा काम सबकी मदद से आसान हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें नातेदारों के सम्बन्धों मे अधिक मजबूती दिखाई देती है जबकि शहरी समाज में व्यक्तिवादिता स्वतंत्रता वर्ग विभिन्नता के कारण नातेदारी सम्बन्धों में बहुत अधिक कमी आयी है।

सूचनादाता "क" (देखिये वैयक्तिक अध्ययन-31) एक प्रतिष्ठित वकील हैं। उन्होने अपनी सम्पत्ति का काफी बड़ा हिस्सा अपने एक भाई को दिया है जो कचहरी में मुंशी का कार्य करते हैं। इस प्रकार मुशी होते हुये भी उनके पास काफी सम्पत्ति हैं- दूसरी ओर उन्होने अपनी चौक की पैतृक दूकान (जो उनके परदादा की थी) भी उन्हीं भाई को दे रखी है। अपनी बहनों की मदद करते हैं- अपनी बेटियों को भी इस्लामिक शरीयत के अनुसार अपनी सम्पत्ति में हिस्सा दे रखा है। अतः हम कह सकते हैं- नातेदारों के अन्तर्गत व्यक्ति के आर्थिक हितों की भी सुरक्षा होती है- जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति आपसी सम्बन्धियों के सम्बन्धों को महत्व दें लेकिन एक परम्परागत समुदाय में नातेदारी व्यवस्था काफी हद तक आर्थिक हितों की सुरक्षा करती है यद्यपि सभ्य शहरी समाज में नातेदारी का स्वरूप ग्रामीण समाज से भिन्न दिखाई देता है फिर भी अन्सारी समुदाय में सामाजिक सगठन का महत्वपूर्ण आधार समाज में पायी जाने वाली नातेदारी व्यवस्था को दिया जा सकता है। क्षेत्रीय अध्ययन में 56% विस्तृत परिवार हैं तथा 44% केन्द्रीय परिवार अतः आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सम्बन्धियों के सम्बन्धों में व्यापकता के कारण ही विस्तृत परिवारों का प्रतिशत केन्द्रक परिवार से अधिक है यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है।

नातेदारी शब्दावली

किसी भी समाज में प्रचलित शब्दावली के द्वारा यह जाना जा सकता है कि उस समाज के सदस्य सामाजिक सम्बन्धों को किस दृष्टि से देखते हैं इसलिये कुछ सम्बन्ध सूचक शब्दों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के सम्बन्धियों के लिये किया जाता है। अन्सारी समुदाय में भी नातेदारों के लिये कुछ शब्दावलियों का प्रयोग सम्बन्धियों के लिये किया जाता है। सूचनादाताओं के द्वारा अन्सारी समुदाय में जिन नातेदारी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वह निम्न है :-

माता के लिये = अम्मी

पिता के लिये = अब्बा या अब्बू या बाबू

भाई के लिये = भाई जान (बड़े भाई के लिये)

पिता के पिता= दादा

पिता की माता = दादी

माता के पिता= नाना

माता की माता= नानी

माता की बहन = खाला

माता की बहन के पति = खालू

माता का भाई= मामू

माता के भाई की पत्नी = मुमानी

पिता के भाई= चचा (छोटे भाई)

पिता के भाई की पत्नी= चची (छोटे भाई)

पिता के बड़े भाई- बड़े अब्बा (बड़े भाई)

पिता के बड़े भाई की पत्नी= बड़ी अम्मी

पिता की बहन= फुफी

पिता की बहन के पति= फूफा

पिता के भाई के बच्चे = चचेरे भाई बहन

पिता की बहन के बच्चे = फुफेरे भाई बहन

माता की बहन के बच्चे = खलेरे भाई बहन

चचेरे, ममेरे, खलेरे, फुफेरे भाई बहन का सम्बोधन केवल दूसरों को बताने के लिये होते है वास्तव में एक पिता अपने भाई के बच्चों को भी अपने बेटे बेटी की तरह पुकारता है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है व्यवहार में यह बताना आवश्यक है कि वह लड़का अथवा लड़की उसके मामू का बेटा अथवा बेटी है- परन्तु उसे पुकारने के लिये अलग से कोई शब्द नहीं है क्योंकि एक स्त्री के लिये उसके अपने बेटे तथा भाई के बेटे में अन्तर करना मुश्किल है वह भाई के बेटे को भी उसी प्रकार पुकारेगी जिस प्रकार अपने बेटे को।

इसी प्रकार कोई पुरुष अपनी पत्नी को पत्नी कह कर नहीं पुकारता है वह उसे बेगम अथवा नाम से पुकारता है। अन्सारी समुदाय में परम्परागत रूप से यह रिवाज पाया जाता है कि विवाह के उपरान्त वधु के ससुराल में उसका नया नाम रखा जाता है और परिवार के लगभग सभी बड़े सदस्य उसे इसी नाम से पुकारते हैं- यहाँ तक की पति भी उसे उसके नये नाम से पुकारता है।

सामाजिक व्यवस्था में नातेदारी शब्दावली अत्यन्तत महत्वपूर्ण हैं- सामाजिक संरचना का यह आधार है अतः इन्हीं शब्दावलियों से किसी समुदाय की सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। निष्कर्ष रूप से अन्सारी समुदाय के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि नातेदार सम्बन्धों का परम्परागत स्वरूप विद्यमान है यद्यपि आधुनिकी की प्रक्रिया स्वरूप प्रगतिशील सम्बन्ध सूचक शब्द अम्मी को मम्मी अब्बा को डैडी, चचा को अंकल जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता हे पर यह अंग्रेजी शब्द शहरी समाज में ही दिखाई देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र अभी भी इन शब्दों से वंचित है।

निष्कर्ष रूप में अन्सारी समुदाय में पायी जाने वाली नातेदारी व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादिता तथा आधुनिकीकरण ने यद्यपि जबरजस्त परिवर्तन किया है परन्तु अभी अन्सारी समुदाय पिछडे होने के कारण परम्परागत स्वरूप को काफी हद तक बनाये हुये हैं यह हमें नातेदारी सम्बन्धों के द्वारा दृष्टिगोचर होता है।

इण्डिया टूडे (31 मई, 1994) के संस्करण में सेन्टर फार स्टडी आफ डेवलपिंग सुसाइटीज के समाजशास्त्री आशीष नन्दी ने कहा है- "परम्परागत पुरानी व्यवस्थायें चाहे जितनी दमनकारी थीं मगर उनमें नियंत्रण तथा सन्तुलन के तत्व थे"।

अन्सारी समुदाय में परम्परागत तथा आधुनिक व्यवसायों की स्थिति
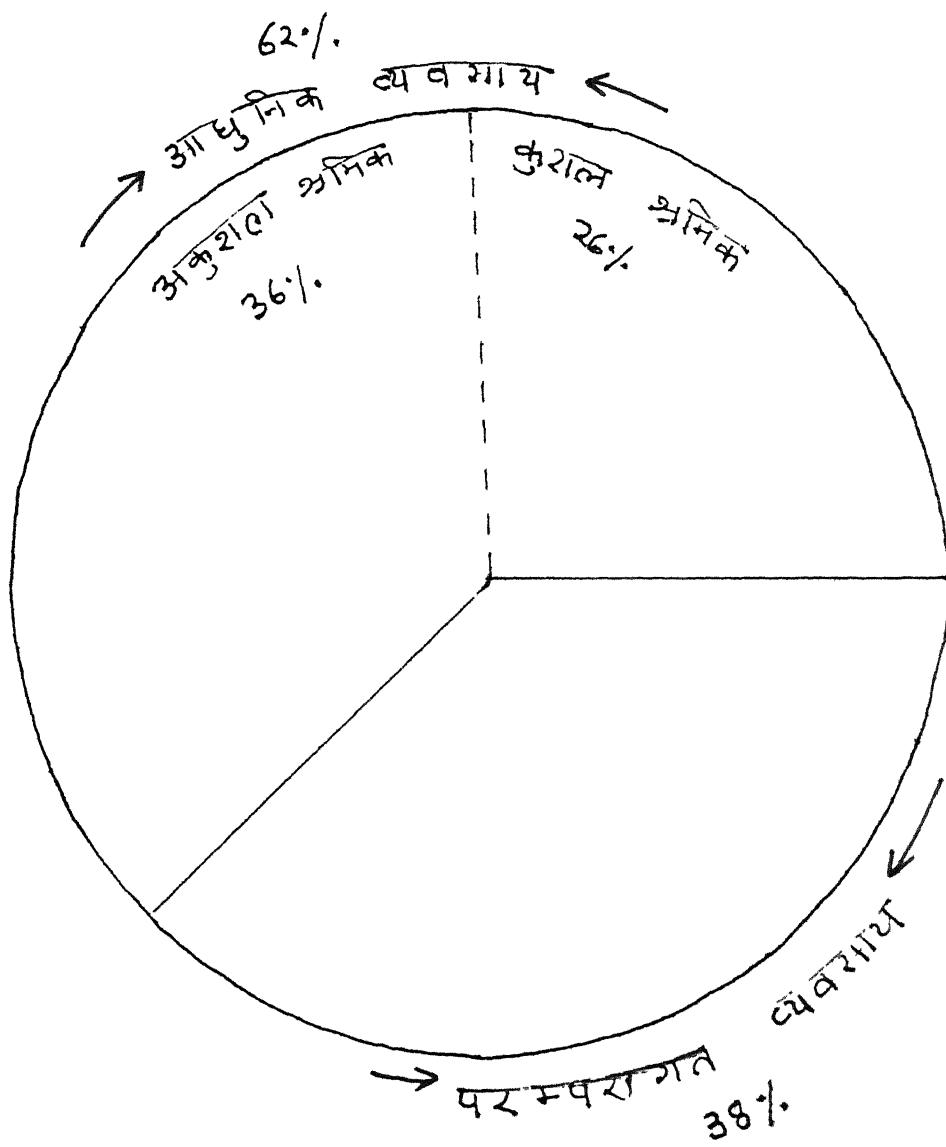
अध्याय- 5

अन्सारी समुदाय का आर्थिक पक्ष

इलाहाबाद का अन्सारी समुदाय एक बहुसंख्यक पिछड़ा मुस्लिम समुदाय है। इस परम्रागत पिछड़े समुदाय में परम्परागत मूल्य व्यवस्था के साथ-साथ आधुनिक विशेषताओं के निश्चित प्रतिमान विकसित हो गये हैं। यानि परम्परागत एवं आधुनिक दोनों विशेषतायें अपना अस्तित्व बनाये हुयी है। शहरी समाज में हम परम्परागत व्यवसाय के विविध रुप पाते हैं। आर्थिक गतिशीलता के कारण एक ही विस्तृत परिवार में एक से अधिक व्यवसाय करने वाले लोग पाये जाते हैं।

यद्यपि भारतीय जाति व्यवस्था के मूल में व्यवसायिक विशेषता उसके कार्यात्मक पक्ष में है और वह उसे दूसरी समूहों से पृथक दिखाई देने का कारण भी है। एक सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकतर उस समाज के सदस्य मिलजुल कर कार्यों को सम्पादित करते हैं इस लिए वे दूसरों से पृथक दिखाई देते हैं अतः अन्सारी जाति का नाम लेतें ही स्पष्ट हो जाता है। कपड़ा बुनने वाला समुदाय (प्रथम अध्याय में अन्सारी कौन है ? के अन्तर्गत विस्तृत चर्चा हो चुकी है) इलाहाबाद के आस पास जैसे मऊआईमा में 70 % अन्सारी हैं और वे लूम पर कपडा बुनते हैं (हथकरघों के स्थान पर बिजली से चलने वाले लूम) इलाहाबाद के आस पास के कुछ गाँवों में बीड़ी बनाने का काम होता है। बनारस के साड़ी बनाने वाले,भदोही में कालीन बुनने वाले, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाने वाले तथा उन बर्तनों पर नक्काशी का काम करनें वाले, बरेली तथा सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी तथा फर्नीचर बनाने वाले लोग अधिकतर अन्सारी समुदाय के हैं अर्थात् इस जाति विशेष के लोगों का व्यवसाय कपड़ा बुनना रहा है लेकिन किसी स्थान विशेष के परम्परागत पेशे से भी वे जुड़े हुए हैं। बम्बई मालेगाँव तथ भिवण्डी में इलाहाबाद के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के अन्सारी बहुत अधिक सख्या में हैं। वे वहाँ अन्य दूसरे व्यवसायों से भी जुड़े हैं जैसे कपड़े की फेरी लगाना, रेडीमेड कपड़ा बेंचना छोटे-छोटे खाने के होटल आदि लेकिन मुख्य रुप से वे वहाँ या तो लूम के कारखानेदार हैं अथवा लूम पर कपड़ा बुनने वाले श्रमिक हैं निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि मूल रुप से यह समूदाय परिश्रमी तथा व्यवसाय से जुड़ा है चाहे वे जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हों। 1981 में प्रकाशित एक पुस्तक मोमिन अन्सारी बिरादरी में एक पुराना आकड़ा दिया है कि इलाहाबाद में मुस्लिम जातियों में सबसे अधिक जनसंख्या 39944 अन्सारी लोगों की थी। उस समय भी वे कपड़ा बुनने के साथ-साथ खेती भी करते थे कुछ के पास जमींदारी भी थी। यह आंकड़ा किस समय का है नहीं कहा जा सकता है।

एम0 अकबर 1990 ने मुरादाबाद क्षेत्र में पीतल उद्योग में लगी मुस्लिम जातियों का अध्ययन किया और पाया कि सभी जातियों में सबसे अधिक संख्या 23% अन्सारी जाति के लोग इस उद्योग में लगे हैं अतः हम वर्तमान समय में अन्सारी जाति को उद्यमि जाति भी कह सकते हैं।

टेलरिंग की दुकान

इलाहाबाद शहर में मुस्लिम अल्पसख्यक वर्ग में इनकी सख्या बहुसंख्यक है। अधिकतर शहर में इस समुदाय के लोग बीड़ी उद्योग,बक्स बनाने वाले, कपड़े के व्यापारी, होजरी के व्यवसाय तथा दूसरे शब्दों में, सभी प्रकार के व्यवसायों को करते हुए दिखाई देते हैं। शिक्षा के प्रसार से एक बड़ा शिक्षित वर्ग और भी है जो सरकारी नौकरी में लगा है फिर भी एक परम्परागत व्यवस्था अन्सारी समुदाय में दिखाई देती है क्योंकि वे धार्मिक नियामों का कड़ाई से पालन करते हैं। शहरी समाज में उनका जातिगत पेशा कपड़ा बुनना नहीं है। 1985 में शिवबाहल सिंह ने अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में लिखा है कि "अधिकतर मुस्लिम पिछड़ी जातियाँ अपने व्यवसाय द्वारा अपनी जाति का पता बताती हैं" (सिंह, 1985, पृष्ठ 40)

अतः परम्परागत से हमारा तात्पर्य किसी समाज की संचित विरासत से है जो सामाजिक संगठन के समस्त स्तरों पर छाई रहती है। समय के साथ-साथ समाज में परिवर्तन होता रहता है लेकिन परम्परा अपने में परिवर्तनों को समेट कर इस प्रकार आत्मासात कर लेती है कि वह ज्योंकि त्यों बनी रहती है यही कारण है कि वर्तमान में अन्सारी समाज में आर्थिक गतिशीलता के फलस्वरुप परिवर्तित परिस्थितियों में भी परम्परागत व्यवस्था मौजूद है। जैसे मुख्य व्यवसाय कोई एक परम्परागत नहीं है किसी परिवार में बक्स बनाने का काम चार पीढ़ियों से हो रहा था लेकिन पाँचवी पीढ़ी ने बक्से बनाने के काम के स्थान पर अटैची तथा बैग बनाने का काम शुरु किया (देखिये वैयक्तिक अध्ययन 22)

इसी प्रकार अन्य बहुत से परम्परागत व्यवसायों में हम इसी प्रकार का परिवर्तन पाते हैं।

शहरी समाज में परम्परागत व्यवसायों की तालिका लम्बी है। यहाँ परम्परागत व्यवसाय का आधारयह है कि जो व्यवसाय अधिक लोगों के द्वारा दो या अधिक पीढ़ियों द्वारा अपनाया जाता रहा हो जिस कारण उस व्यवसाय में एक लम्बी अवधि की निरन्तरता आ जाती है।

क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर व्यवसायों को दो प्रमुख कोटियों में बाँटा गया है।

1. परम्परागत व्यवसाय
2. आधुनिक व्यवसाय

(तालिका 5 : 1)

क्र0सं0	परम्परागत व्यवसाय	परिवारों की संख्या
1	बीड़ी लघु उद्योग के मालिक	6
2	बीड़ी बनाने वाले श्रमिक	2
3.	स्टील बाक्स बनाने वाले कारखानेदार	2
4.	स्टील बाक्स बनाने वाले श्रमिक	2

बर्तन की दुकान

5.	कपड़े के व्यापारी	2
6.	जनरल मर्चेन्ट के दूकानदार	2
7.	क्रोकरी के दुकानदार	2
8.	बेकरी	2
9.	गोटा बेचने वाले व्यापारी	2
10.	स्वर्णाकार	3
11.	कपड़ा सिलने वाले दर्जी	3
12.	मुद्रण अक्षर ढलाई के कारखानेदार	2
13.	कपड़ा बनने के कारखाने (लूम) के मालिक	2
14	लूम पर काम करने वाले श्रमिक	2
15.	फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वाले	1
16.	आटे की चक्की	1
17	टिन के घरेलू सामान बनाने वाले श्रमिक	2
18.	टेन्ट तथा विवाह में काम आने वाले समान को किराये पर देने वाले	2
19	कबाड़ी (पुराना सामान खरीदने बेचने वाले)	2
	योग =	42

1. परम्परागत व्यवसाय

शहरी परिवेश में परिवार का जीवित रहना उसकी स्थिरता, उसका प्रभावी रुप, कार्य करना सुनिश्चित आय पर निर्भर काता है क्योंकि वर्तमान समय में परिवार इस निश्चित आय का उपभोग करने वाली इकाई के रुप में स्थानान्तरित हो गया है। अतः शहरी परिवार अपने सदस्यों को आय अर्जित करने वाले व्यवसाय को अपनाने को बाध्य करता है यही कारण उद्योगों में नयी तकनीकी का प्रयोग शुरु हो चुका है उसका प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। जैसे अन्सारी समुदाय के बहुत से परिवार स्वर्णकारी तथा दर्जी का व्यवसाय अपनाये हुए हैं जबकि स्वर्णाकार तथा दर्जी अलग-अलग जाति के रुप में भी विद्यमान हैं। इस सम्बन्ध में जे0 एम0 बलसारा (1970) ने कहा है कि "कुछ भाग्य शाली लोगों को छोड़कर शेष के लिए नौकरियों के लिये अनिवार्य कुशलता प्रदान करने वाली और प्रशिक्षण देने वाली सामाजिक आर्थिक संरचना के अभाव के कारण कम आय वालों या गरीब परिवारों के अपने-अपने सदस्यों को किसी न किसी काम में

कपड़े की दुकान

जबरन लगाना ही पड़ता है चाहे उन्हें अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ना ही पड़े अथवा अन्य समुदाय के लोगों के व्यवसाय को अपनाना पड़े।"

अतः अन्सारी परिवार में हमें भिन्न-भिन्न व्यवसाय को करते हुए लोग दिखाई देते हैं उच्च तथा उच्च मध्य आय वर्गों के परिवारों को छोड़कर निचले आय वर्ग के परिवार अपने सदस्यों को समाजीकरण की प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए ऐसा वातावरण नहीं खड़ा कर पाते जिसमें प्रशिक्षण को प्रेरणा मिल सके तथा भावात्मक और बौद्धिक उद्यीपन के द्वारा परम्परागत व्यवसाय के प्रति प्रसन्नता पूर्वक तथा सर्जनात्मक ढग से योगदान करने की प्रेरणा मिल सके।

अतः परिवार अपने सदस्यों को आय बढ़ाने वाले व्यवसायों को वरण करने के लिये बाध्य करता है लेकिन वह ऐसा स्वैच्छिक सहृदयपूर्ण और सृजनामक वातावरण उत्पन्न नहीं कर सका है जिससे परिवार के सदस्य अपना सामाजिक दायित्व एवं कर्तव्य निभा सके। एक पिछड़ी सामाजिक सरचना में उपरोक्त परिस्थितियों ही होती हैं और परिवार साधनों के अभाव ग्रस्त परिस्थिति में एक बहुत ही कठोर और जबरदस्ती करने वाली सस्था बन जाती है। जो अपने सदस्यों को विविध सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिये बाध्य करती हैं। अन्सारी समुदाय की सामाजिक संरचना इस्लाम के नियमों पर आधारित है अतः **"मेहनत की रोटी हलाल की रोटी है"** उपरोक्त उक्ति पर इस्लामिक समुदाय की आर्थिक संरचना टिकी है इसे ही अपना मूल मत्र मानकर ईमानदारी से व्यवसाय करने को प्राथमिकता दी जाती है। परम्परागत व्यवसाय से जुड़े परिवारों में वे अपनी नयी पीढ़ी को शिक्षित बनाकर अन्य व्यवसाय अथवा नौकरी करवाना चाहते हैं। सूचनादाता "क" बक्स बनाने वाले मजदूर हैं लेकिन वे अपने पुत्र तथा पुत्री को शिक्षा दिला रहे हैं उन्होंने अपने बड़े पुत्र को दर्जी का काम सिखाया है उन्हों ने अपना परम्परागत व्यवसाय अपने पुत्र को नहीं सिखाया है क्योंकि इस व्यवसाय में आमदनी अब बहुत कम हो गयी है लोग (टीन) के बक्स के स्थान पर अटैची लेना अधिक सुविधाजनक समझते हैं। बक्स का प्रयोग केवल बड़े बाक्स (जिसमें जाड़े में रजाई गद्दा तथा अन्य फालतू सामान रखा जाता है) में किया जाता है तथा आने जाने में अधिकतर अटैचियों का प्रयोग होता है अतः उन्होंने अपने परम्परागत व्यवसाय के क्षेत्र में बेटे को नहीं आने दिया और उन्होंने बेटे को दर्जी का काम सिखाया। (देखिये वैयक्तिक अध्ययन - 7)

इसी प्रकार "ख" सूचना दाता का परम्परागत व्यवसाय बक्से बनाना था और उनके परदादा के समय से चौक में बक्स की दुकान थी वर्तमान चौथी पीढ़ी में व्यवसाय का स्वरूप बदल गया और उन्होंने बैग, अटैची, बेंचने का काम शुरु कर दिया उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि परम्परागत व्यवसायों की खपत कम होने लगती है तो उसका स्थान आधुनिक व्यवसाय ले लेते हैं (वैयक्तिक अध्ययन-22)
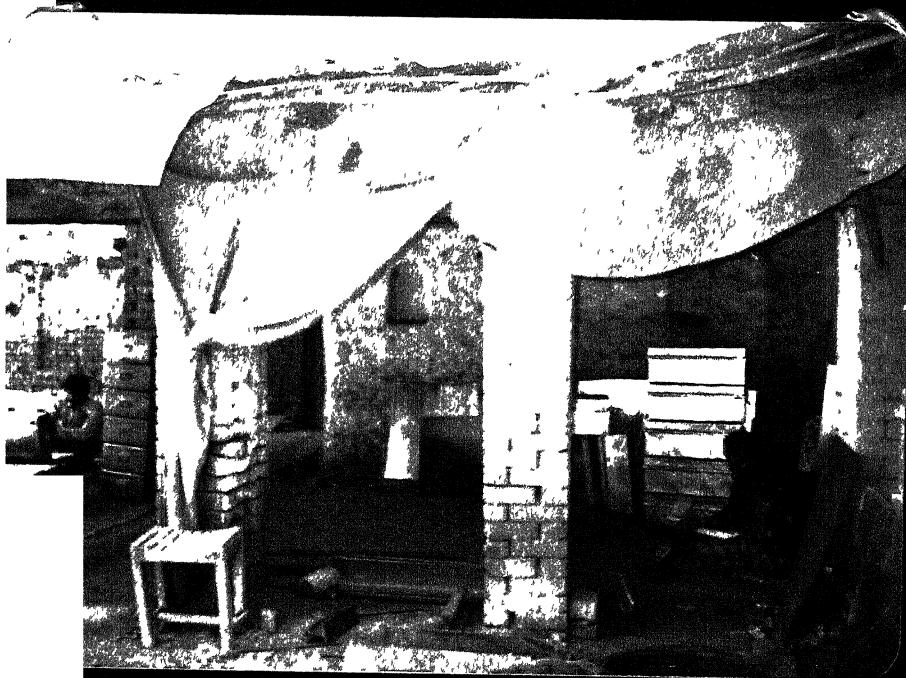
स्टील ट्रंक का कारखाना

भारतीय शहरी समुदायों के परिवारों में भयंकर असमानता दिखाई देती है कारण स्पष्ट है कि परम्परागत व्यवसायों में किन लोगों के हाथ में व्यवसाय है यद्यपि इनकी संख्या बहुत ही कम होती है लेकिन उन व्यवसायों में लगे हुए श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। यद्यपि हमने क्षेत्रीय अध्ययन में वैयक्तिक अध्ययन के आधार पर विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित गहन रुप से तथ्यों को प्रकट किया है। हम यहाँ पाते हैं कि अकुशल श्रमिकों की सख्या सबसे अधिक है। इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय का निर्धन वर्ग आज भी पूरे परिवार के द्वारा बीड़ी बनाये जाने पर गुजारा करता है तथा परिवार के छोटे बच्चे पूरे परिवार के द्वारा बीड़ी बनाने का समान लाने तथा बीड़ी बन जाने पर उसे बीड़ी के ठेकेदार को देने का काम करते हैं यहीं घर पर से उनकी प्राथमिक टैंनिंग शुरु हो जाती है वे पत्तियाँ छाँटते हैं और थोड़ा निपुण हो जाने पर उन्हें काटते भी हैं और बड़े होकर बीड़ी श्रमिक के रुप कार्य करने लगते हैं।

बक्सा बनाने के उद्योग की वर्तमान हालत खराब है लेकिन पहले यह अन्सारी समूदाय का विशेषीकृत व्यवसाय था पूरा परिवार मिलकर यह काम करता था महिलायें इस व्यवसाय में पूर्णरुप में मदद नहीं करती हैं। इस प्रकार प्रत्येक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीड़ी के ठेकेदार होते हैं और निर्धन वर्ग के परिवारों में लोग रोज की मजदूरी पर बीड़ी बनाते हैं जितनी बीड़ीं उतनी मजदूरी।

इलाहाबाद नगर चौक में जितनी दुकानें हैं उनमें अन्सारी दुकानदारों की प्रतिशत सबसे अधिक है। उन दुकानों में वे पिछली तीन तथा चार पीढ़ियों से व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें कपड़े का व्यवसाय होजरी, बर्तन की दुकाने, परम्परागत रुप से चली आ रही है अतः पीढ़ियों से वे इसी व्यवसायों से जुड़े हुए हैं।

इलाहाबाद शहर से 26 कि0मी0दूर मऊआइमा में 70% अन्सारी लोग हैं वहाँ पर हमें अन्सारियों का पैतृक व्यवसाय दिखाई देता है। वे खेती भी करते हैं लेकिन मुख्य रुप से वे बिजली से चलने वाले लूम पर कपड़ा बुनते हैं - उनमें अधिकतर लोग श्रमिक हैं कुछ लूम के मालिक हैं लेकिन कपड़ा बुनने का काम शहर में नहीं होता है। मऊआइमा में प्रत्येक अन्सारी परिवार का एक सदस्य भिवण्डी में है और वह वहाँ या तो लूम का मालिक है अथवा श्रमिक, वहाँ पर खेती के काम के बाद के दिनों में हिन्दू कोरी जाति के बुनकर लूम पर काम करते है- (हिन्दु कोरी कपड़ा बुनते हैं अतः उनका अन्सारी समुदाय से करीब का रिश्ता है)

देहातों तथा शहर के बाहर कपड़े की फेरी लगाते हुए भी हमें अन्सारी दिखाई देते हैं। शहर में कपड़े की दुकान का भी व्यवसाय करते हैं प्रत्येक मोहल्ले में हमें आस-पास विवाह के समान जैसे टेन्ट, काकरी, बर्तन आदि की किराये की दूकानें दिखाई देती हैं इस व्यवसाय में भी इनका दखल है। जैसे-जैसे अन्सारी समुदाय में हिन्दू समाज के रीति-रिवाज बरात सजना अथवा दूल्हे-दुल्हन के घर सजाने की परम्परा का प्रारम्भ हुआ है तब से इन विवाह के समान की किराये की दूकानों की मांग बढ़ गयी है।
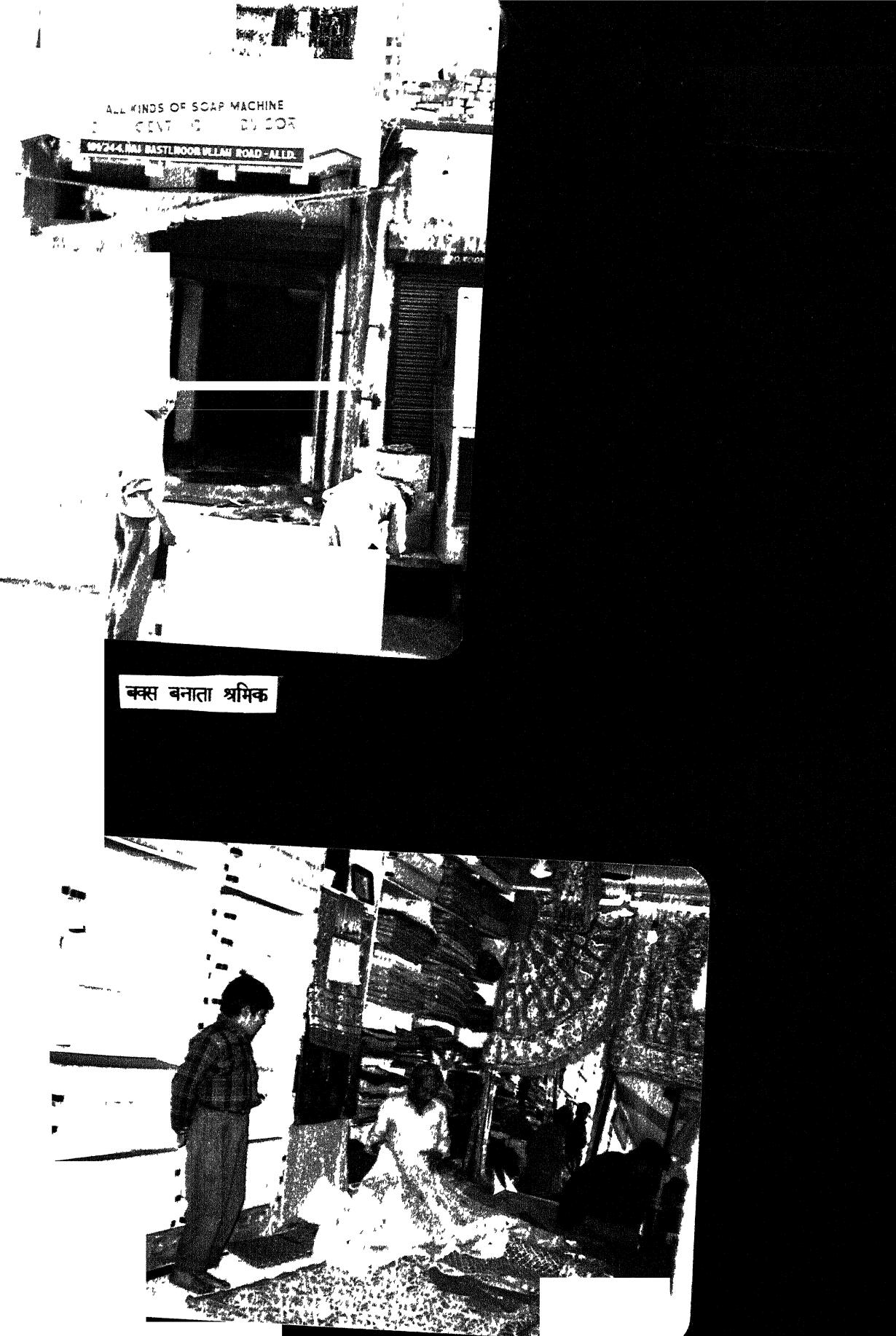
बक्स बनाता श्रमिक

कपड़े की दुकान

पुराने सामानों को खरीदने बेंचने का भी ये व्यवसाय करते है। निष्कर्ष रुप से कहा जा सकता है कि अन्सारी समुदाय वर्तमान समय में इलाहाबाद शहर में एक व्यवसायिक जाति के रुप में पहचाना जाता है - वे लगभग सभी परम्परागत व्यवसायों से जुड़े हैं इसी लिये 110 सूचनादाताओं में 38% सूचनादाता परम्परागत व्यवसाय से सम्बन्धित है। अतः उपरोक्त आर्थिक स्थिति के कारणों को हम निम्न प्रकार कह सकते हैं।

1. अधिकाश भारतीय समुदाय में निर्धनता व्याप्त हैं।

2. निर्धनता के कारण बढ़ती हुई असमानता का विकास अर्थात् पूंजीवादी धनिक देशों की भाँति कुछ थोड़े से लोग सुख भोगते हैं।

3 बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण अधिकतर समुदाय के लोगों को जीवित रहने के लिये विविध प्रकार के धन्धे अपनाने पड़ते हैं।

4 शहरीकरण की तेज रफ्तार के बावजूद औद्योगीकरण की गति धीमी दिखाई देती है। अतः असतुलन की स्थिति पैदा होती है और विभिन्न व्यवसाय परम्परागत स्वरुप में परिवर्तन करते नहीं दिखाई देते हैं।

अतः इलाहाबाद का आन्सारी समुदाय उपरोक्त परम्परागत पेशों के विविध रुपों से जुड़ा है।

आधुनिक व्यवसाय

आधुनिकता से अभिप्राय नवीन व्यवहारें से है, नवीन आदतों से है, तथा व्यवहार के नये प्रतिमानों से है जिसका आधार नैतिक न होकर तार्किक एवं वैज्ञानिक है दूसरे शब्दों में आधुनिकता से अभिप्राय उदारवादिता से भी होता है क्योंकि इस में व्यक्ति इस बात के लिये स्वतंत्र होता है कि वो परम्परागत आदर्शों एवं मूल्यों को माने या न माने। आधुनिकता इस बात पर भी वल देती है कि समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में बदलाव आता है नयी आवश्यकतायें भी उत्पन्न हो जाती हैं जिनको परम्परागत मूल्यों के द्वारा सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता और ये नयी आवश्यकतायें एक नये प्रकार के जीवन के प्रतिमानों की मँाग करती है तथा नये तर्क की मँाग करती है। कल्याण के लिये आवश्यक हो जाता है कि समय की मँाग के अनुसार नयी प्रविधियों का प्रयोग करें आधुनिकता इन्हीं नवीन प्रविधियों पर बल देती है।

अन्सारी शहरी समुदाय में दोनों ही स्थितियाँ मौजूद हैं- अतः परम्परागत समुदाय होने के कारण एक सीमा तक ही आधुनिक तत्वों को अपननाया गया है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, अंग्रेजी शिक्षा धार्मिक मूल्यों में कमी, पश्चमीकरण इन सबसे ऊपर तीब्र आर्थिक विकास ने अन्सारी समुदाय में आधुनिक व्यवसायों के अपनाने की तीब्र आकांक्षा पायी गयी है। आधुनिक व्यवसायों से सम्बन्धित सूचनादाताओं का 53% है यद्यपि परम्परागत व्यवसाय का अर्थ शहरी समुदाय में तीन या चार पीढ़ियों के द्वारा अपनाये गये व्यवसाय से है तथा
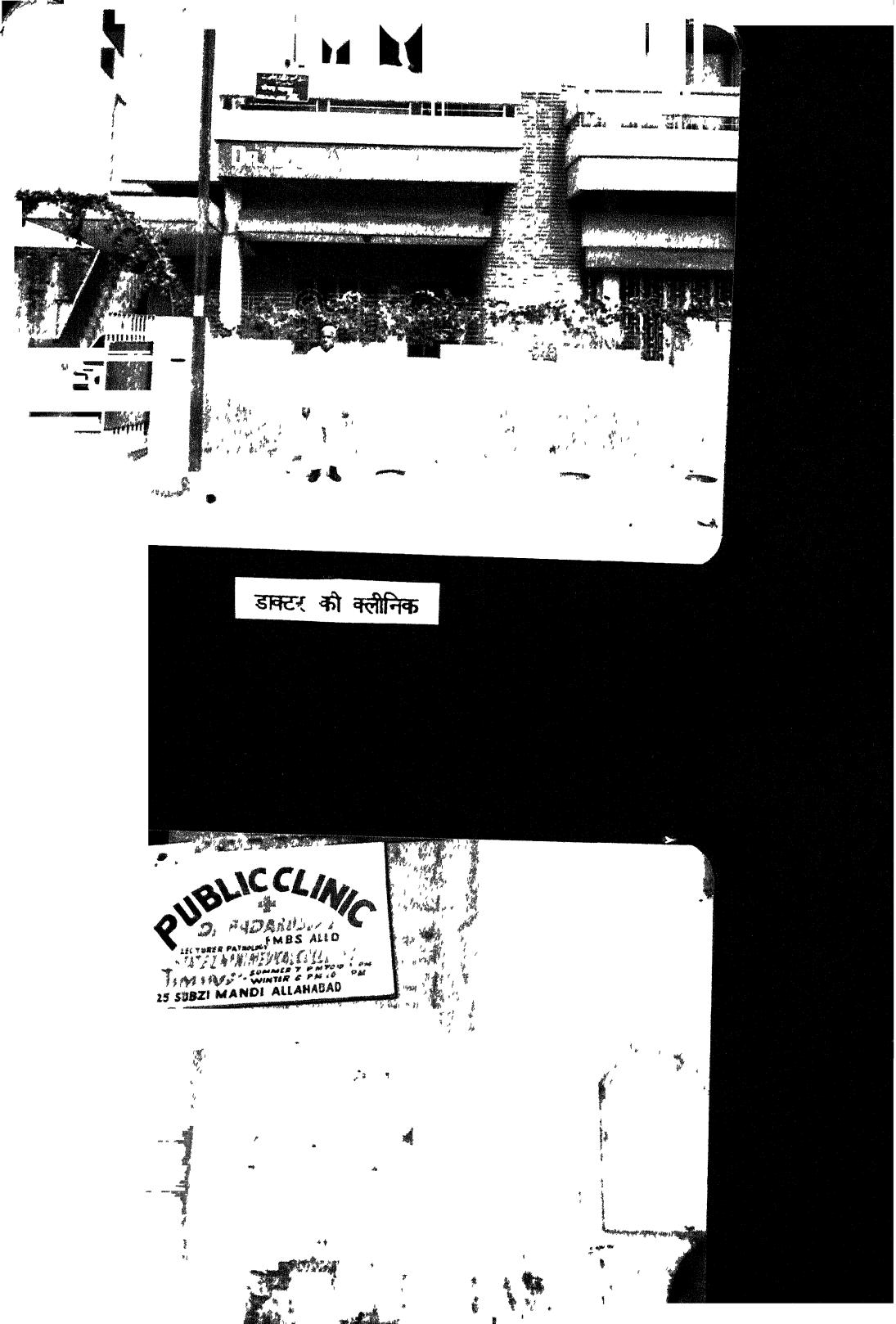
डाक्टर की क्लीनिक

डाक्टर की क्लीनिक

शहर में कोई एक व्यवसाय प्रमुख नहीं है तथा व्यवसाय का क्षेत्र विस्तृत है - व्यवसाय में आधुनिक व्यवसाय की भी दो कोटियां हैं प्रथम कोटि में कुशल श्रमिक हैं अर्थात् जिनकी आय निश्चित हैं दूसरी ओर अकुशल श्रमिक हैं जिनकी आय के बारे में निश्चित रुप से कुछ नहीं कहा जा सकता इस प्रकार आधुनिक व्यवसाय करने वाला वर्ग दो भागों में बँट गया है निम्न तालिका (संख्या 2) अन्सारी समुदाय के आधुनिक व्यवसाय की कोटियों को निम्न प्रकार दर्शाया गया है।

तालिका संख्या- 5 : 2

क्रम0सं0	आधुनिक व्यवसाय (कुशल श्रमिक)	परिवारों की संख्या
1	शिक्षण	4
2.	वकालत	6
3.	चिकित्सक	4
4.	अभियन्ता	4
5	सरकारी कर्मचारी	5
6.	गैर सरकारी कर्मचारी	6
	योग =	29
	आधुनिक व्यवसाय (अकुशल श्रमिक)	
7.	चमड़े तथा रैक्सीन का बैग बनाने वाले कारखाने दार	2
8.	कपड़ा सिलने के धागे के कारखानेदार	1
9.	दवाई की दुकान	1
10.	मकान बनाने के ठेकेदार	2
11.	हार्डवेयर की दुकान	2
12.	जूते बनाने की दुकान	1
13	रिक्शा चालक	2
14.	साइकिल मरम्मत के दुकान दार	2
15.	खानसामा	2
16.	आटो वर्क शाप	2
17.	पेन्टर	2

18.	ठेले पर सामान बेचने वाले	2
19.	स्कूटर रिपेरिंग शाप	2
20.	दर्जी (कपड़ा सिलने वाले)	2
21.	चाय की दुकान	2
22.	रेडीमेड कपड़े की व्यवसायी	3
23.	चप्पल जूते की दुकान	1
24.	होटल रेस्ट्रोरेन्ट	2
25.	फर्नीचर बनाना एवं बेचना	2
26.	कूलर की बाडी बनाने वाले कारखानेदार	2
27	कूलर की बाडी बनाने वाले श्रमिक	2
	योग = (39)	(68)

औद्योगीकरण तथा नगरीकरण का प्रभाव सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष पर दिखाई देता है यही कारण है कि अन्सारी समुदाय शहरी औद्योगिक समाज का ही एक हिस्सा दिखाई देता है। नगर वाद का उद्योग वाद से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है क्योंकि उद्योगों के स्थानीयकरण के फलस्वरुप नगरीकरण भी अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण स्वरुप सूचनादाता "क" एक डाक्टर हैं। इनके दादा तथा परदादा इलाहाबाद शहर के एक कस्बे फूलपुर में कपड़ा बुनते थे - परन्तु इनके पिता हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करके नव सेना में भरती हो गये और विदेश चले गये उन्हों ने अपने दोनों पुत्रों को शिक्षा दिलाई जिसमें सूचनादाता "क" ने डाक्टरी की शिक्षा इलाहाबाद में पूरी की लेकिन इनके छोटे भाई केवल हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त कर सके और उन्हों ने कपड़े की दूकान फूलपुर में अपने पैतृक गाव में खोल रखी है। सूचनादाता गाव में न रहकर शहर में पिछले 32 वर्षों से रह रहे है उनकी प्रैक्टिस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है वे अन्सारी समुदाय के प्रितिष्ठित व्यक्ति है उन्होंने स्वीकार किया कि वे गाव में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे लेकिन उन्होंने शहर में रहना स्वीकार किया शहर में हर प्रकार की सुविधायें है तथा वे अपपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। गाव में इनके पिता के नव सेना में जाने से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ नहीं तो दादा पर दादा सभी कपड़े बुनने का काम करते थे। प्रतिष्ठित व्यवसाय के कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन इनकी पीढ़ी में आया और इनके पुत्र तथा पुत्रियां सभी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं (देखिये वैयक्तक अध्ययन 13) परिवार की नातेदारी संरचना से ज्ञात होता है कि पूर्वजों ने कपड़ा बुना, उनके वंशजों ने भी कपड़ा बुनने का काम किया। परदादा के छोटे भाई इलाहाबाद शहर में आ गये थे और उन्होंने यहां आकर दर्जी का काम किया था। सूचनादाता के पिता परिवार

के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की और विदेश चले गये सूचनादाता के एक भाई पैतृक व्यवसाय कपड़ा लूम पर बनवाते हैं दूसरे भाई की गांव में कपड़े की दूकान है उनके परिवार में व्यवसाय का निम्न स्वरुप है। एक भाई डाक्टर है दो भाई दर्जी, दो भाई अरब में कपड़े सिलने का काम करते हैं- दो अन्य खेती का काम करते हैं - इस प्रकार परिवार में विभिन्न व्यवसायों के प्रकार दिखाई देते हैं। यह एक औद्योगिक समाज की पहचान है कि जो जहाँ रहते हैं वहाँ के व्यवसायों को भी अपना लेते हैं दूसरे शब्दों में व्यवसायों का स्थानीयकरण हो जाता है।

इसी प्रकार सूचनादाता "ख" एक महिला प्रवक्ता है। इनका परिवार एक शिक्षित परिवार है- सभी सात भाई बहन उच्च शिक्षा प्राप्त है- इनके अनुसार आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने के कारण आधुनिक व्यवसायों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अन्सारी समाज में शिक्षा के विकास की भी बहुत बड़ी भूमिका है आधुनिक प्रवृत्ति को अपनाने के पीछे। क्योंकि बाजार की क्या डिमाण्ड है किन चीजों का उत्पादन किया जाय। अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति आदि ने भी आधुनिक व्यवसायों को अपनाने में मदद की है (वैयक्तिक अध्ययन-1)

सूचनादाता "ग" एक वकील हैं यह भी इलाहाबाद के एक उपनगर फूलपुर के रहने वाले हैं इनके परदादा वहाँ खेती करते थे तथा कपड़ा भी हथकरघे पर बुनते थे पिता ने केवल कपड़ा घूम घूम कर बेंचने का व्यवसाय अपनाया और वे गांव छोड़कर शहर आ गये इस प्रकार पिता के शहर आ जाने से इनकी शिक्षा पूरी हुयी और ये सरकारी वकील बने, इनके अनुसार अन्सारी समुदाय दो वर्गों में बटा है एक जो आर्थिक रुप मे कमजोर तथा मजदूर पेशा वर्ग हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है वह या तो बीड़ी बनाते हैं अथवा स्टील अलमारी तथा बक्स के कारखाने में मजदूरी करते हैं दूसरा वर्ग मालिक है वह चाहे बक्से के कारखाने का मालिक है अथवा बीड़ी का कारखाने वाला इसी दूसरे वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी है - शहरी क्षेत्र में आधुनिक व्यवसायों को अपनाने की प्रवृत्ति के पीछे आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही है।

"अ" सूचनादाता- रैक्सीन तथा चमड़े के हर प्रकार के बैग बनाने के काराखानेदार हैं- इनकी चौक में दुकान है यह चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं जो दुकान पर बैठते हैं इनके परदादा स्टील ट्रक इस दुकान पर बेंचते थे (जो वे कारखाने दारों से खरीदते थे) दादा तथा पिता ने भी स्टील ट्रक को बेंचा लेकिन पिछले 20 वर्षों में इस उद्योग में भारी गिरावट आ गयी अब लोहे के बक्स का स्थान छोटी हल्की अटैचियों ने लिया है बड़े बैग आदि का प्रयोग होने लगा वर्तमान में लोहे का केवल बड़ा बाक्स इस्तेमाल किया जाता था कपड़ों के रखने के लिये अत. इनके पिता ने दस वर्ष पूर्व अपनी दुकान के परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन किया वे दिल्ली तथा बम्बई से लाकर रैक्सीन तथा चमड़े की अटैची तथा बैग होल्डाल आदि बेंचते थे लेकिन सूचनादाता जो बी0काम0 तक शिक्षित हैं उसने एक छोटा कारखाना खोला जिसमें रैक्सीन तथा चमड़े के हैणड बैग तैयार किये

एडवोकेट का आफिस

एडवोकेट का आफिस

जाते हैं उनके कारखाने में केवल सात कारीगर हैं। उनमें केवल दो अन्सारी जाति के कारीगर हैं और पाँच अन्य जातियों के। सूचनादाता ने स्वीकार किया कि अपने छोटे कारखाने से वे इतना माल तैयार करते हैं कि वे इस माल को अपनी दुकान में रखते हैं और अन्य चौक की दुकानों में भी दे देते हैं। कहने का यहाँ यह अर्थ है कि परम्परागत समुदाय में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को हम आर्थिक सस्थाओं में प्रक्रियात्मक स्वरूप में देखते हैं कि किस प्रकार समयानुसार व्यवसाय का स्वरूप आधुनिक होता जा रहा है। (वैयक्तिक अध्ययन 22)

इलाहाबाद का अन्सारी समुदाय अपने लिये "सौदागर- जैसे प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग करता है वह जुलाहा शब्द का प्रयोग करना नापसन्द करता है पूछे जान पर कि वे नाम के आगे अन्सारी शब्द लगाते है लेकिन जुलाहा शब्द के उच्चारण को स्वीकार नहीं करते हैं।

"अ" एक प्रतिष्ठित राजनैतिक तथा नगर पालिका के सदस्य रह चुके वकील हैं (देखिये वैयक्तिक अध्ययन 31) उन्होंने ने स्वीकार किया कि शहरी समुदाय में अधिकतर लोग विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हैं अतः पहले उन्हें सौदागर कहा जाता था आज भी मिन्हाजपुर (इलाहाबाद का एक अन्सारी बाहुल्य मोहल्ला) में कई अन्सारी परिवार अपने को सौदागर कहते हैं तथा अपने कों कपडा बुनने वाले ग्रामीण इलाकों से अपना कोई सम्बन्ध नहीं जोडते हैं तथा अपने को अन्य अन्सारियों से श्रेष्ठ समझते हैं पचास वर्ष पहले शहर में अन्सारी समुदाय के दो प्रमुख टाट थे- 1-देहाती टाट (2) शहरी टाट। वे अपने ही टाट मे विवाह करना पसन्द करते थे लेकिन वर्तमान समय में शहरी तथा देहाती टाट में किसी तरह का विवाद नहीं है वे लुप्त हो चुके हैं कारण स्पष्ट है विवाह में वर्तमान समय में परिवार की आर्थिक स्थिति तथा लड़के की शिक्षा नौकरी तथा व्यवसाय को प्राथमिकता दी जाती है। अतः आर्थिक गतिशीलता के फलस्वरुप व्यवसाय के क्षेत्रों को विस्तार होता जा रहा है। जैसे दवाई की दुकान के व्यवसाय को अपनाना मकान बनाने में जिन लोहे की चीजों का प्रयोग होता है उसकी दुकान, चौक क्षेत्र में सबसे अधिक हार्डवेयर की दुकानें अन्सारी समुदाय की है शिक्षित युवा वर्ग भी आधुनिक व्यवसाय को अपनाने में प्राथमिक्ता देता है।

"ब" सूचनादाता शिक्षक है वे अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं उनके परदादा- जौनपुर में कपड़े बुनने का काम करते थे वे वहाँ से इलाहाबाद आ गये और यहाँ उन्होंने बिसात खाने की दुकान खोली इस प्रकार उन्होंने जो दुकान खोली वह आज भी चौक में है इनके अन्य भाई डाक्टर, इन्जीनियर, सरकारी आफीसर हैं लेकिन दो भाई जो बी0काम0 तथा एम0ए0 पास हैं वे अपने पैतृक व्यवसाय को करते हैं (देखिये वैयक्तिक अध्ययन 11) इस प्रकार एक ही परिवार में परम्परागत तथ आधुनिक दोनों प्रकार के व्यवसायों को अपननाने की प्रवृति मौजूद है।

तालिका संख्या-2 में दी गयी सूची से स्पष्ट होता है कि आधुनिक व्यवसाय में प्रतिष्ठित व्यवसाय डाक्टर, इन्जीनियर, अध्यापक, सरकारी आफीसर के अतिरिक्त निम्न आर्थिक स्थिति के व्यक्तियों के द्वारा जिनकी सख्या अधिक है अकुशल श्रमिक के रुप में व्यवसायों को अपनाया जाता है जैसे रिक्शा चालक साइकिल बनाने वाले, ठेले पर सामान बेंचने वाले जूते बनाने वाले आदि। विभिन्न कारीगरी के श्रमिक के रुप में व्यवसायों को करते हुए इस समुदाय के सदस्य दिखाई देते है अतः कुल 110 सूचनादाताओं के क्षेत्रीय वैयक्तिक अध्ययन में 68 सूचनादाता आधुनिक व्यवसाय से समबन्धित है।

परम्परागत व्यवसायों में आर्थिक हानि होने के कारण अधिक से अधिक आधुनिक व्यवसायों को अपनाने की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। जब एक समुदाय अपने समाज में सामाजिक स्थिति में निचली स्थिति में होता है तब परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरुपन उस समुदाय में अपनी प्रतिभा तथा प्रयत्न से महत्वपूर्ण स्टेटस् प्राप्त कर लेता है तो वह आने वाली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है।

सूचनादाता "ग" एक प्रतिष्ठित चिकित्सक है (वैयक्तिक अध्ययन तीन) हम उनके वैयक्तिक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक कपड़े बनाने वाला दर्जी अपने पुत्र को चिकित्सक बनाता है। चिकित्सक अपने पुत्रों को इन्जीनियर चिकित्सक सरकारी अधिकारी बनाने के लिये प्रयन्नशीन्न है इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कह सकते है कि अन्सारी समुदाय मुस्लिम समाज में जाति संस्करण के निम्न जाति (अजलाफ) है लेकिल वर्तमान पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को मार्ग दर्शन दे रही है। अतः हम आधुनिक व्यवसाय से सम्बन्धित वैयक्तिक अध्ययनों की सम्पूर्ण सूची में पाते हैं कि शिक्षा के माध्यम से आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सम्भावनायें मौजूद हैं।

अन्सारी समुदाय के आर्थिक पक्ष में महिलाओं की भूमिका

इस्लाम में स्त्री तथा पुरुषों को उनके अधिकार धार्मिक कर्तव्यों के आधार पर दिये गये हैं "इस्लाम में परिवार" अध्याय के अन्तर्गत इनकी विस्तृत व्याख्या की गयी है। पुरुष को परिवार का मुखिया इस आधार पर कहा गया है कि अपने परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसका प्रथम कर्तव्य है। संरचनात्मक दृष्टि के अन्तर्गत इस्लाम में हम जिन सुविधाओं की बात महिलाओं के सन्दर्भ में करते हैं प्रक्रियात्मक रुप इसके विपरीत दिखाई देता है। जिस प्रकार हम व्यवसायों को परम्परागत तथा आधुनिक दो कोटियों में बाँट देते है उसी प्रकार परिवार भी बँट जाते हैं और जब परिवार की स्थिति में प्रकारों का विभाजन हो जाता है तो उनकी भूमिका में परिवर्तन आ जाना स्वाभाविक है।

महिलाओं की आर्थिक पक्ष के भूमिका के अन्तर्गत निम्न स्थितियाँ हैं जो प्रभावित करती है।

अन्सारी वृद्ध महिला

बीड़ी बनाने वाली महिला श्रमिक

1. शिक्षा

2. पर्दा

3. सामाजिक पर्यावरण

4. पारिवारिक स्थिति

शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक पक्ष के सन्दर्भ में है यद्यपि इस्लाम में कहीं भी स्त्री शिक्षा का विरोध नही किया है परन्तु अन्सारी समुदाय में जाति सस्तरण की निचली स्थिति के अनुसार भूमिका दिखाई देती है। पिछले पन्द्रह-बीस वर्षों में विवाह की आयु में बृद्धि हुई है- वर्तमान सूचनादाता (वैयक्तिक अध्ययन दो देखिये) सत्तर वर्ष की महिला है उन्होंने स्वीकार किया पहले कम उम्र में विवाह होतें थे अत. लड़कियाँ शिक्षा नही प्राप्त कर पाती थी। उस समय शिक्षित होने का तात्पर्य था घर में कुरान पढ़ लेना लेकिन वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि शिक्षा को एक आवश्यकता के रुप में अपनाया जाने लगा है।

लेकिन अन्सारी परिवारों की ढेरों महिलायें इलाहाबाद के बीड़ी के व्यवसाय से जुड़ी हैं इसका सबसे बड़ा कारण परिवार की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना है। बीड़ी के कारखाने वालों ने इस बात को स्वीकार किया कि बहुत से परिवारों में पुरुष तथा महिलायें दोनों ही बीड़ी बनाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं लेकिन सबसे अधिक सख्या महिलाओं की हैं जो बीड़ी बनाती हैं। घर पर रहकर वे बीड़ी बनाकर दस या पन्द्रह रुपये रोज कमाती हैं। पुरुष अगर अन्य व्यवसाय भी करता है तब भी घर ठीक प्रकार चलाने के लिये महिलायें बीड़ी बनाती हैं यह पूछे जाने पर कि वे घर के काम से समय निकाल कर बीड़ी क्यों बनाती हैं तब उनका उत्तर था कि अतिरिक्त व्यक्तिगत खर्चों के लिये वह अतिरिक्त मेहनत करती हैं पैसे कमाने का इससे अच्छा तरीका वह नहीं जानती हैं।

इलाहाबाद के किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में कूड़े के ढेर में सबसे अधिक कूड़ा बीड़ी बनाने के काम आने वाली कटी छटी पत्तियों का होता है वह इस बात का सूचक है कि यह व्यवसाय किस प्रकार घर-घर में व्याप्त है। ऊंची जातियों की महिलायें भी यद्यपि परिवार के आर्थिक पक्ष में मदद करती हैं लेकिन बहुत कम महिलायें हैं जो बीड़ी बनाती हैं। अन्सारी समुदाय की निचले वर्ग में हम 90 प्रतिशत महिलाओं को बीड़ी बनाते हुए पाते हैं।

शिक्षा के विकास ने महिलाओं की स्थिति को परिवर्तित किया है। अत· उन परिवारों में हमें शिक्षा के प्रति जागरुकता दिखाई देती है। मुस्लिम अल्पसख्यक स्कूल की प्रधानाचार्या ने साक्षात्कार के समय बताया कि छोटी लड़कियों को उनकी मातायें ही दाखिला दिलाने लाती हैं उनके पिता साथ में बहुत कम आते हैं वे घर में बीड़ी बानाकर लिफाफे बनाकर सिलाई करके अपनी पुत्रियों को पढ़ाना चाहती हैं। प्रधानाचार्या के अनुसार

पिछले बीस वर्षों में शिक्षा के प्रति अत्यन्त जागरुकता आ गयी है वह वर्ग जो शिक्षा के प्रति उदासीन था अब वह अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिये शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान समय में विवाह की आयु बढ़ जाने से भी उनके सामने शिक्षा प्राप्त करने का समय रहता है उन्हें शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं और इस अवसर का वे लाभ उठा रही हैं।

सूचनादाता "क" (वैयक्तिक अध्ययन 31) एक प्रतिष्ठित वकील हैं। उनके दो बेटे वकील हैं और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की भी वकालत की शिक्षा दिलाई है वह अपने पति के निर्यात के व्यापार में मदद करती हैं इस प्रकार इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय में हम उच्च पदों पर जैसे चिकित्सक, प्रवक्ता, शासनाधिकारी आदि के रूप में महिलाओं को देखते हैं। किसी भी परम्परागत समाज में ऐसी स्थिति क्रान्तिकारी स्थिति होती है क्योंकि स्त्री शिक्षा से परिवार के सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं।

एलिन रास (1967) बगलूर के एक शहरी परिवार का क्षेत्रीय अध्ययन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि मध्य तथा उच्च वर्गों की हिन्दू लडकियों की शिक्षा अभी तक विवाह के उद्देश्य से दी जाती है अजीविका के लिये नही उक्त क्षेत्रीय निष्कर्ष को हम अन्सारी समुदाय में भी पाते हैं क्योकि अभी भी शिक्षा को अजीविका का मुख्य साधन नही माना गया है लेकिन शिक्षा प्राप्त करके अजीविका प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

पर्दा प्रथा के कारण भी वे बाहर काम नहीं कर पाती हैं जैसे जैसे समाज में पर्दा प्रथा कम होती जा रही है वैसे-वैसे वे बाहर निकल रही हैं वैसे भी इस्लाम में पर्दे की व्याख्या स्त्री को अपने शरीर को ढकने के लिये कहा गया है जिससे पुरुष आकर्षित न हो और समाज में इस कारण बुराई न आने पाये पुरुषों को भी नजर नीची करके चलने का निर्देश है परिवर्तित स्थितियों में हम पाते हैं कि अधिक उम्र की महिला तो नकाब पहने हैं लेकिन नवयुवती नकाब नहीं पहने हैं कहने का तात्पर्य यह है पर्दा प्रथा में पिछले दस वर्षों में भयकर परिवर्तन आ चुका है। इसी का परिणाम है कि महिलाओं उद्योगों की ओर भी आकर्षित हुई हैं।

सामाजिक पर्यावरण भी परिवर्तित हुआ है इलाहाबाद में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मुस्लिम समुदाय अन्य समुदायों के साथ रहता है जैसे सरकारी कालोनी में सभी सम्प्रदाय के लोग मिल-जुलकर रहते हैं। अतः अन्सारी समुदाय की **महिलाओं** में भी एक चेतना जागृत हुई है यह स्वालम्बन की दिशा में एक कदम है। आर्थिक रुप से आत्म निर्भर होने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। अब वे केवल घर की चहारदीवारी में रहकर काम नहीं करना चाहती बल्कि बाहरी क्षेत्रों में जाना चाहती हैं।

पारिवारिक स्थिति भी महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को सफल बनाने में पूर्ण योगदान देती है "क"

सूचनादाता (वैयक्तिक अध्ययन 102) एक महिला चिकित्सक है वे उनके पिता जो एक सरकारी वकील हैं उनकी एक बहन प्रवक्ता है अन्य बहने कम्पटीशन की तैयारी करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं उन्होंने अपने चिकित्सक बनने के पीछे अपने पारिवारिक स्थिति को जिम्मेदार बताया उनके माता-पिता हमेशा चाहते थे कि वे कुशल चिकित्सक बने अतः उन्होंने बी0एस0सी0 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उसी वर्ष वे चुन ली गयी। अर्थात आर्थिक निर्भरता में सफलता तभी प्राप्त होती है जब परिवार का पूर्ण सहयोग मिलता है।

अत. परम्परागत सामाजिक सरचना में पर्दा प्रथा, अशिक्षा, असुरक्षित सामाजिक सास्कृतिक पर्यावरण के दुर्बल हो जाने से परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है जैसे अन्सारी समुदाय में पिछली तीन चार पीढ़ियों में आर्थिक स्थिति अत्यन्त दुर्बल थी अत· अन्सारी समुदाय अशिक्षित पिछड़ा गरीब समाज था शिक्षा ने तथा व्यवसायिक उन्नति ने उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इस प्रकार अन्सारी समुदाय की पिछड़ी स्थिति के कारण महिलाओं की स्थिति अत्यन्त पिछड़ी है फिर भी इस क्षेत्रीय अध्ययन के द्वारा स्पष्ट हुआ है कि वे आर्थिक रुप से परिवार की मदद करती हैं बीड़ी बनाकर अथवा घर में होने वाले उद्योग में उनकी आर्थिक सहभागिता देखी जा सकती है। "अ" सूचनादाता के परिवार में टाइप ढालने का काम होता है उस परिवार में घर के काम के बाद जितनी भी महिलाओं तथा बच्चों को समय मिलता है वे टाइप के अक्षरों की छटाई करते हैं। इस प्राकर गृह उद्योग में उस परिवार की महिलाओं की पूर्ण आर्थिक सहाभागिता दिखाई देती है (देखिये वैयक्तिक अध्ययन- 40)।

वर्तमान समय में सम्पूर्ण समाज में आर्थिक उन्नति की दिशा में प्रयास दिखाई देते हैं अतः महिलायें भी इस क्षेत्र में पीछे नही हैं। परिवार में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उनकी आर्थिक सहभागिता है।

अन्सारी समुदाय की आर्थिक संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया

एक परम्परागत सामाजिक संरचना में एक व्यक्ति को निरन्तर अपने को कायम रखने के लिये सतर्क रहना होता है यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि गतिशील समूह के द्वारा उन विशेषताओं को शीघ्रता से ग्रहण कर लिया जाता है जिनको उच्च स्थिति समूहों द्वारा छोड़ा जाता है यह स्थिति आर्थिक सम्बन्धों में और भी स्पष्ट होती है पाँच-छः दशक पहले उच्च जातियों की आर्थिक स्थिति भी ऊंची होती थी वर्तमान में ऐसा नहीं है। जाति परिपेक्ष्य में उच्च जातियों की सामाजिक स्थिति आज भी ऊंची है लेकि न आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है किसी भी प्रकार का जातिगत निषेध नहीं है।

अतः शहरी समुदाय में हुए आर्थिक गतिशीलता के फलस्वरुप विभिन्न व्यवसाय दिखाई देते हैं जैसे-जैसे आर्थिक विकास हो रहा है समाज में परिवर्तन की स्थिति पैदा हो रही है आर्थिक संरचना में परिवर्तन के

कारण समाज की अन्य सरचनायें भी प्रभावित हो चुकी हैं इलाहाबाद के मऊआइमा के बृद्ध सूचनादाताओं के अनुसार जैसे-जैसे अन्सारी समुदाय की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया वैसे-वैसे उच्च जाति की सामाजिक भूमिका पर भी प्रभाव पड़ा। आजादी के पहले यह समुदाय जहाँ हथकरघा पर कपड़ा बुनने वाला गरीब श्रमिक था उसके पास खेती की भूमि भी बहुत कम थी लेकिन इस समुदाय ने अपने अथक परिश्रम से श्रमिक से अपने को मालिक में बदल लिया अब वहाँ अधिकतर बिजली से चलने वाले लूम के वे मालिक हैं उनके पास अपने खेत हैं तथा उनके प्रत्येक परिवार से एक या दो व्यक्ति भिवण्डी में कारोबार कर रहे हैं तथा पढ लिख कर उच्च सरकारी पदों पर हैं। एक गर्ल्स इण्टर कालेज भी इस समुदाय के प्रयत्न स्वरुप खुला है जिससे एक कस्बे में स्त्री शिक्षा का विकास इसी समुदाय के प्रयत्नों का फल है।

आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही इस समुदाय के बहुत से वैवाहिक रीति रिवाजो तथा अन्य रीति रिवाजो में परिवर्तन आया है उन्होंने उच्च जातियों के बहुत से तरीके अपना लिये हैं- शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हम आर्थिक परिवर्तन पाते हैं। इलाहाबाद के पास फकीराबाद में अन्सारी खेती करते तथा बीड़ी बनाते हैं= खोया, भूपतपुर में भी अन्सारियों की अधिक संख्या है और वे वहाँ पर बीड़ी बनाते हैं। कर्मा उमारी गाव जो हिन्दू, अन्सारी तथा पठानों का मिला जुला गाव है अधिकतर अन्सारी लोग बीडी बनाते हैं दूसरों की जमीन पर खेतिहर श्रमिक हैं। परन्तु वर्तमान समय में अन्सारियों की काफी संख्या गावो से अरब चली गयी है अथवा बम्बई चली गयी है वहाँ से पैसा कमाकर भेजते हैं और उनके मकान पक्के बनने लगे हैं। मूरतगज के अन्सारी भी खेती करते तथा बीड़ी बनाते हैं। इस गांव के लोग कलकत्ते में मजदूरी करने तथा व्यापार के सिलसिले में चले गये हैं।

उपरोक्त स्थितियाँ यह निष्कर्ष प्रस्तुत करती हैं कि वर्तमान पीढ़ी अपने परिश्रम के बल पर अपनी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को परिवर्तित कर चुकी है तथा करने के लिये प्रयत्नशील है। इस प्रकार नगरीकरण, औद्योगीकरण, शिक्षा तथा सवैधानिक प्रयत्नों द्वारा शताब्दियों से चले आ रहे सामाजिक धार्मिक निषेधों में भारी परिवर्तन आ गया है। शहरों में व्यवसायों की विविधता ने पैतृक पेशों के अस्तित्व को लगभग समाप्त सा कर दिया है। औद्योगीकरण ने सभी को रोजगार के नये अवसर प्रदान कर दिये हैं जिसने अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों को प्रभावित किया है। इससे परम्परागत निष्ठा भी प्रभावित हुई है यही कारण है कि क्षेत्रीय अध्ययन में हम पाते हैं कि परम्परागत व्यवसायों 32 प्रतिशत है तथा आधुनिक व्यवसाय 62 प्रतिशत है। यद्यपि एक शहरी बहुल समुदाय को जिसमें व्यवसायिक विविधता हो आँकडों के आधार पर आर्थिक परिवर्तन को नही आँका जा सकता। यही कारण एक ओर उच्च आर्थिक वर्ग की विशेषतायें मौजूद हैं तो दूसरी ओर निम्न आर्थिक वर्ग की विषमतायें, यह स्थिति एक शहरी समुदाय की आर्थिक स्थिति का परिचय देती हैं।

दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अन्सारी समुदाय के आर्थिक पक्ष में महत्वपूर्ण परिवर्तन आधुनिकीकरण नगरीकरण औद्योगीकरण आदि स्थितियों के कारण सम्भव हुआ है।

अध्याय- 6

अंसारी समुदाय का धार्मिक संगठन

इस्लाम धर्म

धर्म प्राकृतिक प्राणियों, शक्तियों, स्थानों तथा अन्य वस्तुओं से संबधित विश्वासों एव रीतियों की एक सुसगत प्रणाली है। ऐसी प्रणाली जिसका उसके अनुयायियों के व्यवहार और कल्याण पर प्रभाव पडता है। ऐसा प्रभाव जिन्हें अनुयायीगण अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के विभिनन अशों में और विभिन्न तरीकों से स्वीकार करते हैं।

धर्म अपने मतों रीतियों और सगठनों में भिन्न होते हैं क्योंकि भावनायें व्यक्तिगत होती है तथा धार्मिक विश्वास बिना प्रश्नचिन्ह के स्वीकार किये जाते हैं। धर्म के आवश्यक तत्व अथवा विशेषतायें प्रत्येक धर्म में समान पायी जाती है जो मुख्य रुप से निम्न है।

विश्वास- धर्म का यह मूल आधार है। सभी धर्म किसी न किसी प्रकार की अलौकिक सत्ता में विश्वास करते हैं। धर्म उन विश्वासों को निरीक्षण-परीक्षण (विज्ञान) की कसौटी में नहीं तौलता है- वह उस विश्वास के प्रति समर्पण की बात करता है इसमें परीक्षा की बात नहीं होती है।

मानसिक उद्वेग- धर्म में विश्वास पर आधारित धार्मिक मनोवृति और मानसिक उद्वेग जैसे भय, श्रद्धा एव भक्ति पायी जाती है। अत. धार्मिक मनोवृत्ति तथा उद्वेग का सम्बंध भावना और विश्वास से अधिक होता है, बुद्धि से कम। इसीलिये धर्म में अधविश्वास तथा अन्धानुकरण की प्रवृति अधिक होती है।

धार्मिक क्रियायें- धार्मिक क्रिया-कलाप सस्कार धर्म का एक आवश्यक तत्व है। अत· धर्म मानव जीवन व प्रकृति को संचालित एवं नियत्रित करता है। उस अलौकिक सत्ता को प्रसन्न करने से जीवन में अधिक से अधिक सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है जबकि उसके अप्रसन्न होने का अर्थ है जीवन में असफलता दु ख और कष्ट। अतः प्रत्येक धर्म में धार्मिक क्रियाओं की एक व्यवस्थित एव विस्तृत योजना होती है। धार्मिक सामग्री- धार्मिक क्रियाओं एव सस्कारों को पूरा करने के लिये कुछ भौतिक सामग्री एव उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। सभी धर्मों में यह अलग-अलग होती है जैसे मुसलमानों में नमाज पढ़ने के लिये जानामाज (एक प्रकार का कपड़ा जिस पर बैठकर नमाज पढ़ी जाती है) आदि। हिन्दुओं में गगाजल, हल्दी, सुपारी आदि।

धार्मिक प्रतीक- सभी धर्मों के अलग-अलग प्रतीक होते हैं- जैसे हिन्दुओं के पूजास्थल मंदिर-धार्मिक ग्रन्थ आदि मुसलमानों की मस्जिद धार्मिक ग्रन्थ अल-कुरान आदि यह धार्मिक प्रतीक किसी धर्म के अनुयाइयों में सगठनात्मक समूह भाव और एकता के विकास की दृष्टि से अत्यत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति तथा समाज की दृष्टि से धर्म के अनेक कार्य हैं और प्रत्येक धर्म में इनको सैद्धातिक स्वरुप चाहे भिन्न हो लेकिन कार्यात्मक

रूप एक हैं।

1 धर्म व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का मार्ग दर्शन करते हैं।

2. मानसिक शाति एवं मानिसक शक्ति, व्यक्ति तथा समाज दोनों को प्रदान करते हैं।

3. व्यक्ति तथा समाज की मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सभी प्रकार सुरक्षा प्रदान करते हैं।

4. समाज के कल्याणकारी कार्य भी अप्रत्यक्ष रुप से करते हैं।

5. व्यक्ति के समाजीकरण में भी इनकी अहम भूमिका होती है।

6. समाज में सामाजिक एकता और सामाजिक संगठन को बनाये रखने में सहायक होते हैं।

7. सामजिक स्थायित्व को बनाये रखते हैं।

8 सामाजिक निमत्रण में इनकी भूमिका अत्यत महत्वपूर्ण हैं।

अतः उपरोक्त धर्म के सामान्य प्रकार्यों को अधिकाश धार्मिक समुदायों में देखा जा सकता है।

असारी समुदाय का धार्मिक सगठन इस्लाम पर आधारित है।

"इस्लाम" शब्द का अर्थ "आत्म समर्पण" है (अल्लाह की मशा के अनुसार जैसा कि हजरत मोहम्मद ने बताया)।

जानसन का समाज शास्त्र पेज न0 399 के अनुसार हजरत मोहम्मद का जन्म सन् 570 में अरब में दक्षिण में स्थित मक्का में हुआ था उनके पिता हजरत अब्दुल्ला का देहान्त उनके जन्म के पूर्व हो गया था तब जब वे छह वर्ष के हुए तो माता आमना परलोक सिधार गयी। उनका पालन-पोषण उनके दादा अब्दुल्ला मुत्तलिव ने किया। मोहम्मद साहब, सच्चाई, ईमानदारी और चारित्रिक गुणों के कारण समाज में सम्मानीय हैसियत रखते थे पच्चीस वर्ष की उम्र में उनका विवाह धनवान विधवा खतीजा से हुआ। अरब उस समय छोटे-छोटे कबीलों में बटा था उनके अलग-अलग देवी देवता थे मक्का में कुछ यहूदी और इसाई भी रहते थे मोहम्मद साहब पहले इन्सान थे जिन्होंने पूरी ताकत से बताया कि अल्लाह एक है और वही पूरे ब्रह्माण्ड का पालनहार है। उन्होंने कभी जोर जबरजस्ती के द्वारा किसी को इस्लाम में शरीक करने का प्रयास नही किया यही कारण है आपके चाचा अबु-तालिब पचास वर्षों तक आपके साथ रहे और आप मुसलमान नही हुए। आपने अपनी जीवन शैली को कुरान के अनुसार चलाया और अपने अनुयाइयों (इस्लाम धर्म को मानने वाले) को भी कुरान के अनुसार चलने की हिदायत दी।

उन्होंने कहा कि जो शक्स अल्लाह (ईश्वर) पर विश्वास रखता है उसको चाहिये कि अतिथि का स्वागत करे और अपने पड़ोसी को न सताये वह चाहे किसी भी धर्म में विश्वास रखता हो। जुबान से कोई बात कही तो उसमें दूसरों की भलाई शामिल होनी चाहिए। खुदा के ऊपर है वह जिसे चाहे क्षमा करे जिसे

चाहे सजा दे। मोहम्मद साहब का जीवन बहुत सादा आम आदमी की तरह था वह सुबह उठते भेड़ बकरिया चराते घर आकर बकरी का दूध दुहते। पहनावे में आस्तीन वाली कमीज और अक्सर सर पर साफा बाँधते थे सोने के लिये टाट की बोरी का प्रयोग करते थे। अरब के कबीले जाहिल, ख़ूंखार और लडाके थे और आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे। मोहम्मद साहब ने एक ख़ुदा के नाम पर उन्हें एक सूत्र में पिरोया और उन्हें एक रचनात्मक दिशा प्रदान की। इस्लाम का अर्थ ही है सलामती या सुरक्षा।

सामूहिक धार्मिक क्रियायें

समस्त भारतीय मुस्लिम समुदाय उन्ही बारह महीनों को मानता है जो अरबी महीने है। हिन्दू महीनों की तरह अरबी महीनों का आरम्भ चाद के हिसाब से होता है। चाद के निकलते ही महीना प्रारम्भ होता है। चाँद के डूबते ही महीना समाप्त होता है।

अरबी महीनों के नाम

1 मुहर्रमुल अल हराम

2. सफरुल मुजफ्फर

3. रबी उल अव्वल

4. रबी उस सानी

5. जमादुस अव्वल

6. जमादुस्सानी

7. रजबुल मुरज्जब

8. शाबानुल मोअज्जम

9. रमजानुल मुबारक

10. शव्वालुल मोर्करम

11. जीक़दा

12. ज़िलहिज्ज

इन बारह महीनों में कुछ महीने ऐसे हैं जिनका अत्यंत धार्मिक महत्व हैं वे निम्न है :-

(1) **मुहरमुल अल-हराम-** यह वर्ष का पहला महीना है और इस महीने को अत्यधिक बरकत वाला माना जाता है इस महीने में अनेकों घटनायें हुई हैं। जिससे इसका महत्व और भी बढ गया है। कर्बला की घटना से पहले अरब के लोग ईद इसी महीने में मनाया करते थे।

इस महीने की महत्ता तब से शुरु होती है जबसे दुनिया बनी। "आदम" उनकी जरा सी गलती के सजा के फलस्वरुप उन्हें जन्नत से जमीन पर फेका गया तब वह चालीस साल तक अपनी गलती पर रोते रहे और अपनी गलती की माफी मागते रहे तब खुदा को उन पर तरस आया और उन्होंने उन्हें माफ किया। अत इस महीने की पहली महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि हजरत आदम की दुआ कुबूल हुई।

हजरत आदम के बाद बहुत से पैगम्बर दुनिया में धर्म को फैलाने आये और उन्होंने दुनिया वालों को अल्लाह का पैगाम सुनाया फिर भी दुनिया में बुराइया फैलती रही तो उनको खत्म करने के लिए अल्लाह ने अजान नाजिल किया अल्लाह को मानने वालों के बचाने का सेहरा इसी माह के सर बधा।

हजरत इब्राहिम आलिस-सलाम की परीक्षा लेने के लिए आग दहकाई गयी और उस पर गुजरने की शर्त लगाई गयी ताकि उनके नबी होने की जाच की जा सके। जब हजरत इब्राहिम आग में घुसे तो खुदा के हुक्म से आग ठण्डी हो गयी यह घटना भी इसी महीने हुई थी।

हजरत नूह अलिस सलाम की नँाव इसी महीने में सैलाब (बाढ़, प्रलय) से पार लगी थी।

हजरत यूनूस अलिस-सलाम इसी महीने मछली के पेट से बाहर निकले थे।

इस महीने की बाईस तारीख को खाना काबा की नीव पड़ी थी। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण घटना करबला की है जिसमें हजरत इमाम हुसैन अलिस-सलाम ने अपने सत्ताइस साथियों को लेकर यजीद के जबरदस्त लशकर का मुकाबला किया तीन दिन बिना खाना पानी के मुकाबला करते हुए खुदा की राह में कुर्बान हो गये थे। इस अजीम कुर्बानी ने इस्लाम में नई जान डाल दी थी।

(2) **सफाइल मुजफ्फर-** यह अरबी महीने का दूसरा महीना है। इस महीने के बारे में हदीस में लिखा गया है कि आसमान से सत्तर हजार बलायें (परेशानियां) उतरती है। अत इस महीने में बहुत अधिक धार्मिक क्रियायें करनी चाहिए जिससे उन बलाओं (परेशानियों) से बचा जा सके।

मोहम्मद साहब ने एक लम्बी बीमारी के बाद गुसल सेहत (तन्दुरुस्ती के लिए किया गया स्नान) किया था अतः इस कारण भी इस महीने का महत्व बढ़ जाता है।

(3) **रबी-उल-अव्वल-** इस महीने में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था- उनके जन्म की तारीख को लेकर मतभेद है कुछ लोग इस महीने की नौ तारीख बताते हैं तथा कुछ 12 तारीख तथा इसी महीने की बारह तारीख को ही उनकी मृत्यु भी हुई थी अत यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(4) **रजबुल मुरज्जब-** यह महीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में मोहम्मद साहब सशरीर आसमान पर गये थे वहां उन्होंने तमाम नबियों से मुलाकात की और अल्लाह (ईश्वर) से भी मिले और मुसलमानों के लिए पांच समय की नमाज और एक महीने का रोजा इसी महीने से शुरु हुआ था। इसी महीने

की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनउद्दीन चिश्ती साहब का भी उर्स होता है।

(5) रबी-उस-सानी- इस महीने में अब्दुल-कादिर-जिलानी जो बड़े पीर साहब के नाम से जाने जाते हैं, पैदा हुए थे। इस्लाम को फैलाने में आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपने इस्लाम को इस कदर अपनाया तथा ऐसे-ऐसे काम किये कि आपका नाम इस्लाम में सबसे ऊपर लिया जाने लगा और पीर साहब कहलाये। आपकी मृत्यु इस माह की ग्यारह तारीख को हुई थी। वह तारीख ग्यारहवी शरीफ इस माह का यह महत्वपूर्ण त्योहार है। सभी इस्लाम को मानने वाले लोग इस दिन को इसी प्रकार मनाते हैं।

(8) शाबानुल मुअज्जम- यह आठवां महीना भी इस्लाम में अत्यत महत्वपूर्ण है। इस महीने में चाँद की चौदह तारीख की रात शबेकदर की रात कहलाती है। इस रात को पूरे वर्ष के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। पूरे वर्ष में कौन पैदा होगा किसकी मृत्यु होगी यह भी तय होता है। अतः इस रात में अधिक से अधिक प्रार्थना की जाती है। अल्लाह से दुआयें माँगी जाती है। कहा जाता है इस रात में दुआयें माँगने पर अल्लाह उन्हें कबूल करता है और दूसरे दिन अर्थात् पन्द्रहवें दिन रोजा (व्रत) रखा जाता है।

(9) रमजानुल मुबारक- यह महीना बहुत मुबारक माना जाता है। इस महीने में मुसलमानों के जो मुख्य फर्ज हैं नमाज रोजा जकात हज . । उनमें रोजा के फर्ज की अदायगी इसी महीने होती है- रोजे में सुबह सूरज निकलने से पूर्व फजिर की नमाज के पहले कुछ खाने की चीजें खा लिया जाता है जिसे सहरी कहते हैं। उसके बाद शाम को मगरिब की नमाज की अजान (नमाज पढ़ने के लिये मस्जिद से बुलाने के लिए जो आवाज दी जाती है) सुनकर पहले मुह में खजूर डालकर रोजा तोड़ा जाता है। एक प्रकार से यह सयम का महीना है। पूरे महीने इस प्रकार का रोजा रखने से मनुष्य को भोजन की महत्ता का पता चलता है। बिना पानी पिये रहने से पानी की कीमत पता चलती है- और मनुष्य पूरे समय उपासना में रहते हुए रोज के जरुरी काम भी करता है। इसके साथ-साथ हर व्यक्ति को रात में इशा की नमाज के बाद कुरान शरीफ पढना जरुरी होता है जिसे तराबी कहते हैं। पहले रोजे से पढ़ना शुरु किया जाता है। कुछ लोग एक हफ्ते में पूरी कुरान पढ लेते हैं। कुछ लोग अधिक समय लगाते हैं। इस प्रकार पूरा महीना बीतने के बाद चाँद देखकर ईद मनाने की घोषणा की जाती है- ईद की नमाज पढने से पहले सदकए फितरा गरीब रिश्तेदारों, अन्य गरीब लोगों आदि को देना जरुरी है। परिवार में जितने सदस्य होते हैं प्रत्येक सदस्य के नाम से दो सेर तीन छँटाक अठन्नी भर गेहूं अथवा मोटा दुगना अनाज अथवा उसका मूल्य अदा किया जाता है।

जकात भी इसी प्रकार दी जाती है। अगर किसी के पास 100 रुपये भी हैं तो उसे ढ़ाई रुपये देना फर्ज है तथा साढ़े बावन तोला चाँदी अथवा साढ़े सात तोला सोना किसी के पास है तो उसे अपनी इस सम्पत्ति का चालिसवा हिस्सा निकालकर फकीरों, गरीबों तथा अनाथों को देना फर्ज है। सदकाये फितर तथा जकात

निकाल देने के पश्चात ही उस व्यक्ति को ईद की नमाज पढ़ना चाहिए।

उपरोक्त सदर्भ में यह कहा जा सकता है कि एक मुसलमान बहुत मुश्किल से अमीर व्यक्ति बन पाता है क्योंकि उसे अपनी सम्पत्ति में से प्रत्येक वर्ष जकात तथा सदकये फितर निकालकर बाँटना आवश्यक है।

इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गरीब अनाथ फकीर भी जकात के पैसे से ईद में नये कपड़े बना सकें तथा ईद में सिवइयां मिठाइयाँ पकवान आदि बना सकें।

इसके साथ ही इस महीने के आखिरी दस दिनों में कोई एक रात शबें कदर की रात कहलाती है। यह अति श्रेष्ठ रात है। यह 21, 23, 25, 27, 29, तारीख की कोई भी रात हो सकती है। अतः इन रातों में मुसलमान दृढता के साथ उपासना में तल्लीन हो जाता है कहते हैं जो व्यक्ति इन रातों में दृढता से उपासना करता है उसे हजारों गुना पुण्य मिलता है। चाँद देखकर ईद का दिन निश्चित किया जाता है। अत कभी रमजान का महीना 29 दिन का होता है कभी तीस दिन का। इस महीने की 21 तारीख को हजरत अली को भी शहादत हुई थी। इसी महीने में कुरानशरीफ भी नाजिल हुई थी।

(10) **शव्वालुल मोर्करम-** यह रमजान के बाद ईद का महीना होता है। पूरे महीने के बाद जब लोग एक दूसरे के यहा जाते हैं तो सेंवई आदि खिलाकर ईद की खुशी जाहिर करते हैं और ईद की मुबारकबाद देकर एक दूसरे से गले मिलते हैं।

(11) **जीकदा-** अरबी महीने का यह ग्यारहवाँ महीना है- इस महीने की विशेषता यह है कि इस महीने में खाना काबा बनकर तैयार हुआ था। खाना काबा मुसलमानों का सबसे बड़ा उपासना स्थल है। यह दुनिया के मुसलमानों की उपासना स्थलों में एक अकेला स्थल हैं जहाँ चौबीसों घन्टे रात व दिन खुदा की उपासना होती रहती है- दुनिया के किसी भी धर्म में ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहा बिना रुके चौबीसों घटे लोग उपासना कर रहे हों।

(12) **जिलहिज्ज-** यह अरबी महीनों का आखिरी महीना है। इस्लाम के फर्जों में आखिरी फर्ज हज है। दुनिया के प्रत्येक कोने से मुसलमान अरब के मक्का शहर में इकट्ठा होते हैं और इस महीने की नौ तारीख को हज पढकर अपना फर्ज पूरा करते हैं। उसके एक दिन बाद दस तारीख को कुर्बानी होती है तथा कुर्बानी से पहले ईदुज्जहा की नमाज अदा की जाती है- इसको बकराईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद की तरह यह मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्योहार है। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम खुदा के बहुत बड़े उपासक थे उनकी परीक्षा लेने के लिए खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज उन्हें भेंट में दे दें। यह सुनकर उन्होंने यह बात अपने बेटे इस्माइल से बतायी। वह अपने बेटे को सबसे अधिक प्यार करते थे उनका बेटा तैयार हो गया। वे दोनों जगल में गये उनहोने अपने बेटे को लिटा दिया

और अपनी आखों पर पट्टी बाध ली कि कहीं वह प्यार में अपना इरादा न बदल दें। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा उसने बच्चे को हटाकर उसकी जगह दुम्बे को लिटा दिया तब से बकरीद के दिन को मिलाकर आने वाले तीन दिन तक प्रत्येक मुसलमान हैसियत के मुताबिक हलाल जानवर की कुर्बानी करता है जो व्यक्ति जकात अदा करता है उसे ही कुर्बानी करने का हक होता है। इस प्रकार उपरोक्त अरबी महीनों में मुख्य त्योहार मुस्लिम समाज के सभी समुदायों में मनाये जाते है। उपरोक्त त्योहारों का सबध किसी विशेष समुदाय से नहीं होता है। अतर वर्ग का है। उच्च वर्ग में उसके मनाने में अधिक खर्च होता है जबकि निम्न तथा मध्यम वर्ग उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मनाता है।

असारी समुदाय सुन्नी समाज का एक भाग है। इलाहाबाद की अन्सारी समुदाय विभिन्न वर्गों में बटा है। उनका अपना कोई अलग त्योहार नही हैं लेकिन जो लोग लोहे का काम करते हैं वे महीने में अन्तिम बुधवार के दिन फातिहा (प्रसाद) दिलाते हैं।

मुस्लिम समाज में शुक्रवार के दिन एक अलग नमाज पढ़ी जाती है उसको जुमे की नमाज कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन पाच वक्त की निम्नलिखित नमाज पढना जरुरी है।

1. फजिर (सुबह सूरज निकलने से पहले)
2 जुहर (दोपहर जब सूरज ढलना शुरु होता है)
3. असिर (जुहर का वक्त खत्म हो जाने के बाद से सूरज डूबने तक का समय)
4 मगरिब (सूरज डूबते ही इसका समय होता है)
5. इशा (मगरिब का समय समाप्त होते ही आधी रात तक समय रहता है)

जुमे की नमाज के सबंध में हदीस है कि "जिसने अच्छी तरह वजू किया और जुमे में आया और खुतबा (जुमे की नमाज के बाद कुरान की कुछ आयतों के मतलब नमाज पढ़ाने वाला बयान करता है) सुना उसके लिए मगफिरत (मोक्ष, गुनाहों की माफी) की जायेगी। अतः प्रत्येक मुसलमान जुमे की नमाज पढना आवश्यक समझता है। यद्यपि सूचनादाताओं ने स्वीकार किया कि वे सभी धार्मिक फर्ज पूरे करते हैं लेकिन कुछ सूचनादाताओं ने जो अधिकतर मजदूर वर्ग के थे उन्होंने बताया कि वे पूरी नमाजे नही पढ़ पाते हैं इसके साथ ही गरीबी के कारण जो मुसलमान मजदूर वर्ग से सम्बन्धित था वह धार्मिक कर्तवयों को जैसे हज जकात को भी पूरा नहीं कर पाता है।

संस्कार

सामूहिक धार्मिक क्रियाओं में संस्कारों को निम्न प्रकार पूरा किया जाता है।

1. अकीका- बच्चे के जन्म के सात दिन से लेकर इक्कीस दिन के अंदर अकीका (बच्चे के सिर के बाल उतारे जाते हैं तथा बकरे की बलि दी जाती है) किया जाता है यद्यपि समुदाय के लोग दिनों का बंधन नहीं मानते हैं। विवाह से पहले कभी भी यहां तक कि विवाह के दिन भी अकीका किया जाता है लेकिन जैसे-शिक्षा बढ़ी तथा धार्मिक जानकारियां बढ़ी लोग कोशिश करते हैं कि वे उन सभी बातों को उसी प्रकार क्रियान्वित करें जैसा कि धार्मिक पुस्तक में बताया गया है।

2. लड़कों का खत्ना होता है- इसको भी जन्म के सात अथवा इक्कीस दिन के अदर या और थोड़ा बडे होने पर भी यह संस्कार किया जाता है कुछ परिवारों में इस संस्कार को खामोशी से किया जाता है। लेकिन अशिक्षित अंसारी समुदाय में अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। शिक्षित उच्च वर्ग में सादगी से मनाया जाता है- लड़के को दूल्हा बनाकर उसे घोड़े पर बैठाकर बाजे-गाजे से बरात की तरह मस्जिद ले जाते हैं वहा उससे सजदा (माथा टेकना) कराते हैं फिर घर ले आते हैं। घर पर जर्राह (नाई) उस काम को करते हैं। मिठाई आदि बांटी जाती हैं। परिवार के सभी सदस्य आमंत्रित होते हैं वे उस बच्चे को रुपया नया कपड़ा, खिलौने आदि देते हैं।

3. मुस्लिम समाज में धार्मिक क्रियाओं में यह एक प्रमुख धार्मिक क्रिया है- बच्चा जिस दिन पढना शुरु करता है उसे बिसमिल्लाह कहा जाता है उसमें भी मौलवी को कुछ भेंट तथा मिठाई आदि दी जाती हैं। कुरान खत्म कर लेने पर आमीन की रस्म की जाती है। पढ़ाने वाले मोलवी को भेंट स्वरुप रुपया कपड़ा उनकी जरुरत का सामान आदि दिया जाता है। परिवार के सभी सम्बंधी इकट्ठा होते हैं उस बच्चे को नया कपडा पहनाया जाता है तथा सम्बंधी भी कपड़ा देते हैं और एक सामूहिक दावत भी होती है।

4. विवाह- निकाह संस्कार के द्वारा विवाह की रस्म पूरी होती है। यद्यपि मुस्लिम विवाह को समझौता माना जाता है लेकिन धार्मिक क्रियाओं के आधार पर विवाह को सुन्नत कहा जाता है। अतः उसका स्वरूप धार्मिक होने के कारण तथा आवश्यक होने के कारण संस्कार का स्वरुप कहा जा सकता है। (निकाह प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या अध्याय चार में की जा चुकी है)

मृत्यु

शव को स्नान आदि कराने तथा कफन पहनाने में धार्मिक क्रियायें की जाती हैं। उसके बाद शव को मस्जिद के बाहर रखा जाता है। साथ में गये लोग वहां जनाजे की नमाज पढ़ते हैं फिर जनाजे को चार व्यक्ति कन्धे पर बारी-बारी से रख करके कब्रिस्तान ले जाते हैं। रास्ते भर दुआयेंपढ़ते जाते हैं तथा कब्रिस्तान पहुंचने पर जनाजे के साथ आने वाले सभी लोग तीन-तीन मुट्ठी मिट्टी कब्र में डालते हैं। मुत्यु के

तीन दिन बाद तीजे की फातेहा होती है। मरने वाले के नाम से खाना गरीबों को खिलाया जाता है। उसके उपरान्त नौ दिन, बीस दिन, एक महीने के बाद फातेहा होती है। आखिरी फातेहा चालीस दिन बाद होती है इसमें मरने वाले के नाम से सभी तरह के भोजन कपड़े तथा अन्य उसकी पसद की वस्तुए दान में दी जाती हैं। अनाथों, गरीबों तथा फातेहा पढ़ाने वाले मौलवी को भोजन तथा भेंट दान में दी जाती है।

इसके उपरान्त तीन महीने बाद, छः महीने बाद तथा साल भर बाद भी फातेहा होती है। कुछ लोग इतनी सारी फातेहा नही करवाते हैं। वे तीन दिन बाद तथा चालिस दिन के बाद तथा एक साल बाद फातेहा कराते हैं।

इस समय मुसलमानों में दो सम्प्रदाय अधिक दिखाई दे रहे हैं एक जो बहुत अधिक कर्मकाण्डों पर विश्वास करता है दूसरा जो आडम्बर अथवा दिखावा करने वाले कर्मकाण्ड न करके इस्लामिक शरीयत के तरीकों पर विश्वास करता है- अन्सारी समुदाय के अशिक्षित तथा निर्धन वर्ग में सस्कारों को करने में बहुत अधिक दिखावा दिखाई देता है। इसका कारण उनका धर्म के प्रति अज्ञानता का होना है। उच्च जाति का न होने के कारण निर्धन तथा अशिक्षित वर्ग अपनी समस्यायें मौलवी के पास जाकर सुलझाता था। यह मौलवी अशराफ जाति वाले सैयद अधिक होते थे वे इनके साथ वही व्यवहार करते थे जो ऊची जाति के निम्न जाति के साथ करते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में प्रस्थिति में परिवर्तन आ गया है- शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रगति ने उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है- लेकिन कई महत्वपूर्ण सूचनादाताओं ने बताया कि मस्जिद में यद्यपि किसी का निश्चित स्थान नहीं है लेकिन निचली जाति के लोग अपने आप पीछे खड़े हो जाते हैं। गावों में वे ऊची जाति वालों के सामने चारपायी पर नही बैठते हैं आदि।

उपरोक्त विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि सामूहिक धार्मिक क्रियायें पूरे मुस्लिम समुदाय के लिये एक ही है लेकिन जातिगत आधार पर उनके मनाने के तरीकों में अंतर दिखाई देता है।

वैयक्तिक धार्मिक क्रियायें

1. बीमारियों में इस समुदाय के लोग चिकित्सक के पास जाते हैं लेकिन वे इसके लिए धार्मिक दुआयें भी करते हैं। ताबीज देने वालों के पास भी जाते हैं। उसे लेकर वे गले अथवा बाहों में बाधते भी हैं . यह निर्भर करता है कि वे किस पर अधिक विश्वास करते हैं। यदि परिवार केवल धार्मिक पुस्तक पर ही विश्वास करता है तो वे चिकित्सक के साथ-साथ कुरान पढ़ते हैं और खुदा से दुआ करते हैं। यह वर्ग शिक्षित अधिक होता है। वह धर्म को स्वय पढ़कर ज्ञान हासिल करता है।

मजारों पर भी जाने की परम्परा है और इस समुदाय के अधिक लोग इस पर विश्वास करते हैं।

बृहस्पतिवार (जुमेरात) को मजारों पर बहुत अधिक भीड़ होती है। वहां लगभग सभी समुदायों के लोग दिखाई देते है क्योंकि भारतीय संस्कृति में आदर्श औलौकिक शक्तियों को पूजने की परम्परा रही है यही कारण है कि उन मजारों में सोई उन शक्तियों को लोग उपासना करते है मन्नत मानते हैं चढ़ावा आदि भी चढ़ाते हैं जिससे वह खुश होकर उनकी मनोकामना पूरी कर दें।

भूत-प्रेत भगाने के लिए भी लोग दुआ ताबीज करते हैं तथा मजारों पर जाते हैं। निम्न अशिक्षित वर्ग में बीमारियों का सम्बंध भूत-प्रेत से पहले जोड़ लेते हैं। और वे झाड़-फूक तथा भूत-प्रेत भगाने के आधार पर इलाज कराते हैं।

2. किसी संकल्प अथवा लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी धार्मिक क्रियायें की जाती हैं। वह दुआ, ताबीज तथा मजारों पर जाना उपरोक्त किसी पर भी अलग-अलग विश्वासों के आधार पर किया जाता है यह व्यक्तिगत अधिक होता है- कोई एक समुदाय का नहीं होता है।

3. शुद्धता- मुस्लिम समाज में शुद्धता के लिए अलग-अलग समुदायों में अलग-अलग व्यवस्था नहीं है बल्कि प्रत्येक मुसलमान के लिए शुद्धता का एक ही पैमाना है- वे कोई भी धार्मिक क्रिया बिना शुद्धता के नहीं कर सकते हैं। शुद्धता का अर्थ शारीरिक स्वच्छता से है जैसे नमाज पढ़ने से पहले वजू करना (यह हाथ मुह पैर धोने का एक धार्मिक तरीका है) प्रत्येक मुसलमान सभी त्योहारों, उत्सवों तथा प्रतिदिन की नमाज में वजू करके ही शुद्ध होता है। वैसे शुद्धता वजू के अतिरिक्त प्रत्येक नापाक वस्तु से बचाव भी है।

4. व्यवसाय शुरू करने से पहले दुकान अथवा मकान बनवाने नयी बड़ी वस्तु लेने से पहले प्रत्येक व्यक्ति कुछ धार्मिक क्रियायें करता है। जिसमें प्रमुख है "कुरान खानी" अर्थात् शुभकार्य शुरु करने से पहले अथवा मकान आदि बन जाने पर वहां सब लोग मिलकर कुरानशरीफ का पाठ करते हैं पढ़ लेने के पश्चात फातेहा होती है और मिठाई आदि बांटी जाती है।

इस प्रकार उपरोक्त धार्मिक क्रियाओं को हम वैयक्तिक धार्मिक क्रियायें इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति पर यह दबाव नही है कि वह इन्हें पूरा करे वह इन्हें अपनी आसानी के साथ स्वीकार करता है। यह व्यक्ति की इच्छा पर है कि वह किनको स्वीकार करें अथवा किनको स्वीकार न करे।

हिन्दू समाज का मुस्लिम धार्मिक क्रियाओं पर प्रभाव

भारतीय मुस्लिम समाज बहुसख्यक हिन्दू समाज का ही एक हिस्सा है। इस विषय पर विस्तृत विवेचना करने का अर्थ है- एक अलग विषय को प्रस्तुत करना-सक्षेप में उपरोक्त स्थिति को निम्न प्रकार बताया जा सकता है।

धार्मिक क्रियाओं से सम्बन्धित दो मुख्य तत्व होते हैं।

1. पुजारी

2. स्थल

(1) मुस्लिम समुदाय में पुजारी को मौलवी कहते हैं। यह व्यक्ति अधिकतर उच्च जाति का होता है। ऐसी स्थिति हिन्दू समाज में भी है। वहां भी पुजारी ब्राह्मण हैं जो जाति संरचना में सबसे ऊपर हैं।

असारी समुदाय एक पिछड़ा निर्धन अशिक्षित समाज था तब वह इन उच्च जाति के मौलानाओं के उपदेशों को आख बद करके स्वीकार करता था। गांवों में अंसारी समुदाय के लोग अन्य निम्न हिन्दू जाति वालों की तरह ऊची जाति वालों के सामने नीचे बैठते थे तथा इनके रहने के मकान भी अलग किसी हिस्से में होते हैं कही-कही जातिगत आधार पर मोहल्लों के नाम होते हैं। अधिकतर गांवों में जहाँ जुलाहों के मोहल्ले हैं उस मोहल्ले को जुलहटी कहते हैं। सूचनादाताओ मे वैयक्तिक अध्ययनों 4, 13, 30, 54, 55, तथा अन्य मुस्लिम लोगों ने स्वीकार किया कि असारी समुदाय की जाति सोपान क्रम में निचली स्थिति के कारण हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता रहा है।

सूचनादाता तीस एक प्रतिष्ठित वकील हैं तथा सूचनादाता चौवन एक सरकारी आफिसर हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने बताया कि तीस चालीस वर्ष पहले जब असारी समुदाय में शिक्षा बिल्कुल नहीं थी तब बच्चा पैदा होने पर पिछड़े वर्ग के लोग मौलाना के पास जाते थे उसे खबर सुनाते थे तथा बच्चे का नाम रखने के लिए कहते थे अगर बच्चा जुमेरात (वृहस्पतिवार) को हुआ होता था तो पुजारी (मौलाना) कहता था उसका नाम जुमराती रख दो, सोमवार (पीर) के दिन पैदा होने वाले बच्चे का नाम पीर मोहम्मद रख दिया जाता था। अर्थात् बिना अर्थों वाले नाम रखे जाते थे। अंसारी समुदाय के लोग उस समय इतने अशिक्षित होते थे कि पुजारी (मोलवी) के बताये नाम को रखना शुभ समझते थे। चूकि वे स्वयं कुरान शरीफ नही पढ़ पाते थे अत: धार्मिक ज्ञान के लिये वे पूरी तरह पुजारी पर निर्भर रहते थे। वर्तमान समय में भी यह निर्भरता बनी हुई है क्योंकि अन्सारी समुदाय अभी भी पिछडा है।

वर्तमान समय में जिस प्रकार हिन्दू जाति सरचना में ब्राह्मणों की स्थिति हो गयी है तथा निचली जातियाँ, जिस प्रकार समानता की बात करने लगी है वही स्थिति मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था में दिखाई देती है। चूँकि इस्लाम धर्म किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं कहता है और न ही जाति उत्पत्ति का कोई आधार इस्लाम के अदर है। अत· पिछड़ी जातियों को अपने को निम्म अथवा पिछड़ा कहने में हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है। लेकिन ऊची जातियों के लोग किसी भी स्थिति में उन्हें बराबरी देना स्वीकार नही करते हैं। एक सामाजिक दूरी बनी हुई है यद्यपि छुआछूत अथवा खानपान सम्बंधी कोई निषेध हिन्दू समाज की तरह

नही है तथा पुजारी इसमें कोई भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं।

धार्मिक कर्मकाण्डों में आडम्बरता को बढ़ावा जिस प्रकार हिन्दू पुजारियों ने दिया वही स्थिति मुस्लिम पुजारियों की है। यद्यपि पहले से वर्तमान स्थिति में परिवर्तन आ गया है पुजारी अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं। क्योंकि समुदाय में धार्मिक चेतना आती जा रही है समुदाय के लोग तर्कसंगत धार्मिक निर्णय लेने लगे हैं।

(2) पूजास्थल- जिस प्रकार हिन्दू पूजा स्थल को मदिर कहते हैं तथा वहा धार्मिक क्रियायें करते हैं उसी प्रकार मुस्लिम पूजा स्थल को मस्जिद कहते हैं एक ओर इनका बहुत प्रभाव समुदाय पर पड़ता है लेकिन दूसरी ओर व्यक्ति अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ाता जा रहा है और व्यक्तिगत स्तर पर अपनी उपासना करता है। आधुनिकीकरण, शिक्षा, व्यवसाय तथा जीवन की तेज रफ्तार ने व्यक्ति के समय को कम कर दिया है वैयक्तिता के कारण भी व्यक्ति अपनी सभी क्रियायें अकेले करना चाहता है लेकिन आज भी कुछ धार्मिक क्रियायें पूजा स्थलों पर करना अनिवार्य है। जैसे जुमे की नमाज घर में पढ सकता है लेकिन उसके लिए मस्जिद में जाना पहली प्राथमिकता है और वह पूरी कोशिश करता है कि वहा जाकर नमाज पढ़े।

जिस प्रकार हिन्दू समाज में एक वर्ग सनातनी अर्थात मूर्तिपूजक हैं   तथा दूसरा वर्ग आर्यसमाजी (जो मूर्ति पूजा नही करते हैं। वेदों का पाठ करते हैं) उसी प्रकार असारी समुदाय में एक वर्ग मजारों को उसी प्रकार मानता है तथा उपासना का तरीका भी मूर्ति पूजा की तरह करता है अर्थात् मजार पर फूल माला चढ़ाना, माथा टेकना, भेंट चढ़ाना आदि दूसरा वर्ग मानता है मजारों को लेकिन वह बहुत अधिक कर्मकाण्डों पर निर्भर नही करता है वह अपनी उपासना को केवल "अलकुरान" से सम्बन्धित रखता है।

पुजारी तथा पूजास्थल के अतिरिक्त विवाह, तथा संस्कारों की प्रक्रियाओं में हम हिन्दू रीति रिवाजों को देखते हैं। एक दूसरे की वेष-भूषा को अपना लिया गया है। होली मिलन का आयोजन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा किया जाता है उसी प्रकार ईद मिलन का आयोजन हिन्दू समाज के लोग करते हैं और यह समारोह नरवास कोहना, मिन्हाजपुर, अटाला, रोशनबाग जैसे मुस्लिम बहुसख्य क्षेत्रों में किये जाते हैं।

निष्कर्ष रुप से कहा जा सकता है कि अंसारी समुदाय परम्परागत, पिछड़ा धार्मिक समुदाय हैं यद्यपि पहले से स्थिति में परिवर्तन आ चुका है क्योंकि आर्थिक सम्पन्नता सामाजिक परिवर्तन का प्रयास बन चुकी है- धार्मिक स्थिति में असारी समुदाय के लोग उच्च जातियों की अपेक्षा अधिक जागरुक हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि असारी समुदाय उच्च जातीय समूहों की अपेक्षा अधिक परम्परावादी तथा अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का है।

अध्याय- 7

सारांश एवं निष्कर्ष

शोध अध्ययन की समस्या

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित एक मुसलमान सम्प्रदाय समूह से सम्बन्धित है। इस शोध में यह जानने का प्रयास किया गया है कि इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्रों में अन्सारी समुदाय की परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति क्या है। शोध प्रारूप अन्वेषात्मक- विवरणात्मक दोनों है और इसका शास्त्रीय उपागम "संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक" है।

उद्देश्य

इस अध्ययन में निरुपित उद्देश्य निम्न है :-

(क) अन्सारी समुदाय के सामाजिक सगठन के मूलतत्व क्या हैं ?

(ख) अन्सारी समुदाय का आर्थिक आधार क्या है ?

(ग) भारतीय वृहत् परम्पराओं के साथ अन्सारी परम्परा किस प्रकार सम्बन्धित है ?

(घ) परिवर्तित परिवेश में अन्सारी की जीवन-शैली किस प्रकार प्रभावित हुई है ?

अध्ययन पद्धति

चूँकि उपरोक्त उद्देश्य परस्पर सम्बन्धित हैं। अतएव हमने यह प्रयास किया है कि अन्सारी समुदाय को समग्रता से किस प्रकार समझा जाये। हमने किसी पूर्व निर्मित प्राक्ल्पनाओं की जॉच नहीं किया है वरन् वैयक्तिक अध्ययनों के आधार पर अन्सारी समुदाय के विभिन्न पक्षों को जानना चाहा है। वैयक्तिक अध्ययन विभिन्न चरणों में अनौपचारिक साक्षात्कार से पूरा किया गया।

वैयक्तिक अध्ययन एक गुणात्मक अध्ययन प्रणाली है। इसके माध्यम से किसी एक विषय के संबंध में गहन रूप से जानकारी ली जाती है। इस प्रकार का अध्ययन व्यक्तिविशेष अथवा संस्था, घटना का एक श्रृंखलाबद्ध चित्र प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान दोनों में तथ्यों के संकलन का एक महत्वपूर्ण प्रविधि वैयक्तिक अध्ययन माना गया है। प्रसिद्ध अमरीकी मानवशास्त्री ओस्कार लिविस ने इसी प्रविधि से एक पुस्तक **दि फाईफ फेमिलीज** (1958) लिखी थी जो आज भी एक लोकप्रिय अध्ययन माना जाता है।

वैयक्तिक अध्ययनों के लिये कुल 110 अन्सारी परिवारों को उद्देश्य पूरक निर्दशन प्रविधि से चयनित किया गया। चूकि हमने परिवारों का चुनाव सामाजिक व आर्थिकी स्तरों पर किया है अतः यह उद्देश्य पूरक

निदर्शन स्तरित कहा जायेगा। अध्ययन का समग्र इलाहाबाद नगर में रहने वाले सम्पूर्ण अन्सारी परिवारों की जनसंख्या है। यानि लगभग दो लाख 37 हजार यह अनुमानित है।

निष्कर्ष

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्न हैः-

(1) यद्यपि अन्सारी समुदाय की परम्परागत पेशा कपड़ा बुनने और बेचने का है लेकिन शहरी समुदाय में कपड़ा बुनने से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि सम्प्रति ये विभिन्न घरेलू व्यवसायों से जुड़े हैं। यथा- दर्जी, टिन बक्स बनाने, बीड़ी उद्योग, दूकानदारी, बर्तन बेंचने आदि। कतिपय अन्सारी परिवार के सदस्य वकालत, दवाखाना, इजीनियरिंग, शिक्षण व्यवसायों से भी जुड़े हैं। इनमें कुछ महिलाए भी हैं।

(2) आम तौर पर एक परिवार के सदस्यगण एक से अधिक व्यवसाय से जुड़े हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि सुविधानुसार जब किसी को अवसर मिला वह उस व्यवसाय को अपना लिया। व्यवसाय को अपनाने में वैवाहिक सम्बन्धियों की निर्णायक भूमिका रही है। उदाहरणार्थ, यदि पत्नी का भाई टीन का बक्सा का व्यापारी हैं तो वह व्यक्ति उसे अपना सकता है यद्यपि उसका सहोदर भाई या पिता टेलर है। विभिन्न वैयक्तिक अध्ययनों से इसकी पुष्टि होती है।

(3) इलाहाबाद क्षेत्र के अन्सारी समुदाय में व्यावसायिक गतिशीलता की गति तीव्र है। मुस्लिम समाज में इस समुदाय की जातिगत स्थिति निम्न होते हुये भी एक वर्ग विशेष की प्रस्थिति ऊंची है। शिक्षा और आय इसके मुख्य कारण हैं। यह उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद के मुसलमानों की कुल जनसंख्या का एक प्रमुख भाग अन्सारी समूहों से निर्मित है।

(4) इन दिनों विवाह सम्बन्ध रिश्तेदारों में कम हो रहे हैं यानि गैर-नातेदारों में (किन्तु अन्सारी) विवाह साथी चयन की प्रवृत्ति है। अन्सारी एक अन्तर्विवाही समुदाय है किन्तु कुछ मामलों में वर्हिविवाही भी हैं। इस पर आपत्ति नहीं की जाती है।

(5) दहेज और तलाक जैसी परिस्थितियों में अन्सारी पारिवारिक स्तर पर पंचायत कर लेते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर मामला "जाति पंचायत" तक पहुंच जाता है। सम्प्रति अन्सारी युवतियां शिक्षा की ओर उन्मुख हैं और उनमें कुछ सफेदपोश नौकरी भी पाना चाहती हैं। सभी अन्सारी परिवारों ने यह स्वीकारा है कि जहां तक सम्भव हो लड़के और लड़कियों को प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिये।

(6) वैयक्तिक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अन्सारी समुदाय "हिन्दू वृहत् परम्परा" से भी जुड़ी है- लेकिन चूंकि इनकी धार्मिक परम्परा इस्लामिक है अतः यह नही कहा जाता है कि एक आम हिन्दू जाति

की तरह इनके स्थानीय परम्परा पर हिन्दू वृहत् परम्परा की प्रबल छाप है। तथ्य यह है कि वर्षों से इलाहाबाद में अन्सारी समूह और हिन्दू जाति वाले साथ-साथ रहते हैं। इनके सतान एक ही स्कूल में भी पढ़ते हैं। दिवाली, होली और दशहरे के मौके पर दोनों मिलते हैं तथापि यह कुछ ही परिवारों तक सीमित है। असारी विवाह पद्धति की कछ रीतियाँ हिन्दु-जाति के जैसा है।

(7) स्थानीय स्तर पर अंसारी समुदायों के बीच बिरादरी संघ क्रियाशील है। इसका प्रमुख उद्देश्य अन्सारी सदस्यों की यथासम्भव सहायता करना है। यह सामुदायिक एकता का परिचायक है।

(8) परम्परागत समुदायों में नातेदारी सम्बन्धों को बनाये रखा जाता है जिससे आर्थिक हितों की सुरक्षा होती है। विस्तृत परिवारों का 56% भी यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि अन्सारी समुदाय के सम्बन्धियों में सम्बन्धों की व्यापकता है।

(9) नवीन सामाजिक अनुभूतियाँ जैसे निम्न वर्ग के सूचनादाताओं द्वारा स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकारना, परम्परागत पेशों में परिवर्तन, उच्च आर्थिक स्तर के लिये सतत प्रयास, राजनैतिक चेतना, पर्दा-प्रथा का लुप्त होना आदि ने परिवार के सरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक स्वरूप कको प्रभावित किया है।

सुझाव

इस शोध प्रबन्ध के निष्कर्षों के आधार पर हमारा सुझाव दो तरह का है। प्रथम शैक्षिक और दूसरा व्यावहारिक। हमारा शैक्षिक सुझाव यह कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बसे ""अन्सारी" का गहन अध्ययन हो ताकि तुलनात्मक ढग से निष्कर्ष निकाला जाये। बड़ौदा के अन्सारी को मारवाड़ी और जुलाहा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में अन्सारी हैं किन्तु पर्याप्त सूचना अनुपलब्ध है। उ0 प्रदेश के वाराणसी, बिजनौर और आजमगढ़ में अन्सारी हैं और उनका सम्बन्ध अथवा सर्म्पक इलाहाबादी अन्सारी से है। अन्सारी एक पिछड़े वर्ग के बुनकर समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। "जुलाहा" अपमानजनक शब्दावली है। कम से कम इलाहाबाद के अन्सारी अपने दैनिक जीवन में इस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं।

हमारा व्यावहारिक सुझाव यह है कि जहां तक सम्भव हो अन्सारी के घरेलू व्यवसायों को एक कारगर ढग से अधिक आय वाला बनाना होगा। अतः इस दिशा में सरकारी प्रयास अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिये। इसके साथ-साथ स्थानीय स्तर पर स्वयसेवी संगठन के माध्यम से निरक्षरों की सख्या में कमी लानी होगी। महिला सदस्यों को व्यवसाय-उन्मुख शिक्षा की ओर प्रेरित करना होगा।

परिशिष्ट- 1

वैयक्तिक अध्ययन

वैयक्तिक अध्ययन एक गुणात्मक अध्ययन प्रणाली है। इसके माध्यम से किसी एक विषय के सम्बन्ध में गहन रूप से जानकारी ली जाती है। प्रस्तुत परिशिष्ट में हम चुने हुये असारी सूचनादाताओं का वैयक्तिक अध्ययन का सक्षेपीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन सभी वैयक्तिक अध्ययनों का जिक्र पिछले अध्यायों में उपयुक्त स्थानों पर हुआ है।

वैयक्तिक अध्ययन (1)

सूचनादाता एक स्थानीय महिला डिग्री कालेज में पिछले 12 वर्षों से व्याख्याता हैं। इनके पति एक विश्वविद्यालय मे कार्य करते हैं। इनका 7 साल का एक पुत्र हैं। दम्पति केवल एक बच्चा ही चाहते हैं। इनकी शिक्षा एम0 ए0, एम0 फिल हैं। इनके पिता का प्रिन्टिग प्रेस था। पूरा परिवार शिक्षित हैं। इनकी तीन बहने हैं- बडी बहन इण्टर सी0 टी0 है, सम्प्रति उसका तलाक हो चुका है और वह अपने माता-पिता के साथ रहती है। एक भाई एम0 ए0, एल0 एल0 बी0 है जो रेलवे में उच्च पद पर है। उनका विवाह फिरोजाबाद में हुआ है। इस परिवार के सभी सदस्य शिक्षित हैं। सभी विभिन्न प्रतियोगिताओ मे सर्विस के लिये तैयारी कर रहे हैं।

यह परिवार एक नौकरी पेशा परिवार है। इनके पिता के परिवार में जहॉ सब शिक्षित है- उसका सबसे बड़ा प्रभाव इनका अपना है। इनका अपना परिवार बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

इनकी एम0 ए0 तक शिक्षा यही हुयी है लेकिन इन्होने एम0 फिल0 दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। इन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ से वहाँ जाने पर उन्हें महसूस हुआ कि चाहते हुये भी हम उन सुविधाओ को प्राप्त नही कर पाते हैं जो हमें एक सवतत्र महानगर मे प्राप्त होती है। सूचनादाता के अनुसार एक परम्परागत समाज में किसी लड़की को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पडता है क्योंकि लड़कियो के लिये शादी को जरूरी समझा जाता है शिक्षा को नही। परिवार मे भी लडकियों को अग्रेजी माध्यम के अथवा अच्छे स्कूल में न भेजकर पास के साधारण स्कूलों में भेजा जाता है।

आपका विवाह बिना दहेज के हुआ है। मेहर भी केवल 11000 रु0 है। आपके पति के 6 भाई हैं; सबसे बड़े भाई दर्जी हैं वे अपनी ससुराल में रहते हैं उनके चार पुत्र तथा 3 पुत्री हैं इनके पति के बाकी छोटे पाँच भाई हैं वे भी दर्जी का काम करते हैं- इनके पति से छोटे तीनों भाई के पाँच पुत्र एव एक पुत्री

है। चौथे भाई के चार पुत्र और चार पुत्रियाँ हैं। पाँचवे भाई के तीन पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं। छठे भाई की केवल दो पुत्रिया हैं। इनके चौथे भाई की पत्नी उनकी ममेरी बहन हैं। बाकी सबका विवाह गैर सम्बन्धियों में इलाहाबाद में ही हुआ है। इनकी तीन ननदें हैं। उनके पति क्रमशः ठेकेदार, टीचर तथा मोटर मैकेनिक हैं।

सूचनादाता के पिता के परिवार तथा पति के परिवारों में तुलना करने पर सबसे बड़ा अन्तर हम शिक्षा में पाते हैं। इनके सभी भाई तथा बहन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं जबकि इनके पति केवल एम० ए० हैं उनके अन्य सभी भाई जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल तक शिक्षित है। इनके ससुर शिक्षित थे। उनकी अपनी दर्जी की दुकान थी। अत. इनके पति ने शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी की तथा अन्य कम शिक्षित भाईयों ने अपने पिता के व्यवसाय को ही अपनाया। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने पर अन्य दूसरे व्यवसायों को अपनाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

इन्होंने अन्सारी समाज में हुये सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनों की ओर भी इशारा किया जिसमें सबसे अधिक विवाह पद्धति में परिवर्तन आया है। पहले रस्में कम तथा साधारण तरीके से विवाह होता था अर्थात् इस समाज में करीब 30 वर्ष पहले तक विवाह में दहेज नहीं माँगा जाता था न ही मेहर की रकम को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा होता था। इस्लामिक नियमों का पालन विवाह में अधिक से अधिक किया जाता था परन्तु वर्तमान समय में विवाह में दिखावा अधिक होने लगा है। अब दोनों पक्षों में विवाह तय कराने वाला वयक्ति जो सम्बन्धी भी हो सकता है बाहरी व्यक्ति भी वह दहेज में क्या चाहिये कन्या पक्ष को सूचित कर देता है यह न देने पर बधू को यातना भी सहनी पड़ती है। अतः दहेज रूपी दानव का प्रवेश इस समाज में भी हो चुका है। धनी लोग दिखावे के लिये दहेज देते हैं।

रहन-सहन के स्तर में अधिक बदलाव आ गया है। 50 प्रतिशत परिवारों में से कोई न कोई व्यक्ति अरब देश में नौकरी कर रहा है। अन्य रोजगार के लिये बम्बई और कलकत्ते जाते हैं। इनका प्रभाव (पश्चिमीकरण) अंसारी समाज में देखने को मिलता है।

एक अन्सारी व्यक्ति अपने संतानों का विवाह अन्सारी परिवार में ही करना पसन्द करता है। स्वतंत्रता के बाद बाहर (पाकिस्तान) भी वे नहीं गये। जहाँ भी मुस्लिम समाज है वहां अधिकतर अन्सारी लोगों की सख्या है। सूचनादाता ने इन सब की जानकारी अपने शब्दों में दी है।

इन्होंने स्वीकार किया कि पद तथा शिक्षा में ऊचा स्थान प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी यह अहसास कराया जाता है कि हम पिछड़े तथा निचली जाति के हैं। इस्लाम में ऐसी कोई व्यवस्था न होने पर भी

हम भारतीय जातीय व्यवस्था से उसी प्रकार बँधे हैं जिस प्रकार हिन्दू समाज में जाति सस्तरण है।

अभी भी आर्थिक परिवर्तन की इस समाज की बड़ी आवश्यकता है और वह परिवर्तन शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही आयेगा। आपके अनुसार शिक्षित व्यक्ति अधिक कुशल व्यवसायिक हो सकता है अतः अभी एक बडी संख्या में टेकनिकल तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। इस समाज में न तो अपना परम्परागत स्वरूप छोड़ा है ओर न ही आधुनिकीकरण को छोड़ा है। दोनों ही स्थितियाँ दिखाई देती है। मनोरंजन के इतने साधनों का विकास हो जाने पर भी आज इस समाज की महिलाओं का अधिक से अधिक मनोरजन एक दूसरे के घर आना-जाना है।

सूचनादाता के अनुसार यह समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है अत. न तो यह पिछड़ा है और न ही आधुनिक। बल्कि शहरी समाज में यह एक व्यावसायिक जाति है जिसमें सभी वर्गों के लोग हैं।

वैयक्तिक अध्ययन- 2

श्रीमती "क" एक पचहत्तर वर्षीया विधवा महिला इलाहाबाद के एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हैं। पति के जीवन काल में (इनके पति की मृत्यु तीन वर्ष पहले हुयी थी) परिवार सयुक्त था अर्थात इनके तीनों पुत्रो का परिवार एक साथ रहता था भोजन की व्यवस्था एक साथ थी। पति इनके परिवार के मुखिया की हैसियत रखती थी यद्यपि तीनों पुत्रों का व्यवसाय अलग था परन्तु सम्पत्ति पिता के अधीन थी। किन्तु पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त सभी पुत्र भोजन, सम्पत्ति के मामले में अलग हो गये हैं। यह अपने बड़े पुत्र के साथ रहती हैं। सभी उनका आदर करते हैं। वे किसी भी पुत्र के परिवार के साथ भोजन कर लेती है।

इनके परदादा का नाम हाजी मोहन तथा परदादा के पिता का नाम जवाहर था। इससे स्पष्ट होता है कि तीन पीढ़ी पहले धर्म परिवर्तित हो चुका था। इनके परिवार का सम्बन्ध राजनैतिक गतिविधियों में भी था। इनके पिता कांग्रेस में थे। वे ब्रिटिश शासन काल में नगरपालिका के काउन्सलर थे। वे एक पढे लिखे व्यक्ति थे। यही कारण है कि तीनों पुत्र भी शिक्षित हैं जबकि उनका अपना अलग-अलग व्यवसाय है। उनके तीन पुत्र तथा चार पुत्रियों की शिक्षा तथा व्यवसाय निम्न है:-

प्रथम पुत्री शिक्षा हाई स्कूल तक इनके पति सरकारी वकील हैं। इनकी एक पुत्री डिग्री कालेज मे लैक्चरर तथा एक डाक्टर है। अन्य बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

दूसरी सन्तान पुत्र है जो एम0 ए0, एल0 एल0 बी0 है जो अपने पिता का पैतृक व्यवसाय (बीड़ी का कारखाना) चलाता है। इनकी पत्नी इनके मामा की बेटी है वह भी ग्रेजुएट है तथा उनके चार पुत्र और 3 पुत्रियाँ हैं सभी बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

तीसरी सन्तान पुत्र है जो एम0 ए0 है तथा कोयले का व्यवसाय करता है। इनके दो बेटे तथा एक बेटी है। इनका विवाह गैर सम्बन्धों में हुआ है।

चौथी सन्तान पुत्री है। इसके पति सउदी अरब में इन्जीनियर हैं। इनके दो सतान हैं। सभी परस्पर मौसेरे भाई बहन हें।

पाँचवी सन्तान पुत्र है जो इन्जीनियरिंग कालेज में व्याख्याता हैं। इनकी पत्नि ग्रेजुएट है तथा वह गैर सम्बन्धी हैं। इनके केवल दो पुत्र तथा एक पुत्री है।

छठी सन्तान पुत्री है वह एम0 ए0 पास है। उसके पति पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज मे प्रिन्सिपल हैं- इनके भी केवल दो पुत्र हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सूचनादाता की सातवी सन्तान पुत्री है वह एम0ए0, पी0 एच0 डी0 हैं। उसके पति रेलवे में ग्रेड वन आफिसर हैं।

सूचनादाता के पति का मूल व्यवसाय लकड़ी बेंचना था। उसके बाद उन्होने कोयले का व्यापार किया और जब कोयले का प्रयोग कम होने लगा तो उन्होंने बीड़ी का कारखाना स्थापित किया। अन्सारी समुदाय मे यह परिवार एक बीडी उद्योग के व्यवसायी के रूप में जाना जाता है। सभी साथ में रहने वाले सतान (पुत्र तथा पुत्रिया) अपने पारिवारिक निर्णयों में इनकी राय अवश्य लेते हैं। इनकी स्थिति अन्य अन्सारी वृद्धा-महिलाओं से अच्छी हैं। ये अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। इनकी एक बहन पाकिस्तान में तथा एक पुत्री सउदी अरब में हैं- यह आठ बार पाकिस्तान जा चुकी हैं और छः बार सऊदी अरब। अत इनक मानसिकता पर उपरोक्त स्थिति के कारण बहुत ही प्रभाव पड़ा है।

इनके बडे पुत्र का विवाह निकट के विवाह सम्बन्ध में हुआ है (सूचनादाता के भाई की लड़की से) लेकिन अन्य दोनो पुत्रों का विवाह गैर सम्बन्धियों में हुआ है। वर्तमान समय में सामाजिक गतिशीलता के बढ़ जाने से परिवर्तनस्वरूप इनके अन्य छः बच्चों का विवाह दूर के सम्बन्धियों में हुआ है। इनके अनुसार पाँच-छ दशक पूर्व अन्सारी समुदाय में विवाह अधिकतर सम्बन्धियों मे होते थे। व्यवसायिक गतिशलता के फलस्वरूप वर्तमान समय में विवाह गैर सम्बन्धियों में अधिक होने लगे हैं।

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में उनका मत

सूचनादाता एक सम्पन्न परिवार से सम्बन्धित है और वे कई बार पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत आदि देशों की यात्रा कर चुकी हैं। इनके अनुसार पड़ोसी देशों के मुस्लिम समाजों में जाति व्यवस्था की सरचना भारत की तरह नहीं हैं। उनके बच्चों का विवाह सैयद, पठान जातियों में हुआ है। इस सम्बन्ध में वे इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय तथा अन्य मुस्लिम जातियों में अन्तर्विवाह को पिछड़ेपन का द्योतक मानती हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है कि वहाँ जाति सम्बन्धी निषेधों का पालन नहीं किया जाता है। अपनी जाति में विवाह करना हिन्दू जाति की देन है। अतः उन्होंने इसका घोर विरोध किया और कहा अगर उनके पोते-पोती अथवा नाती गैर अन्सारी में विवाह करेंगे तो वह इसका बुरा नहीं मानेगी।

उनकी किशोर अवस्था के समय में अन्सारी समाज दो भागों में बंटा था (1) शहरी टाट के अन्सारी (2) देहाती टाट के अन्सारी। वे आपस में विवाह नहीं करते थे। वर्तमान समय में यह भेदभाव समाप्त हो गया है। इसे वह अच्छा मानती हैं।

विवाह के सम्बन्ध में भी आपके विचार जिस बुद्धिमत्ता पूर्ण है उसी प्रकार तलाक के विषय में उनका मत है कि यद्यपि इस्लाम के अनुसार इनका समुदाय एक बार में तीन दफे तलाक कहने को तलाक मानता है लेकिन इसका फायदा अधिकतर पुरुष को मिलता है। तीन महीने की बन्दिश हो जाने पर सुलह करने का मौका मिलेगा अतः परिवर्तन का फायदा स्त्रियों को अधिक होगा ऐसा इनका मानना है।

मेहर की रकम भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अतः इस्लामिक नियम के अन्तर्गत मेहर की रकम तय की जानी चाहिये। अधिकतर पुरुष विवाह के प्रथम दिन पत्नी से इसकी राशि माफ करवा लेते हैं। इनके अनुसार यह गलत है। अगर पति की आर्थिक स्थिति ठीक है वह अदा कर सकता है तो उसे अदा कर देना चाहिये- धीरे-धीरे भी चुकाया जा सकता है। यह पूर्ण रूप से स्त्री धन है उस पर अधिकार पत्नी का ही होता है। अतः पति की आर्थिक स्थिति देखते हुए ही मेहर की रकम तय की जानी चाहिये।

भावी कार्यक्रम

सूचनादाता का परिवार पहले संयुक्त था वर्तमान समय में विस्तृत परिवार है। पारिवारिक सम्बन्धों को मजबूत बनाये रखने के लिये वे पहले नजदीकी रिश्तेदारों से जरूर मिलती थी। आयु अधिक हो जाने

के कारण वे अधिक जा नहीं पाती हैं। लेकिन वह जरूरी समझती हैं कि आमने-सामने एक दूसरे से मिलने से ही सम्बन्ध अधिक मजबूत होते हैं। अपने जीवित रहते वे परिवार के सदस्यों को अलग घर में नहीं जाने देंगी। साथ रहना उनके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वे शिक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानती हैं विशेषकर स्त्री शिक्षा को/अन्सारी समाज के पिछड़ेपन के लिये, उनके अनुसार अशिक्षा ही जिम्मेदार है।

अन्य मुस्लिम समुदायों के साथ सम्बन्ध

सूचनादाता के अनुसार पाँच दशक पहले गैर अन्सारी समाज के लोग अन्सारियों को निम्न श्रेणी का समझते थे तथा उनके साथ उसी प्रकार दुर्व्यवहार करते थे। जिस प्रकार सवर्ण हिन्दू अनुसूचित जाति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जैसे पहले गांवों में विवाह की दावत में उन्हें ऊची जाति के सैयद, पठान, खान आदि नीचे बैठाकर खाना खिलाते थे तथा वे बराबर से बैठ नही सकते थे। परन्तु शहर में इतना अधिक व्यवहार में दूरी नही थी वे उन्हें बुलाते तो थे परन्तु अधिकतर अन्सारी समाज की महिलायें एक साथ अलग खाना खाती थी। वर्तमान समय में जातिगत निषेध टूटे हैं' हिन्दू समाज की तरह ऊची तथा नीति जातियों के बीच पायी जाने वाली छुआछूत की भावना यद्यपि मुस्लिम समाज में नही थी। वे अन्य जाति के परिवारों से मिलती थी। सूचनादाता ने स्वय एक खान परिवार की शिक्षिका को अपनी बेटी बनाया है। आस-पास के गैर अन्सारी परिवारों से इनके सम्बन्ध हैं लेकिन ये सम्बन्ध केवल सम्बन्ध हैं। आपस में ये विवाह सम्बन्ध जोड़ने की बात सोच भी नहीं सकते हैं।

यद्यपि सूचनादाता ने यह स्वीकार किया कि शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार आने के कारण अब अन्सारी समाज पहले की तरह पिछड़ा नही रह गया है फिर भी जातिगत सामाजिक दूरी अन्य उच्च जातियों से अभी बनी हुयी है।

वैयक्तिक अध्ययन-3

पारिवारिक पृष्ठभूमि

यह सूचनादाता (साठ वर्ष) एम0 ए0, एल0 एल0 बी0 सरकारी वकील है। इनका मकान ससुराल वालों का है। इनके पिता इलाहाबाद के एक उप नगर फूलपुर के रहने वाले थे वे घूम-घूम कर कपड़े की बिक्री करते थे। शिक्षित नही थे लेकिन उन्होंने इनको पढ़ाने में बहुत मेहनत की वे सात भाई तथा एक बहन हैं वे जन्म से इलाहाबाद शहर में हैं उनकी पत्नी दसवीं कक्षा पास हैं और इलाहाबाद की ही है।

वैक्तिक अध्ययन (4)

वंशावली तालिका के द्वारा शिक्षा तथा व्यवसायिक गतिशीलता के विभिन्न आयाम
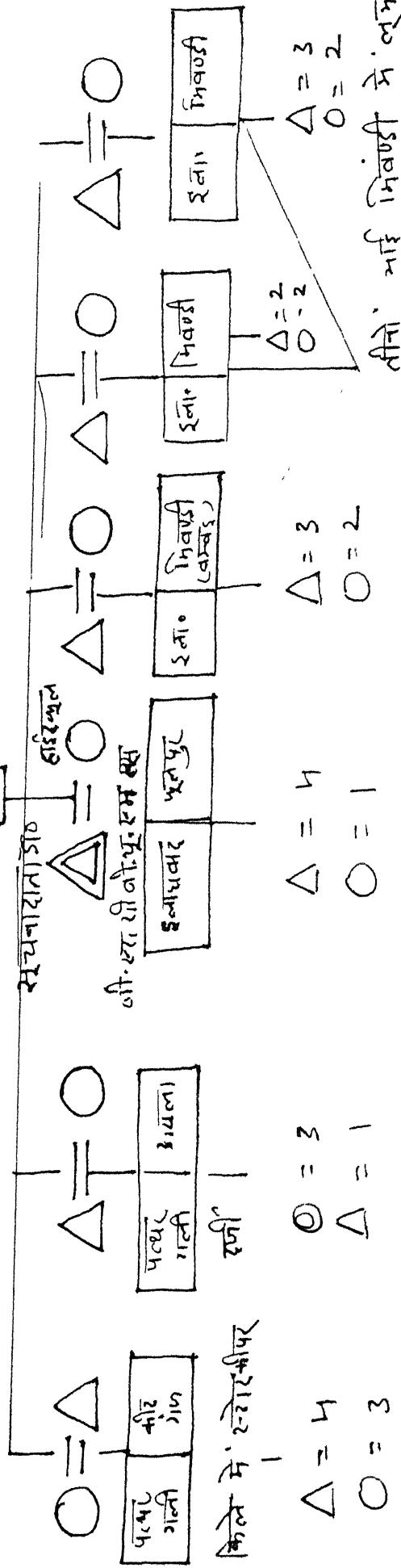
उनका विवाह अपरिचित किन्तु अन्सारी समुदाय में हुआ है। इनका अपने सबंधियों के साथ सर्म्पक टूट गया है।

इनका पेशा केवल वकालत है। एक लड़का सउदी अरब में है। वहाँ वह एक सरकारी नौकरी करता है बड़ी लड़की डिग्री कालेज में लेक्चरर तथा उससे छोटी मेडिकल डाक्टर है। सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनकी आर्थिक मदद अपने बेटे से मिलती है वे किसी भी रिश्तेदार की आर्थिक मदद नहीं करते हैं लेकिन उन्होने अपने को बार-बार दयालू कहा है।

धर्म के सम्बन्ध में उन्होने कहा कि वे सभी त्योहार मजहबी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन समाज में जो तरीके चल रहे हैं उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता।

विभिन्न मुस्लिम जातियों में अपनी अन्सारी जाति के सम्बन्ध में उनके विचार थे कि पहले जब जमीदारी व्यवस्था थी एक वर्ग पहले भी अमीर था जो शासन के नजदीक था और दूसरा वर्ग जो गरीब था शोषित पिछड़ा था और कहने का अर्थ यह है कि घर जमीन जिसके पास थे वे बड़े लोग ऊंची जाति के थे- वे अन्सारी लोगों को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। ये पिछले कई वर्षों तक इलाहाबाद मोमिन कान्फ्रेन्स के प्रेसीडेन्ट रहे हैं- उनके विचार से अभी भी इस जाति के लोगों को मदद की आवश्यकता है। शिक्षा के द्वारा जब तक जागृति नही लाई जायेगी उनका पिछड़ापन दूर नही होगा।

वे किसी प्रकार के इस्लामिक तरीके के परिवर्तन को स्वीकार ही नही करते उनका कहना है कि आज तक हिन्दुस्तान में 3 बार एक साथ तलाक कहने का प्रचलन रहा है- इस प्रक्रिया को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है और दहेज का विरोध करते हुए भी इसे देना पड़ता है। सभी इसका समर्थन करते हैं। लड़कियों को शिक्षित करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वालम्बी बनाने का उनका सकल्प है लेकिन दूसरी तरफ समाज में इस बदलाव को लाने में किसी सक्रिय भूमिका की स्वय वे अपेक्षा नहीं करते हैं।

वैयक्तिक अध्ययन- 4

परिचय- डा0 "ब" (48) बी0 यू0 एम0 एस0 एक ख्याति प्राप्त यूनानी चिकित्सक हैं। इनके दादा कपड़े की फेरी लगाते थे और पिता कक्षा 8 तक शिक्षित थे। दादा कलकत्ता के थे लेकिन उनका विवाह इलाहाबाद (फूलपुर) में एक दूर के सम्बन्धी के साथ हुआ। यह परिवार कलकत्ता छोड़कर फूलपुर में आकर बस गया है। सूचनादाता को शिक्षित करने का श्रेय उनके पिता को है जो स्वय कक्षा 8 तक शिक्षित थे। सूचनादाता के चार भाई हैं जो भिवण्डी (बम्बई) में लूम उद्योग की देख-रेख करते हैं और

इनकी दो बहने हैं। एक बहनोई परम्परागत पेशा करता है और दूसरा अर्द्धसरकारी सेवा में हैं।

सूचनादाता का वर्तमान परिवार

सूचनादाता की पत्नी महाराष्ट्र के भिवण्डी शहर की हैं और हाई स्कूल तक शिक्षित हैं। इनके चार पुत्र तथा एक पुत्री हैं। सभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सूचनादाता की एक विधवा बहन साथ रहती है। उनके दो पुत्र तथा एक पुत्रीहै। कुल ग्यारह सदस्य हैं। सूचनादाता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं अर्थात वे पाँचों समय की नमाज तथा अन्य सभ धार्मिक क्रियाओं को पूरे लगन से क्रियान्वित करते हैं।

परिवार में स्थिति- ये अपनी विधवा बहन के साथ एक एकाकी परिवार में रहते हैं। परिवार के वही कर्ता हैं उनके अन्य चारों भाई जो भिवण्डी में कपड़े का व्यवसाय करते हैं वे भी अपने परिवार के सभी कार्य इनसे पूछ कर करते हैं। इलाहाबाद के अन्सारी समाज में उनकी स्थिति अत्यन्त सम्मानजनक है अतः वे पारिवारिक निर्णय न केवल अपने परिवार में लेते हैं बल्कि वे अपनी बहनों तथा भाइयों के परिवार की समस्याओं को भी सुलझाते हैं। इस स्थिति का कारण उनकी उच्च शिक्षा है।

वर्तमान व्यवसथा के सम्न्बध में उनका मत- धार्मिक आचरण को व्यवहार में लाने का उन्होंने अटूट प्रयास किया। पाखण्डता के वे घोर विरोधी हैं। लड़के तथा लड़की दोनों को उच्च शिक्षा दिलाने के वे पक्षधर हैं। अधिकतर इलाहाबाद के अन्सारी समाज के लोग दूकानदार तथा लघु उद्योगों से जुड़े हैं वे चाहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी शिक्षित होकर इन्जीनियर, डाक्टर, शिक्षक जैसे सम्भ्रान्त पेशों को अधिक से अधिक अपनायें।

धार्मिक प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा। अधिक मेहनत के वे पक्षधर हैं जिससे समाज में फैली बेकारी दूर हो सके। वर्तमान अन्सारी समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए परम्परागत व्यवसाय से अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो अन्य व्यवसाय अपनाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। जिसमें शिक्षित व्यक्ति अधिक से अधिक होंगे।

वैयक्तिक अध्ययन-5

सूचनादाता की उम्र 34 वर्ष है। इन्होंने बी0 एस0 सी0 एम0 आई0 ई0 की शिक्षा प्राप्त की है। ये पिछले आठ वर्षो से इलाहाबाद में है और बिल्डिग कान्ट्रैक्टर का काम करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर में पैदा हुये थे। इनकी माता इलाहाबाद जिले के एक कस्बे मऊआइमा की हैं। इस कस्बे में

मुसलमानों में 90% अन्सारी जाति के लोग रहते हैं- इनके दादा बर्मा में नौकरी करते थे ये फैजाबाद के निवासी थे। सूचनादाता के पिता फैजाबाद से गुजरात चले गये। उनकी दो बुआ हैं। जिनके पति क्रमशः मिलिट्री तथा रेलवे में हैं। पत्नी इलाहाबाद के रोशनबाग मोहल्ले की हैं तथा वे बी0 ए0 पास हैं।

इनका सम्बन्ध अपने सभी रिश्तेदारों से बहुत अच्छा है। ये स्वयं सबसे मिलते हैं ये अपने मामा, फूफा तथा खाला के यहाँ जरूर जाते हैं और उनके बच्चों से मिलते हैं। इनके पिता गुजरात में रहते हैं और वे अपनी पत्नी तथा दो बच्चों के साथ रहते हैं।

इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तथापि जरूरत पड़ने पर मदद अपने साथियों से लेंगे रिश्तेदारों से लेना पसन्द नहीं करेंगे। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तथा शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते हैं। एक नये मुस्लिम समाज की रचना करना चाहते हैं इनका कहना है कि मजहबी शिक्षा के साथ प्रत्येक मुसलमान स्कूली शिक्षा ले और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ अपने को जोड़ें।

अन्सारी समुदाय मुस्लिम समुदाय में पिछड़ा समाज है इसलिए ये शिक्षा पर बहुत अधिक जोर देते हैं। इनकी एक बहन ने एम0 काम0 किया है तथा दूसरी बहन साइन्स की छात्रा है और ये यह भी कहते हैं कि मुझे कभी नही लगा कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ। ऊंची जातियों के साथ भी मुझे शर्म महसूस नहीं होती है यह शिक्षा के कारण है। इसीलिये परिवार में पिछड़ेपन का वातावरण नहीं है।

इनका कहना है कि तलाक हमारे यहाँ सबसे खराब चीज हैं अतः पहले तो उस स्थिति से बचना चाहिये और अगर तलाक देना जरूरी हो उसमें तो तीन बार में ही तलाक दिया जाय। सूचनादाता का कहना था कि भारत में प्रजातत्र हैं। यहाँ काजी न्यायकर्ता नहीं हैं जो पति पर दबाव डाल सके। दोनों पक्षों का सुनकर कि वे ऐसा न करें या पत्नी की मर्जी हो तो वह तलाक दे सके जिसे खुला कहते हैं पति की मर्जी न हो तो पत्नी खुलेआम तलाक नहीं दे सकती है। इसी प्रकार दहेज आदि सामाजिक समस्यायें है जो आज सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक संरचना का अंग बन गय है इनको खत्म करने के लिये सरचनात्मक व्याख्या में परिवर्तन लाना होगा। आज के भौतिकवादी समाज में हम कुछ को इस्लाम के नाम स्वीकार करते हैं कुछ को नहीं यह एक योजना बद्ध प्रयास होगा अगर इसके लिये एक जन आन्दोलन चलाया जाय।

आज भी अन्सारी समुदाय एक पिछड़ी जाति इसलिये हैं क्योंकि यह पहले से ही दबी हुयी मजदूर तबके की जाति थी। सरकार ने मोमिन कान्फ्रेन्स नाम से इसकी संस्था को शुरू से मदद की है और अंग्रेजों के समय से ही यह भारत राष्ट्र की आजादी के लिये लड़े हैं आज भी शिक्षा के द्वारा

परिवर्तन आया है। परन्तु अभी वह स्थिति नहीं आयी है कि इनको पिछड़े वर्ग से निकाल दिया जाय सरकार ने पहले ही कुछ को मदद देना स्वीकार किया है। इनकी संख्या बहुत अधिक है और आज भी शहर में अकुशल श्रमिक के रूप में लगे हुए बहुत लोग दिखाई देते हैं ।

वैयक्तिक अध्ययन- 6

43 वर्षीय सूचनादाता एक बैंक मैनेजर (शिक्षा एम0 ए0) है। इनका जन्म इलाहाबाद के गढ़ी कला मोहल्ला में हुआ। इनके छः भाई तथा 6 बहनें हैं। ये स्वय सबसे बड़े हैं। सभी भाई काम करते हैं, जैसे रेलवे में टी0 टी0 आई0, पाचों भाई विभिन्न क्षेत्रों में रेडियो, टी0 वी0 के मैकेनिक हैं। एक भाई हाईस्कूल का छात्र है। सूचनादाता के पिता यहाँ के किले में जो एक अर्द्ध सैनिक सगठन है टेक्नीशियन थे। इनके दादा तथा परदादा भी किले में नौकरी करते थे। परिवार में किसी ने भी कपड़े का व्यवसाय अथवा बुनने का कार्य नही किया है। परदादा भी अग्रेजी शासन काल में दसवी कक्षा पास थे। अतः घर में पढ़ाई करके नौकरी करने को प्रमुखता दी गयी इनकी माता भी गढ़ी मोहल्ले की हैं। ये कई पीढ़ियों से इलाहाबाद में रह रहे हैं। इनकी पत्नी हाई स्कूल पास है। उनके परिवार का वातावरण बहुत शिक्षित नही है। पहले इनकी पत्नी के परिवार में कपड़े का व्यवसाय होता था परन्तु अब इनकी पत्नी के सभी भाई हार्डवेयर (लोहे तथा मकान बनाने का समान) का व्यवसाय करते हैं। इनके सात बच्चे हैं पाँच लड़के तथा दो लड़कियाँ इनकी लड़कियाँ अग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रही है।

सूचनादाता की आय आठ हजार रूपया महीना है। वैसे तो यह स्वावलम्बी हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह आर्थिक मदद अपने माता-पिता तथा भाईयों से लेंगे। अपनी बहनों की ये आर्थिक मदद करते हैं। इनके सम्बन्ध अपने परिवार से बहुत अच्छे हैं।

धर्म के सम्बन्ध में इनके विचार अलग हैं। ये न तो रोज नमाज पढ़ पाते हैं और न ही कुरान शरीफ। लेकिन आठवें रोज हफ्ते की मुख्य नमाज जुमे के दिन पढ़ते हैं।इसी प्रकार ये रोजा भी नही रखते हैं लेकिन मुख्य दिनों में जैसे रमजान के शुरू में तथा आखीर में ये रोजा रखते हैं। मुस्लिम जातियों में ये अपने को कभी भी हीन नहीं समझते इनका कहना है कि मैने कभी भी यह अनुभव ही नही किया कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ।

शायद इसका कारण यह था कि इन्होंने शिक्षित पिता तथा दादा के सरक्षण में शिक्षा पायी है। लेकिन सर्विस मे आने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि ऊची जातियों के मुस्लिम इनको हेय दृष्टि से देखते हैं।

सामाजिक परिवर्तनों को आधुनिक सन्दर्भ में इन्होने स्वीकार किया है। यह स्वयं एकाकी परिवार में रहते हैं। लेकिन इनके और भाई अपने परिवार के साथ इनके पिता के परिवार में रहते हैं।

सूचनादाता के अनुसार जाति के निम्न स्तर को ऊंचा उठाने का एक मात्र कारक "शिक्षा" है। सरकार पिछड़ी जातियों के सन्दर्भ में जो छात्रवृत्ति अथवा आरक्षण दे रही है। इसका इन्होंने विरोध किया और कहा कि निम्न आर्थिक स्तर के परिवार को सहायता मिलनी चाहिये। उसका सम्बन्ध जाति से नही होना चाहिये। सरकारी नौकरियों में दिये गये आरक्षण का भी इन्होंने विरोध किया और कहा कि योग्यता के आधार पर चुनाव होना अत्यन्त आवश्यक है। इससे सरकारी तत्र में कार्यकुशलता बढेगी और चुने गये व्यक्ति मे किसी प्रकार की हीन भावना नही होगी। इनकी तीन पीढियों के लोग सरकारी नौकरी मे हैं अत सूचनादाता तथा उनके परिवार के अधिक व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं।

वैयक्तिक अध्ययन- 7

सूचनादाता (आयु- 79 वर्ष) एक सयुक्त परिवार में रहते हैं। इनका पेशा रसोई में काम आने वाले औजार बनाना तथा बिक्री करना है। इलाहाबाद में यह परिवार कई पीढ़ियों से है। तीस वर्ष पहले ये कानपुर मे स्टील के ट्रक का कारखाना चलाते थे। उनके साथ उनके तीन भाई भी वहा उसी कारखाने में काम करते थे। शेष दो भाई इलाहाबाद मे ट्रन्क तथा अलमारी बनाने के काम आने वाले कब्जे तथा कुण्डा बनाते हैं। इनके दोनों बहनोई भी इसी व्यवसाय से जुड़े हैं। एक बडा भाई बनारसी कपडे का व्यापारी था।

सूचनादाता का बडा पुत्र उच्च सरकारी अफसर है। उनकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है। पूरे परिवार में सूचनादाता के पुत्र की उच्च शिक्षा हुयी है तथा अन्य भाइयों के पुत्रों ने थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की है। वर्तमान पीढ़ी मे शिक्षा के प्रति झुकाव है लेकिन पैतृक व्यवसायों को अपनाने की प्रवृति विद्यमान है। सूचनादाता की माता जब तक जीवित थी परिवार सयुक्त था। तीनो भाई एक साथ रहते थे खाना पीना भी एक साथ था लेकिन उनकी मृत्यु के उपरान्त सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ परिवारों के साथ अलग हो गये।

सूचनादाता के उपरोक्त इस परिवार में व्यवसायिक भिन्नता दिखाई देती है पिता के व्यवसाय को किसी पुत्र ने नही अपनाया है। दूसरा पुत्र सिलाई कढ़ाई की दुकान चलाता है और तीसरा पुत्र स्कूटर मिस्त्री का व्यवसाय सउदी अरब में करता है ।

सूचनादाता की माता के जीवित रहते सभी भाइयों का निवास स्थान एक था। वे छः भाई थे। चार भाई कानपुर में बक्से का कारखाना चलाते थे। वहाँ उनके दो कारखाने थे एक कारखाने को दो भाई मिलकर चलाते थे। एक भाई शहर के प्रतिष्ठित बनारसी कपड़े का व्यापारी था। सबसे छोटा भाई इलाहाबाद शहर के सम्पन्न क्षेत्र में अलमारी तथा बक्सा बनाने का कारबार देखता था।

इस वैयक्तिक अध्ययन से यह पता चलता है कि सभी भाइयों के व्यवसाय को उनकी सन्तानों ने अपनाया है। अगर चार भाई हैं तो एक पिता के व्यवसाय को अपनाता है तो अन्य अलग तीन प्रकार के व्यवसायों को अपनाते हैं। व्यवसायिक भिन्नता हमें इस समुदाय में दिखाई देती है।

सूचनादाता स्वय भी एक अच्छे मिस्त्री हैं वे इलाहाबाद में टिन से रसोई में काम आने वाले उपकरणों का कारखाना चलाते हैं।

परिवर्तन को सूचनादाता आसानी से स्वीकार नही करता है। ये बहुत ही अधिक परम्परावादी हैं। दहेज जैसी सामाजिक बुराई को वे परम्परा के नाम पर स्वीकार करते हैं। आज भी वे स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं।

वैयक्तिक अध्ययन-8

यह एक 65 वर्षीय धार्मिक जागरूक उर्दू पढी विधवा महिला है। उनके पति कपडे के एक उच्च व्यवसायी थे उनका पुश्तैनी मकान इलाहाबाद में हैं आपका विवाह 1945 में हुआ था।

पारिवारिक स्थितिः- पति की मृत्यु के बाद सूचनादाता देवर से अलग हो गयी। पहले व्यवसाय एक था लेकिन भोजन अलग-अलग पकाया जाता था। इनके पति के कपडे के व्यवसाय को पति के छोटे भाई आज भी कर रहे हैं। सूचनादाता के पिता भी कपड़े का व्यवसाय करते थे लेकिन पुत्रों ने पिता के व्यवसाय को नही अपनाया वे टी0 वी0 की दुकान चलाते हैं। बिजली के सामान की दुकान दूसरा पुत्र चलाता है और तीसरा पुत्र बी0 ए0 पास करके विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा है। सभी पुत्रिया पढ रही हैं। इनके एक बेटे तथा एक बेटी का विवाह हो चुका है। दामाद एयरफोर्स मे नौकरी करते हैं तथा दो कपडे का व्यवसाय करते हैं एक बर्तन की दुकान रखते हैं एक सऊदी अरब में हैं।

सामाजिक स्थितिः- आप सवय अपने रिश्तेदारों से मिलती हैं खासकर बहनों के यहा जरूर जाती हैं। आस-पास के घरों में सलाह लेने के लिये भी बुलाई जाती है इसलिये अन्सार समाज के अधिकतर लोग आपको जानते हैं। आप यहा की पुराने रहने वालों में से हैं इसलिये आपके रक्त सम्बन्धियों तथा वैवाहिक सम्बन्धियों का दायरा बहुत बड़ा है और आपसे सम्बन्ध सभी से अच्छे हैं-

धार्मिक दृष्टिकोणः- आपको अपने धर्म का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से है इसलिये यह एक साहसी महिला लगती हैं समाज के पिछड़े पन के लिये इन्होंने सामाजिक परिस्थितियों को दोषी नहीं ठहराया बल्कि व्यक्ति को ठहराया। उनके घर के आस-पास मुस्लिम ऊची जातियों के जैसे शेख, पठान, सिद्दकी आदि लोगें के मकान हैं वे अपने को जातिगत आधार पर निचले वर्ग का नही मानती उनका कहना है कि इस्लाम जाति को नहीं मानता बराबरी ही इस्लाम का मुख्य उद्देश्य है। अत. मैं इसको नहीं मानती यह तो पेशा है तथा जो लोग जहाँ से इस्लाम में आये उन्होंने अपनी पहचान बनाये रखने के लिये हिन्दुओं की तरह एक नाम रखा। अतः जातिगत आधार पर ऊँच-नीच को यह बिल्कुल नहीं मानती और न ही अपने को पिछड़ा कहती हैं।

आर्थिक स्थितिः- इनकी आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। वर्तमान समय में पति की मृत्यु के बाद उतनी अच्छी नही रही है वैसे ये अपनी विधवा बहन की मदद करती हैं। जरूरत पडने पर ये आर्थिक मदद केवल अपने बेटों से लेंगी ऐसा इनका विश्वास है।

ये अपना अधिक समय घर के मैनेजमेन्ट तथा इबादत में लगाती हैं तलाक के विषय में यह कहती हैं कि तीन बार अगर तलाक कहा गया चाहे एक साथ अथवा एक महीने के अन्तर के उपरान्त तलाक हो जाता है इसी प्रकार चूँकि अन्सारी समाज के अधिकतर लोग छोटे-छोटे व्यवसायों में लगे हैं इसलिये आर्थिक स्थिति अधिकतर कमजोर है अतः यह समाज पिछड़ा है।

वैयक्तिक अध्ययन-9

जा0 बेगम (आयु 50 वर्ष) की स्कूली शिक्षा 5 तक है। इनके पति लोहे के व्यापारी हैं और इनकी मासिक आय लगभग 10 हजार से ऊपर है। इनके पिता मोटर मैकेनिक थे उनका एक निजी कारखाना है। इनके दादा कलकत्ते से प्रथम महायुद्ध के बाद इलाहाबाद चले आये थे। इनकी नानी कलकत्ते की एक गैर अन्सारी परिवार की थी। सूचनादाता के 4 भाई और चार बहने हैं दो भाई सऊदी अरब में मोटर के मैकेनिक हैं। दो भाई पिता के व्यवसाय अपने कारखाने में करते हैं। चार बहनों में एक बहन के पति अरब में कार्यरत हैं, दूसरा एयर फोर्स में हैं। एक की रोजी बैट्री बनाने की फैक्ट्री है एक जिनकी मृत्यु हो गई है। वह अपने पति की होजरी की दुकान चलाती है। कारोबार की देख रेख में उनका छोटा भाई हाथ बंटाता है।

इनकी दो बेटियां हैं। एक का विवाह गैर अन्सार जाति में किया है। दामाद डाक्टर हैं। छोटी बेटी अविवाहित है। वह बी0 ए0 तथा कम्प्यूटर का कोर्स कर रही है। एक बेटा बी0 ए0 में पढ़ता है और अपने पिता की हार्डवेयर की दुकान देखता है। छोटा पुत्र हाई स्कूल में पढ़ रहा है।

सूचनादाता का परिवार एक विसतृत परिवार है क्योंकि एक ही घर में इनके पति के दो छोटे भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनकी सास और ससुर भी साथ रहते हैं किन्तु सभी भाइयों का भोजन तथा व्यवसाय अलग है।

मिसेज बेगम सम्पन्न महिला हैं। आर्थिक सहायता अपनी बहनों तथा गरीब रिश्तेदारों की करती हैं। समय पड़ने पर यह स्वयं आर्थिक रूप से मदद अपनी मौसी के लड़के से लेगी।

धार्मिक क्रियाओं को करती हैं पर प्रतिदिन नहीं कर पाती हैं। अन्तर्विवाह को बहुत कठोरता से नहीं मानती हैं क्योकि इनके दो भाइयों का विवाह गैर अन्सार में हुआ है और इन्होने स्वयं अपने लड़कीका विवाह गैर अन्सारी डॉ0 लड़के से किया है। अपने समाज को अन्य जातियों के समक्ष हीन नही समझती हैं पर उच्च जातियों के सदस्य अपने व्यवहार के द्वारा उन्हें पिछड़ा जाति का मानते हैं यद्यपि समाज में अभी भी पिछड़ापन है।

सूचनादाता एक घरेलू महिला है। इस परिवार ने अन्तर्विवाह प्रथा को तोड़ा है इनके माँ के परिवार में भाइयों ने गैर अन्सार खान तथा सिद्दकी जाति में विवाह किया था आपने अपनी पुत्री का विवाह भी सिद्दकी जाति के डा0 युवक से किया है।

वैयक्तिक अध्ययन-10

सूचनादाता (आयु 70 वर्ष) उर्दू पढ़ लिख सकते हैं। इनके विस्तृत परिवार में एक बेटा एक छोटा भाई अपनी पत्नी व बच्चों के साथ है लेकिन उनका व्यवसाय तथा भोजन की व्यवसथा अलग-अलग है। इस परिवार में कुल 14 सदस्य हैं। एक पुत्र का विवाह हो चुका है। शेष अभी अविवाहित हैं। यह बाक्स बनाने का कारखाने का काम देखते हैं। बड़ा पुत्र श्रमिक के रूप में काम करता है। यह विवाहित हैं पिता के साथ रहता है पर भोजन की व्यवस्था तथा अपनी आय में स्वतत्र हैं। सूचनादाता का एक भाई भी अपने परिवार के साथ (2 लड़के तथा 2 लड़की) एक ही मकान में रहते हैं और वे बड़े भाई के कारखाने में ही श्रमिक की तरह बक्सों की रगाई का कार्य करते हैं। सभी एक मकान में रहते हैं परन्तु हर परिवार एकाकी रूप में अपनी देखभाल स्वयं करता है।

सूचनादाता के पिता टोप बेंचने का काम करते थे और दादा सूखे फलों के बड़े व्यापारी थे। आपको अभी भी याद है कि आजादीकी लडाई में आप लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया था और पाकिस्तान बनने पर एक बड़ी सख्या में उन्होंने अपने देश में रहना पसन्द किया था।

इनकी पत्नी इनकी मौसी की लड़की है। सूचनादाता के अनुसार, वर्तमान समय में विवाह के सारे तरीके बदल गये हैं जैसे मेहर की रकम पहले नही तय होती थी बरात जब लडके वालों के यहां पहुचती थी तब निकाह के पहले दोनों पक्ष के बुजुर्ग लोग मेहर तय करते जो बहुत कम होता था। अब विवाह की तारीख रखने जब वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के यहा जाते हैं तभी मेहर की रकम तय की जाती है। पहले बहुत सादगी से विवाह होता था।

सूचनादाता ने यह भी बताया कि पहले अधिक गरीबी थी। हमारे समाज के लोग बिल्कुल भी शिक्षित नही थे जो मौलवी बताते थे हम उस पर आँख बन्द कर विश्वास करते थे लेकिन पढ़ लिखकर सबसे बड़ा यह फायदा हुआ है कि हम अपने धर्म को जानने लगे हैं यह अपने सभी रोज के धार्मिक कार्यों जैसे नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, पूरी निष्ठा से पढ़ते हैं इनके पाँच भाई हैं जो निम्न कार्य करते हैं दो भाइयों का बक्से बनाने का कार्य है। एक पाकिस्तान चला गया। इलाहाबाद में जहा पहला दंगा हुआ था उसी स्थल पर इनका प्लास्टिक के फूल का व्यवसाय था।

सूचनादाता अपने सभी भाइयों तथा बहनों से मिलते हैं अपनी लड़कियों के ससुराल भी जाते हैं यह मिलने-जुलने में विश्वास रखते हैं समय पड़ने पर ये आर्थिक मदद अपने भाइयों से लेना पसन्द करेंगे।

मुस्लिम समाज की जाति-व्यवस्था की यह कोई आलोचना नहीं करते हैं उनके अनुसार हमारा एक बड़ा अन्सारी समुदाय है हमारे अपने समाज में ही लोग दौलत के आधार पर बड़े तथा छोटे होने का दावा करते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ ऊंची तथा नीची जातियां हैं अन्सारी समाज आज भी पिछड़ा है इनका मानना है।

तलाक को ये बुरा मानते हैं इनकी किसी बहन-भाई तथा विवाहित बच्चों का तलाक नहीं हुआ है। इनका परिवार अन्तर्विवाही परिवार है। इनके परिवार में लोग मिल जुल कर रहते हैं।

तलाक की वर्तमान प्रक्रिया जो सरचनात्मक तथा प्रकाग्रात्मक रूप से मुस्लिम अन्सारी समाज में व्याप्त है अर्थात् एक ही समय में तीन बार तलाक कहकर तलाक देना उसका यह विरोध करते हैं इनकी मान्यता है कि एक महीने के गैप मे तलाक की प्रक्रिया पूरी की जाय एक या दो बार तलाक कहने के उपरान्त स्त्री वापस अपने पति के पास रह सके सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं लेकिन परिवर्तन परम्परा में जुड़े होने चाहिए यह इनका मानना है।

सूचनादाता को तीनों पीढ़ियों के व्यवसाय में अन्तर है क्योंकि शहर में रहने वाले अन्सारी विभिन्न पेशों से जुड़े होते हैं इनके पुत्रों ने भी इनसे भिन्न व्यवसाय अपनाया है।

अशिक्षित होते हुए भी शिक्षा को परिवर्तन का मुख्य आधार मानते हैं उसका कारण यह है मीरापुर बस्ती पंजाबी तथा हिन्दु बाहुल्य क्षेत्र है तथा अन्सारी समुदाय के लोग वहा कम हैं और आस-पास थोड़े से घर शेख तथा सैयदों के हैं जिससे इनके विचार अलग हैं।

(3) बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी गलत परम्पराओं में विश्वास नहीं करते हैं और वर्तमान तलाक सम्बन्धी परिवर्तित नियमों को सही ठहराते हैं।

टिप्पणी वैयक्तिक अध्ययन-11 और 12 लगभग पूर्व जैसा है अतः उनका उल्लेख यहा नहीं हुआ है।

वैयक्तिक अध्ययन-13

सूचनादाता एक चिकित्सक है इनकी आयु अड़तालीस वर्ष है। इनके पूर्वज इलाहाबाद के एक ग्रामीण क्षेत्र (फूलपुर) के निवासी थे और कपड़े बुनने का काम करते थे। दो भाई (कल्लू तथा भल्लू) इलाहाबाद आ गये थे। इनके सतानों का व्यवसाय कपड़ा बुनना था। यानि सभी कपड़ा बुनने के व्यवसाय से जुड़े थे। सूचनादाता के पिता नेवी में भर्ती हो गये यहीं पर उन्होंने पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने को छोड़कर नौकरी की। सूचनादाता सन 1962 में इलाहाबाद आ गये थे। अपनी शिक्षा इलाहाबाद में रह कर पूरी की। इस समय वे इलाहाबाद मोमिन कान्फ्रेनस के अध्यक्ष हैं इनके पँाच बच्चे हैं दो लड़के क्रमशः एम0 ए0 इतिहास में तथा एम0 एस0 सी0 कर रहे हैं। तीनों पुत्रियों में एक पुत्री विवाहित है जो बी0 ए0 पास है दूसरी बी0 ए0 कर रही है सबसे छोटी बी0 एस0 सी0 कर रही है।

सूचनादाता के पिता के दो छोटे भाई फूलपुर में कपड़े का ही काम करते हैं। एक चाचा के दो बेटे हैं एक नेवी में दूसरा खेती करता है दूसरे चाचा के सात बेटे हैं।

प्रतिष्ठित व्यवसाय में हैं वार्षिक आय बीस हजार है। इनकी पत्नी 6 तक पढ़ी है तथा इलाहाबाद से बीस किलोमीटर दूर सहसों कस्बे की रहने वाली हैं वे एक सम्पन्न परिवार की हैं। इनका सम्बन्ध अपने ससुराल के लोगों से बहुत अच्छा है। इनके साथ इनकी पत्नी इनके पिता तथा 4 बच्चे रहते हैं।

सूचनादाता ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि अपनी किशोरा अवस्था तक वे सभी क्रियायें जैसे रोजा रखना, नमाज पढ़ना अनुशासनात्मक ढंग से करते थे लेकिन चिकित्सक पेशा होने के कारण अब वे बहुत कम समय धार्मिक क्रियाओं को दे पाते हैं न तो वे रोज, नमाज पढ़ पाते हैं न ही पूरे रोजे रख पाते हैं।

विभिन्न जातियों के मध्य उन्हें स्वय अपने को पिछड़ा समझना पसन्द नहीं है लेकिन इस समाज के लोग आज भी अशिक्षित तथा बहुत गरीब हैं अपने इस व्यवसाय के कारण उनका यह अनुभव है। इस्लाम में 4 फिरके हैं भारत में हनफी मानने वाले लोग अधिक हैं अतः वे एक समय में तीन बार तलाक की तलाक मानते हैं लेकिन अगर कुछ परिवर्तन किया जाता है और वह परिवर्तन व्यवहार में आता है तो वे इसे स्वीकार करेंगे।

आपका वह बेटा जो बाहर रहेगा अगर वह गैर-अन्सारी जाति में विवाह करेगा तो वह विवाह इन्हें स्वीकार है लेकिन इलाहाबाद में वे इस प्रकार के विवाह के पक्ष में नही हैं। शिक्षा वे आवश्यक मानते हैं क्योंकि समाज में आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी पहलुओं में परिवर्तन इसके माध्यम से होगा।

वैयक्तिक अध्ययन-14

सूचनादाता (49 वर्ष) मोहल्ला अटाला के निवासी हैं जहा शत प्रतिशत मुसलमान रहते हैं। ये पिछले 15 वर्षों में सम्पन्न आर्थिक स्थिति मे हैं। हिन्दी और उर्दू पढ़ सकते हैं। इन्होनें अपने पैतृक व्यवसाय (बक्सा बनाने के कार्य) को नही अपना कर दर्जी का काम एक श्रमिक के समान किया, फिर अपने घर पर काम किया उसी समय जब बाजार में कमीज में हार्ड प्लास्टिक कॉलर लगाया जाता था। इन्होंने घर के एक हिस्से में उसकी मशीन लगाकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया। अपना मकान कच्चे से पक्का बनवा लिया तथा कालर का फैशन कम होने पर धागा मगवाकर उसकी रील बनाने का छोटा उद्योग खोला और एक बडा मकान बनवाकर उसके एक हिस्से में फैक्ट्री तथा दूसरे हिस्से में रहना शुरु किया।

इनका विस्तृत परिवार था। पैतृक मकान मे सभी भाइयों के परिवार साथ रहते थे लेकिन उनका व्यवसाय अलग-अलग तथा भोजन की व्यवस्था अलग-अलग थी। बहनों के परिवार भी घर के पास थे लेकिन पिछले 5 वर्षों से वे पैतृक मकान में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहते हैं। सूचनादाता वामपन्थी विचारधारा को मानने वाले हैं उनके अन्दर राजनैतिक जागरूकता बहुत अधिक है वे सभी हिन्दी के पेपर पढ़ते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। वे धार्मिक कर्मकाण्डों को नहीं करते हैं लेकिन परिवार के सदस्य अगर धार्मिक उपासनायें करते हैं तो वे मना भी नही करते हैं। वे साल में 3 नमाजें पढ़ते हैं ईद, बकरीद, आखिरी शुक्रवार को।

इनकी पत्नी अशिक्षित किन्तु धार्मिक प्रवृत्ति की हैं लेकिन वे याद करने वाली आयते पढ़कर नमाज रोजा रखती हैं। ये बहुत कम अवसरों पर अपने रिश्तेदारों के यहा जाते हैं। लेकिन अन्य सभी

नातेदार स्वय इनके पास आते हैं ये अपनी बहनों की आर्थिक मदद करते हैं इनके पास इनकी विवाहित लड़की व दामाद रहते हैं। दामाद बक्से बनाने का काम करते हैं। सभी का भोजन एक ही चूल्हे पर पकता है।

वे अन्सारी समाज का पिछड़ापन अशिक्षा को मानते हैं मस्जिद के अन्दर सब एक हैं लेकिन बाहर आकर वे सभी अलग-अलग जाति समूहों में बंटे हैं। उनक दृष्टि में ऊंची जाति (अशरफ समूह) के लोग इस समाज के लोगों को श्रमिक के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस्लाम में चूकि हलाल की रोटी अर्थात् मेहनत से कमायी रोटी को महत्व दिया गया है। इसलिये ये अशिक्षित निर्धन लोग हमेशा श्रमिक के रूप में कार्य करते थे आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की इसी कौम ने स्वतन्त्रता सेनानियों का साथ दिया। सूचनादाता अभी भी वर्तमान अन्सारियों की स्थिति से सन्तुष्ट नही हैं उन्हें छात्रवृत्ति, औद्योगिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है हॉस्टल भी होना चाहिए।

इनका कहना है कि इस्लाम के सिद्धान्त कुछ कहते हैं लोग कुछ मानते हैं कभी भी बराबरी नही थी। बराबरी का केवल ढिढोरा है हमारी सामाजिक व्यवस्था कुछ धार्मिक है। नाम के आगे जाति का लगाया जाना बन्द होना चाहिए। पारिवारिक निर्णय ये अधिकतर स्वय.लेते हैं। लेकिन बहुत से मामले में ये पत्नी के निर्णय को भी स्वीकार करते हैं तलाक के हनफी नियम को मानते हैं। अर्थातृ तलाक का पहले निर्णय सोच समझकर लिया जाय कोशिश की जाय कि समझौता हो जाय नहीं तो तीन बार कहके तलाक से विवाह सम्बन्ध को तोड़ दिया जाय दहेज देना तो नही चाहते लेकिन अपनी बेटी को इन्होंने दिया था क्योकि समाज मे ऐसा हो रहा है इसलिये वे ऐसा करते हैं।

वैयक्तिक अध्ययन- 15

सूचनादाता दरियाबाद के रहने वाले हैं वे वहां एक स्टील ट्रन्क के कारखाने में बक्स बनाने वाले मजदूर हैं इनके पिता तथा दादा भी मजदूर थे तथा इनके पिता के भाई भी बक्से के कारखाने में मजदूरी करते हैं।

सूचनादाता का परिवार विस्तृत परिवार है वे अपने भाइयों तथा पिता के भाइयों के साथ अपने पैतृक निवास स्थान में रहते हैं सभी अपनी भोजन तथा सम्पत्ति को अलग रखते हुए एक साथ रहते हैं। इनके तीन बच्चे हैं दो लड़के तथा एक लड़की। लडकों के शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है अतः एक पुत्र दर्जी का काम सीखता है तथा दूसरा पुत्र इनके साथ बक्स बनाना सीख रहा है। एक पुत्री कक्षा बारहवी की छात्रा

है।

सूचनादाता की पत्नी इसी शहर की है। उनके परिवार में स्टील आलमारी बनाने का काम होता है बक्स बनाने की मजदूरी का काम सूचनादाता के दादा से लेकर इनके एक पुत्र ने भी अपनाया है यद्यपि इनका एक पुत्र दर्जी का काम करता है क्योंकि दर्जी के व्यवसाय में अधिक आमदनी है अत. यह चाहते हैं कि अधिक आमदनी वाले व्यवसाय को इनके पुत्र अपनाये।

आधुनिक अटैची तथा बैग के प्रचलन के कारण भी बक्से के व्यवसाय की क्षति पहुँची है। अतः परम्परागत पेशे को छोड़ने की प्रवृति बढ़ी है। यद्यपि सूचनादाता शिक्षित नही है लेकिन अपनी निम्न स्थिति के कारण वे अशिक्षा को ही मानते हैं वे अपने पुत्रों को भी शिक्षा दिलाना चाहते थे लेकिन निम्न आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा सम्भव नही हो सका और उन्हें अपने पुत्रों की आर्थिक मदद के लिये कम आयु में काम में लगाना पड़ा।

अपन पुत्र को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाने के पक्ष में है। इनके ससुराल की आर्थिक स्थिति इनसे अधिक अच्छी है और इनको विवाह में अच्छे उपहार घर मे काम आने वाली वस्तुये मिली थी लेकिन इन्होने कुछ मँागा नही था। उनके अनुसार दहेज मॉगना गैर इस्लामिक हैं कोई अपनी मर्जी से देता है वह अलग बात है।

सूचनादाता की धार्मिक जानकारी केवल सुनी-सुनाई धार्मिक बातों से है। वे केवल नमाज पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें नमाज याद है बाकी धार्मिक बातें धार्मिक पुजारियों (मौलवी) के द्वारा बताई गयी जानते हैं लेकिन वे महसूस करते हैं कि यह प्रणाली गलत है स्वय पढ़कर जानना जरूरी है। एक बार में तीन दफा तलाक के साथ पर तीन महीने मे बारी-बारी से दिये गये तलाक को वे उचित मानते हैं। सामाजिक परिवर्तनो को स्वीकार करने की उनकी तीव्र आकाक्षा है लेकिन आज्ञानता के कारण वे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं यह वह स्वीकार करते हैं।

अन्सारी समुदाय एक पिछड़ा समुदाय है इस पर उनका विचार है कि हम जो हैं वह ठीक है हमारा मुकाबला सैयद शेख पठान से कैसे हो सकता है। इस्लाम में जाति व्यवस्था है अथवा नही इस विषय पर वे बहस नही करना चाहते वे अन्सारी हैं बस इतनी ही जानकारी उनके लिये काफी है। एक निम्न वर्ग के मजदूर की जो सामाजिक स्थिति है वही इनकी भी है लेकिन वे जिस कारखाने में हैं उसका मालिक भी अन्सारी है अतः एक मालिक मजदूर का सम्बन्ध कम है उसके स्थान पर बीस वर्षों से काम करने के कारण अपस में पारिवारिक सम्बन्ध पैदा हो गया है। मालिक भी अशिक्षित धार्मिक प्रवृत्ति के हैं अतः

वैक्तिक अध्ययन (16)

वंशावली तालिका के द्वारा चार पीढ़ियों में पायी गयी व्यवसायिक स्थिति व नातेदारी सम्बन्धों का वर्णन

मालिक से सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं वे अन्य किसी कारखाने में अधिक मजदूरी मिलने पर भी काम नहीं करना चाहते हैं।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि एक परम्परागत व्यक्ति की विचारधारा आमने-सामने के सम्बन्धों के कारण किस प्रकार अपने समुदाय तथा अपने कार्यों से जुड़ी होती है।

वैयक्तिक- अध्ययन 16

सूचनादाता की उम्र 55 वर्ष, व्यवसाय- कॉकरी तथा रसोई के समान की दुकान

करीब 100 वर्ष पहले सूचनादाता (55 वर्ष) के हैं इनके परदादा जौनपुर से यहाँ आ गये थे। इस शहर में दादा गढ़ी एक मोहल्ले में रहते हैं। इनके तीन भाई और हैं और सभी एक मकान के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं। पिता के समय परिवार संयुक्त था सभी एक ही साथ रहते थे उसकी मृत्यु के बाद परिवार विस्तृत परिवार में परिवर्तित हो गया लेकिन इनका बड़ा पुत्र अपनी दुकान अलग करता है परन्तु पिता के साथ रहता है। पुत्र की पत्नी सूचनादाता की पुत्री की ननद है। सूचनादाता की पत्नी सूचनादाता के चाचा की पुत्र हैं। इनके छोटे भाई के पास भी बर्तन की दुकान है। उनकी पत्नी तथा सूचना दाता दोनों के परदादा सगे भाई थे। तीसरे भाई का विवाह भी नातेदारों में हुआ है वह अपने मोहल्ले से मिले हुये दूसरे मोहल्ले में हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। चौथा भाई बक्सा तथा आलमारी बनाने में इस्तेमाल होने वाली स्टील की चादर बेचते हैं। इनकी पत्नी इनकी मौसी की लड़की है जो इलाहाबाद से 20 किलोमटर दूर स्थित गाँव की है। गाव के अधिकतर लोग तो भिवण्डी जाकर लूम का काम करते हैं कुछ सउदी अरब गये हैं, कुछ सर्विस करते हैं। सूचनादाता की तीन बहने हैं एक बड़ी बहन का विवाह दूसरे मोहल्ले अकबरपुर मे हुआ है उनके पति स्टील ट्रक का कारखाना चलाते हैं। दूसरी बहन का विवाह मीरापुर में हुआ है।

पिछले 10 सालों से उनमे धार्मिक प्रवृत्ति और बढ़ही हैं वे अपने सभी रिश्तेदारो के यहाँ जाना पसन्द करते हैं। उनकी छोटी बहन मीरापुर से नयी बस्ती प्रत्येक रविवार को अपने तीनों बच्चों के साथ उनके पास आती हैं शाम को उनका पति भी आ जाता है। बड़ी बहन का परिवार बड़ा है चार बेटे तथा दो बेटियाँ जिनमें से 2 बेटियों तथा दो बेटों का विवाह हो चुका है बेटों की पत्नियाँ अटाला तथा अकबरपुर मोहल्ले की हैं तीसरी बहन का दरियाबाद मे विवाह हुआ है किसी भी बहन के पति रिश्तेदार नही हैं।

सूचनादाता के विवाह में दहेज मिला था तथा इन्होंने अपने बेटे के विवाह में इसे लेने के लिये मना

किया था परन्तु मिला था। इनका कहना है रिवाज और समाज की परम्परा से दहेज लेना तथा देना जुड़ गया है लेकिन डिमाण्ड नहीं किया जाता है इनके विवाह में मेहर की रकम तारीख तय करते समय तय किया गया था। तीस वर्ष पहले एक हजार रूपया एक अशर्फी मेहर की रकम बहुत मानी जाती थी उन्होंने पहली रात अपनी पत्नी को मेहर की थोड़ी रकम दी थी उसके बाद वे बाकी रकम देना चाहते हैं लेकिन उनकी पत्नी अभी नही लेना चाहती है। इस समाज में अक्सर स्त्रियाँ मेहर की रकम पति के साथ रहते नहीं प्राप्त करना चाहती हैं तलाक के समय मेहर की रकम को लेने का रिवाज है तथा अधिकतर पति इसे माफ करवा लेते हैं।

सूचनादाता किसी भी धार्मिक तथा राजनैतिक सस्था के सदस्य नही हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे परिवार का तथा नातेदारों का कोई भी सदस्य पाकिस्तान में नहीं है हमने अशिक्षित तथा पिछडे होते हुये भी अपने को इस देश से जोड़ रखा है ऐसा लगभग सभी अन्सारियों का विचार था वे सवतत्रता सग्राम से अपने आपको जोड़ते हैं और इस देश की वर्तमान परिस्थितियों की एक जागरूक नागरिक की तरह देखते हैं अन्सारी समाज को वे बहुसख्यक पिछड़ा मुस्लिम समाज मानते हैं। इस सम्बन्ध में वे सरकारी नीतियो की आलोचना करते हैं उनका कहना है कि विभिन्न औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण सस्थाओं तथा शिक्षण की इस समाज को और भी सहायता की आवश्यकता है।

वैयक्तिक अध्ययन 21

सूचनादाता की आयु लगभग 70 वर्ष है। इनके पूर्वज मकान निर्माण का कार्य करते थे वे मजदूरी करने गाव से इलाहाबाद आये थे सूचनादाता के पिता ने सर्वप्रथम बीड़ी का कारखाना खोला था जिसे इन्होने अब सव भाइयों के साथ मिलकर बढ़ा लिया है। सूचनादाता तथा उनके छोटे भाई की पत्नी परस्पर सगी बहने हैं परिवार के सदस्यो की सख्या बढ़ने पर दोनों भाइयों के परिवार अलग-अलग मकानों में स्थापित हो गये हैं।

सूचनादाता के परिवार की प्रमुख विशेषता यह है कि उनके निवास स्थान तो अलग हैं लेकिन व्यवसाय की आमदनी एक ही स्थान पर रहती है और सभी को खर्चा उस आमदनी में से ही मिलता है। सूचनादाता सबसे बड़े भाई हैं। त्यौहार तथा सभी सस्कार वे साथ मनाते हैं परिवार में किसी भी भाई के लड़के अथवा लड़की के विवाह का सम्पूर्ण खर्च वे स्वयं करते हैं। सभी भाइयों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी वे स्वय करते हैं।

वैक्तिक अध्ययन 22
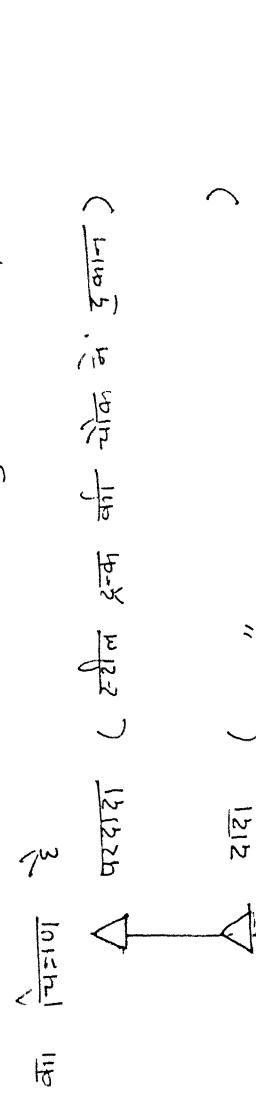
वंशावली तालिका में परम्परागत पैत्रक व्यवसाय का आधुनिक व्यवसाय मे परिवर्तन का चित्रण है

1. सूचनादाता की चौथी पीढी में सभी शिक्षित
2. छोटा कारखाना केवल सात श्रमिक
3. एकांकी परिवार सदस्यों की संख्या चार
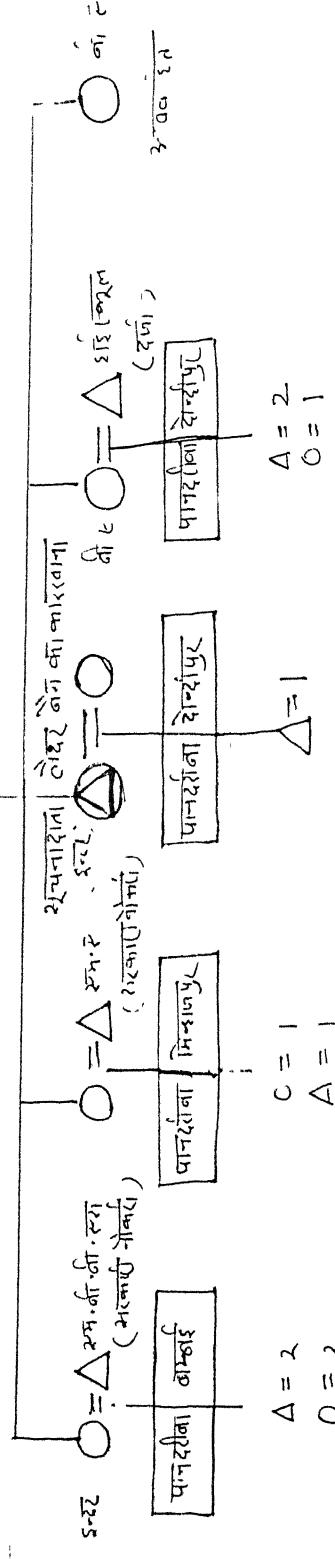
इस विस्तृत परिवार में कुल दम्पत्तियों की संख्या सात है तथा पूरे परिवार में सदस्यों की संख्या सैतालिस है। सभी वयस्क पुरुष बीड़ी उद्योग से जुड़े हैं। उनके दो पुत्रों का विवाह बिहार में हुआ है तथा छोटे पुत्र का विवाह फैजाबाद में हुआ है। विवाह गैर-रिश्तेदारों में हुआ है। यद्यपि सूचनादाता के अन्य तीनों भाई शिक्षित नही हैं लेकिन उनकी सन्तानें शिक्षित हैं।

आप बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं इनके निवास स्थान के आस-पास सभी तरह की जातियाँ हैं। इनका कहना है कि इनका पारिवारिक समूह लगभग दो सौ वर्षों से सैयद परिवारों से घिरा है और कड़ी मेहनत से व्यवसाय सफल हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि आर्थिक रूप से सम्पन्न होने के बावजूद आस-पास के अशराफ जाति के लोग उन्हें हमेशा नीची दृष्टि से देखते हैं। अतः पिछड़ी जाति का होने के कारण ऊची जाति के लोग उनसे एक सामाजिक दूरी रखते हैं। अपने व्यवसाय के कारण वे आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं उन्होने बताया कि मुस्लिम बाहुल्य ग्रामीण इलाकों में सैयद शेख पठान (अशराफ जातियाँ) जातियों के बीच अन्सारियों के मकान नही हैं बल्कि उनके मकान एक अलग टोले में होते हैं जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में जुलहटी अथवा जुलहन टोला नाम से पुकारा जाता है बल्कि शहर में ऐसी स्थिति नही है।

वैयक्तिक अध्ययन- 22

सूचनादाता (27 वर्ष) चौक मे अपनी पैतृक दुकान पर बैग बेचते हैं। इलाहाबाद में उनकी तीसरी पीढ़ी है। इनका अपना कारखाना है जिसमें सात लोग काम करते हैं। चार लैदर मशीनें हैं जिनके द्वारा माल तैयार होता है। ये दिल्ली तथा बम्बई से भी बना बनाया माल लाते हैं। इन्होंने बताया कि करीब चौक में बैग बेचने वालो मे 25 दूकानें केवल अन्सारियों की हैं। उनसे लगभग सात अथवा आठ लोग अपना माल अपने कारखाने में बनवाकर बेंचते हैं- इलाहाबाद में 90% बैग बनाने वाले अन्सारी लोग हैं ऐसा इनका कहना था। इनके परिवार में इनके माता इनकी पत्नी तथा एक बेटी केवल चार लोगों का परिवार है। यह एक एकाकी परिवार है।

इनके अनुसार उनके पिता ने ट्रन्क का व्यवसाय बदलकर रैक्सीन बैग थैले, होल्डाल, आदि बेंचने का काम इसलिये शुरू किया कि पिछले 25 वर्षों में स्टील ट्रन्क का स्थान अटेचियों बड़े बैग (रैक्सीन अथवा लैदर के बने) आदि ने ले लिया था अतः स्टील ट्रन्क का प्रयोग केवल देहातों तक सीमित हो गया परन्तु वहां भी कम हो गया है। अत· इस नये उद्योग से उन्हें बहुत सफलता मिली और सूचनादाता ने अपने पिता के द्वारा अपनाये गये नये उद्योग को और बढ़ाया तथा एक छोटा कारखाना खोलकर अपने

माल को स्वयं बनाना शुरू किया। मेहनत से उन्हें काफी सफलता मिली है।

उनके विवाह में मगनी तथा अन्य रस्मे नही हुई थी। उनके पिता अपने खास भाइयों के साथ तारीख रखने गये थे वहाँ पर मेहर की रकम भी तय कर दी गयी थी उनकी पत्नी के पिता ने जितनी रकम तय की इन्होंने मान लिया था वैसे उन्होंने सही रकम 10 हजार एक अशरफी तय की थी। इन्होंने चाहा था कि विवाह इस्लामी तरीके से हो किसी भी प्रकार का समान वे लोग न दे फिर भी इनकी पत्नी को उनके माता-पिता ने दहेज के रूप में कपड़ा जेवर समान बर्तन फर्नीचर आदि दिया था लेकिन इन्होंने किसी भी तरह की डिमाण्ड नही की थी। इनकी तीन बहने हैं उनका विवाह हो चुका है- दो बहनों के पति डाक्टर तथा सरकारी सेवा में हैं। तीसरी बहन का पति दर्जी की दुकान करते हैं। इनकी पत्नी के पिता भी स्टील ट्रन्क के व्यापारी हैं।

ये अपने को पिछडा मानने के लिये कतई तैयार नहीं है क्योकि वर्तमान स्थिति बहुत परिवर्तित हो चुकी है। इनके अनुसार आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है उस को पिछड़ा मानकर सरकार को मदद करनी चाहिये। चूँकि सम्पूर्ण मुस्लिम जातियों में अन्सारियों की सख्या अधिक है और वे मेहनत करने वाले लोग हैं पिछली दो पढ़ियों से पहले एक मजदूर की हैसियत रखते थे अतः पिछड़ापन स्वाभाविक है अतः सरकार को चाहिये कि आर्थिक आधार पर उन्हें मदद दी जावे।

ये किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित नही है। इन्हें अपने व्यवसाय से ही फुर्सत नहीं मिलती है। वे अपने पारिवारिक निर्णय अपनी माता तथा पत्नी से सलाह लेकर करते हैं। अपने सम्बन्धियों में बहनों के परिवार से मिलने छुट्टी के दिन जाते हैं। वे अधिक किसी की आर्थिक मदद नही करते हैं।

वैयक्तिक अध्ययन- 23

सूचनादाता इन्जीनियर हैं वह आई0 टी0 आई0 में कार्यरत हैं इनका एकाकी परिवार है। इनके दो बच्चे हैं। इनका विवाह एक सम्पन्न परिवार में हुआ है। इन्होने करीब 10 वर्ष तक सऊदी अरब एयर लाइन्स में नौकरी की तब तक इनकी पत्नी अपनी मां के घर तथा पति के घर पर रही वहां से आकर इन्होंने अपना नया घर बना लिया घर बनाने में इन्होंने अपनी पूंजी लगा दी है।

सूचनादाता के पिता टेलर हैं और दादा भी यही काम करते थे इनके बडें भाई भी सर्विस में है जिनके 6 बच्चे हैं इनकी पत्नी इलाहाबाद के पास के गांव बघेड़ा की है।

ये आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं। हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ते हैं लेकिन इनकी पत्नी धार्मिक अधिक है।

ये अपने मामले सवयं तय करते है तथा पत्नी की भी सलाह लेते हैं। अपनी जाति को पिछड़ा मानते

हैं क्योंकि अधिकतर लोग अभी श्रमिक के रूप में छोटे व्यवसाय से जुड़े हैं लेकिन शिक्षा प्रसार तथा वयवसायिक प्रवृत्ति के कारण वर्तमान समय में उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है।

किसी भी धार्मिक सस्था के सदस्य नही हैं और न ही किसी राजनैतिक दल के। इनके विवाह में इनकी पत्नी को दहेज दिया गया था और मेहर भी पहले तय किया गया था। मेहर बीस हजार एक अशर्फी था। जिसे उन्होने अदा नही किया है। इनका सम्बन्ध अपनी पत्नी के परिवार से अधिक है। क्योंकि पत्नी का परिवार अधिक सम्पन्न है लेकिन पिता का परिवारमेंआर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है। इन्हें विवाह में दहेज मिला था और मेहर भी पहले तय किया गया। मेहर बीस हजार एक अशर्फी था। जिसे उन्होने अदा नही किया है। इनका सम्बन्ध अपनी पत्नी के परिवार से अधिक है। क्योंकि पत्नी का परिवार अधिक सम्पन्न है पिता का परिवार आर्थिक स्थिति में कमजोर है।

वैयक्तिक अध्ययन -24

"क0 नि0" एक 77 वर्षीय महिला है। इनके पति को कपड़े की दुकान थी। इनके पति की एक बहन के बेटे से इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया है। इनकी दोनों बेटिया शिक्षित हैं एक बी0 ए0 हैं दूसरी इण्टर है इनके बेटा नहीं है लेकिन इन्होने अपनी बड़ी बेटी के पहले बेटे को स्वय लेकर पाला है। उसके 4 बच्चे है वह सऊदी अरब में दर्जी का काम करता है। इस प्रकार इनके परिवार में वर्तमान समय में सात सदस्य हैं। इनके पति ने अपने पिता के व्यवसाय को नही अपनाया उन्होंने कपड़े का व्यापार किया इनके पति के चाचा लोग कपड़े का व्यापार करते थे। छोटी पुत्री के पति का बड़ा कारोबार है व आपस में ममेरे भाई बहन भी हैं। दामाद पूर्ण शिक्षित है। इनकी पत्नी भी बी0 ए0 तक शिक्षित हैं इसका प्रभाव उनके बच्चों पर पडा है और इनके सभी बच्चे शिक्षित हैं।

सूचनादाता बताते हैं कि उनके पिता की सोने -चाँदी की दुकान थी तथा वे शहर के प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे इनके दादा तथा परदादा मकान बनाने का ठेका लेते थे। इनके एक बड़े भाई ने पिता के सुनार के व्यवसाय को अपनाया लेकिन छोटे भाई जो बी0 ए0 तक शिक्षित थे वे लोकल फण्ड में गजटेड अफसर थे इनके भाई की पत्नी इनक बुआ की लड़की थी। उनके बच्चों ने अधिक शिक्षा नही प्राप्त की उनकी चप्पल की दुकान है।

वैयक्तिक अध्ययन 25

सूचनादाता बयासी वर्ष के पेन्शनर अध्यापक हैं। वे एक स्थानीय सकूल में सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापक थे। आज अपने पैतृक निवास स्थान पर रहते हैं। परदादा तथा दादा कपड़ा बुनने का काम करते थे वे इलाहाबाद के पास सैदाबाद में रहते थे। इनके पिता इलाहाबाद मजदूरी करने आ गये थे वे मकान बनाने का काम करते थे। उन्होने दोनों बेटो को पढ़ाया। अतः आप अध्यापक बन गये और आपके दूसरे भाई रेलवे में सर्विस करते हैं।

सूचनादाता का एकाकी परिवार है। उनकी छः पुत्री तथा एक पुत्र (वी0 ए0) प्रिन्टिंग प्रेस में कम्पोजिंग का काम करता है। वे पास के मोहल्ले की हैं। विवाह में बहुत कम मेहर की रकम थी पत्नी को जरूरत की चीजें अपने पिता से मिली थी।

अतः हम सूचनादाता के परिवार में कई मध्यवर्गीय व्यवसायों को करते हुए लोगो को पाते हैं। जैसे दर्जी, बीडी बनाना, स्टील ट्रन्क बनाना आदि यह व्यवसायिक स्थिति हमें ढेरों अन्सारी परिवारों में दिखाई देती है। सूचनादाता ने इस परिस्थिति के लिये अशिक्षा तथा गरीबी को कारण बताया कि जब समाज अधिक से अधिक शिक्षित हो जायेगा तब व्यवसाय में भी स्थिरता आ जायेगी अभी यह समुदाय पिछड़ा है।

वैयक्तिक अध्ययन-26

मिसेज "फ" एक 48 वर्षीय इण्टर पास सी0 टी0 ट्रेन्ड महिला हैं। विवाह से पहले वह सर्विस करती थी परन्तु उनके पति की सर्विस तबादले वाली होने के कारण उन्होने सर्विस छोड दी। उनके पति एकाउन्ट्स आफिसर हैं पी0 डब्लू0 डी0 मे। उनके पिता की चौंक में कपड़े की दुकान थी वह दुकान उनके दादा की थी उनके परदादा कपड़े की फेरी लगाते थे।

सूचनादाता के तीन बहने तथा दो भाई हैं बड़ी बहन केवल आठवा पास हैं लेकिन एक बहन बी0 ए0, एल0 टी0 हैं और वह टीचर है उनके पति भी शिक्षक हैं। बड़ी दो बहनों के पति में क्रमशः एक की कपड़े की दुकान चौक में है दूसरी बहन के पति कानपुर में मिल में नौकरी करते हैं सबसे बड़ी बहन के 8 बच्चे हैं उससे छोटी के 4 बच्चे हैं तथा जो टीचर हैं उनके केवल 2 बच्चे हैं इनके दो भाई हैं एक भाई जज है। उनकी पत्नी इण्टर पास है उनके केवल एक बेटा है जो एल0 एल0 बी0 है। दूसरे चिकित्सक भाई की पत्नी बी0 ए0 तथा शिक्षित हैं उनके तीन बेटे तथा दो बेटिया हैं। इनका विवाह एक विस्तृत

परिवार में हुआ था लेकिन वर्तमान समय में वह एक कालोनी में अलग अपने मकान में रह रहे हैं। उनके 2 लड़के तथा 2 लड़किया हैं। लड़किया दोनों एम0 ए0 तथा बी0 ए0 की छात्रायें हैं लड़के हाईस्कूल तथा इण्टर में पढ़ रहे हैं। यह उच्च मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा परिवार है इनके पति के कोई भी भाई सर्विस नही करते हैं। उनके ससुर का टाइप फाउण्डरी का कारखाना है तथा एक प्रेस भी है पूरा परिवार एक साथ रहता है। इनके पति के एक छोटे भाई वकालत करते हैं।

यह जाति- पात को नही मानती हैं बहुत जरूरी समझने पर यह अपन जाति का नाम बताती हैं इन्होंने बताया कि अन्य जातियों के परिवारों से जब यह मिलती थी बाहर अन्य जिलों में तब जातिगत आधार पर अपना परिचय देना पसन्द नही करती थी क्योंकि जब लोग इन्हें पिछड़ी जाति का जान लेते थे तब उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता था।

[**टिप्पणी**- वैयक्तिक अध्ययन 27 और 29 लगभग समान हैं]

वैयक्तिक अध्ययन-28

सूचनादाता स्थानीय ए0 जी0 आफिस में एकाउन्टेन्ट हैं इनकी आयु 45 वर्ष है। यह परिवार 1910 में इलाहाबाद में आकर बसा था वे शाहजहॉपुर के रहने वाले हैं परिवार की दो पुत्रिया जो चौथी पीढ़ी की हैं उनका विवाह इलाहाबाद मे हुआ है जबकि इनकी माँ, दादी, चाची शाहजहॉपुर की हैं।

सूचनादाता के परदादा पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने यहाँ एक मेडिकल स्टोर खोला जो अभी इनके सम्बधियों द्वारा चलाया जा रहा है। सूचनादाता की एक बहन का विवाह बम्बई (भिवण्डी) में कपड़े के व्यापारी के यहाँ हुआ है। इनका सम्बन्ध स्थानीय अन्सारी लोगो से कम है क्योकि शिक्षा तथा सर्विस के कारण वे अपने ही वर्ग के लोगों से सम्बन्धित रहना अधिक पसन्द करती हैं। अपना सम्बन्ध इन्होने हाल ही मे अपनी बहिनों के विवाह सबध के द्वारा इलाहाबाद से जोडा है। नही तो इनके चाचा तथा इनके पिता ने विवाह अपने पूर्वजों के शहर (शाहजहॉपुर) से जोड़ा है।

ये अपने को पिछड़ी जाति का नही मानते हैं क्योंकि सर्विस तथा शिक्षा के द्वारा इनका संबध उन्ही के वर्ग के लोगों से हैं उनका मानना है कि इलाहाबाद में 70% प्रतिशत मुस्लिम केवल अन्सारी हैं और वे धनी व्यापारी परम्परागत तरके से जीने वाले लोग हैं परन्तु अधिक सख्या गरीब लोगों की है।

वैयक्तिक अध्ययन (31)
वंशावली तालिका के द्वारा सूचनादाता की चौथी पीढ़ी में शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर
व्यवसायिक गतिशीलता का चित्रण
परदादा
कपड़ा बेचते थे
दादा
कपड़े की चौक में दुकान
चौक में कपड़े की पैत्रक दुकान
दर्जी
पैत्रक दुकान के एक हिस्से में जूते की दुकान
नगरपालिका में कर्मचारी
कचहरी में मुंशी
सूचनादाता वकील
अशिक्षित
VII तकशिक्षा
VIII
बी.ए.
इन्टर
दोन्दीपुर
गढ़ी
शेरावाज
आशाला
इलाक
फरूखाबाद
बस्ती
एम.ए.एल.एल.बी. एम.ए.
(सरकारी वकील)
बी.काम, बी.ए.
= हाई स्कूल
= इन्टर
= बी.ए.
= VI
= अशिक्षित
= 3
- 3 हाईस्कूल (अरब में कार्यरत)
= बी.ए. एल.एल.बी.
= एम.एस.सी
= एम.ए. एल.एल.बी.
= एम.ए.
= इन्जीनियर
= बी.एस.सी.
= एम.एस.सी
= इन्टर
= हाईस्कूल
= VIII
= दुकान
= VII

वैयक्तिक अध्ययन-30

सूचनादाता (57 वर्ष) दर्जी का व्यवसाय करते हैं। उनके पिता घर बनाने वाले मिस्त्री थे और उनके दादा मजदूर थे घर बनाने में। इन्होने अपना एक अलग व्यवसाय अपनाया जिससे घर की स्थिति में परिवर्तन आ गया है। इनके 6 बेटे तथा 3 बेटियां हैं जिसमें केवल एक बेटा तथा एक बेटी विवाहित हैं।

इलाहाबाद में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पहले निम्न स्थिति में थे परन्तु किसी एक के सऊद अरब जाने से तथा अलग-अलग व्यवसाय करने से आर्थिक सम्पन्नता बढ़ी है और परिवार निम्न वर्ग से निकलकर उच्च मध्यम वर्ग में शामिल हो गया है। इस प्रकार ढेरों परिवारों में हमें इसी प्रकार की स्थिति दिखाई देती है जिसने उनकी पहले की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इनकी पत्नी अटाले की हो हैं इनके पत्नी के पिता स्टील ट्रन्क बनाने का काम करते थे। इनका विवाहित पुत्र अलग मकान लेकर रहता है। इनके परिवार में आठ सदस्य हैं यह एक एकाकी परिवार है लेकिन अविवाहित लड़के अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने पास रखकर कुछ हिस्सा अपने पिता को देते हैं।

पूरा परिवार अशिक्षित हैं लेकिन धार्मिक कर्मकाण्ड में वे पूरा हिस्सा लेते हैं। किसी भी प्रकार की राजनैतिक रुचि नही है धार्मिक मौलवी लोगों से भी ये कम मिलते हैं। शुक्रवार को नमाज वे मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं बाकी दिन वे घर में ही पढ़ना पसन्द करते हैं। अपनी जाति को वे पिछडा मानते हैं लेकिन ऊची जाति से कोई सम्पर्क न होने के कारण वे उनके प्रति कुछ भी अनुभव नही करते हैं।

वैयक्तिक अध्ययन 31

टिप्पणी- निम्न अध्ययन से असारी समाज में गतिशीलता का पता चलता है।

साठ वर्षीय सूचनादाता शहर के प्रतिष्ठित वकील हैं वे अन्सारी समुदाय में उच्च स्थिति रखते हैं। इनके परदादा, दादा तथा पिता कपड़े के व्यवसायी थे लेकिन पिता का व्यवसाय कमजोर पड़ जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर पड़ गयी यह छः भाई तथा तीन बहने हैं। इनसे बड़े दो भाई चौक में दुकान करते थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने परिवार में सबसे पहले उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये इस समुदाय के पहले वकील थे जिन्होंने कचहरी में प्रैक्टिस प्रारम्भ की और 1959 में नगर महापालिका का सभासद का ऐलेक्शन इन्होंने जीता उसके बाद 1970 में ऐलेक्शन हुआ जिसमें शहर क्षेत्र के चार अन्सारी सभासद थे। उनमें भी यह एक प्रमुख व्यक्ति थे।

सूचनादाता के चार पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं सबसे बड़े पुत्र सरकारी वकील हैं। उनसे छोटे दूसरे नम्बर के पुत्र एम0 काम0 हैं। वे अपना होटल का व्यवसाय देखते हैं। तीसरे नम्बर के पुत्र बी0 ए0,

एल0 एल0 बी0 हैं। वे भी अपने पिता तथा भाई के व्यवसाय को देखते हैं, चौथा पुत्र एम0एस0सी0 कर रहा है। बड़ी विवाहित पुत्री एम0 ए0 एल0, एल0र्बी0 है। वे व्यवसाय के सिलसिले में अपने पति के साथ दिल्ली में रहती है। दूसरी पुत्री भी विवाहित है। वह भी एम0 ए0 तक शिक्षा प्राप्त है। उसका विवाह अपनी बड़ी बहन के पति के छोटे भाई से हुआ है।

वर्तमान समय में परिवार संयुक्त है। परिवार में तीन विवाहित जोड़े हैं तथा सदस्यों की संख्या ग्यारह है वे एक ही रसोई में भोजन करते है तथा सम्पत्ति भी सूचनादाता के पास रहती है वे परिवार में मुखिया की हैसियत रखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्सारी समुदाय के लोग भी उनके पास सलाह मशविरे के लिये जाते हैं।

सूचनादाता ने बताया कि सन् सैंतालिस से पहले इलाहाबाद शहर में अन्सारी समुदाय शहरी तथा देहाती दो टाटों में बँटा था वे आपस में विवाह सम्बन्ध करने से भी कतराते थे लेकिन सन् पचास के बाद जब समाज में शिक्षा बढ़ी तथा इस समुदाय के लोग लघु उद्योग व्यापार तथा इन्जीनियर डाक्टर के पेशे में आने लगे तब शहरी तथा देहाती अन्सारी का अन्तर समाप्त होने लगा अर्थात वे आपस में विवाह सम्बन्ध करने लगे।

आपके अनुसार वर्तमान समय में अन्सारी समुदाय विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से जुड़ा है। वे सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं लेकिन अभी भी एक बहुत बडा हिस्सा अशिक्षित तथा कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है। शहर में वे किसी एक मुख्य व्यवसाय से नही जुड़े हैं लेकिन कुछ व्यवसायों में उनकी संख्या अधिक है जैसे कपड़े के व्यापारी, बक्स तथा अलमारी के व्यापारी तथा श्रमिक, बीडी श्रमिक, होजरी तथा बर्तन गोटे के व्यवसायी, दर्जी, अकुशल श्रमिक आदि। सरकारी नौकरियों तथा चिकित्सक, वकील के पेशे में भी इनकी संख्या हो गयी है।

आपकी पत्नी दूर के रिश्ते में इनकी बुआ लगती है। विवाह बहुत सादगी से हुआ था इनकी पत्नी इण्टरमीडिएट तक शिक्षित हैं। उन्होंने उस समय शिक्षा प्राप्त की थी जब इस समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम महिलायें थी। पति-पत्नी दोनों की शिक्षा का प्रभाव इनके परिवार पर पड़ा है। सभी बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। इनकी बेटी अपने समुदाय में पहली महिला वकील हैं। वह वकालत का पेशा नहीं करती हैं लेकिन अपने पति के व्यवसाय में उनकी पूरी भागीदारी है।

सूचनादाता चूँकि एक राजनैतिक दल के सदस्य है अतः अन्सारी समुदाय में पिछले चालीस-पचास वर्षों में किस प्रकार का परिवर्तन आया है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है उनके अनुसार इस समुदाय में

परिवर्तन की दिशा के कुछ मुख्य कारण रहे है। जो निम्न है-

(1) यह समुदाय पहले मजदूर वर्ग जैसा जाति-व्यवस्था में निचली स्थिति के कारण मुसलिम अशराफ जातियों के सामने पिछड़ी स्थिति में था परन्तु शिक्षा तथा [illegible] गतिशीलता के फलस्वरूप वर्तमान समय में एक विशेष वर्ग ने काफी उन्नति कर ली है।

(2) शहरी तथा देहाती टाट के बीच सामाजिक दूरी खत्म हो गयी है।

(3) वर्तमान समय में लोग जाति पचायत के द्वारा समस्याओं को न सुलझाकर कानूनी रूप से अधिक सुलझाते है। विभिन्न [illegible] पारिवारिक, व्यक्तिगत समस्याओं के सम्बन्ध में लोग कानूनी सलाह लेने आते हैं।

(4) शहरी समुदाय के अन्सारी लोग कभी भी करघे पर कपड़ा नहीं बुनते थे वे व्यापार आदि अधिक करते हैं। इन्हें सोदागर भी कहा जाता है।

(5) अन्सारी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अब सउदी अरब रोजगार के सिलसिले में गये है जैसे दर्जी, बक्से तथा अलमारी बनाने वाले कुशल कारीगर, पेन्ट करने वाले, मजदूर वर्ग आदि उनके परिवारों में आश्चर्यजनक खुशहाली आयी है। आर्थिक रूप से मजबूत होने पर वे शिक्षा तथा नये रोजगारों की ओर मुड़े हैं वह उनकी सामुदायिक उन्नति का कारण बना है।

(6) विदेश से लौटने पर वे पश्चिम की आधुनिकता को भी अपने साथ लाये जा इस समुदाय में परिवर्तन का मजबूत आधार वना। [illegible] की इस सूचना को उन परिवारों में व्यवहारिक रूप से देखा गया जिनके परिवार का एक भी सदस्य विदेश में था। उनके परिवार में आधुनिक वस्तुओं का जैसे रसोई से काम आने वाले बिजली तथा अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हो रहा है।

(7) शिक्षित मुसलिम अन्सारी परिवारों में हमें बच्चों की सख्या भी कम दिखाई देती है।

(8) महिलाओं में पर्दा प्रथा कम हुयी है तथा महिला शिक्षा का विकास भी तेजी से हुआ है उन मोहल्लों में जहाँ मुस्लिम बहुसख्यक समाज के साथ रहती है वहाँ उन पर बहुसख्यक सस्कृति का पूर्ण प्रभाव पड़ा है। कीटगज में रहने वाले परिवारों की लड़कियाँ क्रासवेट में पड़ती हैं वहाँ वे दूसरे समाजों के साथ दिन भर का एक बडा हिस्सा बिताती है। यह कारण है कि उनकी वेशभूषा तक शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है वे ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएशन करना अधिक पसन्द करती हैं।

(9) आस-पास के गावों में जहाँ अन्सारियों की संख्या अधिक है वे लूम पर या तो कपड़ा बुनते थे खेतिहर तथा बीड़ी श्रमिक थे। वर्तमान समय में वे स्वय लूम के मालिक हो गये है ; उनके पास खेती भी है

तथा प्रत्येक परिवार मे एक व्यक्ति या तो बम्बई कपड़े का कारोबार करने चला गया है अथवा वह सऊदी अरब चला गया है इस प्रकार उनकी आर्थिक उन्नति हुयी है। लेकिन अभी वे ग्रामीण इलाकों में जातिगत आधार पर निम्न दृष्टि से देखे जाते हैं- जैसे हिन्दू सामाजिक सरचना में ग्रामीण इलाकों में ऊची जातियों के सामने निम्न जातियों के लोग ऊपर नहीं बैठ सकते उनके मकान भी उच्च जातियों से दूर होते हैं। उसी प्रकार अन्सारी समुदाय के मोहल्लों को ग्रामीण इलाकों में जुलहटी (जहाँ जुलाहे अर्थात् कपड़ा बुनने वाले रहते हैं) कहा जाता है। सूचनादाता ने इस विषय पर भी प्रकाश डाला कि जातिगत आधार पर मुस्लिम समाज में भी भेदभाव होता है वे मुस्लिम मजलिस पार्टी के सीनियर व्यक्ति थे लेकिन पार्टी मे उच्च जाति वालो का वर्चस्व था अन्सारी होने के कारण उन्हें- जगह खाली होने पर भी आगे नही किया गया।

सूचनादाता के बडे दो भाई व्यापारी थे उनसे छोटे दो भाई शिक्षित हैं। उनमे एक नगर पालिका में है दूसरे भाई कचहरी में मुशी हैं। इस प्रकार सूचनादाता ने इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय को विभिन्न व्यापारी नौकरी पेशा प्रतिष्ठित व्यवसायों मे बँटा होना बताया क्योंकि जातिगत आधार पर वे इलाहाबाद में अपने पैतृक पेशे से नही जुडे हैं। लेकिन सामाजिक रुप से शहरी समाज में इनकी एक बडी सख्या है और ये जहाँ भी रहते है एक समुदाय होने के कारण सामाजिक सह सम्बन्ध बना लेते हैं।

अन्सारी जाति पिछडी जाति है लेकिन इस समुदाय के लोग अपने को अन्सारी कहलाने में हिचकिचाते नही है क्योंकि कपडा बनाना एक स्वच्छ सम्मानजनक पेशा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने एक हदीस का जिक्र किया कि "अगर जन्नत में कारोबार करने की इजाजत होती तो कपडे के कारोबार के बराबर कोई कारोबार नहीं होता।"

वैयक्तिक अध्ययन- 32

सूचनादाता रिक्शा चलाते हैं। उनके पिता गाव में खेतिहर मजदूर थे फिर वे करीब तीन दशक पूर्व गाव से शहर में आ गये यहाँ पहले उन्होंने मजदूरी की फिर रिक्शा चलाया। उनके पाँच बेटे थे जिसमें दो रिक्शा चलाते हैं। तीसरा बैल्डिग का काम करता है। चौथा बीड़ी बनाता है तथा पाँचवा बैटा दर्जी का काम सीख रहा है।

सूचनादाता अपने पाँचों भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनका अपना रिक्शा है वे अपनी पत्नी तथा छः बच्चों के साथ एकाकी परिवार में रहते हैं। उनका पैतृक निवास स्थान नहीं है। वे किराये का कमरा

लेकर रहते हैं।

इनका विवाह दूर के नातेदारों में हुआ है। इनकी पत्नी घर पर बीड़ी बनाती है। इस प्रकार वह अपने परिवार को आर्थिक मदद करती है। उनका परिवार निम्न वर्ग का पिछड़ा परिवार है। प्रतिदिन की आय से उनका गुजारा चलता है। शिक्षा की ओर कोई प्रयास नही है। वरन् जल्दी इस बात की है कि लड़के बडे होकर जल्दी से जल्दी काम करना सीखें जिससे परिवार की आय बढ़े और घर में जरूरते पूरी हों। धार्मिक कार्य रिक्शा चालक होने के कारण नहीं कर पाते है लेकिन सप्ताह की एक नमाज वे जरूर पढ़ते हैं।

विवाह सम्बन्ध चूँकि नातेदारों में हुआ था अतः दोनों ही परिवार गरीब है बहुत कम खर्च में विवाह हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी को मेहर की रकम नही अदा की थी उनकी पत्नी मेहर की रकम लेना भी नही चाहती है (अशिक्षित मुस्लिम महिलायें मेहर की रकम माफ कर देती है अथवा वे नहीं लेती है क्योंकि तलाक के उपरान्त जितनी मेहर होती है वह पति को देना पड़ती है) तलाक एक समय में तीन बार कह कर देना उचित है अथवा तीन महीनों के अन्तराल रखकर दिया जाय इस सम्बन्ध में सूचनादाता ने कहा कि अगर हमारे उल्मा (धार्मिक विद्वान) इस बात को स्वीकार करते है कि तलाक तीन महीनो की अन्तराल के आधार पर दिया जाय तो वह उचित होगा।

सूचनादाता समय-समय पर अपने भाइयों के परिवार में मिलते है तथा अपने बच्चों का विवाह वे परिवार मे ही करना चाहते हैं। उन्हें ऊंची-नीची जाति के भेदभाव से कोई मतलब नही वे अपनी ही जाति को पहचानते हैं और अपने जाति के ही सम्बन्ध को उचित मानते है।

वैयक्तिक अध्ययन- 33

सूचनादाता बीडी बनाने वाले श्रमिक हैं। यह व्यवसाय परम्परागत है क्योंकि इनके पिता तथा दादा भी बीड़ी श्रमिक थे। इनके बड़े दो भाई तथा ये केवल बीड़ी बनाते हैं जबकि तीसरा भाई दर्जी है। इलाहाबाद के मजदूर मुस्लिम वर्ग में एक बहुत बड़ा वर्ग बीड़ी उद्योग से भी जुड़ा है जिससे घर में महिलायें तथा बच्चे बीडी बनाते हैं तथा पुरुष बीड़ी के कारखाने में जाकर बीडी बनाते हैं।

सूचनादाता एक विस्तृत परिवार में रहते हैं वे चार भाई तथा तीन बहनें है चारों भाई क्रमशः दो बीड़ी श्रमिक तीसरा स्टील बक्स बनाने वाले श्रमिक तथा एक भाई स्कूटर मैकेनिक हैं। यह सभी अपने पैतृक निवास स्थान में रहते हैं। यद्यपि सभी निम्न वर्ग से सम्बन्धित हैं लेकिन एक मकान में रहने के

कारण आपस मे वे आमने-सामने के सम्बन्ध रखते हैं। सूचनादाता अपने सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। यद्यपि सभी निम्न वर्ग के हैं लेकिन वे मदद करते हैं आपस मे। सूचनादाता की पत्नी उनकी चचेरी बहन हैं। उन्होने भी अपने पुत्र का विवाह तीसरे भाई की पुत्री से किया है।

परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नही है घर की सभी स्त्रिया अपने खाली समय में बीड़ी बनाती हैं जिससे परिवार का गुजारा चलता है। निम्न वर्गीय परिवारों के व्यक्ति अधिकतर अकुशल श्रमिक हैं वे धार्मिक कार्यों को बहुत कम पूरा कर पाते हैं। अशिक्षा के कारण वे केवल नमाज पढ सकते हैं। अपनी धार्मिक पुस्तक नही पढ पाते हैं यही कारण है कि धार्मिक पुजारी धर्म के बारे में जो जानकारी देते हैं। उन्ही जानकारियो को ये सही मानकर व्यवहार मे लाते हैं।

अपनी स्थिति को वे बदलना चाहते हैं। इसलिये वे अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। उनके विचार से पहले कम खर्चे मे विवाह हो जाते थे। एक मुसलमान दहेज की मँाग नहीं करता था लेकिन वर्तमान समयमें दहेज के बगैर विवाह नही होता है इसलिये वे अधिक से अधिक अपनी आमदनी बढाना चाहते हैं। सामाजिक परिवर्तनों को नही समझ पाये हैं क्योंकि प्रतिदिन कमाना और उसी से भरण-पोषण करना ही उनके लिये प्रमुख कार्य है। वे चाहते हैं कि सरकार बीड़ी उद्योगपतियो को मजबूर करे कि वे उनकी मजदूरी बढ़ाये।

(टिप्पणी- वैयक्तिक अध्ययन 34 से 37 लगभग समान है।)

वैयक्तिक अध्ययन- 38

सूचनादाता ने सुनारी पेशा अपनाया है। उनके पिता भी सुनार का काम करते थे लेकिन उनके दादा अग्रेज सैनिकों की वर्दी की सिलाई का काम करते थे। वे इस मकान में तीन पीढियों से रह रहे हैं उनके एक बेटा और तीन बेटियाँ हैं उनका बेटा अमरीका में वैज्ञानिक है बेटियाँ भी स्नातक हैं। उनकी पत्नी की शिक्षा भी स्कूल में आठवी तक हुयी है।

इनका परिवार एकाकी परिवार है। बेटा अमरीका में रहता है उसकी पत्नी एक दूसरे शहर के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बेटी है। इनकी एक पुत्री का विवाह हो चुका है जिसका पति सरकारी सेवा मे है। वर्तमान समय मे परिवार के सदस्यों की सख्या केवल चार है।

पैतृक व्यवसाय मे गतिशीलता इतनी अधिक है कि एक ही पीढ़ी में अनेक व्यवसाय से जुड़े लोग दिखाई देते हैं। सूचनादाता के दोनो भाई शिक्षित हैं और उच्च पदों पर हैं लेकिन बहनों के परिवार में

बढई का काम तथा आलमारी बनाने का काम होता है।

शहरी समाज में परिवर्तन की इन स्थितियों में व्यक्ति की भूमिका में भी परिवर्तन आ जाता है यही कारण है कि सूचनादाता का पुत्र जो वैज्ञानिक है उसने अमरीका में रह रहे प्रोफेसर की पुत्री से विवाह किया है।

यह बहुत ही अधिक धार्मिक प्रवृति के व्यक्ति हैं सोने के जेवर बनाने वाले लोगों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। ऐसिड के प्रयोग तथा धुयें के कारण स्वास्थ्य भी खराब हो जाती है। अतः इस पेशे की दुष्प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा है और वर्तमान समय में मशीनों से जेवर बनाने के कारण हाथ से बने जेवरो का प्रचलन भी कम हो गया है।

(टिप्पणी- अध्ययन 39 से 43 लगभग समान है)

वैयक्तिक अध्ययन- 44

सूचनादाता इलाहाबाद अटाला मोहल्ले में रहते हैं। यह एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ अनेक मुस्लिम समुदाय वाले हैं जिनमें अन्सारी लोगो की सख्या अधिक है।

सूचनादाता का व्यवसाय (आटे की चक्की) है। इनके पूर्वज भी इसी व्यवसाय को करते थे। सूचनादाता की पत्नी इसी शहर के एक दूसरे मोहल्ले की हैं वे एक शिक्षित परिवार की हैं। इसका प्रभाव उनके पति के परिवार पर पड़ा है। उनके चारों बेटे स्नातक तक शिक्षित हैं। वे हाई कोर्ट में एक वकील हैं, दूसरा पिता के व्यवसाय की देखभाल करता है, अन्य दो सउदी अरब में नौकरी करते हैं। इनकी दोनो पुत्रियाँ भी हाई स्कूल तक शिक्षित हैं। वे स्वय साक्षर हैं।

ये सभी एक बडे विस्तृत परिवार मे रहते हैं। इसमें उनकी पत्नी के अतिरिक्त परिवार में तीन विवाहित बेटो की स्त्रियॉ व सन्तान हैं। परिवार मे सदस्यों की संख्या 17 है वे एक ही निवास स्थान मे एक साथ भोजन करते हैं। वे स्वय अपने परिवार के सभी खर्चे वहन करते हैं। चाहे विवाह हो अथवा त्योहार तथा सस्कार आदि क्योकि परिवार मे प्रत्येक पुत्र अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा इनको देता है। अत. परिवार का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उन पर रहता है।

सामाजिक परिवर्तनों को वे स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार आर्थिक विकास बहुत जरूरी है इसके ही सहारे शिक्षा तथा व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है।

वैयक्तिक अध्ययन- 45

श्रीमती "फ" एक घरेलू हाई स्कूल पास महिला (40 वर्ष) हैं। इनका विवाह 20 वर्ष पहले हुआ था उनके पिता का परिवार दारा शाह अजमल इलाके में रहता है जहां मुस्लिम जाति के सैयद लोग अधिक रहते हैं वे दर्जी का काम करते हैं इनके पिता के दो भाई हैं जिनमें एक दर्जी तथा दूसरे जनरल मर्चेण्ट की दुकान करते हैं बुआ के पति भी व्यवसायी हैं।

पति ठेले पर चप्पल बेंचते हैं अशिक्षित हैं। उनके और 2 भाई भी इसी प्रकार अकुशल श्रमिक हैं लेकिन वे अब अपने पैतृक घर पत्थर गली में रहते हैं इस प्रकार इनका परिवार विस्तृत परिवार है जिनमें रहते तो वे साथ हैं पर व्यवसाय तथा भोजन व्यवस्था अलग-अलग है।

रिश्तेदारों से सम्बन्ध अच्छे हैं उनकी एक बहन तथा दो भाई हैं। एक भाई बीड़ी का काम करते हैं तथा एक भाई पिता के व्यवसाय दर्जी को ही करते हैं। यह अपने भाई के यहा जाती है वे इनके यहाँ आते हैं। इनके पाँच बच्चे हैं तीन लडकियाँ स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

आप घर में भी मेहनत करती हैं। प्रतिदिन बीडी बनाने से 10 रु0 मिल जाते हैं। आप बहुत मेहनत से बच्चो को पढा रही हैं नमाज भी पढती है। ये जहा रहती हैं वह अन्य मुस्लिम जातियो के लोग जैसे- शेख, सैयद, पठान आदि रहते हैं। इसके अलावा अन्य पिछडी जातियाँ- दर्जी, धोबी, हलवाई आदि भी रहते हैं। यह मानती हैं कि ऊची जाति के लोग इनके साथ जातिगत आधार पर हीन व्यवहार करते हैं जैसे बराबर से नही बैठाते हैं विवाह आदि में बुलाते तो हैं लेकिन वह सम्मान नहीं देते हैं साथ ही इनका यह भी मानना है कि निम्न वर्ग का होने के नाते शायद उनके साथ यह व्यवहार किया जाता है।

निष्कर्ष-

(1) गरीब परिवार की हाई स्कूल पास एक घरेलू महिला के द्वारा बीड़ी बनाकर अपने बच्चों को पढ़ाना यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि अशिक्षा ही सारी परेशानियों का कारण है और वे बच्चों को शिक्षित बनाने के लिये कृतसंकल्प हैं।

(2) उनका निवास स्थान ऊची जातियों के बीच है इससे भी यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक सरचना में जाति का प्रकार्यात्मक रूप से ऊंचे नीचे के आधार पर उस समय अधिक कार्य करता है जब

वह इकाई निम्न वर्ग की होती है क्योकि पहली दशा उससे नीचे मानने की उसका पिछड़ी जाति का होना है दूसरी उसका निम्न वर्ग का होना।

(3) आर्थिक, सामाजिक विकास के लिये इन महिला का पूरा ध्यान केवल शिक्षा की तरफ है।

(टिप्पणी- वैयक्तिक अध्ययन 46 से 49 लगभग पूर्ण वर्णित जैसा है)

वैयक्तिक अध्ययन- 50

सूचनादाता (साठ वर्ष) ग्रेजुएट हैं और बोर्ड आफिस में क्लर्क थे। रिटायर होने के पश्चात इन्होंने अपना मकान अटाले में बनवाया है। इनके नौ बच्चे हैं पत्नी दूर के रिश्ते की इनकी बहन थी इनकी मृत्यु हो चुकी है इनका परिवार एकाकी परिवार है।

इनका सम्बन्ध अपने तथा अपनी के परिवार से अच्छा है वे अपने सम्बन्धियों से मिलना-जुलना पसन्द करते हैं। अपनी बहन की वे आथिर्हक मदद भी करते थे अब उनके बहनोई चूँकि सउदी अरब में है अत उनकी आर्थिक स्थिति स्वत ही अच्छी हो गयी है वे दर्जी का पेशा करते हैं।

सूचनादाता अपने को केवल अन्सारी कहते हैं जातिगत आधार पर वे अपने को निम्न कहलाना पसन्द नही करते हैं। तलाक के वे पुराने तरीकों को पसन्द करते हैं किसी भी तरह का इस सबध में वे परिवर्तन नही चाहते हैं। इनका विवाह बिना किसी दहेज के हुआ था पहले मेहर की रकम अशरफी को रूपये की तरह मानकर तय की जाती थी। इनकी मेहर की रकम पाँच सौ रूपये एक अशरफी थी।

सूचनादाता के पिता तथा दादा तम्बाकू बेचते थे। इन्होने शिक्षा प्राप्त करके सरकार नौकरी की लेकिन इनके दो छोटे भाई सऊद अरब मे हैं एक वँहाँ गाड़ियों पर पेन्टिग करते हैं दूसरे भाई एक ऐल्म्यूनियम कम्पनी में काम करते हैं। सूचनादाता ने पैतृक व्यवसाय को छोड़ा और इस प्रकार उनके भाइयों ने भी दूसरे व्यवसाय को अपनाया। यह इस बात का द्योतक है कि पैतृक व्यवसायों में गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन को सूचित करती है।

सूचनादाता चूँकि एक वृद्ध व्यक्ति हैं अत: इन्होने बताया कि शहरी समाज में अन्सारी समुदाय पिछले चालीस वर्षों से महत्वपूर्ण परिवर्तनो से गुजरा है यद्यपि यह एक पिछड़ा समुदाय है लेकिन शिक्षा तथा नये-नये व्यवसायों को अपनाने के कारण पहले से अपनी स्थिति में सुधार किया यद्यपि अभी भी स्थिति उतनी सन्तोषजनक नही है लेकिन पहले की अपेक्षा अच्छी है।

(टिप्पणी- वैयक्तिक अध्ययन 51 और 52 समान हैं)

वैयक्तिक अध्ययन (53)

वंशावली तालिका के द्वारा कपड़ा बुनने के पैत्रिक व्यवसाय का पाँचवीं पीढ़ी में पाया जाना तथा भिवण्डी (बम्बई) से नातेदारी सम्बन्ध का आधार कपड़ा बुनाई का व्यवसाय है उसका चित्रण
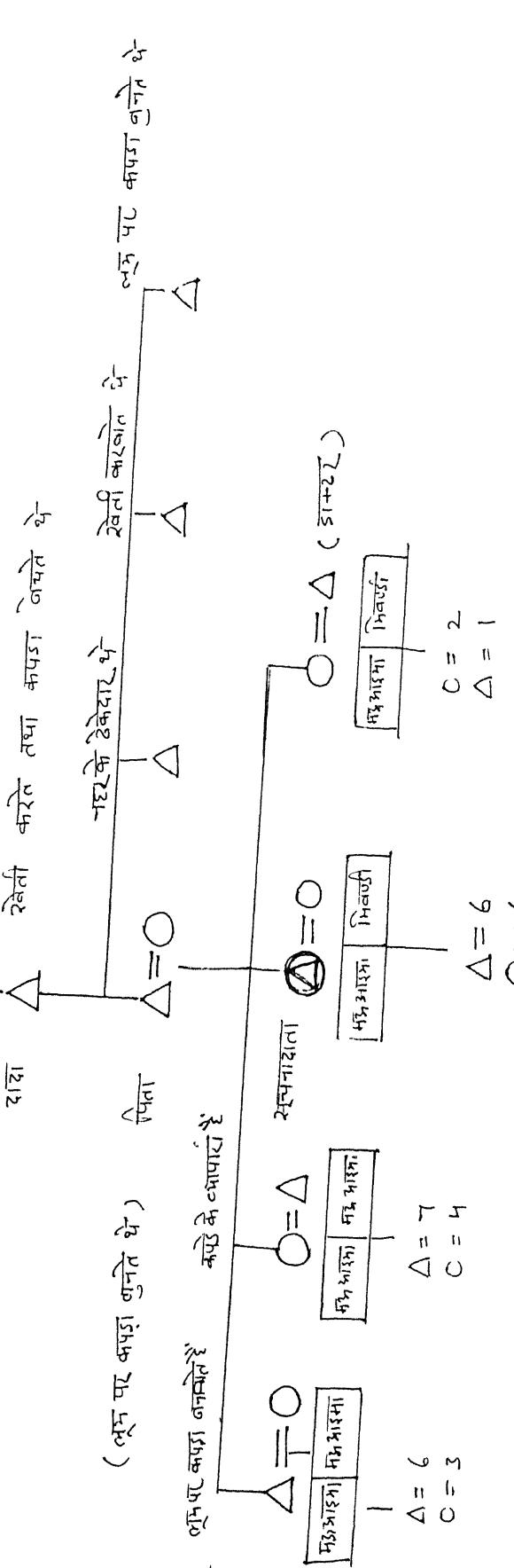
1. विस्तृत परिवार में सदस्यों की संख्या २६ है
2. मऊआइमा (इलाहाबाद का एक कस्बा, भिवण्डी (बम्बई का एक उप शहर) मऊनाथ भंजन (उत्तर प्रदेश का कपड़ा बनाने वाला एक प्रमुख शहर) तीनों स्थानों में अन्सारी समुदाय के सबसे अधिक लोग हैं उनके साथ सूचनादाता के नातेदारी सम्बन्ध हैं।

वैयक्तिक अध्ययन 53

सूचनादाता (55 वर्ष) के एक सम्पन्न व्यवसायी हैं। इनके बहुत से लूम हैं और ये कपड़ा बिनवाते हैं। इनके पूर्वज खेती तथा हाथ करघे पर कपड़ा बुनते थे। इनके पिता तीन भाई थे और सबों के व्यवसाय भी अलग थे। एक चाचा नहरों की ठेकेदारी लेते थे। दूसरे खेती करवाते थे। इनके पिता तथा तीसरे चाचा कपड़ों का व्यापार करते थे।

मऊआइमा में अधिक सख्या में अन्सारी हैं। अधिकतर परस्पर सम्बन्धी भी हैं। कुछ लोग व्यवसाय के सिलसिले मे भिवण्डी भी जाकर बस गये हैं। क्योकि भिवण्डी (बम्बई) में पावर लूम पर कपड़े की बुनाई होती है और वहाँ सिन्थेटिक कपड़ा तथा और भी ड्रेस मैटिरियल बनता है। इनकी पत्नी के दादा- मऊ के रहने वाले थे और वे भिवण्डी व्यवसाय करने चले गये थे। इनकी दो बहने हैं तथा एक भाई की पत्नी इनकी चचेरी बहन हैं और विवाह मऊआइमा से मऊआइमा में ही हुआ है।

सूचनादाता के तीसरी पीढी के पूर्वज कोल्हीपूरा गाँव से मऊआइमा आकर बस गये थे और वे ठाकुर थे। यह सूचना इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय मुसलमान यही के परिवर्तित हिन्दू हैं। ये बी0 ए0 तक शिक्षित हैं। इनके सभी बच्चे भी शिक्षित हैं कुछ पढ़ रहे हैं इनके एक पुत्र का विवाह हो चुका है जिसकी पत्नी मऊनाथ भजन की है। सूचनादाता की एक पुत्री का विवाह इलाहाबाद शहर मे बिल्डिग कान्ट्रेक्टर से हुआ है और दूसर पुत्री का विवाह भिवण्डी मे हुआ है जहाँ उसकी नानी और सगी बुआ का परिवार है। उसके पति का मेडिकल स्टोर है। दोनों पुत्रियाँ भी हाई स्कूल तक शिक्षित हैं। इनकी तीसरी बेटी ने इलाहाबाद में रहकर बी0 ए0 तक शिक्षा प्राप्त की है और उससे छोटी लड़कियाँ और लडके कस्बे के स्कूल में पढ़ते हैं।

सूचनादाता का कहना है कि वे धार्मिक व्यक्ति हैं। अतः साल में वे अपनी सम्पत्ति का जकात निकालते हैं तथा हदिया (धार्मिक कामों में खर्च करना) का भी धन निकाल कर अपने मिलने वाले गरीब लोगों तथा अन्य धार्मिक कार्यों में खर्च करते हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति कभी भी जकात तथा हंदिया के खर्चों को सार्वजनिक रूप से बताना पसन्द नही करता है।

वे अन्सारी बिरादरी की अन्य जातियों से बेहतर समझते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि और कहते हैं कि मजदूर वर्ग गरीब तथा अशिक्षित हैं तथा जो यहाँ छोटे व्यवसायिक हैं वे भी बहुत अधिक अच्छी आर्थिक स्थिति में नही है। इस समाज की पिछड़ी स्थिति का कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ऊची जाति के लोगों ने धर्म की आड़ लेकर हमें शिक्षा से दूर रखा। वे (मौलवी) जो बताते थे हमें वही

सच लगता था हमारे नाम भी वे सही नहीं रखते थे। आज भी जो वर्ग पिछड़ा है उनके पिता तथा दादा आदि का नाम बुद्धराती अर्थात् बुद्धवार के दिन पैदा हुआ व्यक्ति या जुमेराती अर्थात् जुमें (शुक्रवार) के दिन पैदा हुआ। इस दिन पैदा हुये अन्य व्यक्ति का नाम जुम्मन भी हो सकता है यह कुछ उदाहरण उन्होंने बताये आज भी इस प्रकार के नाम इस समाज के लोगों में दिखाई देते हैं। शिक्षित होने के बाद स्थिति बदल गयी है वे अपना धर्म सस्कृति के बारे में स्वय जानकारी रखते हैं। अतः इस पीढ़ी में सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक परिवर्तन की स्थितियाँ स्वयं स्पष्ट होती हैं। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव रहन-सहन पर पड़ा है। इन्होने उन सभी परिवर्तनों का पक्ष लिया जो इस्लामिक नियमों से अलग न हो और यह स्वीकार किया कि सामाजिक होना किसी भी समाज को प्रथम आवश्यकता है अर्थात् समय के अनुसार हमारे समाज में भी परिवर्तन आया है।

उनका विवाह बहुत साधारण तरीके से हुआ था। बहुत अधिक दहेज देने का उस समय कोई रिवाज नही था। आज भी इस ग्रामीण क्षेत्र मे बहुत से परिवारों ने स्वीकार किया कि हम कुछ मागते नहीं है यह गैर धार्मिक है। मेहर की रकम भी दूल्हे की हैसियत के अनुसार तय की जाती है।

इस प्रकार यहाँ पर्दा भी शहर की अपेक्षा अधिक दिखाई देता है। चूँकि मऊआइमा के अन्सारी परिवार वाले आपस मे सम्बन्धी हैं इसलिये परम्परागत तरीको को अभी भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

वैयक्तिक अध्ययन 54

सूचनादाता (45 वर्ष) इलाहाबाद जिले के एक कस्बे मऊआइमा के सरकारी आफीसर हैं। ये सुल्तानपुर में कार्यरत हैं लेकिन प्रत्येक रविवार को यह अपने घर (इलाहाबाद) आ जाते हैं।

पिछली पाँच पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। इनके पूर्वज आजमगढ़ से यहाँ आकर बसे थे और अपने साथ हथकरघा लाये थे। यही कारण है कि उनके मोहल्ले का नाम आजम पुरा है।

यहाँ लगभग जितने अन्सारी परिवार हैं उनमें लूम पर कपड़ा बिनवाने का कार्य होता है अथवा दूसरो के यहाँ जाकर बुनने का कार्य करते हैं। इनके केवल एक भाई हैं जिनकी पत्नी मऊआइमा की हैं वे आपस में सम्बन्धी नही है वे भी लूम के व्यवसायी हैं। मारकीन बनवाकर वे उसे बाहर मथुरा भेजते हैं। सूचनादाता एक शिक्षित व्यक्ति है और वे एक सरकारी आफिसर हैं जिला ग्रामीण औद्योगिक विभाग में। उनकी पत्नी इलाहाबाद शहर की हैं। वे एक नौकरी पेशा परिवार की स्त्री है। उनके भाई सरकारी
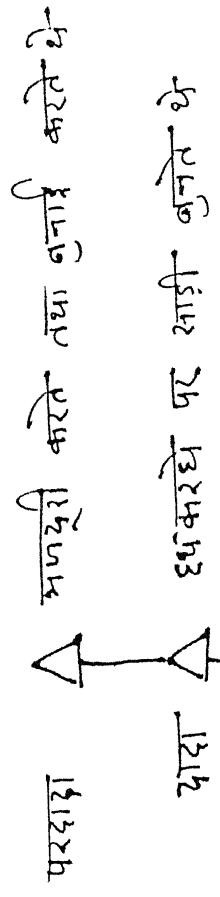
वैक्तिक अध्ययन (55)

मऊआइमा (इलाहाबाद) कस्बे में वंशावली चित्रावली के द्वारा चार पीढ़ियों में परम्परागत व्यवसाय कपड़ा बुनने का चित्रण

नौकरियों में उच्च पदों पर है। मऊआइमा में इनका परिवार कपड़े बुनवाता है अर्थात् वे उच्च वर्ग के व्यवसायी हैं। इनके दादा के तीनों भाई यही काम करते थे। इनकी पुत्री का विवाह अपने खानदान के कजिन से हुआ है जो करीब 20 वर्ष पहले भिवण्डी में जाकर बस गये थे वहाँ भी यह कपड़ा बुनवाने का काम करते हैं।

इनके सम्बन्धी मऊआइमा में बहुत हैं क्योंकि पाँच पीढ़ियों के व्यक्तियों का परिवार बहुत से विस्तृत परिवारों में फैल चुका है।

वे धार्मिक व्यक्ति हैं साथ ही शिक्षित होने के कारण वे एक जागरूक सामाजिक कार्यकत्ता भी हैं। अपने समाज के पिछड़ेपन को वे स्वीकार करते हैं और इसका कारण वे गरीबी तथा अशिक्षा को मानते हैं। इनकी आय अपना वेतन + व्यवसाय है। इनकी केवल तीन पुत्रियाँ हैं। इनके परिवार में केवल चार लोग हैं। यह एक एकाकी परिवार है जो आस-पास अपने विस्तृत परिवारों से घिरा है।

ये अपने को निम्न जाति का मानकर कभी हीन भावना से ग्रसित नही होते हैं। उनके अनुसार उनका समाज बहुत अच्छा है। पहले से सामाजिक स्तर तथा धार्मिक स्तर मे सुधार आया है। उनके पिता के समय तथा उनके बचपन में उन्होने उच्च जाति वर्ग (जमीदार वर्ग) के द्वारा अपने समाज को सताया जाते देखा है। यही कारण है कि इस समाज के लोगो के निवास स्थान गाँव के बड़े अलग हिस्से में हैं वहाँ अन्य मुस्लिम जातियों के घर नही हैं।

इनके अनुसार अभी भी इस बात की आवश्यकता है कि इस समाज के लोगों को सरकारी सहायता की क्योकि सम्पन्नता की प्रतिशत कठिनाई से केवल 10% ही होगा। धीरे-धीरे शिक्षा के विकास सामाजिक जागृति से परिवर्तन आयेगा ऐसा ये मानते हैं। उनके प्रयत्न के फलस्वरूप मऊआइमा में पिछले कई वर्षों से एक गर्ल्स इण्टरमीडिएट कालेज चल रहा है जो एक कस्बे मे स्त्री शिक्षा का प्रमुख आधार है तथा सामाजिक परिवर्तन की धुरी है।

वैयक्तिक अध्ययन- 55

सूचनादाता के अनुसार निम्न वर्ग के अन्सारी समुदाय के युवा लड़के या तो भिवण्डी चले गये हैं अथवा यह कस्बे मे लूम पर मजदूरी करते हैं। यह एक अन्सारी बाहुल्य जनसख्या वाला कस्बा है।

आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं जैसे- पर्दा प्रथा कम हो जाना स्त्रियों का नौकरी करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना आदि। वे जाति सरचना में अन्सारियों की नीची स्थिति को

स्वीकार करते हैं लेकिन अपने आपको वे पिछड़ा नही मानते हैं। उन्हें जो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है वह उनके व्यवसाय तथा उच्च स्थिति के कारण हैं। ऐसी स्थिति में उनका अन्सारी होना उन्हें कही भी नीचे नही पहुँचाता है। उनके सम्बन्ध भी उच्च जातियों से अच्छे हैं कोई भी ऊची जाति का व्यक्ति उनके साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नही करता है लेकिन कपड़ा बुनने वाले मजदूर तथा खेत पर काम करने वाले श्रमिक तथा अन्य छोटे-मोटे काम करने जिनकी आर्थिकी स्थिति कमजोर हैं वे ऊची जाति (सैयद) शेख, पठान वालों के समान बराबरी से नही बैठ सकते हैं वे परिवर्तन कई पीढ़ियों के बाद स्वीकार किये जाते हैं। आज भी मस्जिद में नमाज की लाइन में खड़े होते समय निचले वर्ग के लोग अपने आप पीछे खड़े होते हैं वे उच्च जाति के सम्भ्रान्त तथा अपनी जाति के उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिये स्थान छोड़ देते हैं। यह सामाजिक सरचना की व्यवहारिक स्थिति है।

आपने स्वीकार किया कि अभी भी जरूरत है इस समुदाय के लोगों को पिछड़ेपन से निकलने की व्यवसायिक गतिशीलता के फलस्वरूप थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है लेकिन वह काफी नही है।

वैयक्तिक अध्ययन- 56

सूचनादाता एक प्रतिष्ठित ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर हैं। इनके पिता दादा तथा परदादा हकीम थे वे वहाँ 200 वर्षों से हैं। इनकी पत्नी भी उसी कस्बे की हैं वर्तमान समय में वे तथा उनका बड़ा पुत्र उनके परिवार के साथ रहता है। उनका बडा बेटा डाक्टर है। उसकी पत्नी दूसरे शहर की है तथा एम0 ए0 पास हैं। उसके बच्चे शहर में होस्टल में अग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं। सूचनादाता के दो बेटे अमरीका मे हैं। एक जहाँ डाक्टर तथा दूसरा प्रोफेसर है। चौथा बेटा अरब में है। उसने बिजनेस मैनजमेंट का कोर्स किया है। इनके सभी बेटों की पत्नियाँ पोस्ट ग्रेजुएट है। सूचनादाता की दोनों बड़ी पुत्रियाँ कस्बे में ही पढी हैं। छोटी पुत्री की शिक्षा की व्यवस्था इन्होने शहर में की है।

सूचनादाता के बड़े भाई भी डाक्टर हैं जो शहर में प्रैक्टिस करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी आप स्कूली शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। अन्सारी समुदाय के पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। वे अपने परिवार की सम्पन्नता का सबसे बड़ा कारण शिक्षा को मानते हैं। परिवार का स्वरूप सयुक्त है। उनके पिता वे स्वय तथा उनके बेटे का परिवार साथ में रहते हैं। सूचनादाता के बेटे को आय तथा उनकी आय एक साथ रहती है। उनके दो बेटे जो अमरीका में रहते हैं वे त्योहार मनाने अपने पिता के घर आते हैं। यद्यपि वे हर वर्ष नही आ पाते हैं लेकिन वे वहां से बराबर सम्पर्क बनाये रखते हैं।

चार पीढ़ियों से यह परिवार चिकित्सा के क्षेत्र से सम्बन्धित है जबकि मऊआइमा में मुख्य व्यवसाय कपडा बुनना है तथा खेती है। सूचनादाता लडकों के हाई स्कूल एक स्कूल में मैनेजर भी हैं और वह वहाँ की अन्सारी बिरादर की पचायत के भी सदस्य हैं। पचायत के अन्तर्गत प्रत्येक मोहल्ले से एक सरदार चुना जाता है किसी प्रकार का चुनाव न करके आपसी सहमति से इन्साफ पसन्द तथा जागरूक व्यक्ति को चुन लिया जाता है तथा वे सरदार आपस मे मिलकर सरपच को चुनते हैं। बिरादरी की पचायत विवाह, तलाक खेती से सम्बन्धित तथा पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। अगर पचायत किसी व्यक्ति को बुलाती है तो उसका वहाँ पहुँचना अत्यन्त आवश्यक है। उसके न जाने पर वह व्यक्ति बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति का अपनी बिरादरी से बाहर किया जाना बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है।

सूचनादाता ने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र की पचायत ने अपनी बिरादरी के लिये बहुत काम किया है जैसे ईदगाह का निर्माण उसकी मरम्मत, एक मदरसा (अरबी धार्मिक स्कूल) अन्सारी फण्ड से किया जाता है। इस कस्बे के जो लोग भिवण्डी, बम्बई, सऊदी अरब अथवा विदेश में हैं वे भी समय-समय पर पचायत की आर्थिक मदद करते रहते हैं।

इस कस्बे का स्वरुप परम्परागत है। अत आपस में अधिकतर लोग एक दूसरे को पहचानते हैं तथा सम्पन्न लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये अधिकतर अलीगढ़ भेजते हैं। इस प्रकार सूचनादाता का स्वय का परिवार ही यह उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि उनके पुत्र डाक्टर तथा प्रोफेसर हैं।

वैयक्तिक अध्ययन- 57

सूचनादाता अड़ातलीस वर्षीय स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनकी पत्नी भी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। इनका विवाह एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में हुआ है और वे आपस में दूर के सम्बन्धी हैं। सूचनादाता के दादा इलाहाबाद के पास के कस्बे फूलपुर मे खेती करते थे। फूलपुर इनका पैतृक निवास स्थान है। इनके पिता रिटायर्ड पेशकार हैं। उनके भाई भी पेशकार हैं। वे लगभग अस्सी वर्प पहले इलाहाबाद आकर बस गये थे वे एक शिक्षित पिता हैं। अत सूचनादाता के अन्य चारों भाई क्रमशः रेलवे मे सर्विस, बोर्ड आफिस मे सर्विस, रोडवेज मे तथा इन्जीनियर हैं तथा चारो बहने भी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। उनके पति भी उच्च पदो पर हैं। अतः यह परिवार एक उच्च शिक्षित परिवार है।

परिवार का स्वरूप एकाकी है वे दूसरे शहर में जहाँ उनकी पोस्टिंग है रहते हैं। सूचनादाता के केवल दो बेटे हैं। परिवार में वे नौ भाई बहन हैं लेकिन सभी विवाहित भाई तथा बहनों के केवल दो बच्चे हैं। अत. शिक्षित परिवारों की तरह इनके परिवार में परिवार नियोजन है। (व्यवसायिक तथा अशिक्षित परिवारों में बच्चों की सख्या अधिक पायी गयी) वे त्योहार अपने परिवारो के साथ मिलकर मनाते हैं। सर्विस के कारण सभी भाई दूसरे शहरों में रहते हैं लेकिन वे सभी से मिलना पसन्द करते हैं तथा घर मे सबसे बडे होने का दायित्व निभाते हैं। अन्सारी समुदाय परम्परागत पिछड़ा समुदाय माना जाता है यही कारण है कि अति आधुनिकता को वे अभी नहीं अपना पाये हैं। अतः परिवार का स्वरूप परम्परागत तथा सम्बन्धों मे प्रगाढ़ता दृष्टिगोचर होती है।

सूचनादाता लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक स्थिति को भी अगर ऊचा करना है तो उसका माध्यम शिक्षा ही होगा उनका कहना है। उनके अनुसार अन्सारी समाज में आज भी जरूरत है एक शैक्षिक पर्यावरण की क्योकि शहरी समाज में एक बड़ा वर्ग बाल श्रमिकों का है जो स्टील, ट्रन्क उद्योग, बीडी उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि में कार्यरत हैं। उसमें बड़ी सख्या अन्सारी समाज के बच्चों की भी है।

अत. सामाजिक परिवर्तन के लिये आर्थिक निर्भरता को आवश्यक मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया गरीबी एक मुख्य कारण है आर्थिक पिछड़ेपन का जो शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ेपन का कारण है।

परिशिष्ट-2

अनुसूची

टिप्पणी: यह अनुसूची अपूर्ण है तथापि प्रत्येक सूचनादाता से अनौपचारिक साक्षात्कार के समय इसका प्रयोग किया गया।

इलाहाबाद के अन्सारी समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अध्ययन

नाम..

आयु....................... ....

शिक्षा.................................... .. ..

1. पारिवारिक पृष्ठ भूमि

   जन्म स्थान....................... उनका व्यवसाय

   उनके माता का जन्म स्थान

   बच्चों का संख्या

   उनका विवाह कब हुआ तथा जिनसे हुआ उनके सम्बन्ध

2. उनके पिता के सम्बन्ध में

   कहाँ के निवासी थे

   उनका व्यवसाय

   उनकी शिक्षा कैसे हुयी?

   भाई हैं तो क्या करते हैं?

   बहन के परिवार का व्यवसाय तथा भाई बहनों की संख्या

   परिवार में कितने परिवार साथ रहते हैं-

3. सूचना दाता इलाहाबाद में कब से हैं?

   पहले कहाँ रहते थे

   पत्नी कहाँ की है? उनकी आयु शिक्षा आदि

   इनका सामाजिक सम्बन्ध रिश्तेदारों से कैसा है?

   अर्थात उनसे वे हफ्ते अथवा महीनों में कितनी बार मिलते हैं?

   तथा वे कौन हैं?

4. आर्थिक परिधि

आय का मुख्य श्रोत क्या है?

पेशा   मकान का किराया   नौकरी

कितने लोग साथ में रहते हैं?

धन की आवश्यकता पड़ने पर मदद किससे लेंगे?

वे, स्वय आर्थिक मदद किससे करते हैं?

5 धार्मिक परिधि

आप इबादत रोज करते हैं कभी-कभी त्योहार किसी प्रकार मनाते हैं

रोजा रखते हैं?

6 सम्पूर्ण मुस्लिम जातियों (समाज) में आप अपने को किस रूप में देखते हैं

7 इस्लाम किसी भी प्रकार में भेदभाव की-

जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर   इजाजत नहीं देता

आप इसको किस प्रकार अनुभव करते हैं?

8. कुछ ऐसे परिवर्तन हुये हैंजैसे तलाक, मुस्लिम विवाह के सम्बन्ध में यदि जानते हैं तो बतायें। परिवर्तन को इस्लाम के सम्बन्ध में बतायें

9. वर्तमान समय में सरकार पिछड़ी जातियों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आपके अनुसार क्या यह जरूरी है कि अन्सारी समुदाय को पिछड़ा दर्जा दिया जाय यदि हाँ तो किन लोगों को सम्मिलित करना चाहिये।

10. परिवार के सदस्यों की राजनैतिक प्राथमिकतायें

11. क्या वे किसी संस्था के सदस्य हैं?

12. क्या उन्होने दहेज लेकर विवाह किया था?

13. विवाह रिश्तेदारों में हुआ अथवा बाहर?

14. पारिवारिक निर्णय कौन लेता है?

15 मेहर और दहेज का अर्थ

16. महिला-शिक्षा के सम्बन्ध में आपकी राय क्या है?

17. इस समुदाय के उत्थान के लिए आपका सुझाव क्या रहेगा?

उत्तर प्रदेश
का मान चित्र
उत्तरकाशी
टिहरी गढ़वाल
चमोली
पिथौरागढ़
सहारनपुर
हरिद्वार
गढ़वाल
अल्मोड़ा
मुजफ्फरनगर
बिजनौर
नैनीताल
मेरठ
मुरादाबाद
रामपुर
गाजियाबाद
पीलीभीत
बरेली
बुलन्दशहर
बदायूँ
खीरी
शाहजहाँपुर
अलीगढ़
मथुरा
एटा
बहराइच
सीतापुर
आगरा
मैनपुरी
हरदोई
गोण्डा
सिद्दार्थ नगर
महराजगंज
फर्रुखाबाद
लखनऊ
बाराबंकी
इटावा
बस्ती
कानपुर देहात
उन्नाव
फैजाबाद
गोरखपुर
देवरिया
कानपुर नगर
रायबरेली
जालौन
सुल्तानपुर
आजमगढ़
मऊ
हमीरपुर
फतेहपुर
प्रतापगढ़
जौनपुर
बलिया
गाजीपुर
झाँसी
बाँदा
इलाहाबाद
मिर्जापुर
ललितपुर
सोनभद्र

मान चित्र
शहर
इलाहाबाद
उन्नावको
फाफा मऊ
बाँदाको
स्टेशन फाफामऊ
रसूलाबाद बाजार
नेपाल स्टेट
विल्ला
गोविन्द पुर
गंगा नदी
सलोरी
चाँदपुर
गल्ला बाजार
सादियाबाद
17
रेलवे स्पताल
प्रयाग स्टे०
पुलिस स्टेशन
20
सदर बाजार
पुलिस लाईन
कचेहरी
इम्पीरियल बैंक
19
कानपुरोड
हाईकोर्ट
गिरजाघर
डाकघर
सिविल लाईन्स
अल्लापुर स्टे०
अस्पताल
राजघाट फैरी
चौक
ग्रान्ड ट्रंक रोड
बेनीगंज
गंगा रोड
जमुना नदी
पंम्पिंग स्टे०
नलुआ घाट
अरैल
नैनी
मीरापुर
दारागंज स्टे०
झूँसी को हुना

परिशिष्ट-3

इलाहाबाद शहर

इलाहाबाद शहर एक परम्परागत शहर है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग था। "प्रयाग" का उल्लेख **स्कन्ध-पुराण** में है। झूँसी "प्रतिष्ठानपुर" नाम से जाना गया है। प्रतिष्ठानपुर का सम्बन्ध आर्य जाति से है इसी गौरवर्णो थायावर जाति चरैवेति का सिद्धान्त अपना कर अग्निहोत्र (यज्ञ) का प्रचलन किया। इस आर्य जाति की दूसरी शाखा "ऐल" यहाँ बाद में आयी जो इला की सतान चन्द्रवेश के राजा पुरुरवा और उसके जन थे राजा पुरुरवा तथा उवर्शी की कथा सुविख्यात है। राजा पुरुरवा ने गगा तथा यमुना के संगम पर अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर का निर्माण किया था। इस प्रकार इसका नाम इलावास (ILLAWASA) पड़ा। इलाहाबाद (ILLA) का अर्थ है पुरुरवा ऐला (PURVRALLA) तथा आवास (AWASA) अर्थात् पुरूरवा ऐला का रहने का घर। यह नाम आगे चलकर इलावास (ILAWASA) हुआ। यह नाम भी परिवर्तित होकर इलाहाबाद (ALLAHABAD) हो गया। वर्तमान मे यह इलाहाबाद (ALLAHABAD) हो गया है। अत. इलाहाबाद को इलाहाबादतथा प्रयाग दोनों नामो से जाना जाता है।

इलाहाबाद डिवीजन में तीन जिले हैं जिनमें एक इलाहाबाद है। इलाहाबाद चायल तहसील के अन्तर्गत आता है जिसकी कुल जनसख्या 7,73,588 है। 1981 की जनगणना आँकडों के अनुसार शहरी आबादी की कुल जनसख्या 6,19,628 है। 1994 में इलाहाबाद नगर निगम के आँकड़ो के अनुसार शहरी आबादी 7,92,858 हो गयी है। शहरी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी वाले मोहल्लों में बहुसख्यक आबादी मुस्लिम है। लेकिन शहर के प्रत्येक मोहल्लों में कुछ न कुछ आबादी मुसलमानों की भी है। अत: यह निश्चित करना कि उनकी सख्या कितनी है ? मुश्किल है। परन्तु कुल जनसख्या का 22.5% मुसलमान यहाँ हैं और उनमें बहुसख्यक रूप मे अन्सारी समुदाय हैं। वे शहर की मुस्लिम जाति सस्तरण की सभी जातियों मे लगभग 35% है।

यह नगर दो ओर से गगा तथा एक ओर से यमुना से घिरा है। इस शहर में तीन रेलवे स्टेशन हैं- प्रयाग, रामबाग और इलाहाबाद।

इलाहाबाद नगर में मुसलमान जनसंख्या

इलाहाबाद शहर के वे प्रमुख मोहल्ले जिनमें मुस्लिम आबादी है तथा जहाँ अन्सारी समुदाय हैं उनकी

सूची **क्रमवार** (आबादी अनुसार) नीचे दी जा रही है :

1. दोन्दीपुर
2. मिन्हाजपुर
3. गुरु तेगबहादुर नगर (करेली)
4. बख्शी बाजार
5. अकबर पुर
6. नयी बस्ती
7. शाहगज
8. अटाला
9. मीरापुर
10. दरियाबाद
11. बैदन टोला
12. बहादुरगंज
13. कीटगज
14. अतरसुइया
15. याकूतगज
16. खुल्दाबाद
17. सदियाबाद
18. मोहतिसिम गज
19. कटरा
20. राजापुर
21. रसूलपुर ⁅तुलसीपुर⁆

इलाहाबाद शहर के मानचित्र में इन मोहल्लों को दर्शाया गया है (मानचित्र अध्याय-7 में है)।

संदर्भ सूची

(1) उत्प्रेती, हरिश्चन्द्र 1975
समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम
(इमाइल दुर्खिम की पुस्तिका का अनुवाद)
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

(2) कपाड़िया, के. एस. (1990)
भारत वर्ष में विवाह तथा परिवार
मोती लाल बनारस दास बंगाली रोड, जवाहर नगर
नई दिल्ली।

(3) गुप्ता, मोती लाल 1986
भारतीय सामाजिक संस्थाएं
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

(4) जानसन, एम (अनुवादक अटल योगेश) 1990
समाजशास्त्र एक विधिवत विवेचन
कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली, लुधियाना।

(5) नौमानी, मौलाना मुहम्मद मजूर 1964
इस्लाम क्या है ?
पवन प्रिंटिंग प्रेस, नजीराबाद, लखनऊ।

(6) रिवर्स, डब्ल्यू0 एच0 आर0
अनुवादक पाठक, पी. पी. 1972
सामाजिक संगठन
उ0 प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी साहित्य विज्ञान, लखनऊ।

(7) सिन्धी, नरेन्द्र कुमार और
गोस्वामी, वसुधाकर 1988
समाजशास्त्र विवेचन
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

(8) मौदूदी, सैय्यद अबुल आला 1968, 1992

इस्लाम धर्म

मर्कजी मक्तबा इस्लामी, चितली कब्र, दिल्ली

(9) रूहेला, सत्यपाल 1973

भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन

उ0 प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ।

(10) लवानिया, एम. एम और जैन, शशि 1985

भारतीय समाज

रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।

(11) श्रीवास्तव ए आर. एन, 1993

समाजशास्त्रीय निबन्ध

लैण्ड मार्क प्रेस, इलाहाबाद।

(12) श्रीवास्तव, ए0 आर0 एन0, 1995

भारतीय समाज

ज्ञानदीप प्रकाशन, पटना।

A SELECT BIBLIOGRAPHY

1. Aggrawal, Pratap Chand. 1966.
"A Muslim Sub-Caste of Northern India"- Problems of Cultural Integration.
Economic & Political Weekly (1) : 159-67

2. Ahmad, Imtiaz; 1966:
(a) "The Ashraf and Ajlaf Dichotomy in Muslim Social Structure in India."
Indian Economic and Social History Review (3) 268-78
(b) **Caste and Social Stratification among Muslimes in India,** New Delhi, ManoharPublication. (1973)
(c) **Kinship and Marriage among Muslims,** New Delhi. (1976)
(d) **Ritual and Religion among Muslims in India.** New Delhi, Manohar Publication. (1981)

3. Ahmad, Zarina; 1962:
"Muslim Caste in Uttar Pradesh." **Economic Weekly** 1093- 1096.

4. Akbar, M; 1990:
Entrepreneurship & Indian Muslims, Manak Publications, Delhi

5. Ameer Ali, Syed; 1961:
The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam, London, Cristophers.

6. Anderson, J. N. D. ; 1959:
Islamic Law in the Modern World, New York.

7. Ansari, Ghaus; 1960:
"Muslim Caste in Uttar Pradesh: A study of culture contact. "**The Eastern Anthropologist,** (special number, 13) 5-80

8. Aziz Ahmad, B., 1964:
(a) **Studies of Islamic Culture in the Indian Environment,** Oxford, London.
(b) **Islamic Modernism in India and Pakistan,** Bombay (1967)

9. Bhatt, Anil; 1975:
Caste, Class and Politics, Manohar Book Service.

10. Buksh, S. Khuda; 1980:
Marriage and Family in Islam, Oriental Publishers. Lahore.

11. Crook, W.; 1926:
Religion and Folklore of Northern India. Oxford.

12. Doshi, HarishC. ; 1986;
The Decline of Caste: Reality or Myth. South Gujrat University, Surat.

13. D' Souza, Victors; 1973:
"Status Groups among the Moplah on the south west cost of India." in Imtiaz Ahmad (ed) **Caste and Social Statification among Muslims in India.** Manohar Publications, Delhi

14. Dube, Leela; 1969:
Matriliny in Islam. Delhi

15. Dumont, Louis; 1970:
Homo Hierarchicus- The caste system and its implications London.

16. Durkheim, Emile; 1961:
Elementary forms of the Religious Life. Collier Books. New York.

18 **Encyclopaedia Britanica;** 1936 : (Vol III) Pp. 558, London. (Article on Islam)

19. **Encyclopaedia of Islam;** 1960: (Vol I) H. A. R. P. 514. (Article on Islam)

20. Engineer, A. A.; 1984:
Status of Women in Islam. Institute of Islamic Studies, Bombay.

21. Gauri, Shafi Mohd. Khan; 1986:
Muslim Parivarik Sangathan Ke Badalte Pratiman. Aligarh University. (Thesis)

22. **Gazetteer of India;** 1973:
Vol II, History and Culture, Ministry of Education and Social Welfare.

23. Ghurye, G. C.; 1962:
(a) **Family and Kin in Indo-European Culture.** Popular Book Depot, Bombay.
(b) **Caste and Class in India.** Popular Prakasan, Bombay, 1950

25. Gibb, H. A. R., and Bowen Harold; 1951:
Islamic Society and West: A study of the Impact of Western civilisation on Muslim Culture in the East. Oxford University Press, London.

26. Gillin, and Gillin, ; 1975:
Cultural Sociology. New York.

27. Good well, Willystine; 1934:
A History of Marriage and Family. Macmillan Publication. New York.

28. Gruensaun, G. E. Von; 1961:
Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation. Chicags.

29. Guillame, M. A.; 1924:
The Tradition of Islam: An Introduction to the study of Hadith Literature. The clasendon Press, Oxford.

30. Gupta, Raghuraj; 1956:
"Caste Ranking and intercaste relations among Muslims of a Village in North-Western U. P. "**The Eastern Anthropologist.** 10(1) : 30-42.

31 Habib, Irfan; 1963:
Agrarian System of Mughal India. Asia Publising House, Bombay.

32. Haq, Musir V. ; 1970:
Muslim Polities in Modern India. Meenakshi Prakasan, Meerut.

33. Husain, Seikh Abrar; 1976:
Marriage Customs among Muslims in India., Sterling Publishers, Delhi.

35. Hunter, W. W.; 1872:
Our Indian Musalmans. Trubner Company. London.

36. Hutton, J. H.; 1946:
(a) **Caste in India.** Bombay, (Ed. 1977)

37. Imam Bukhari; 1984:
Sahih-al-Bukhari. Vol. 7 Kitab Bhawan, New Delhi.
(Transtated by Dr. Mohammad Mohsin Khan.)

38. Iman, Muslim; 1978:
Sahih- Muslim vol. II. Kitab Bhawan, New Delhi. (Translated by Abdul Hamid Siddiqui)

40. Karandikar, M. A.; 1968:
Islam in India's Transition to Modernity. Orient Longman, New delhi.

41. Karim, Nazrul; 1957:
Changing Society in India and Pakistan. Dacca.

42. Khan, Wahid H ; 1988:
Muslim Law. Allahabad Law Agency Publications, Allahabad.

43. Khursheed Ahmad; 1982:
Family Life in Islam. Published by Markazi Maktaba Islami, Delhi.

44. Levy, R.; 1962:
Social Structure of Islam. Cambridge University Press, London.

45. Madan T. N. ; 1976:
Muslim Communities of South Asia, Culture and Society. Vikas Publising House, New Delhi.

46. Majumdar, D. N., and T. N. Madan; 1958:
An Introduction to Social Anthropology. New Delhi.

47. Mandelbaum, David; 1972:
Society in India. Popular, Bombay.

48. Matahhari, Mustada; 1981:
The Rigts of Women in Islam. World Organisation for Islamic Services, Tehran, Iran.

49. Maududi, Syed Abdul Ala; 1951:
(a) **Maktaba-Jamaat-E. Islami.** Rampur, U. P. (Translated by Dr. Abdul Ghani)
(b) **The Islamic Law and Constitution.** Islamic Publication, Lahore (1955)

50. Maulana Habiburrahman 1985:
Dastkar Ahle Sarf (Part I). Hasan Press, Mau (U.P.)

51. Misra, S. C. 1964:
Muslim Communities in Gujrat. Asia Publishing House, Bombay.

52. Mohammad, Rauf; 1972:
Marriage in Islam. Exposition Press. Jrico, New York.

53. Momin, A. R.; 1977:
"The Indo-Islamic Tradition". **Sociological Bulletion.** Vol. 26, No. 2, Pp. 242-256.

54. Moulavi, C. N. Ahmad; 1979:
Religion of Islam: A comprehensive study . Kallai.

55. Qutb, Muhammad; 1968:
Islam- The Misunderstood Religion. The Board of Islamic Publication., Jama Masjid, Delhi.

56. Rizvi, S. H. M, & Shibvani Roy; 1984:
Muslim Bio- Cultural Perspective. B. R. Publishing Corporation, Delhi.

57. Roy, Shibani; 1979:
Status of Muslim Women is North India. B. R. Publishing Corporation, Delhi.

58. Stratqar, C. M; 1955:
The Muslim Marriage, Power and Divorce. Institute of Islamic Culture, Lahore.

59. Sharif, Jafar; 1832:
Qanoon- E- Islam. (Manners and Customs of Musalmans of India, Translated by G. A. Herklots, Madras, 1895).

60. Sharma, Kamlesh; 1985:
Role of Muslims in Indian Politics. Inter- India Publications, New Delhi.

61. Sheikh, Fate Mohd. & Khursheed Ansari Amritsari; 1931:
Tazkeratul Ansar. Ashnai Barqi Press, Amritsar.

62. Sing, Yogendra; 1973:
Modernization of Indian Tradition (Systematic Study of Social Change.) Thomson Press (India) Ltd., Publication Division, Delhi.

64. Smith, Wilfred Contwel; 1946:

(a) **Modern Islam in India:** A Social Analysis. Victor Gollanez. London.

(b) **Islam in Modern History.** Prince University Press Privecton (1957)

66. Srinivas, M. N.

(a) **Caste in Modern India and other Essays.** Asia Publishing, Bombay. (1962)

(b) **Social Change in Modern India.** (1966)

67. Shariati, Ali; 1978 On the Sociology of Islam.
Iran Culture House, New Delhi.

68. Timasheff, N. S., 1955
Sociological Theory: Its Nature and Growth. N. Y.